ध्येयIAS®
most trusted since 2003

परफेक्ट 7

मासिक करेंट अफेयर्स पत्रिका

जूलाई 2025
वर्ष : 07 | अंक : 07

dhyeyaias.com

एक्सिओम-4 मिशन और गगनयान तक की राह

मुख्य्य विशेषताएं

पावर पैक्ड न्यूज | यूपीएससी प्री बेस्ड एमसीक्यूस | समाचार विश्लेषण

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

Gomti Nagar

New IAS Batch

By Vinay Sir

21st July || 11:30 AM

Register Now

Hurry!! LIMITED SEATS

Contact us:
7570009003

Jeewan Plaza, Viram Khand-5,
Gomti Nagar, Lucknow

पहला पन्ना

एक सही अभिक्षमता वाला सिविल सेवक ही वह सेवक है जिसकी देश अपेक्षा करता है। सही अभिक्षमता का अभिप्राय यह नहीं कि व्यक्ति के पास असीमित ज्ञान हो, बल्कि उसमें सही मात्रा का ज्ञान और उस ज्ञान का उचित निष्पादन करने की क्षमता हो।

बात जब यूपीएससी या पीसीएस परीक्षा की हो तो सार सिर्फ ज्ञान का संचय नहीं, बल्कि उसकी सही अभिव्यक्ति और किसी भी स्थिति में उसका सही क्रियान्वयन है। यह यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी से लेकर देश के महत्त्वपूर्ण मुद्दे सँभालने तक, कुछ भी हो सकती है। यह यात्रा चुनौतीपूर्ण तो जरूर है परंतु सार्थक है।

परफेक्ट 7 पत्रिका कई आईएएस और पीसीएस परीक्षाओं में चयनित सिविल सेवकों की राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझ विकसित करने का अभिन्न अंग रही है। यह पत्रिका खुद भी, बदलते पाठ्यक्रम के साथ ही बदलावों और सुधारों के निरंतर उतार चढ़ाव से गुजरी है।

अब, यह पत्रिका आपके समक्ष मासिक स्वरूप में प्रस्तुत है, मैं आशा करता हूँ कि यह आपकी तैयारी की एक परफेक्ट साथी बनकर, सिविल सेवा परीक्षा की इस रोमांचक यात्रा में आपका निरंतर मार्गदर्शन करती रहेगी।

शुभकामनाओं के साथ,

विनय सिंह
संस्थापक
ध्येय IAS

टीम परफेक्ट 7

संस्थापक	:	विनय सिंह
प्रबंध संपादक	:	विजय सिंह
संपादक	:	आशुतोष मिश्र
उप-संपादक	:	भानू प्रताप
	:	ऋषिका तिवारी
डिजाइनिंग	:	अरूण मिश्र
आवरण सज्जा	:	सोनल तिवारी

-: साभार :-

PIB, PRS, AIR, ORF, प्रसार भारती, योजना, कुरूक्षेत्र, द हिन्दू, डाउन टू अर्थ, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, WION, BBC, Deccan Herald, हिन्दुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, दैनिक भाष्कर, जनसत्ता व अन्य

-: For any feedback Contact us :-

+91 9369227134

perfect7magazine@gmail.com

ध्येयIAS most trusted since 2003

परफेक्ट 7

मासिक समसामायिकी पत्रिका

इस अंक में ...

1. भारतीय समाज व कला एवं संस्कृति 06-20

➢ **जनजातीय सशक्तिकरण: कल्याणकारी योजनाओं से समावेशी भारत की ओर अग्रसर**

- भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में हासिल की ऐतिहासिक सफलता
- विश्व जनसंख्या की स्थिति 2025: वास्तविक प्रजनन संकट
- ग्रामीण महिलाओं में ऑनलाइन बैंकिंग का बढ़ता चलन
- सरकारी स्कूलों में घटता नामांकन
- कर्नाटक में गिग वर्कर्स के लिए कल्याण संबंधी अध्यादेश
- यूनेस्को GEM रिपोर्ट 2024–25
- वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025
- जबरन विस्थापन पर UNHCR की रिपोर्ट
- भारत में बाल श्रम संकट
- ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025
- क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026

2. राजव्यवस्था एवं शासन 21-35

➢ **भारत की 2027 की जनगणना: डिजिटल और जनसांख्यिकीय बदलाव की यात्रा**

➢ **भारत में प्रजनन अधिकार और मातृत्व लाभ: संवैधानिक संरक्षण, चुनौतियाँ और आगे की राह**

- ट्रांसजेंडर पत्नी को 498A IPC के तहत संरक्षण
- नव्या योजना
- सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना कानून पर स्पष्टता दी
- वकील-मुवक्किल विशेषाधिकार पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
- चुनाव आयोग ने 345 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की
- भारत में अंग प्रतिरोपण की कम संख्या
- ध्रुव नीति
- छत्तीसगढ़ होमस्टे नीति 2025-30
- "मीडिएशन फॉर नेशन" अभियान

3. अन्तर्राष्ट्रीय संबंध 36-57

➢ **ईरान-इज़राइल संघर्ष और मध्य एशिया क्षेत्र पर व्यापक प्रभाव: एक विश्लेषण**

➢ **विदेश नीति में कूटनीतिक कदम साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया तक भारत की रणनीतिक पहुंच**

- गोल्डन डोम' मिसाइल रक्षा प्रणाली
- रूस-भारत-चीन (RIC) त्रिपक्षीय प्रारूप पुनः सक्रिय
- चीन ने मध्यस्थता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन (IOMed) की शुरुआत की
- पेराग्वे राष्ट्रपति की भारत यात्रा
- वियतनाम 'साझेदार देश' के रूप में ब्रिक्स में शामिल
- प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस यात्रा
- भारत ने परमाणु हथियारों की संख्या में पाकिस्तान को पीछे छोड़ा
- भारत-कनाडा संबंध
- संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में खाद्य असुरक्षा को लेकर संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी
- बांग्लादेश को 1.5 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता
- वैश्विक शांति सूचकांक 2025
- भारत का सतत विकास लक्ष्यों में उल्लेखनीय सुधार
- आतंकवाद के विरुद्ध एससीओ बैठक में भारत का सख्त रुख
- भारत-वियतनाम की 13वीं राजनीतिक परामर्श बैठक

4. पर्यावरण 58-73

- जलवायु परिवर्तन का गहराता संकट: एशिया के सामने जलवायु परिवर्तन की चुनौती
- संकट में महासागर: जलवायु संकट, समुद्री स्वास्थ्य और भारत की समुद्री जिम्मेदारी
- संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025
- इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA)
- पोर्टुलाका भारत
- मगरमच्छ संरक्षण के 50 साल
- यूरेशियन ऊदबिलाव
- धनुषकोडी लैगून घोषित हुआ ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य
- राजस्थान के उदयपुर और फालोदी स्थलों को मिली रामसर मान्यता
- चंडीगढ़ में परजीवी ततैया की एक नई प्रजाति की खोज
- महासागर पारिस्थितिक तंत्र को बदल रहा है औद्योगिक प्रदूषण
- सूखा: बदलती जलवायु में बढ़ती चिंता

5. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 74-89

- भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान यात्रा: एक्सिओम-4 मिशन और गगनयान तक की राह
- भारत में एआई-आधारित बायोमैन्युफैक्चरिंग: नवाचार, अवसर और चुनौतियाँ
- डीएनए से शव की पहचान में मदद
- शोक्स (SHOX) जीन
- असामान्य रक्त थक्कों को रोकने के लिए नई नैनोजाइम तकनीक विकसित
- 'भारत जेन': भारत का AI आधारित मल्टीमॉडल भाषा मॉडल
- भारत की फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन (FGD) नीति
- लॉन्ग कोविड पर एक वैश्विक आनुवंशिक अध्ययन
- गर्म जलवायु का स्लीप एप्निया पर प्रभाव
- सिकल सेल रोग
- सौर ऊर्जा से हरित हाइड्रोजन उत्पादन में बड़ी उपलब्धि

6. आर्थिकी 90-105

- "स्वर्ण ऋण: वित्तीय समावेशन बनाम नियामकीय सख्ती"
- भारत का आर्थिक परिदृश्य 2024–25: वैश्विक अनिश्चितता के बीच संतुलन साधने की कोशिश
- कोल्हापुरी चप्पल विवाद
- वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025
- विश्व बैंक ने भारत के वित्त वर्ष 2025–26 के लिए वृद्धि अनुमान 6.3% स्थिर रखी
- सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमों में दी छूट
- 11 वर्षों में भारत के 26.9 करोड़ अत्यधिक गरीबी से बाहर: विश्व बैंक रिपोर्ट
- चिनाब पुल का उद्घाटन
- भारत सरकार ने SPMEPCI के लिए दिशानिर्देश जारी किए
- वित्त वर्ष 2024–25 के लोए भारत की अस्थायी जीडीपी अनुमान रिपोर्ट
- एनएसओ सांख्यिकीय रिपोर्ट 2025
- तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन

7. आंतरिक सुरक्षा 106-112

- रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता:भारत की रणनीतिक क्षमता का विस्तार
- ड्रोन और आधुनिक युद्ध की दिशा में बदलाव
- भारत की आई-स्टार विमान परियोजना
- भारत की आपातकालीन रक्षा खरीद प्रणाली

पावर पैक्ड न्यूज 113-124

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न 125-133

1 भारतीय समाज व कला एवं संस्कृति

"जनजातीय सशक्तिकरण : कल्याणकारी योजनाओं से समावेशी भारत की ओर अग्रसर"

भारत की अनुसूचित जनजाति (ST) जनसंख्या लगभग 10.42 करोड़ है, जो कुल जनसंख्या का 8.6% है। 705 आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त जनजातीय समूहों में फैली ये अधिकांश आबादी दूरदराज़, वनों से आच्छादित और अविकसित क्षेत्रों में निवास करती है। ऐतिहासिक रूप से, इन समुदायों को सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी ढांचे की मुख्य धारा से बहिष्करण का सामना करना पड़ा है। भारत सरकार ने मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से सामाजिक-आर्थिक उत्थान, आधारभूत विकास और सांस्कृतिक संरक्षण की दिशा में कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। इस उद्देश्य में जनजातीय मामलों का मंत्रालय (MoTA) जनजातीय विकास में केंद्रीय भूमिका निभाता है। इसने वित्तीय आवंटन में वृद्धि की है, मंत्रालयों के बीच समन्वय को प्रोत्साहित किया है और सरकारी लाभों की अंतिम छोर तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए योजना और क्रियान्वयन में पुनर्गठन किया है।

धरती आबा जनभागीदारी अभियान:

- हाल की सबसे महत्वपूर्ण पहलों में से एक है धरती आबा जनभागीदारी अभियान, जो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय संपर्क और लाभ संतृप्ति अभियान है। यह 15 जून से 30 जून 2025 तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें शामिल हैं:
  - 549 जनजातीय बहुल जिले
  - 207 पीवीटीजी (विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह) जिले
  - 1 लाख से अधिक गाँव और बस्तियाँ
  - 31 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 5.5 करोड़ जनजातीय नागरिक
- यह अभियान दो प्रमुख कार्यक्रमों के अंतर्गत संचालित होता है:
  - प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-JANMAN)
  - धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA)
- यह जनजातीय गौरव वर्ष के अंतर्गत एक प्रमुख पहल है, जो लाभ संतृप्ति शिविरों के माध्यम से सेवाओं की द्वार-पर-डोर आपूर्ति पर केंद्रित है। इन शिविरों में प्रदान की जाने वाली सेवाएँ हैं:
  - आधार नामांकन
  - आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड
  - प्रधानमंत्री जन धन खाता
  - पीएम-किसान पंजीकरण
  - पेंशन नामांकन
  - छात्रवृत्ति और बीमा योजनाएँ
  - कौशल प्रशिक्षण और रोजगार से जोड़ने की पहल
- इस अभियान को पाँच प्रमुख स्तंभों द्वारा निर्देशित किया गया है:
  - **जनभागीदारी:** समुदाय की भागीदारी द्वारा संचालित
  - **संतृप्ति:** हर पात्र परिवार को कवर करना
  - **सांस्कृतिक समावेशन:** जनजातीय भाषाओं, कला और विरासत का उपयोग
  - **संविलयन (कन्वर्जेंस):** मंत्रालयों, नागरिक समाज और युवा समूहों के बीच सहयोग
  - **अंतिम छोर तक सेवा पहुंच:** सबसे दूरस्थ जनजातीय बस्तियों तक पहुँचना

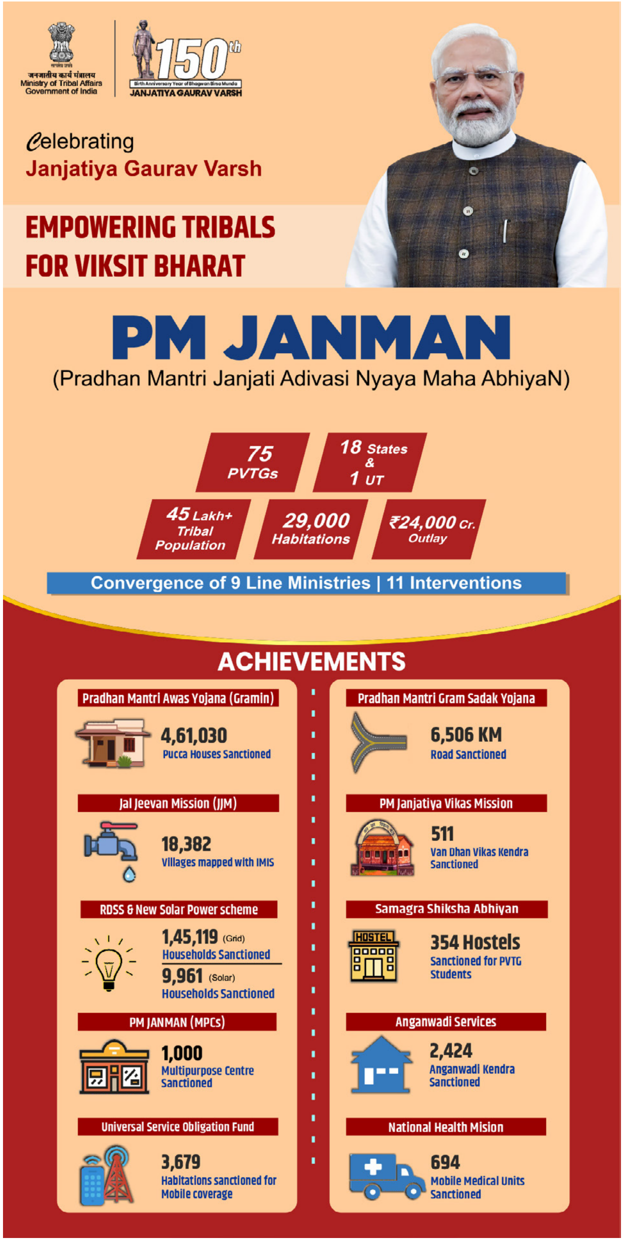

भारत में जनजातियों की जनसंख्या:

- भारत, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनजातीय आबादी वाला देश है (अफ्रीका के बाद)। 2011 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जनजातियाँ देश की 8.9% जनसंख्या हैं।
- **आदिवासी:** भारत के मूल निवासी समुदाय, जिनका प्रकृति से गहरा संबंध होता है और जिनकी विशिष्ट संस्कृति, भाषा और पारंपरिक ज्ञान प्रणाली होती है।
- **अनुसूचित जनजातियाँ (STs):** संविधान के अनुच्छेद 366(25) में परिभाषित और अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित समुदाय, जिन्हें सकारात्मक भेदभाव का लाभ दिया जाता है।
- **विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs):** 1975 में पहचानी गई एक उप-श्रेणी, जो अत्यधिक कमजोर मानी जाती है। इनमें शामिल हैं:
  - » सीमित, समरूप आबादी
  - » कृषि-पूर्व तकनीक
  - » कम साक्षरता
  - » भौगोलिक अलगाव और जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट

जनजातीय समुदायों का योगदान:

- **पर्यावरण संरक्षण:** जैसे आंध्र प्रदेश के चेंचू समुदाय ने पीढ़ियों से वन और वन्यजीवों की रक्षा की है।
- **आर्थिक योगदान:** जैसे मध्य प्रदेश के गोंड समुदाय की पारंपरिक हस्तकला और कृषि।
- **स्थानीय ज्ञान:** जैसे अफ्रीकी मूल के सिद्धी समुदाय का औषधीय पौधों, मधुमक्खी पालन और पारिस्थितिकी का ज्ञान।
- **राजनीतिक प्रतिनिधित्व:** जनजातीय लोगों ने भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं, नीतिगत विमर्श और सांस्कृतिक पहचान में अहम योगदान दिया है।

प्रमुख जनजातीय कल्याणकारी योजनाएँ:

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-JANMAN):

- 15 नवंबर, 2023 को प्रारंभ, यह योजना 18 राज्यों और 1 केंद्रशासित प्रदेश के PVTG समुदायों के उत्थान पर केंद्रित है।
- **बजट:** ₹24,000 करोड़ (3 वर्षों में)
- **उद्देश्य:**
  - » आवास और पेयजल
  - » शिक्षा और स्वास्थ्य
  - » सड़क और दूरसंचार संपर्क
  - » विद्युतीकरण
  - » सतत आजीविका
- जनवरी 2025 तक:
  - » ₹4,450 करोड़ के प्रोजेक्ट स्वीकृत
  - » ₹7,356 करोड़ स्वीकृत
- एक सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) अभियान 23 अगस्त से 10 सितंबर 2024 तक चला:

- » 44.6 लाख लोगों (10.7 लाख परिवारों) तक पहुँचा
- » 206 जिलों के 28,700 PVTG बस्तियाँ कवर की गईं
- » आवश्यक दस्तावेज और सेवाएँ द्वार तक पहुँचीं

प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (PMAAGY):

- पूर्व में "विशेष केन्द्रीय सहायता योजना" (1977-78 से), 2021-22 में पुनः रूपांतरित।
  - » उद्देश्य: जनजातीय बहुल गाँवों में आधारभूत ढाँचे की कमी को दूर करना
  - » लक्ष्य: 36,428 गाँव जिनमें ≥50% ST जनसंख्या
  - » 58 केंद्रीय व राज्य योजनाओं का समन्वय
  - » बजट: ₹7,276 करोड़ (5 वर्षों में)
  - » 17,616 ग्राम विकास योजनाएँ स्वीकृत
  - » ₹2,357.5 करोड़ जारी

प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (PMJVM):

- जनजातीय उद्यमिता को बढ़ावा देना और "वोकल फॉर लोकल बाय ट्राइबल" की पहल।
- लघु वन उत्पादों (MFPs) में मूल्यवर्धन
- TRIFED द्वारा क्रियान्वयन
- बजट: ₹1,612 करोड़ (5 वर्षों में)
- **मुख्य घटक:**
  - » 3,000 हाट बाज़ार
  - » 600 गोदाम
  - » वन धन विकास केंद्र (VDVKs) और उत्पादक कंपनियाँ
- **प्रगति:**
  - » 3,959 VDVK स्वीकृत (28 राज्य/UT में), 12 लाख लाभार्थी
  - » ₹319.65 करोड़ की राशि MFP खरीद हेतु जारी
  - » 87 नए MFPs MSP योजना में जोड़े गए
  - » ₹89.14 करोड़ स्वीकृत (1,316 हाट, 603 स्टोरेज, 22 प्रोसेसिंग यूनिट)
  - » ₹665.34 करोड़ मूल्य की MFP खरीद पूरी

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS):

- 2018-19 में प्रारंभ, कक्षा VI से XII तक जनजातीय छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा।
  - » 2024 तक: 728 स्कूल स्वीकृत
  - » 2023-24 में 1.33 लाख छात्र नामांकित (2013-14 में 34,365 से बढ़कर)
  - » प्रति छात्र वार्षिक लागत: ₹24,200 से बढ़ाकर ₹1,09,000
  - » अक्टूबर 2024: 40 स्कूल उद्घाटन, 25 नए शुरू
  - » ₹2,800+ करोड़ निवेश
  - » 38,800 शिक्षक/स्टाफ की भर्ती योजना; 9,023 नियुक्तियाँ हो चुकी हैं
- **विशेष पहलें:**
  - » राष्ट्रीय EMRS सांस्कृतिक एवं साहित्यिक महोत्सव
  - » छात्रों की दिल्ली और अमृत उद्यान शैक्षिक यात्राएँ
  - » अमेज़न फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम के साथ सहयोग – 50 EMRS में AI और कोडिंग शुरू

निष्कर्ष:

भारत की जनजातीय कल्याण नीति अब अधिक जन-केंद्रित, समावेशी और प्रौद्योगिकी-सक्षम बनती जा रही है। धरती आबा जनभागीदारी अभियान जैसे प्रयास समुदाय-नेतृत्व वाले विकास की ओर बदलाव को दर्शाते हैं, जो अंतिम छोर तक सेवा आपूर्ति और बहु-मंत्रालयीय समन्वय को प्राथमिकता देते हैं। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN), प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (PMAAGY), प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (PMJVM) और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) जैसी प्रमुख योजनाएं केवल पिछड़ेपन को दूर नहीं करतीं, बल्कि जनजातीय समुदायों को राष्ट्रीय विकास यात्रा से जोड़ती हैं, उनकी पहचान को बनाए रखते हुए। यदि इन पहलों द्वारा बनाए गए गति को बनाए रखा गया और सशक्त किया गया, तो भारत की दीर्घकालिक जनजातीय विकास खाई को पाटने में यह निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं, और एक सशक्त, समतामूलक और समावेशी भारत की दिशा में मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं।

भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में हासिल की ऐतिहासिक सफलता

संदर्भ:

भारत ने सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि पाई है। अब भारत की लगभग दो-तिहाई आबादी किसी न किसी सामाजिक सुरक्षा योजना के दायरे में आ गई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, वर्ष 2025 में भारत की सामाजिक सुरक्षा कवरेज 64.3% तक पहुँच गई है, जबकि 2015 में यह आंकड़ा केवल 19% था। यह प्रगति देश की नीति-निर्माण में निरंतरता और कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावशीलता को दर्शाती है।

ILO की मान्यता और मूल्यांकन की प्रक्रिया:

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के मूल्यांकन में 32 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का आंकलन किया गया — जिनमें से 24 पेंशन पर केंद्रित, दो मातृत्व लाभ पर और दो बाल कल्याण योजनाएं थीं। इनमें शामिल प्रमुख योजनाएं हैं:
  - » अटल पेंशन योजना
  - » पीएम-किसान सम्मान निधि
  - » मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम)
  - » जननी सुरक्षा योजना
  - » पीएम पोषण (मिड-डे मील योजना)
- ILO के मानदंडों के अनुसार, किसी योजना को तभी शामिल किया जाता है जब वह कानूनी रूप से स्वीकृत हो, नकद आधारित लाभ देती हो, सक्रिय रूप से कार्यान्वित हो रही हो और बीते तीन वर्षों के प्रमाणित आंकड़ों पर आधारित हो।

भारत की वैश्विक भूमिका पर प्रभाव:

- सामाजिक सुरक्षा कवरेज में हुई यह वृद्धि भारत की अंतरराष्ट्रीय व्यापार वार्ताओं और श्रमिकों की वैश्विक गतिशीलता (लेबर मोबिलिटी) से जुड़ी चर्चाओं में उसकी स्थिति को और सुदृढ़ बनाएगी। यह दर्शाता है कि भारत एक मजबूत और विश्वसनीय सामाजिक सुरक्षा तंत्र विकसित कर चुका है। सरकार ने विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों का डेटा एकत्र करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जिससे भविष्य में यह कवरेज और बढ़ने की संभावना है।

सामाजिक सुरक्षा/संरक्षण क्या है?

- सामाजिक सुरक्षा एक ऐसी प्रणाली है, जिसके तहत समाज अपने नागरिकों और परिवारों को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और आमदनी की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, खासकर बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी, विकलांगता, काम के दौरान चोट, मातृत्व या कमाने वाले सदस्य की मृत्यु की स्थिति में।

KEY INITIATIVES AND SCHEMES

The government has launched several initiatives and schemes to provide social security and protection to citizens, including:

Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-Dhan Yojana (PM-SYM)
A pension scheme for workers in the unorganized sector, with a monthly con-tribution of 50% by the beneficiary and an equal contribution by the Central Govern-

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJBY)
A life insurance scheme that provides Rs. 2 lakh coverage in case of death due to any cause

Atal Pension Yojana
A pension scheme that allows subscribers to receive a regular pension after retirement, with the option to choose from a range of pension amounts

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY)
An accident insurance scheme that provides Rs. 2 lakh coverage in case of accidental death or disability

Public Distribution System
A scheme that provides subsidiz ed food grains to eligible households

Ayushman Bharat
A health insurance scheme that provinves coverage up to Rs. 5 lakh per family per year

प्रमुख योजनाएं और पहलें:

भारत सरकार ने नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें प्रमुख हैं:

- **प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (PM-SYM):** असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन योजना। इसमें लाभार्थी और केंद्र सरकार दोनों 50% योगदान करते हैं।
- **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY):** जीवन बीमा योजना, जो किसी भी कारण से मृत्यु पर ₹2 लाख का बीमा

कवरेज देती है।

- **अटल पेंशन योजना:** यह योजना रिटायरमेंट के बाद नियमित पेंशन का विकल्प देती है, जिसमें अलग-अलग पेंशन राशि चुनने का विकल्प होता है।
- **प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY):** दुर्घटना बीमा योजना, जो दुर्घटनावश मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में ₹2 लाख का कवरेज देती है।
- **सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS):** पात्र परिवारों को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराती है।
- **आयुष्मान भारत:** यह योजना प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक की स्वास्थ्य बीमा सुविधा देती है, जो माध्यमिक और तृतीयक इलाज के लिए है।

निष्कर्ष:

भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज का 10 वर्षों में 19% से बढ़कर 64.3% हो जाना, निरंतर नीति निर्माण, विभिन्न संस्थाओं के सहयोग और डिजिटल नवाचार का परिणाम है। अब जब भारत कल्याण की अगली अवस्था में प्रवेश कर रहा है, तो यह दुनिया के लिए एक उदाहरण है कि विकासशील देश किस तरह सामाजिक मजबूती और समावेशी विकास को बढ़ावा दे सकते हैं।

विश्व जनसंख्या की स्थिति 2025: वास्तविक प्रजनन संकट

संदर्भ:

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) की नवीनतम रिपोर्ट 'विश्व जनसंख्या की स्थिति 2025: वास्तविक प्रजनन संकट' के अनुसार, भारत, जिसे अब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश माना जाता है, एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय परिवर्तन देख रहा है। रिपोर्ट में भारत की वर्तमान जनसंख्या 146.39 करोड़ बताई गई है, जो चीन की 141.61 करोड़ से अधिक है।

मुख्य बिंदु:

- **जनसंख्या अनुमान**
  - » अप्रैल 2025 तक, भारत की जनसंख्या 146.39 करोड़ (1.4639 बिलियन) होने का अनुमान है, जो चीन (141.61 करोड़) को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा।
  - » ऐसा अनुमान है कि अगले चार दशकों में भारत की जनसंख्या लगभग 170 करोड़ तक पहुंच जाएगी, जिसके बाद इसमें क्रमिक गिरावट आने की संभावना है।
  - » ये अनुमान मोटे तौर पर भारत के तकनीकी समूह के अनुमानों (2019) के अनुरूप हैं, जिसमें 2025 का आंकड़ा 141.10 करोड़ रखा गया था।
- **प्रजनन दर में गिरावट**
  - » रिपोर्ट के अनुसार, भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) घटकर 1.9 हो गई है, जो 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है।
  - » भारत की सैंपल रजिस्ट्रेशन प्रणाली (SRS) 2021 में भी राष्ट्रीय TFR 2.0 दर्ज की गई थी।
  - » TFR में यह गिरावट कई संरचनात्मक परिवर्तनों को दर्शाती है, जैसे: महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि, गर्भनिरोधकों का अधिक उपयोग, विवाह में देरी और शहरीकरण।
- **प्रजनन संकट की नई व्याख्या**
  - » रिपोर्ट पारंपरिक 'अति जनसंख्या' की धारणा को चुनौती देती है और एक नई जनसांख्यिकीय चिंता को रेखांकित करती है: व्यक्तियों और दंपतियों की अधूरी प्रजनन आकांक्षाएं।
  - » "वास्तविक प्रजनन संकट" लोगों की अपनी इच्छानुसार बच्चे पैदा करने में असमर्थता को संदर्भित करता है, जो अक्सर प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल, सूचना या स्वायत्तता तक पहुँच की कमी के कारण होता है।
  - » रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि प्रजनन निर्णयों पर स्वतंत्र और सूचित विकल्प लेने का अधिकार देना अत्यंत आवश्यक है।

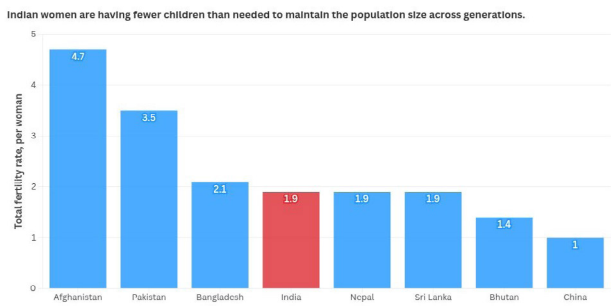

- **युवाओं की अधिकता और कार्यशील जनसंख्या**
  - » भारत अभी भी जनसांख्यिकीय रूप से एक युवा देश है:
    - ➢ 0–14 वर्ष की आयु के लोग: 24%
    - ➢ 10–19 वर्ष की आयु के लोग: 17%
    - ➢ 10–24 वर्ष की आयु के लोग: 26%
  - » 15–64 वर्ष की आयु वर्ग की कार्यशील जनसंख्या 68% है,

जो जनसांख्यिकीय लाभांश की संभावना को दर्शाती है।

» इस लाभांश का लाभ उठाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और रोजगार सृजन में ठोस निवेश की आवश्यकता है।

- **बुजुर्ग आबादी और जीवन प्रत्याशा**
  - » वरिष्ठ नागरिकों (65 वर्ष और उससे अधिक) की संख्या वर्तमान में 7% है, और दीर्घायु बढ़ने के साथ यह संख्या लगातार बढ़ेगी।
  - » 2025 में जन्म के समय अनुमानित जीवन प्रत्याशा है:
    - ➢ पुरुषों के लिए: 71 वर्ष
    - ➢ महिलाओं के लिए: 74 वर्ष
  - » यह जनसांख्यिकीय बदलाव वृद्ध-हितैषी नीतियों की मांग करता है, जैसे पेंशन सुधार, वृद्धावस्था स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था।

जनगणना में देरी:

- भारत ने 2011 के बाद कोई जनगणना नहीं की है, जिससे हर दस साल में जनगणना कराने की परंपरा टूटी है। 2021 की जनगणना स्थगित कर दी गई है और अब इसे मार्च 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
- हाल की जनगणना के अभाव में, जनसांख्यिकीय मूल्यांकन मुख्य रूप से निम्नलिखित घरेलू सर्वेक्षणों पर निर्भर हैं:
  - » सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS)
  - » राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS)
  - » जनसांख्यिकीय और स्वास्थ्य सर्वेक्षण (DHS)
  - » संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और मॉडल आधारित अनुमान

निष्कर्ष:

भारत एक जनसांख्यिकीय मोड़ पर खड़ा है। जनसंख्या वृद्धि धीमी हो रही है, लेकिन अब चुनौती यह है कि जनसांख्यिकीय लाभांश का दोहन किया जाए, प्रजनन अधिकारों को समर्थन दिया जाए और धीरे-धीरे बढ़ती बुजुर्ग आबादी के लिए तैयारी की जाए। आगामी जनगणना 2026–27 (जो 2021 से टली हुई है) भविष्य की योजना बनाने के लिए आवश्यक अद्यतन आंकड़े प्रदान करेगी।

ग्रामीण महिलाओं में ऑनलाइन बैंकिंग का बढ़ता चलन

संदर्भ:

हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने “कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूलर सर्वे: टेलीकॉम, 2025” नाम से एक सरकारी सर्वेक्षण किया। इस सर्वे में पाया गया कि ग्रामीण भारत, खासकर महिलाएं, अब पहले से कहीं ज्यादा तेजी से ऑनलाइन बैंकिंग की ओर बढ़ रही हैं।

सर्वे के प्रमुख बिंदु:

- **महिलाएं बदलाव में अग्रणी:** सर्वे के अनुसार, ग्रामीण इलाकों की महिलाएं तेजी से ऑनलाइन बैंकिंग अपनाने लगी हैं। 2025 की शुरुआत में 15 साल या उससे अधिक उम्र की 30% ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि वे ऑनलाइन बैंकिंग कर सकती हैं, जबकि 2022-23 में यह आंकड़ा सिर्फ 17.1% था।
  - » यह बढ़ोतरी युवा महिलाओं में और भी ज्यादा दिखी। 15 से 24 साल की ग्रामीण लड़कियों में 2025 में 51.4% ने ऑनलाइन बैंकिंग करने की क्षमता जताई, जो 2022-23 में केवल 19.6% थी।
- **ग्रामीण पुरुष की भी संख्या अधिक:** यह बदलाव सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं है। 15 से 24 साल के ग्रामीण लड़कों में भी ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग तेजी से बढ़ा है—2022-23 में 40.2% से बढ़कर 2025 में 73.3% हो गया।

शहरी बनाम ग्रामीण: डिजिटल अंतर कम हो रहा:

- पहले ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल शहरी इलाकों में ज़्यादा होता था, लेकिन अब इसकी रफ्तार ग्रामीण क्षेत्रों में तेज़ हो गई है। 2025 की शुरुआत में 15 साल या उससे अधिक उम्र के 62.4% शहरी लोगों ने ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल किया, जबकि 2022-23 में यह संख्या 50.6% थी।
- देशभर में भी यह चलन तेजी से बढ़ा है। 15 साल से अधिक उम्र के 48.9% लोग अब ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि 2022-23 में यह आंकड़ा 37.8% था।

डिजिटल भुगतान में UPI सबसे आगे:

- इस डिजिटल बदलाव का सबसे बड़ा कारण यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) रहा है। सर्वे में यह पाया गया कि:
  - » ग्रामीण उपयोगकर्ताओं में 86.7% लोग ऑनलाइन बैंकिंग के लेनदेन के लिए सिर्फ UPI का इस्तेमाल करते हैं।
  - » शहरी इलाकों में 74.4% लोग पूरी तरह से UPI पर निर्भर हैं।
  - » केवल 18.0% लोग UPI, इंटरनेट बैंकिंग और अन्य डिजिटल

प्लेटफॉर्म का मिलाजुला इस्तेमाल करते हैं।

इस वृद्धि का कारण:

- ऑनलाइन बैंकिंग बढ़ने का सबसे बड़ा कारण मोबाइल फोन और इंटरनेट की पहुँच है।
  - » 70.2% लोगों के पास मोबाइल फोन है, शहरी इलाकों में यह संख्या 81.2% है, जबकि ग्रामीण इलाकों में 64.6%।
  - » जिनके पास मोबाइल है, उनमें से 79.9% के पास स्मार्टफोन है। 29 साल से कम उम्र के युवाओं में शहरी और ग्रामीण दोनों जगह स्मार्टफोन का इस्तेमाल 90% से ज़्यादा है।
- इंटरनेट उपयोग भी तेजी से बढ़ा है:
  - » ग्रामीण महिलाओं में इंटरनेट का इस्तेमाल 2022-23 में 42.6% था, जो अब बढ़कर 57.6% हो गया है।
  - » ग्रामीण पुरुषों में इंटरनेट उपयोग 59.5% से बढ़कर 72.1% हो गया है।
  - » इंटरनेट उपयोग करने वाले 93% लोग रोज़ाना इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ज्यादातर मोबाइल से ही इंटरनेट चलाते हैं।

"UPI for Her" पहल:

- नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) और वुमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग (WWB) की साझेदारी में शुरू की गई "UPI for Her" योजना का उद्देश्य 20 करोड़ महिलाओं को भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ना है। यह योजना महिलाओं को डिजिटल भुगतान अपनाने में आने वाली समस्याओं को दूर करने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है।

नीतिगत संकेत:

- इस सर्वे के नतीजे सरकार की वित्तीय समावेशन और डिजिटल सशक्तिकरण की नीति को मजबूत समर्थन देते हैं। खासकर ग्रामीण महिलाओं में ऑनलाइन बैंकिंग का तेजी से बढ़ता चलन शहरी-ग्रामीण और लैंगिक डिजिटल अंतर को कम करने की दिशा में एक अहम कदम है।

निष्कर्ष:

नवीनतम आंकड़े यह दर्शाते हैं कि भारत के ग्रामीण इलाके तेजी से डिजिटल बन रहे हैं, और इस बदलाव में सबसे आगे युवा महिलाएं हैं। अगर यह रुझान ऐसे ही चलता रहा, तो आने वाले सालों में यह भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव ला सकता है।

सरकारी स्कूलों में घटता नामांकन

संदर्भ:

हाल ही में जारी UDISE+ 2023–24 के आँकड़े और शिक्षा मंत्रालय के दस्तावेज़ों से यह स्पष्ट हुआ है कि कई राज्यों में भले ही सरकारी स्कूलों की संख्या अधिक हो, लेकिन बच्चों का नामांकन निजी स्कूलों में तेजी से बढ़ रहा है। यह मुद्दा मंत्रालय ने समग्र शिक्षा और पीएम-पोषण योजना की समीक्षा के दौरान राज्यों के साथ हुई बैठकों में उठाया।

नामांकन के रुझानों का अवलोकन:

UDISE+ 2023–24 के अनुसार, देश में अधिकांश स्कूल सरकारी हैं, लेकिन उनमें बच्चों का नामांकन अपेक्षाकृत कम है। कुछ राज्यों की स्थिति इस प्रकार है:

- **आंध्र प्रदेश:** कुल स्कूलों का 73% (61,373 में से 45,000) सरकारी हैं, लेकिन इनमें केवल 46% बच्चों का नामांकन है। वहीं, केवल 25% निजी स्कूलों में 52% बच्चे पढ़ रहे हैं। 2021–22 से 2023–24 तक निजी स्कूलों में नामांकन लगातार बढ़ा है।
- **तेलंगाना:** 70% स्कूल सरकारी हैं लेकिन इनमें सिर्फ 38.11% छात्र पढ़ते हैं, जबकि 30% निजी स्कूलों में 60.75% छात्र हैं। सिर्फ 2021–22 (कोविड-19 काल) में निजी नामांकन घटा था।
- **उत्तराखंड:** 72% सरकारी स्कूलों में सिर्फ 36.68% नामांकन है, जबकि निजी (अनएडेड) स्कूलों में 54.39% छात्र हैं।
- **तमिलनाडु:** 64% सरकारी स्कूलों में केवल 37% छात्रों का नामांकन है, जबकि 21% निजी (अनएडेड) स्कूलों में 46% बच्चे पढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने राज्य से कहा है कि वह सरकारी स्कूलों की "ब्रांड छवि" को बेहतर बनाए।
- **केरल और महाराष्ट्र:** दोनों राज्यों में सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में नामांकन घटा है। महाराष्ट्र में यह गिरावट 2018–19 से 2023–24 तक चली, और केरल में 2022–23 से 2023–24 तक। दोनों ने आधार आधारित "डेटा क्लीनिंग" को इसका कारण बताया है।
- **पूर्वोत्तर राज्य (मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय):** इन राज्यों में भी 2023–24 में नामांकन में गिरावट दर्ज की गई है।
- **दिल्ली, लद्दाख, पुडुचेरी, दादरा एवं नगर हवेली और दीव तथा अंडमान-निकोबार द्वीप समूह:** यहाँ निजी स्कूलों में सरकारी स्कूलों की तुलना में अधिक नामांकन है, जिसे मंत्रालय ने "चिंता का विषय" बताया है।

राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति:

- 2023-24 के UDISE+ आंकड़ों के अनुसार, कुल छात्र संख्या 24.80 करोड़ है, जिनमें से 36% (9 करोड़ से अधिक) बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं। यह आंकड़ा 2022-23 और 2021-22 में 33% था, जबकि 2019-20 और 2020-21 में 36-37% था।

शिक्षा नीति पर प्रभाव:

- **समानता और पहुंच:** सरकारी स्कूल आम तौर पर गरीब और वंचित वर्गों के बच्चों को शिक्षा देते हैं। इन स्कूलों में गिरता नामांकन शिक्षा में असमानता को बढ़ा सकता है।
- **गुणवत्ता की चिंता:** निजी स्कूलों की ओर झुकाव यह दर्शाता है कि सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता, ढांचे और परिणामों को लेकर लोगों में असंतोष है।
- **आर्थिक असर:** निजी स्कूलों में बढ़ते नामांकन से शिक्षा की लागत परिवारों पर बढ़ती है, जिससे गरीब वर्ग के लिए पढ़ाई मुश्किल हो सकती है।
- **नीति में प्राथमिकता:** सरकार को चाहिए कि वह सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम उठाए ताकि सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली मजबूत, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण बनी रहे।

निष्कर्ष:

मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि वे गिरते नामांकन के कारणों की जांच करें और सुधारात्मक कदम उठाएं। संख्या में अधिक होने के बावजूद सरकारी स्कूलों की विश्वसनीयता कम होती दिख रही है। केंद्र सरकार का सुझाव है कि सरकारी स्कूलों की "ब्रांड वैल्यू" को बढ़ाया जाए और संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जाए।

कर्नाटक में गिग वर्कर्स के लिए कल्याण संबंधी अध्यादेश

संदर्भ:

कर्नाटक के राज्यपाल ने हाल ही में "कर्नाटक प्लेटफॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स (सामाजिक सुरक्षा और कल्याण) अध्यादेश, 2025" को मंजूरी दी है। यह अध्यादेश भारत की बढ़ती प्लेटफॉर्म इकोनॉमी (जैसे डिलीवरी, कैब ड्राइवर, ऑनलाइन सेवाएं देने वाले काम) में काम करने वाले गिग वर्कर्स के लिए एक सामाजिक सुरक्षा ढांचे की नींव रखता है।

मुख्य विशेषताएँ:

- **एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म से वेलफेयर फीस**
  - गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म के बीच होने वाले हर लेन-देन पर 1% से 5% तक की वेलफेयर फीस लगेगी।
  - यह पैसा सोशल सिक्योरिटी फंड में जमा होगा।
  - यह नियम Swiggy, Zomato, Ola, Uber, Amazon जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लागू होगा।
  - हर तीन महीने में फीस जमा करनी होगी और देरी पर ब्याज भी लगेगा।
  - अलग-अलग क्षेत्रों के लिए सटीक फीस बाद में घोषित की जाएगी।
- **गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का गठन**
  - एक "कर्नाटक गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड" बनाया जाएगा जो सभी योजनाओं की निगरानी करेगा।
  - एक Payment and Welfare Fee Verification System (PWFVS) बनाया जाएगा, जो सभी ट्रांजैक्शन की निगरानी करेगा और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।
  - जब तक यह सिस्टम चालू नहीं होता, तब तक कंपनियां खुद रिपोर्ट कर सकती हैं और अस्थायी छूट पा सकती हैं।
- **सामाजिक सुरक्षा लाभ** यह फंड तीन स्रोतों से मिलेगा:
  - प्लेटफॉर्म की फीस
  - वर्कर का योगदान
  - सरकार की सहायता
- **प्रमुख लाभ:**
  - स्वास्थ्य और बीमा सुरक्षा
  - मातृत्व सहायता और आमदनी में कमी की भरपाई
  - वृद्धावस्था, विकलांगता और दुर्घटना सुरक्षा
  - महिला और दिव्यांग श्रमिकों के लिए विशेष सुविधाएं
- **श्रमिक पंजीकरण और अधिकार**
  - हर गिग वर्कर को एक यूनिक आईडी नंबर मिलेगा, जो सभी प्लेटफॉर्म पर मान्य होगा।
  - सभी कंपनियों को वेलफेयर बोर्ड में पंजीकरण कराना होगा।
  - श्रमिकों के कॉन्ट्रैक्ट में यह बातें स्पष्ट होंगी:
    - भुगतान की शर्तें
    - बोनस या प्रोत्साहन की जानकारी
    - काम को मना करने का अधिकार
  - वर्कर को बिना किसी कारण 14 दिन पहले लिखित नोटिस के बिना सस्पेंड या निकाल नहीं सकते (सिर्फ हिंसा या गंभीर मामलों को छोड़कर)।
- **एल्गोरिदमिक पारदर्शिता और भेदभाव निषेध**

» प्लेटफॉर्म को यह बताना होगा कि उनका एल्गोरिदम (सॉफ्टवेयर सिस्टम) कैसे तय करता है कि कौन-सा वर्कर कौन-सा काम करेगा, रेटिंग क्या होगी, आदि।
» किसी भी वर्कर के साथ जेंडर, जाति, धर्म या सामाजिक आधार पर भेदभाव करना सख्त मना है।

- **शिकायत निवारण और भुगतान प्रणाली**
  » एक दो-स्तरीय शिकायत समाधान तंत्र बनेगा जो वर्कर और प्लेटफॉर्म के बीच विवाद सुलझाएगा।
  » कंपनियों को समय पर भुगतान करना होगा और कटौती की जानकारी स्पष्ट देनी होगी।
  » नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना और ब्याज लगाया जाएगा।

निष्कर्ष:

यह अध्यादेश भारत में पहला ऐसा कानून है जो गिग वर्कर्स के लिए विशेष रूप से कल्याण और सामाजिक सुरक्षा का ढांचा तैयार करता है। यह न सिर्फ गिग वर्कर्स की आर्थिक भागीदारी को मान्यता देता है, बल्कि उनके अधिकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। यह अध्यादेश कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020 के साथ भी तालमेल बैठाता है, जिससे अनौपचारिक श्रम को औपचारिक सुरक्षा तंत्र से जोड़ा जा सके।

यूनेस्को GEM रिपोर्ट 2024–25

संदर्भ:

हाल ही में यूनेस्को द्वारा ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग (GEM) रिपोर्ट 2024–25 जारी की गई है, जिसमें यह पाया गया कि भारत अब भी लगातार सीखने के संकट, लैंगिक असमानता और शिक्षा प्रणाली में नेतृत्व की चुनौतियों का सामना कर रहा है।

मुख्य निष्कर्ष:

- **भारत में सीखने का संकट:** हालांकि भारत में प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन दर 95% से अधिक है, लेकिन बच्चों की बुनियादी शैक्षणिक समझ अब भी बहुत कम है।
  » ASER 2023 के अनुसार, केवल 43% कक्षा 3 के बच्चे ही कक्षा 2 के स्तर का पाठ पढ़ पाने में सक्षम हैं।
  » NAS 2021 की रिपोर्ट बताती है कि केवल 25% कक्षा 8 के छात्र ही गणित में अपेक्षित दक्षता दिखा सके।
- **वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर लैंगिक असमानता:**
  » **पढ़ने की दक्षता में अंतर:** दुनियाभर में हर 100 लड़कियों पर केवल 87 लड़के ही न्यूनतम पढ़ने की योग्यता प्राप्त कर पाते हैं। मध्य-आय वाले देशों में यह अनुपात और घटकर 72 लड़कों पर 100 लड़कियों का हो जाता है, जो यह दर्शाता है कि लड़कों की तुलना में लड़कियाँ पढ़ने में आगे हैं।
  » **भारत में नेतृत्व की असमानता:** प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 60% है, लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपति के पदों पर महिलाओं की भागीदारी सिर्फ 13% है। यह कार्यबल में भागीदारी और शीर्ष नेतृत्व में प्रतिनिधित्व के बीच गहरी खाई को दर्शाता है।
- **विद्यालय प्रबंधन में नेतृत्व की कमी:** नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 स्कूल प्रमुखों के लिए हर वर्ष 50 घंटे का प्रशिक्षण अनिवार्य बनाती है, लेकिन देश के कई राज्यों में अब भी स्कूल प्राचार्यों के लिए औपचारिक नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम मौजूद नहीं हैं।
- **कुछ सकारात्मक संकेत:**
  » **महिलाओं की बढ़ती भागीदारी:** प्राथमिक शिक्षा में महिला शिक्षकों की अधिकता से स्कूलों में अधिक लैंगिक-संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण वातावरण बन रहा है।
  » **नीतिगत सुधार:** NEP 2020 में नेतृत्व विकास और प्रशिक्षण पर विशेष ज़ोर दिया गया है, जिससे शिक्षा व्यवस्था में नेतृत्व के महत्व को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया है।
- **लगातार बनी रहने वाली चुनौतियाँ:**
  » **डिजिटल असमानता:** COVID-19 महामारी ने डिजिटल संसाधनों की असमान पहुंच को और अधिक उजागर किया, जिससे विशेष रूप से लड़कियाँ और समाज के वंचित वर्ग प्रभावित हुए जिनके पास पर्याप्त तकनीकी साधन नहीं थे।

सिफारिशें और आगे की राह:

- GEM रिपोर्ट ने भारत में शिक्षा संबंधी चुनौतियों का समाधान निकालने और नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए हैं:
  » **नेतृत्व क्षमता को सुदृढ़ करना:** स्कूल प्रमुखों के लिए अनिवार्य प्रमाणन और नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को औपचारिक रूप से लागू करना, ताकि नेतृत्व की गुणवत्ता बेहतर हो सके।
  » **महिलाओं को नेतृत्व में आगे लाना:** शिक्षा क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष नेतृत्व विकास योजनाएं शुरू करना, जिससे वे उच्च पदों तक पहुँच सकें।
  » **सीखने पर आधारित मूल्यांकन को प्राथमिकता देना:** केवल नामांकन के आँकड़ों पर ध्यान देने की बजाय, ASER और NAS जैसे विश्वसनीय माध्यमों के ज़रिए छात्रों के

वास्तविक सीखने के परिणामों को मुख्य आधार बनाया जाना।

यूनेस्को के बारे में:

- संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, जिसका उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और कला के माध्यम से विश्व शांति और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है।
- इसकी स्थापना 1945 में लीग ऑफ नेशंस की "इंटरनेशनल कमेटी ऑन इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन" के उत्तराधिकारी के रूप में की गई थी।
- इसके 193 सदस्य देश और 11 सहयोगी सदस्य हैं, और यह विभिन्न सरकारी, गैर-सरकारी तथा निजी संस्थानों के साथ साझेदारी में कार्य करता है।
- यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है, जहाँ इसका विश्व धरोहर केंद्र (World Heritage Centre) भी मौजूद है।

निष्कर्ष:

यूनेस्को की GEM रिपोर्ट 2024–25 यह दर्शाती है कि शिक्षा में समानता और गुणवत्ता केवल नामांकन आंकड़ों से नहीं आँकी जा सकती। जब तक नेतृत्व का सशक्त विकास, लैंगिक संतुलन और नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित नहीं किया जाता, तब तक शिक्षा प्रणाली में व्यापक और ठोस सुधार संभव नहीं है। यदि उपयुक्त सुधारात्मक कदम समय पर उठाए जाएँ, तो भारत अपनी विशाल छात्र जनसंख्या की पूरी क्षमता को विकसित कर सकता है और सीखने के अंतर को प्रभावी रूप से कम कर सकता है।

वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025

संदर्भ:

हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट (Global Gender Gap Report) 2025 जारी की है।

भारत की समग्र रैंकिंग और स्कोर:

- वर्ष 2025 की वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट में भारत दो स्थान नीचे आकर 148 देशों में 131वें स्थान पर आ गया है, जबकि पिछले वर्ष 2024 में यह 129वें स्थान पर था।
- भारत का कुल लैंगिक समानता स्कोर 64.1% है, जो दक्षिण एशिया के सबसे निचले स्थानों में से एक है।

विभिन्न क्षेत्रों में भारत का प्रदर्शन:

- **आर्थिक भागीदारी और अवसर**
  - » इस क्षेत्र में भारत ने थोड़ा सुधार किया है और उसका स्कोर 39.8% से बढ़कर 40.7% हो गया है।
  - » अनुमानित अर्जित आय समनता 28.6% से बढ़कर 29.9% हो गई।
  - » श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी 45.9% पर बनी रही, जो अब तक का भारत का सबसे ऊँचा आंकड़ा है।
- **शैक्षिक उपलब्धि**
  - » इस उपसूचकांक में भारत का स्कोर 97.1% रहा।
  - » यह वृद्धि बेहतर महिला साक्षरता दर और उच्च शिक्षा में नामांकन में वृद्धि के कारण है।
  - » इससे पता चलता है कि शिक्षा में लैंगिक अंतर लगातार कम हो रहा है।
- **स्वास्थ्य और जीवन रक्षा**
  - » इस क्षेत्र में भी भारत ने थोड़ा सुधार दिखाया है।
  - » यह लाभ मुख्य रूप से जन्म के समय बेहतर लिंग अनुपात और स्वस्थ जीवन प्रत्याशा के कारण हुआ।
  - » हालाँकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समग्र जीवन प्रत्याशा में थोड़ी गिरावट आई है।
- **राजनीतिक सशक्तिकरण**
  - » भारत में इस क्षेत्र में गिरावट देखी गयी।
  - » संसद में महिला प्रतिनिधित्व 14.7% से घटकर 13.8% हो गया।
  - » मंत्रिस्तरीय भूमिकाओं में महिलाओं की संख्या 6.5% से घटकर 5.6% हो गयी।
  - » इसके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष की तुलना में राजनीतिक सशक्तिकरण स्कोर में 0.6 अंकों की गिरावट आई।

दक्षिण एशिया और वैश्विक स्थिति:

- बांग्लादेश दक्षिण एशिया में सबसे ऊपर है, जो 75 स्थान ऊपर आकर 24वें स्थान पर पहुंच गया।
- अन्य दक्षिण एशियाई देशों की रैंकिंग:
  - » भूटान – 119
  - » नेपाल – 125
  - » श्रीलंका – 130
  - » मालदीव – 138
  - » पाकिस्तान – 148 (सबसे अंतिम)
- विश्व स्तर पर आइसलैंड 16वें वर्ष भी शीर्ष स्थान पर बना हुआ है, उसके बाद फिनलैंड, नॉर्वे, यूके और न्यूजीलैंड का स्थान है।

वैश्विक प्रवृत्तियाँ और चुनौतियाँ:

- वैश्विक लैंगिक अंतर 68.8% तक कम हो गया है, जो कोविड-19 महामारी के बाद से सबसे अच्छी प्रगति है।
- वर्तमान गति से पूर्ण लैंगिक समानता प्राप्त करने में 123 वर्ष लगेंगे।
- महिलाएं अब वैश्विक कार्यबल का 41.2% हिस्सा हैं, लेकिन नेतृत्व के पदों पर उनकी हिस्सेदारी केवल 28.8% है।

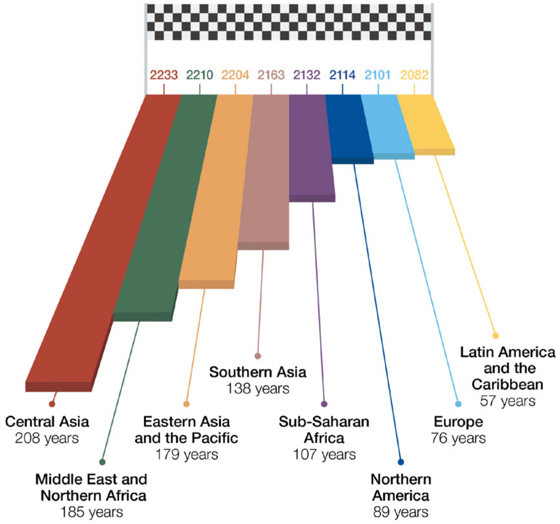

ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में:

- ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स एक वार्षिक रिपोर्ट है, जिसे विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) द्वारा पहली बार 2006 में प्रकाशित किया गया था। यह लैंगिक समानता को मापने वाला दुनिया का सबसे पुराना और विश्वसनीय तरीका माना जाता है।
- यह सूचकांक चार प्रमुख क्षेत्रों में लैंगिक अंतर को कम करने की प्रगति पर निगरानी रखता है:
  - » आर्थिक भागीदारी और अवसर
  - » शैक्षिक प्राप्ति
  - » स्वास्थ्य और जीवन रक्षा
  - » राजनीतिक सशक्तिकरण
- **स्कोर निर्धारण प्रणाली:**
  - » प्रत्येक क्षेत्र को 0 से 1 के बीच स्कोर दिया जाता है।
  - » 1 का अर्थ है पूर्ण समानता, जबकि 0 का अर्थ है पूर्ण असमानता।

इस सूचकांक का महत्व:

- यह देशों को एक-दूसरे के साथ अपनी स्थिति की तुलना करने और लैंगिक समानता के क्षेत्र में अपने प्रदर्शन को समझने में मदद करता है।
- यह सरकारों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और राजनीति जैसे क्षेत्रों में लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें हुई प्रगति को ट्रैक करने में सहायक होता है।
- यह नीति-निर्माताओं और नेतृत्वकर्ताओं को अपने देश की जरूरतों के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने का मार्गदर्शन प्रदान करता है।

निष्कर्ष:

दुनिया जब आर्थिक, तकनीकी और जनसंख्या से जुड़े बदलावों का सामना कर रही है, तो लैंगिक समानता केवल एक सामाजिक उद्देश्य नहीं, बल्कि आर्थिक आवश्यकता भी बन गई है। भारत ने शिक्षा और आर्थिक भागीदारी में सुधार जरूर किया है, लेकिन राजनीतिक सशक्तिकरण और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में अब भी बड़ा अंतर बना हुआ है। इन अंतरालों को पाटने के लिए स्थायी नीति, संरचनात्मक सुधार और समाज की सक्रिय भागीदारी जरूरी है।

जबरन विस्थापन पर UNHCR की रिपोर्ट

संदर्भ:

शरणार्थियों के लिये संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त (UNHCR) ने जबरन विस्थापन पर अपनी वैश्विक रुझान रिपोर्ट 2024 जारी की है, जो हिंसा और अस्थिरता के कारण मानव गतिशीलता की व्यापकता और जटिलता पर गंभीर अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।

जबरन विस्थापन क्या है?

- जबरन विस्थापन उन परिस्थितियों को दर्शाता है जिनमें व्यक्तियों को उत्पीड़न, सशस्त्र संघर्ष, व्यापक हिंसा, मानवाधिकारों के उल्लंघन या प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपने घर छोड़ने के लिए विवश होना पड़ता है।
- स्वैच्छिक प्रवास के विपरीत, यह जीवित रहने की आवश्यकताओं से प्रेरित एक अनैच्छिक कार्य है, जो प्रायः लोगों को कानूनी स्थिति, सेवाओं तक पहुंच या आर्थिक अवसरों के बिना अत्यधिक असुरक्षित परिस्थितियों में छोड़ देता है।

2024 रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:

- **कुल विस्थापित व्यक्ति:** वर्ष 2024 के अंत तक, अनुमानतः 123.2 मिलियन लोग विश्व स्तर पर जबरन विस्थापित थे—जो अब तक का

सर्वाधिक आंकड़ा है।

- **बच्चों पर असमान प्रभाव:** सभी जबरन विस्थापित व्यक्तियों में 40% बच्चे थे, जो दीर्घकालिक मानवीय और विकास संबंधी प्रभावों को दर्शाता है।
- **प्रमुख स्रोत देश:** सभी विस्थापित व्यक्तियों में से एक-तिहाई केवल चार देशों से आए थे: सूडान, सीरिया, अफगानिस्तान और यूक्रेन।
- **देश के भीतर विस्थापित व्यक्ति (IDPs):** लगभग 73.5 मिलियन लोग अपने ही देश के भीतर हिंसा या आपदा-जनित संकटों के कारण विस्थापित रहे।

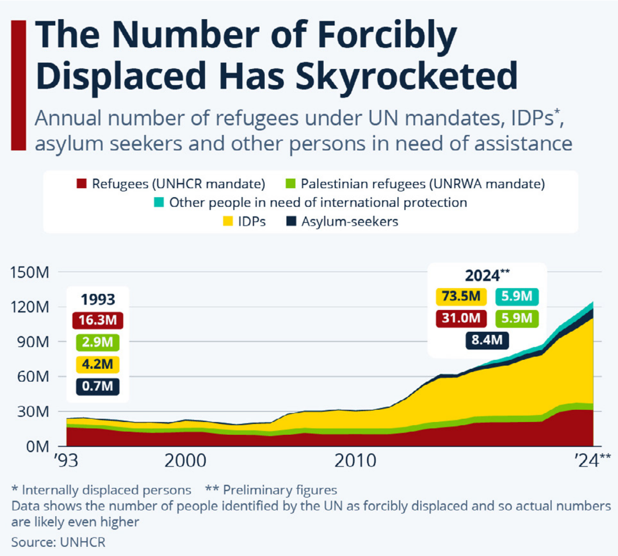

जबरन विस्थापन की प्रमुख चुनौतियाँ:

- **खाद्य असुरक्षा:** आजीविका बाधित होना, संसाधनों तक सीमित पहुंच, और राहत पहुँचाने में लॉजिस्टिक समस्याएं।
- **सार्वजनिक व्यय का दबाव:** विस्थापित जनसंख्या की मेज़बानी करने से सरकारों के संसाधनों पर बोझ बढ़ता है, विशेष रूप से बुनियादी सेवाओं और सुरक्षा के प्रावधान में।
- **सामाजिक तनाव:** संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा के कारण मेज़बान समुदायों और विस्थापित समूहों के बीच संघर्ष की स्थिति।
- **बेरोजगारी और आर्थिक दबाव:** जनसांख्यिकीय बदलावों के कारण श्रम बाजार प्रभावित होते हैं, जिससे नौकरी का छूटना और आवश्यक सेवाओं तक सीमित पहुंच होती है।

जबरन विस्थापन से निपटने की पहलें:

जबरन विस्थापन एक जटिल और गंभीर वैश्विक समस्या है, जिसके समाधान हेतु विभिन्न पहलों को लागू किया गया है। कुछ प्रमुख पहलें निम्नलिखित हैं:

- **वैश्विक प्रवासन समझौता (2018)**
  - यह एक गैर-बाध्यकारी रूपरेखा है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन को नियंत्रित करती है।
  - अधिकांश संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा अंगीकृत।
  - इसका उद्देश्य सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन को बढ़ावा देना है।
- **जबरन विस्थापन पर वैश्विक कार्यक्रम (GPFD)**
  - विश्व बैंक द्वारा 2009 में स्थापित।
  - जबरन विस्थापन पर वैश्विक विकास प्रतिक्रिया को मजबूत करता है।
  - देशों को जबरन विस्थापन के मूल कारणों से निपटने और विस्थापित जनसंख्या के लिए स्थायी समाधान बढ़ावा देने में सहायता करता है।

शरणार्थियों के लिये संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के बारे में:

- 1950 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित।
- **मुख्यालय:** जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड
- **उद्देश्य:** संघर्ष और उत्पीड़न के कारण अपने घरों से भागने के लिए मजबूर लोगों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करना।
- **उपलब्धियाँ:** 1954 और 1981 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित।

निष्कर्ष:

शरणार्थियों के लिये संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त (UNHCR) की वैश्विक रुझान रिपोर्ट 2024 सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों और वैश्विक नागरिकों से तत्कालता, करुणा और दूरदर्शिता के साथ कार्य करने का आह्वान करती है ताकि जबरन विस्थापन को एक स्थायी संकट से निकालकर मानवीय समाधान की दिशा में बदला जा सके।

भारत में बाल श्रम संकट

संदर्भ:

हाल ही में जारी राष्ट्रीय रिपोर्ट "बिल्डिंग द केस फॉर ज़ीरो: हाउ प्रॉसिक्यूशन एक्ट्स ऐज ए टिपिंग पॉइंट टू एंड चाइल्ड लेबर" ने भारत में बाल श्रम की भयावह स्थिति को उजागर किया है। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024–25 के दौरान 53,000 से अधिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया गया।

ये आंकड़े जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन (JRC) द्वारा जुटाए गए हैं, जो 250 से अधिक स्वयंसेवी संगठनों (NGOs) का एक नेटवर्क है और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य करता है। इस रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि देश में बाल अधिकारों का गंभीर उल्लंघन हो रहा है और कानूनों के क्रियान्वयन में भी गंभीर कमियाँ हैं। यह एक ऐसी चुनौती है, जिसे तत्काल और ठोस उपायों से संबोधित करने की आवश्यकता है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

- **बाल श्रम बचाव में अग्रणी राज्य:** रिपोर्ट के अनुसार, जिन राज्यों में सबसे अधिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त किया गया, वे हैं:
  - » तेलंगाना – 11,063 बच्चे
  - » बिहार – 3,974 बच्चे
  - » राजस्थान – 3,847 बच्चे

इनके अलावा उत्तर प्रदेश (3,804) और दिल्ली (2,588) जैसे राज्य भी प्रमुख रहे। 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच 24 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कुल 38,889 बचाव अभियान चलाए गए।

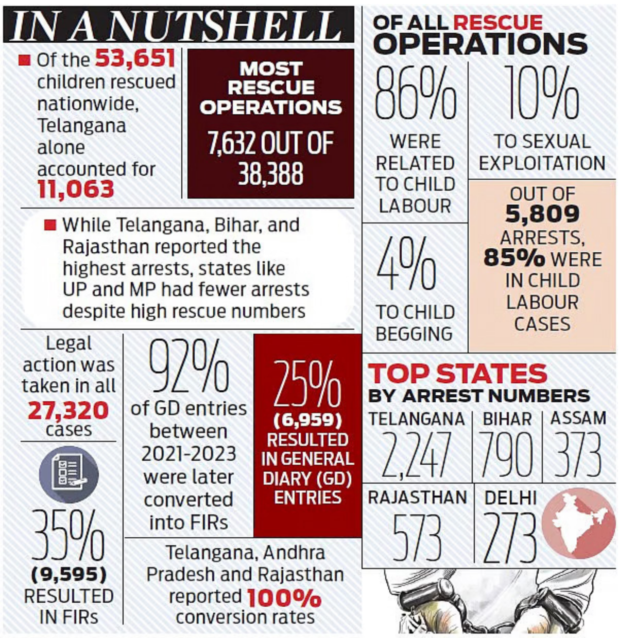

- **सबसे खराब क्षेत्रों में बाल श्रम:** रिहा कराये गए 90% बच्चे ऐसे क्षेत्रों में काम कर रहे थे जिन्हें अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने बाल श्रम के सबसे बुरे रूपों में माना है। इनमें शामिल हैं:
  - » स्पा और मसाज पार्लर
  - » ऑर्केस्ट्रा और प्रदर्शन समूह
  - » वेश्यावृत्ति, अश्लीलता और यौन शोषण से जुड़े कार्य

  यह न केवल आर्थिक लाभ के लिए बच्चों के शोषण को दर्शाता है, बल्कि उन्हें गंभीर मानसिक और शारीरिक नुकसान होने का खतरा भी है।

- **कानूनी कार्रवाई और प्रवर्तन में कमी:** संयुक्त प्रयासों से 38,388 एफआईआर दर्ज हुईं और 5,809 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इनमें से 85% गिरफ्तारियां बाल श्रम से संबंधित अपराधों के लिए थीं। सबसे अधिक गिरफ्तारियां तेलंगाना, बिहार और राजस्थान में हुईं।
  - » हालांकि, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बच्चों को बड़ी संख्या में रिहा किया गया, लेकिन वहां गिरफ्तारी की संख्या कम रही, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कानून को सख्ती से लागू करने में अब भी कमी है।

प्रमुख सिफारिशें और नीतिगत सुझाव:

- रिपोर्ट में बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए कई अहम सिफारिशें की गई हैं, जिनमें शामिल हैं:
  - » पर्याप्त बजट के साथ राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन मिशन की शुरुआत की जाए।
  - » हर ज़िले में बाल श्रम टास्क फोर्स गठित की जाए, जो बचाव, जांच और पुनर्वास की निगरानी करे।
  - » बाल श्रम से जुड़े अपराधों में कानूनी कार्रवाई और अभियोजन प्रक्रिया को मज़बूत बनाया जाए ताकि दोषियों को सज़ा मिल सके।
  - » पीड़ित बच्चों की सहायता के लिए पुनर्वास फंड की स्थापना की जाए।
  - » 18 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी दी जाए, क्योंकि स्कूल छोड़ने वाले बच्चे बाल श्रम का शिकार बनने की अधिक आशंका में रहते हैं।
  - » खतरनाक व्यवसायों की सूची का विस्तार किया जाए, ताकि अधिक क्षेत्रों को बाल श्रम के दायरे से बाहर किया जा सके।
  - » सरकारी खरीद और ठेकों में बाल श्रम के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाए।
  - » हर राज्य में स्थानीय जरूरतों के अनुसार विशेष बाल श्रम नीति बनाई जाए।
  - » सतत विकास लक्ष्य (SDG) 8.7 के तहत बाल श्रम समाप्त करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को वर्ष 2030 तक बढ़ाया जाए, और इसके लिए स्पष्ट, समयबद्ध लक्ष्य तय किए जाएं।

निष्कर्ष:

भारत अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के कन्वेंशन 182 का हस्ताक्षरकर्ता है, जो बच्चों को सबसे बुरे रूपों में श्रम से मुक्त करने की बाध्यता तय करता है। वर्ष 2024–25 में हुए बड़े पैमाने पर बचाव अभियान यह दर्शाते

हैं कि इस दिशा में कुछ प्रगति ज़रूर हुई है, लेकिन बच्चों का जिस पैमाने पर शोषण हो रहा है, वह यह भी साफ़ करता है कि समस्या की जड़ें अब भी गहरी हैं। सिर्फ बच्चों को बचा लेना ही पर्याप्त नहीं है — जब तक दोषियों को न्यायिक दंड नहीं मिलेगा और बच्चों का समुचित पुनर्वास नहीं होगा, तब तक यह लड़ाई अधूरी रहेगी। मज़बूत कानून, उनका कठोर कार्यान्वयन और पीड़ित बच्चों के लिए दीर्घकालिक सामाजिक सहायता प्रणाली बेहद आवश्यक है, अन्यथा वे दोबारा उसी चक्रव्यूह में फँस सकते हैं। यह रिपोर्ट इस ओर स्पष्ट संकेत देती है कि केवल राहत कार्यों से काम नहीं चलेगा, हमें शिक्षा, नीतिगत सुधार और समुदाय की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से एक समग्र और समन्वित राष्ट्रीय रणनीति अपनानी होगी, ताकि बाल श्रम की समस्या का स्थायी समाधान हो सके।

ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025

संदर्भः

द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (EIU), जो एक प्रसिद्ध थिंक टैंक है, ने हाल ही में "ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025" जारी किया है। इस सूचकांक में विश्व के 173 शहरों को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, स्थिरता, आधारभूत संरचना और पर्यावरण के आधार पर रैंक किया गया है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन ने इस बार शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जबकि वियना और ज्यूरिख संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे हैं। मेलबर्न और जिनेवा ने क्रमशः चौथा और पांचवां स्थान प्राप्त किया।

ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025: मुख्य बिंदु

- यह सूचकांक यह दर्शाता है कि किन शहरों में रहने की परिस्थितियाँ सबसे अच्छी या सबसे खराब हैं।
- आकलन की पद्धति में 5 प्रमुख श्रेणियों के अंतर्गत 30 संकेतकों का उपयोग किया गया है — स्थिरता, स्वास्थ्य सेवा, संस्कृति व पर्यावरण, शिक्षा और आधारभूत संरचना।
- प्रत्येक संकेतक को "स्वीकार्य", "सहनशील", "असहज", "अवांछनीय" या "असहनीय" के रूप में रेट किया गया और फिर उनका कुल स्कोर 1 से 100 के बीच दिया गया।

प्रमुख निष्कर्षः

- वर्ष 2025 में वैश्विक औसत लिवेबिलिटी स्कोर 76.1 रहा, जो पिछले वर्ष के समान है।
- शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आधारभूत संरचना में सुधार देखा गया, जबकि वैश्विक स्थिरता स्कोर में 0.2 अंकों की गिरावट आई।
- कोपेनहेगन ने इस बार वियना को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। वियना की स्थिरता रैंकिंग में गिरावट आई, जिसके पीछे आतंकवादी हमलों की आशंका प्रमुख कारण रही।
- पश्चिमी यूरोप के शहरों ने एक बार फिर लिवेबिलिटी रैंकिंग में दबदबा बनाया, जबकि एशिया-प्रशांत क्षेत्र और वैंकूवर (कनाडा) ने भी शीर्ष 10 में स्थान पाया।
- इसके विपरीत, मध्य-पूर्व और अफ्रीका के कई शहरों को सबसे कम रहने योग्य श्रेणी में रखा गया, हालाँकि इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा में हल्के सुधार दर्ज किए गए।
- सीरिया की राजधानी दमिश्क ने लगातार सबसे निचले स्थान पर रहकर दुनिया का सबसे कम रहने योग्य शहर बना रहा, जिसे केवल 30.7 अंक प्राप्त हुए। त्रिपोली, ढाका और कराची भी निचले स्थानों पर रहे।
- ईरान (तेहरान), ताइवान और भारत जैसे देशों में भी स्थिरता स्कोर में गिरावट आई है, जो बढ़ते संघर्षों और तनावों का संकेत देता है।

लिवेबिलिटी इंडेक्स का महत्वः

- हाल के वर्षों में शहरीकरण और शहरी प्रवास में वृद्धि देखी गई है क्योंकि लोग बेहतर जीवन-शैली, आर्थिक अवसरों और मूलभूत सुविधाओं की तलाश में शहरों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में "लिवेबल सिटी" (रहने योग्य शहर) की अवधारणा उभरी है, जहाँ जीवन जीने के लिए पर्यावरण अनुकूल, समावेशी और

संरचित सुविधाएं उपलब्ध हों।

शहरीकरण क्या है?

- शहरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई देश या समाज ग्रामीण से शहरी जीवनशैली की ओर अग्रसर होता है। इसमें जनसंख्या का शहरों की ओर स्थानांतरण, शहरों का भौतिक और संरचनात्मक विस्तार, और सामाजिक व सांस्कृतिक बदलाव शामिल होते हैं।

निष्कर्ष:

ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 न केवल शहरों की जीवन गुणवत्ता को आंकता है, बल्कि यह वैश्विक शहरी नीतियों, सुरक्षा चुनौतियों और सार्वजनिक सेवाओं की स्थिति को भी उजागर करता है। यह रिपोर्ट नीति निर्माताओं, शहरी योजनाकारों और नागरिकों के लिए एक दिशा-निर्देश के रूप में कार्य करती है ताकि वे शहरों को अधिक समावेशी, टिकाऊ और जीवन के अनुकूल बना सकें।

क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026

सन्दर्भ:

भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में अब तक का सबसे प्रभावशाली प्रदर्शन दर्ज किया है। इस वर्ष कुल 54 भारतीय विश्वविद्यालयों को रैंकिंग में स्थान मिला है, जो 2015 में मात्र 11 थे। यह पांच गुना वृद्धि भारत के शिक्षा क्षेत्र में हुए संरचनात्मक और गुणात्मक सुधारों को दर्शाती है। 8 भारतीय विश्वविद्यालयों को पहली बार रैंकिंग में स्थान दिया गया है, जो इस वर्ष किसी भी देश के लिए सर्वाधिक है। इसमें 12 आईआईटी शामिल हैं, जिनमें आईआईटी दिल्ली विश्व स्तर पर 123वें स्थान पर है।

भारत की मजबूत उपस्थिति:

- क्यूएस 2026 रैंकिंग में भारत चौथा सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व रखने वाला देश बन गया है। अमेरिका (192), यूनाइटेड किंगडम (90) और मेनलैंड चीन (72) के बाद भारत के 54 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। यह केवल संख्या में वृद्धि नहीं है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण सुधार का भी संकेत है। 48% भारतीय संस्थानों ने अपनी पिछली रैंकिंग में सुधार किया है, जो शिक्षा के क्षेत्र में की गई नीतिगत पहलों की सफलता को दर्शाता है।

प्रमुख संस्थान और रैंकिंग

- आईआईटी दिल्ली ने 123वीं रैंक प्राप्त कर भारत का सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। यह 2025 में 150वें स्थान पर था।
- आईआईटी मद्रास ने सबसे बड़ी छलांग लगाई है – 2025 में 227वें से 2026 में 180वें स्थान पर पहुंच गया।
- कुल 12 आईआईटी रैंकिंग में शामिल हैं।
- 6 भारतीय संस्थान वैश्विक शीर्ष 250 में हैं।
- 5 भारतीय संस्थान नियोक्ता प्रतिष्ठा के मामले में वैश्विक शीर्ष 100 में शामिल हैं, जो भारतीय स्नातकों के प्रति वैश्विक उद्योग जगत के भरोसे को दर्शाता है।
- आठ भारतीय संस्थानों ने पहली बार इस रैंकिंग में प्रवेश किया है जो इस वर्ष किसी भी देश के लिए सर्वाधिक है जिनका औसत स्कोर अमेरिका, यूके और जर्मनी से भी अधिक है।

शिक्षा नीति और सुधारों की भूमिका:

- इस बढ़ती सफलता के पीछे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) और शोध व नवाचार पर बढ़ता बल महत्वपूर्ण कारक रहे हैं। विश्वविद्यालयों में अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों को प्रोत्साहन, संकाय गुणवत्ता में सुधार, और उद्योग-अकादमिक सहयोग जैसी पहलों ने संस्थानों की रैंकिंग को सशक्त किया है।

पद्धति:

- क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग दुनिया भर के संस्थानों का आकलन करने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण का उपयोग करती है। प्रत्येक रैंकिंग माप के एक सेट पर बनाई गई है जो विश्वविद्यालय के प्रदर्शन के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन करने में मदद करती है। इन मापों को निम्नानुसार समूहीकृत किया गया है:
  - **लेंस:** अनुसंधान या रोजगारपरकता जैसे सामान्य विषय से जुड़े संकेतकों का संग्रह।
  - **सूचक:** प्रदर्शन का एक विशिष्ट क्षेत्र जैसे प्रति संकाय या नियोक्ता प्रतिष्ठा के अनुसार उद्धरण। प्रत्येक संकेतक के आधार पर संस्थाओं को अंक दिए जाते हैं और उनकी रैंकिंग तय की जाती है, जो उनकी समग्र रैंकिंग में योगदान देती है।
  - **मीट्रिक:** एक संकेतक के भीतर एक विस्तृत गणना जिसका उपयोग सटीक स्कोर प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

निष्कर्ष:

क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 भारत के शिक्षा तंत्र के वैश्वीकरण की दिशा में एक मील का पत्थर है। यह केवल संख्यात्मक उपलब्धि नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, अनुसंधान और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भागीदारी की दिशा में एक सशक्त संकेत है।

भारत की 2027 की जनगणना: डिजिटल और जनसांख्यिकीय बदलाव की यात्रा

भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि भारत की 16वीं जनगणना दो चरणों में की जाएगी, जो देश के डेटा संग्रहण इतिहास में एक बड़ा मील का पत्थर है। यह न केवल भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी, बल्कि 1931 के बाद पहली बार पूर्ण रूप से जाति आधारित गणना भी की जाएगी। भारत के अधिकांश हिस्सों के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 है, जबकि लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे हिमाच्छादित क्षेत्रों के लिए यह तिथि 1 अक्टूबर 2026 है।

जनगणना क्यों महत्वपूर्ण है?

- जनगणना केवल एक जनसंख्या गणना नहीं है। यह भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक योजना को आकार देने में एक बुनियादी भूमिका निभाती है। संविधान के प्रमुख प्रावधान जैसे अनुच्छेद 82 (निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन) और अनुच्छेद 330 और 332 (अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण) जनगणना के आंकड़ों पर आधारित हैं।
- सरकारी फंडिंग, आधारभूत ढांचा योजना और सामाजिक कल्याण योजनाएं सभी जनसंख्या पर आधारित होती हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास जैसे मंत्रालय जनगणना के आंकड़ों का उपयोग स्कूलों, क्लीनिकों और सड़कों जैसी सेवाओं की योजना बनाने में करते हैं। जनगणना के आंकड़े रोजगार, प्रवासन, प्रजनन क्षमता और नगरीकरण पर नीतियां तय करने में भी मदद करते हैं।
- प्रशासन से अलग, जनगणना राष्ट्र की बदलती पहचान को दर्शाती है — जैसे परिवार की संरचना में बदलाव, प्रौद्योगिकी की पहुंच, और जाति आधारित असमानताएं। यह योजनाकारों और शोधकर्ताओं को वंचित जनसंख्या की पहचान करने और लक्षित हस्तक्षेपों की योजना बनाने में मदद करती है।

समयसीमा और चरण:

2027 की जनगणना दो प्रमुख चरणों में की जाएगी:

- **मकान सूचीकरण और आवास जनगणना (2026)**: जनसंख्या गणना से एक वर्ष पहले किया जाने वाला यह चरण, आवास की स्थिति और घरेलू विशेषताओं को दर्ज करता है। गणनाकर्ता निम्नलिखित दर्ज करेंगे:
    - भवन का उपयोग (आवासीय/व्यावसायिक)
    - निर्माण सामग्री
    - कमरों की संख्या
    - पानी और बिजली की उपलब्धता
    - स्वामित्व की स्थिति
    - शौचालय और ईंधन का प्रकार
    - फोन, टीवी या वाहन जैसी परिसंपत्तियों की उपलब्धता
- नए बिंदुओं में शामिल हैं:
    - इंटरनेट की उपलब्धता
    - स्मार्टफोन का स्वामित्व
    - खाना पकाने के गैस का प्रकार (पीएनजी बनाम एलपीजी)
    - घर के भीतर पीने के पानी की सुविधा
    - जनगणना संपर्क के लिए मोबाइल नंबर
    - वाहन स्वामित्व (दोपहिया, कार, व्यावसायिक)
    - उपयोग किए जाने वाले अनाज का प्रकार

- ये परिवर्तन डिजिटल पहुंच, स्वच्छ ऊर्जा और भोजन की आदतों को विकास संकेतकों के रूप में दर्शाते हैं।
- **जनसंख्या गणना (फरवरी 2027):** इस चरण में व्यक्तियों की जानकारी एकत्र की जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति के लिए निम्नलिखित जानकारी दर्ज की जाएगी:
  - » नाम, उम्र, लिंग, जन्म तिथि
  - » वैवाहिक स्थिति
  - » परिवार के मुखिया से संबंध
  - » शैक्षिक स्तर
  - » व्यवसाय
  - » धर्म और जाति/जनजाति
  - » विकलांगता की स्थिति
  - » प्रवासन का इतिहास

2027 में प्रमुख बदलाव:

- 1931 के बाद पहली बार सभी नागरिकों के लिए जाति गणना।
- प्रवासन कारणों में जलवायु विस्थापन शामिल।
- प्रौद्योगिकी उपयोग — इंटरनेट और स्मार्टफोन की पहुंच से जुड़े प्रश्न।
- लैंगिक समावेशन — ट्रांसजेंडर की पहचान का स्पष्ट विकल्प।

पहली डिजिटल जनगणना:

- 2027 की जनगणना एक बड़ा तकनीकी सुधार है। 2011 की तरह कागज आधारित और वर्णनात्मक प्रविष्टियों के बजाय, आगामी जनगणना मुख्यतः मोबाइल ऐप के माध्यम से की जाएगी।
- **मुख्य डिजिटल विशेषताएं:**
  - » **स्वयं-गणना:** परिवार एक पोर्टल या ऐप पर लॉग इन करके अपनी जानकारी स्वयं भर सकते हैं। एक यूनिक आईडी जनरेट होगी, जिसे गणनाकर्ता को दिखाया जा सकेगा।
  - » **गणनाकर्ताओं के लिए मोबाइल ऐप:** ड्रॉप-डाउन मेनू, कोडिंग निर्देशिकाओं और रीयल-टाइम गुणवत्ता जांच अलर्ट से सुसज्जित।
  - » **जियो-टैगिंग और जीपीएस:** घरों का सटीक नक्शा और कवरेज गैप रोकने के लिए जियोफेंसिंग।
  - » **रीयल-टाइम डैशबोर्ड:** प्रगति की निगरानी, विसंगतियों का पता लगाना और अपडेट देना।
  - » **जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली (CMMS):** फील्ड मुद्दों को तेजी से प्रबंधित करने और प्रतिक्रिया देने की सुविधा।
- यह डिजिटल बदलाव मैनुअल त्रुटियों को कम करने, डेटा प्रोसेसिंग को तेज करने और गुणवत्ता नियंत्रण में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है।

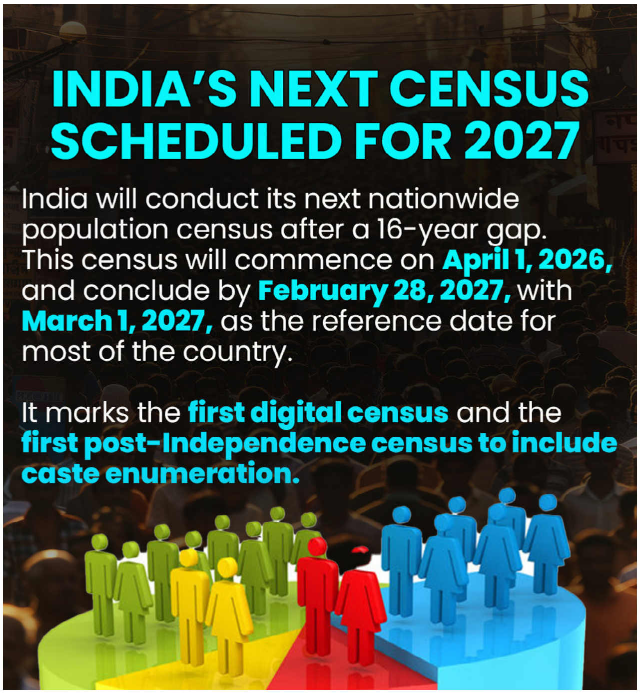

कार्यबल और लॉजिस्टिक्स:

- जनगणना कार्य भारत के सबसे बड़े प्रशासनिक अभियानों में से एक है। इसमें लगभग:
  - » 30 लाख गणनाकर्ता, मुख्यतः स्कूल शिक्षक, नियुक्त होंगे।
  - » 1.2 लाख पर्यवेक्षक जिला और उप-जिला स्तर पर।
  - » 46,000 प्रशिक्षक डिजिटल प्रशिक्षण सत्र कराएंगे।
- गणनाकर्ताओं को ऐप के उपयोग, डेटा प्रविष्टि और सॉफ्ट स्किल्स जैसे कि अस्वीकार या डर से निपटने में प्रशिक्षित किया जाएगा।

गुणवत्ता नियंत्रण और चुनौतियाँ:

- डेटा की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए गए हैं:
  - » ऐप में त्रुटियों (जैसे अविश्वसनीय आयु या घरेलू आकार) के लिए ऑटोमैटिक चेक।
  - » दूरस्थ क्षेत्रों में खराब कनेक्टिविटी के लिए ऑफलाइन मोड के

साथ ऑटो-सिंक।
  - जीपीएस टैगिंग त्रुटियों की पर्यवेक्षक पुष्टि।
  - सॉफ्ट-स्किल प्रशिक्षण से झिझक या गलत जानकारी को कम करना।
  - रीयल-टाइम समाधान के लिए फील्ड सपोर्ट टूल्स।
- पर्यवेक्षक चिह्नित फॉर्मों की पुन: जांच करेंगे और मैनुअल जांच से असंगतियों को कम किया जाएगा। डुप्लिकेट प्रविष्टियाँ या अवास्तविक डेटा अंतिम सबमिशन से पहले सुधारे जाएंगे।

डेटा जारी करने का कार्यक्रम:

- जनगणना चरण के फरवरी 2027 में 20–21 दिनों के भीतर पूरा होने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार:
  - प्रारंभिक डेटा जनगणना पूरी होने के 10 दिनों के भीतर जारी किया जा सकता है।
  - अंतिम डेटा छह महीनों के भीतर अपेक्षित है।
- यह पिछले जनगणनाओं की तुलना में काफी तेज है क्योंकि इसमें डिजिटल प्रक्रियाएं और स्वचालित सत्यापन शामिल हैं।

2027 और 2011 में अंतर:

पहलू	2011 जनगणना	2027 जनगणना
तरीका	कागज आधारित	डिजिटल (ऐप + स्वयं गणना)
मानचित्रण	मैनुअल क्षेत्र सूची	जीपीएस, जियोफेंसिंग
डेटा प्रविष्टि	हस्तलिखित	ड्रॉप-डाउन कोड निर्देशिकाएं
जाति डेटा	केवल SC/ST	सभी जातियाँ
विकलांगता/ लैंगिकता	सीमित विकल्प	विस्तारित विकल्प (ट्रांसजेंडर सहित)
गुणवत्ता जांच	जनगणना के बाद	रीयल-टाइम अलर्ट और सुधार
डेटा जारी करना	1–2 साल बाद	6 महीने के भीतर

राजनीतिक और सामाजिक महत्व:

- जाति गणना की पुनः शुरुआत ने राजनीतिक बहस को जन्म दिया है, विशेषकर इस पर कि यह भविष्य में निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन और संसदीय सीटों के वितरण को कैसे प्रभावित कर सकती है। जबकि वर्तमान में सीमांकन 2026 तक स्थगित है, नए आंकड़ों के आधार पर यह परिवर्तन उन क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व को नया रूप दे सकता है जो अधिक जनसंख्या वाले या कम गिने गए हैं।
- जाति डेटा कल्याण वितरण और आरक्षण नीतियों को भी नया आकार दे सकता है, विशेष रूप से उन राज्यों में जो पिछड़े वर्गों की सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण की मांग कर रहे हैं। हाशिए पर मौजूद और कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों के लिए, यह राष्ट्रीय योजना में लंबे समय से प्रतीक्षित सांख्यिकीय उपस्थिति प्रदान कर सकता है।

निष्कर्ष:

2027 की जनगणना केवल एक सांख्यिकीय अभ्यास नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय आत्मचिंतन और पुनः समायोजन का क्षण है। जाति डेटा, नई डिजिटल तकनीकों और तेज परिणाम वितरण के समावेश के साथ, यह शासन और योजना में एक परिवर्तनकारी कदम है। जैसे ही भारत जनसांख्यिकीय, तकनीकी और सामाजिक बदलावों के मुहाने पर खड़ा है, यह जनगणना देश के अगले अध्याय को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

भारत में प्रजनन अधिकार और मातृत्व लाभ: संवैधानिक संरक्षण, चुनौतियाँ और आगे की राह

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक ऐतिहासिक निर्णय में महिलाओं के प्रजनन अधिकारों को मज़बूती प्रदान की। यह मामला तमिलनाडु सरकार की दो-बच्चे की नीति के आधार पर एक सरकारी स्कूल शिक्षिका को तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश से वंचित करने से संबंधित था। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के पहले के निर्णय को पलटते हुए कहा कि मातृत्व अवकाश केवल एक वैधानिक सुविधा नहीं, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक मौलिक अधिकार है। यह फैसला मातृत्व लाभ को महिला अधिकारों, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक समावेशन के महत्वपूर्ण अंग के रूप में प्रस्तुत करता है। साथ ही, यह मातृत्व कानूनों के क्रियान्वयन में व्याप्त समस्याओं और एक अधिक समावेशी व प्रगतिशील नीति की आवश्यकता पर गंभीर प्रश्न भी उठाता है।

प्रजनन अधिकार के रूप में मातृत्व लाभ:

- सर्वोच्च न्यायालय ने मातृत्व अवकाश को महिलाओं के प्रजनन अधिकारों का हिस्सा माना, जो अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित हैं। इनमें गर्भधारण संबंधी निर्णय लेने की स्वतंत्रता, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और गर्भावस्था के दौरान गरिमा बनाए रखने का अधिकार शामिल हैं।
- अदालत ने सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र (UDHR) जैसे अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का भी उल्लेख किया, जो स्वास्थ्य, गोपनीयता और समानता के अधिकार को सुनिश्चित करते हैं। इस निर्णय ने यह स्पष्ट किया कि जनसंख्या नियंत्रण जैसी नीतियाँ महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकतीं।

मातृत्व लाभ का ऐतिहासिक विकास:

- मातृत्व संरक्षण की अवधारणा का उद्भव 19वीं सदी के अंत में जर्मनी और फ्रांस जैसे कल्याणकारी राज्यों में हुआ था। उस समय का मुख्य उद्देश्य मातृ-शिशु मृत्यु दर को कम करना और जनसंख्या में गिरावट को रोकना था। आगे चलकर यह महिलाओं को औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल करने का माध्यम बना।
- वैश्विक स्तर पर, 1919 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने मातृत्व संरक्षण सम्मेलन अपनाया, जिसने 12 सप्ताह के भुगतानयुक्त अवकाश, निःशुल्क चिकित्सा सेवा, नौकरी की सुरक्षा और स्तनपान के लिए अवकाश को अनिवार्य किया।

- भारत में, मातृत्व लाभ का मुद्दा स्वतंत्रता-पूर्व काल में सामने आया। डॉ. भीमराव अंबेडकर और एन. एम. जोशी जैसे समाज सुधारकों ने 1929 में बंबई विधान परिषद में मातृत्व लाभ विधेयक पेश किया। उस समय मुंबई के कपड़ा उद्योग में बड़ी संख्या में महिलाएँ कार्यरत थीं, जिन्हें गर्भावस्था के दौरान बेहतर स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता थी।
- हालाँकि उद्योगपति आर्थिक नुकसान के डर से इसका विरोध कर

रहे थे, फिर भी कुछ प्रांतों जैसे मद्रास (1934), उत्तर प्रदेश (1938), पश्चिम बंगाल (1939) और असम (1944) ने अपने-अपने कानून बनाए। अंततः स्वतंत्रता के बाद 1961 में मातृत्व लाभ अधिनियम पारित किया गया।

मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 और 2017 का संशोधन:

- यह अधिनियम 10 या अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों (जैसे फैक्ट्री, खदान, प्लांटेशन, दुकानें व सरकारी कार्यालय) में गर्भवती महिलाओं के रोजगार को नियंत्रित करता है। इसमें कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत कवर की गई महिलाएँ भी आती हैं।
- शुरुआत में, इस अधिनियम में 12 सप्ताह का सवेतन मातृत्व अवकाश प्रदान किया गया था। हालाँकि, 2017 में कानून में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया। संशोधित अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:
  - » **अवकाश की अवधि में वृद्धि:** दो से कम जीवित बच्चों वाली महिलाओं को 26 सप्ताह का भुगतान सहित अवकाश, जबकि दो या अधिक बच्चों वाली महिलाओं को 12 सप्ताह।
  - » **क्रेच सुविधा:** 50 या अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों में बच्चों की देखरेख हेतु क्रेच सुविधा अनिवार्य।
  - » **कार्यस्थल पर क्रेच विज़िट:** माताओं को कार्य के दौरान क्रेच जाने की अनुमति।
  - » **नियोजकों की जिम्मेदारी:** महिला कर्मचारियों को नियुक्ति के समय मातृत्व लाभों की जानकारी देना अनिवार्य।

कार्यान्वयन की चुनौतियाँ:

- **सीमित कवरेज:** अधिनियम केवल संगठित क्षेत्र में लागू होता है, जबकि भारत की 90% से अधिक कामकाजी महिलाएँ असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं, जैसे घरेलू कामगार, खेतिहर मजदूर, निर्माण श्रमिक व ठेले-रेहड़ीवाले।
- **कम जागरूकता और अनुपालन की कमी:** छोटे निजी संस्थानों में काम करने वाली महिलाओं को अधिनियम की जानकारी नहीं होती। कई नियोक्ता कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं करते।
- **पूरी वित्तीय जिम्मेदारी नियोक्ता पर:** मातृत्व अवकाश की पूरी लागत निजी संस्थानों पर होने से वे प्रजनन आयु की महिलाओं को नौकरी देने से हिचकते हैं।
- **नौकरी में लैंगिक असमानता:** ऑक्सफैम इंडिया की 2022 रिपोर्ट के अनुसार, भारत में पुरुषों और महिलाओं के रोजगार में अंतर का 98% कारण लैंगिक भेदभाव है। परिणामस्वरूप, 2022-23 के PLFS आंकड़ों के अनुसार भारत में महिला श्रम भागीदारी दर केवल 37% है।

समावेशी और लैंगिक-तटस्थ नीतियों की दिशा में:

- **वैश्विक रुझान:** स्वीडन ने 1974 में साझा पेरेंटल लीव की शुरुआत की। अब नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, एस्तोनिया और यूक्रेन जैसे देश सालभर तक पेड फैमिली लीव देते हैं। इससे पारंपरिक लिंग भूमिकाओं में बदलाव आता है।
- **भारत की स्थिति:** भारत में पितृत्व या पेरेंटल लीव के लिए कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है, जिससे यह धारणा और मजबूत होती है कि देखभाल केवल महिलाओं की ज़िम्मेदारी है।
- **संविदा श्रमिकों की उपेक्षा:** 2023 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि संविदा श्रमिकों को मातृत्व लाभ से वंचित करना असंवैधानिक और अमानवीय है। फिर भी विश्वविद्यालयों, निजी कंपनियों और सेवा क्षेत्रों में बड़ी संख्या में महिलाएँ आज भी इस सुविधा से वंचित हैं।

निष्कर्ष:

मातृत्व अवकाश केवल कार्यस्थल सुविधा नहीं, बल्कि प्रजनन न्याय, लैंगिक समानता और सामाजिक समावेशन की बुनियाद है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे संवैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता देना एक सकारात्मक कदम है, जिससे महिलाओं की गरिमा और स्वायत्तता को बल मिलता है। परंतु जब तक ये अधिकार सार्वभौमिक, समावेशी और सही तरीके से लागू नहीं होंगे, तब तक ये अधिकांश भारतीय महिलाओं के लिए केवल कागज़ी हक़ बने रहेंगे। सच्ची लैंगिक न्याय की ओर अगला कदम यह है कि हर महिला, चाहे वह संगठित क्षेत्र में हो या असंगठित में, इन लाभों तक समान रूप से पहुँच पाए।

ट्रांसजेंडर पत्नी को 498A IPC के तहत संरक्षण

संदर्भ:

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि विषमलैंगिक विवाह में ट्रांसजेंडर महिला अपने पति व ससुराल वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत शिकायत दर्ज करा सकती है। यह फैसला ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों और लैंगिक समानता की दिशा में न्यायपालिका का बड़ा कदम माना जा रहा है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक "NALSA बनाम भारत सरकार (2014)" के निर्णय के अनुरूप है, जिसमें व्यक्ति को अपनी लैंगिक पहचान स्वयं तय करने का अधिकार दिया गया था।

मामले की पृष्ठभूमि:

- यह मामला विश्वनाथन कृष्णमूर्ति और उनके माता-पिता द्वारा दर्ज किया गया था, जिन्होंने अपने खिलाफ दर्ज दहेज उत्पीड़न के मामले को रद्द करने की मांग की थी।
- यह शिकायत शबाना (एक ट्रांस महिला) ने दर्ज कराई थी, जिसमें उसने अपने पति और ससुरालवालों पर दहेज मांगने और मानसिक प्रताड़ना देने का आरोप लगाया था।
- याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि शबाना चूंकि ट्रांस महिला हैं और संतान पैदा नहीं कर सकतीं, इसलिए IPC की धारा 498A के तहत उन्हें "महिला" नहीं माना जा सकता। हालांकि, कोर्ट ने शिकायत के तथ्यात्मक पक्ष की जांच के बाद पाया कि आरोप सामान्य, अस्पष्ट और ठोस साक्ष्यों से विहीन थे, परिणामस्वरूप याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही रद्द कर दी गई।

न्यायालय की मुख्य टिप्पणियाँ:

- अदालत ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि लैंगिक पहचान जन्म के समय दिए गए लिंग तक सीमित नहीं होती। प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को अपने लिंग की स्वयं पहचान का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है।
- अदालत ने यह भी माना कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को बिना चिकित्सा या सर्जिकल हस्तक्षेप के अपनी लिंग पहचान स्वयं घोषित करने का अधिकार देता है। कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले का भी हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि हिंदू विवाह अधिनियम में 'दुल्हन' की परिभाषा में ट्रांसजेंडर महिलाएं भी शामिल हैं।
- न्यायालय ने यह तर्क पूरी तरह खारिज कर दिया कि महिला होने की पहचान सिर्फ संतान पैदा करने की क्षमता से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि यह सोच "पूरी तरह गलत और कानूनन अस्थिर है।" उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि महिला की परिभाषा को इतनी संकीर्णता से देखना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता), 15 (भेदभाव निषेध) और 21 (जीवन और गरिमा का अधिकार) का उल्लंघन है।
- न्यायालय ने यह दोहराया कि लैंगिक पहचान व्यक्ति की अपनी पहचान है, जो केवल शारीरिक गुणों पर आधारित नहीं हो सकती। ट्रांस महिलाओं को धारा 498A के तहत संरक्षण से वंचित करना केवल उनके लिंग के आधार पर भेदभाव करना होगा।

IPC की धारा 498A:

- भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A विशेष रूप से विवाहिता महिलाओं को दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा से बचाने के उद्देश्य से बनाई गई है। यह धारा पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा महिला के साथ शारीरिक या मानसिक क्रूरता, दहेज की मांग, या मानसिक उत्पीड़न जैसे कृत्यों को अपराध की श्रेणी में लाती है।
- इस धारा का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को वैवाहिक जीवन में सुरक्षित वातावरण देना है, विशेषकर दहेज प्रथा और घरेलू उत्पीड़न के मामलों में। हालांकि, समय-समय पर इस धारा के दुरुपयोग की भी शिकायतें सामने आती रही हैं, जहां कोर्ट ने संतुलन बनाए रखने के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं ताकि बेगुनाहों को अनुचित परेशानी न हो।

निष्कर्ष:

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का ट्रांस महिलाओं को "महिला" के रूप में कानूनी मान्यता का निर्णय भारतीय संविधान की मूल भावना "समानता, गरिमा और पहचान" को और अधिक मजबूती प्रदान करता है। न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि महिला होने की परिभाषा केवल जैविक विशेषताओं पर आधारित नहीं हो सकती, बल्कि यह व्यक्ति की आत्म-परिभाषा और लिंग पहचान के अधिकार पर आधारित है। यह फैसला न केवल ट्रांसजेंडर समुदाय के संवैधानिक अधिकारों की पुष्टि करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि वे भी उन सभी कानूनी संरक्षणों के हकदार हैं जो सामान्य महिलाओं को प्राप्त हैं, जैसे IPC की धारा 498A। यह भारत के न्याय तंत्र में समावेशिता और संवेदनशीलता की ओर बढ़ा एक महत्वपूर्ण कदम है, जो लैंगिक न्याय को नए आयाम देता है।

नव्या योजना

सन्दर्भ:

हाल ही में केंद्र सरकार ने 24 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से 'नव्या' योजना की शुरुआत की है। यह योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के अंतर्गत एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है, जिसे केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) मिलकर संचालित कर रहे हैं। इसका उद्देश्य किशोरियों को पारंपरिक के साथ-साथ गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में भी प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

मुख्य उद्देश्य:

- 'नव्या' योजना का पूरा नाम "Nurturing Aspirations through Vocational Training for Young Adolescent Girls" है। इसका उद्देश्य 16 से 18 वर्ष की उम्र की उन लड़कियों को, जो कम से कम 10वीं पास हैं, आधुनिक व वांछनीय कौशल प्रदान करना है, ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें।

योजना का भौगोलिक विस्तार:

- अभी यह योजना 9 राज्यों के 27 जिलों में लागू की गई है। इनमें पूर्वोत्तर के राज्य और आकांक्षी जिले शामिल हैं। आकांक्षी जिले वे हैं जो सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े माने गए हैं और जिनके विकास पर सरकार विशेष ध्यान देती है। भारत में ऐसे कुल 112 जिले चिन्हित किए गए हैं।

प्रशिक्षण के क्षेत्र:

- नव्या योजना के अंतर्गत किशोरियों को कई पारंपरिक व आधुनिक कार्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जैसे:
  - » ग्राफिक डिजाइनिंग
  - » ड्रोन असेंबलिंग
  - » सीसीटीवी इंस्टॉलेशन तकनीक
  - » स्मार्टफोन रिपेयरिंग
  - » प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट
- इन सभी क्षेत्रों को अब तक 'गैर-पारंपरिक' माना जाता था, खासकर महिलाओं के लिए।

विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल:

- इस योजना के तहत एक 7 घंटे का विशेष मॉड्यूल तैयार किया गया है, जिसमें निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं:
  - » संवाद कौशल
  - » कम्युनिकेशन स्किल्स
  - » कमाई और खर्च प्रबंधन
  - » कार्यस्थल पर यौन शोषण से सुरक्षा — POSH और POCSO एक्ट की जानकारी
- **पात्रता:**
  - » आयु: 16-18 वर्ष
  - » योग्यता: न्यूनतम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण
  - » प्राथमिकता: आकांक्षी जिलों की किशोरियाँ

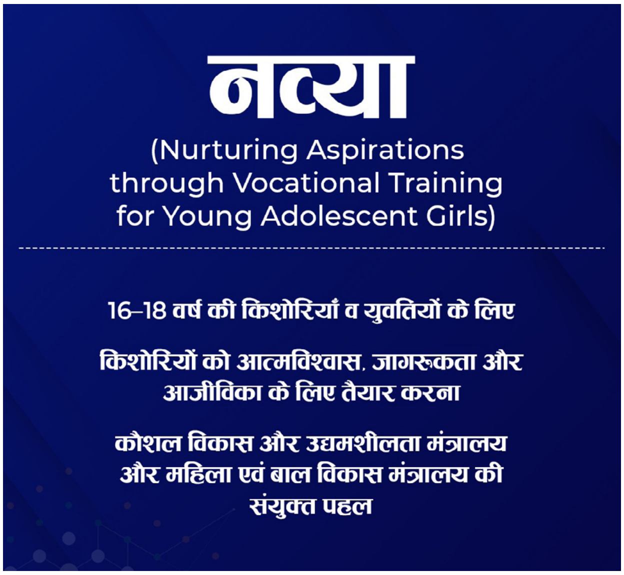

महत्त्व और संभावनाएँ:

- 'नव्या' योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे किशोरियों को सिर्फ रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण नहीं मिलेगा, बल्कि वे आत्मविश्वास से भरपूर होकर गैर-पारंपरिक भूमिकाओं में भी अपनी पहचान बना सकेंगी।
- यदि पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा, तो इसे पूरे देश में लागू किया जा सकता है, जिससे लाखों किशोरियों को लाभ मिलने की संभावना है।

निष्कर्ष:

नव्या योजना भारत सरकार की बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं की भावना को और मजबूती प्रदान करती है। यह एक दूरदर्शी कदम है जो लैंगिक समानता और आर्थिक सशक्तिकरण को ज़मीनी स्तर पर लागू करता है।

सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना कानून पर स्पष्टता दी

संदर्भ:

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट किया है कि संसद या राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित किसी भी कानून को केवल इस आधार पर अदालत की अवमानना नहीं माना जा सकता कि वह किसी पूर्व न्यायिक आदेश के विपरीत प्रतीत होता है। यह निर्णय लोकतंत्र के तीनों स्तंभों "विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका" के बीच संविधान सम्मत संतुलन और अधिकार-सीमा को रेखांकित करने वाला एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।

पृष्ठभूमि:

- यह मामला 2012 में दायर की गई एक अवमानना याचिका से जुड़ा है, जिसे समाजशास्त्री और दिल्ली विश्वविद्यालय की पूर्व प्रोफेसर नंदिनी सुंदर और अन्य याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था। याचिका में आरोप था कि छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के 2011 के आदेश का उल्लंघन किया है, जिसमें अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि:
  - » सलवा जुडुम जैसे निजी सशस्त्र संगठनों को समर्थन देना बंद किया जाए।
  - » आदिवासी युवाओं की विशेष पुलिस अधिकारी (SPO) के रूप में भर्ती रोक दी जाए और उन्हें माओवादी विरोधी अभियानों में शामिल न किया जाए।
  - » स्कूलों और आश्रमों से सुरक्षाबलों को हटाया जाए।
  - » विशेष पुलिस अधिकारी की कार्रवाई से प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया जाए।
- हालांकि, इन निर्देशों के बजाय छत्तीसगढ़ सरकार ने "छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल अधिनियम, 2011" पारित कर दिया, जिसके माध्यम से विशेष पुलिस अधिकारी की भूमिका को कानूनी रूप से मान्यता दी गई और उन्हें एक नियमित सहायक सशस्त्र बल के रूप में शामिल कर लिया गया।

सुप्रीम कोर्ट की मुख्य टिप्पणियाँ:

- **विधायिका को पूर्ण कानून निर्माण अधिकार:** सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक राज्य की विधायिका को संप्रभु अधिकार प्राप्त हैं कि वह अपने क्षेत्राधिकार में कानून बना सके। जब तक कोई कानून संविधान के विरुद्ध घोषित नहीं होता, तब तक वह वैध और लागू रहने योग्य होता है।
- **कानून बनाना अवमानना नहीं माना जा सकता:** अदालत ने यह स्पष्ट किया कि किसी न्यायिक आदेश के बाद भी यदि विधायिका कोई कानून पारित करती है, तो मात्र इस आधार पर उसे अवमानना नहीं कहा जा सकता कि वह किसी पूर्व न्यायिक आदेश के विपरीत प्रतीत होता है।
- **संवैधानिक संतुलन और कानून का शासन:** सुप्रीम कोर्ट ने ज़ोर देकर कहा कि संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। इन तीनों संस्थाओं के बीच संतुलन ही लोकतांत्रिक शासन की आधारशिला है।

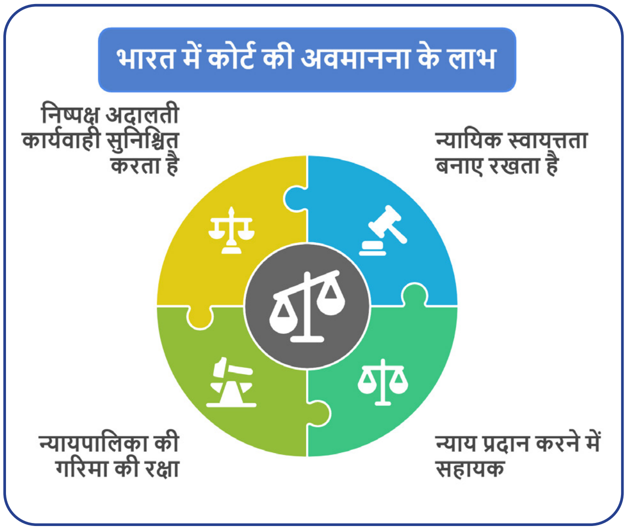

फैसले के व्यापक प्रभाव:

- **विधायिका की सर्वोच्चता को पुष्टि:** यह निर्णय पुनः स्पष्ट करता है कि कानून बनाना विधायिका का विशेषाधिकार है। जब तक कोई कानून संविधान विरोधी घोषित न हो, उसे सिर्फ इसलिए अदालत की अवमानना नहीं कहा जा सकता कि वह किसी न्यायिक आदेश के विपरीत प्रतीत होता है।
- **अवमानना की सीमाओं का निर्धारण:** सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि विधायिका किसी अदालत के आदेश के बाद भी नया कानून बनाती है, यदि वह विवादास्पद हो तो वह अवमानना की श्रेणी में नहीं आता। इससे अवमानना अधिकार की सीमाएँ स्पष्ट हुई हैं।
- **संवैधानिक उपचारों को प्राथमिकता:** अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि यदि किसी कानून को असंवैधानिक माना जा रहा है, तो उसे चुनौती देने का उपयुक्त माध्यम अवमानना याचिका नहीं,

बल्कि संविधान के अनुच्छेद 226 (उच्च न्यायालय) या अनुच्छेद 32 (सुप्रीम कोर्ट) के तहत याचिका दायर की जा सकती है।

निष्कर्ष:

सुप्रीम कोर्ट का यह महत्वपूर्ण निर्णय न्यायपालिका और विधायिका के बीच संविधान सम्मत सीमाओं को स्पष्ट करता है। न्यायालय यह तय कर सकती है कि कोई कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं, लेकिन वह विधायिका द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया को अवमानना मानकर दंड नहीं दे सकती। यह फैसला लोकतांत्रिक प्रणाली में तीनों अंगों के बीच संतुलन बनाए रखने और विधायी स्वतंत्रता की रक्षा करने की दिशा में एक अहम कदम है।

वकील-मुवक्किल विशेषाधिकार पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

सन्दर्भ:

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में स्पष्ट किया कि पुलिस या अभियोजन एजेंसियों द्वारा अधिवक्ताओं को समन जारी करना, सिर्फ इसलिए कि वे अपने मुवक्किल को कानूनी सलाह दे रहे हैं, कानून के मूलभूत सिद्धांतों और वकीलों के विशेषाधिकारों का उल्लंघन है। यह टिप्पणी उस समय आई जब गुजरात के एक अधिवक्ता को, अपने मुवक्किल को ऋण विवाद मामले में जमानत दिलवाने के कारण, पुलिस द्वारा समन भेजा गया था।

हालिया घटनाक्रम:

- 12 और 18 जून, 2025 को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं (अरविंद दातार और प्रताप वेणुगोपाल) को केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड के ESOP आवंटन मामले में समन भेजे गए। इससे वकीलों में व्यापक असंतोष उत्पन्न हुआ और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इसकी कड़ी आलोचना की।

अधिवक्ता-मुवक्किल संपर्क: एक विशेषाधिकार

- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Bharatiya Sakshya Adhiniyam - BSA), 2023 ने ले ली है। इस नए कानून की धारा 132 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अधिवक्ता और उनके मुवक्किल के बीच का संवाद गोपनीय है और उसे तीसरे पक्ष के समक्ष प्रकट नहीं किया जा सकता। यह गोपनीयता न केवल मौखिक, बल्कि लिखित और इलेक्ट्रॉनिक रूपों में भी लागू होती है।

हालाँकि, तीन अपवाद निर्धारित किए गए हैं:
  - » यदि मुवक्किल इस गोपनीयता को समाप्त करने की अनुमति देता है,
  - » यदि यह संप्रेषण किसी गैरकानूनी उद्देश्य से संबंधित हो,
  - » यदि अधिवक्ता को सेवा के दौरान कोई अपराध घटित होता हुआ दिखे।
- यह विशेषाधिकार केवल अधिवक्ताओं को प्राप्त है—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी या अन्य किसी पेशेवर को नहीं।

न्यायालयों की दिशा और विश्लेषण:

- भारत की विभिन्न उच्च न्यायालयों ने समय-समय पर स्पष्ट किया है कि अधिवक्ताओं को केवल कानूनी सलाह देने के आधार पर समन नहीं भेजा जा सकता।
  - » **ए. वी. पवित्रन बनाम सीबीआई (2024):** बॉम्बे हाईकोर्ट ने CBI द्वारा गोवा में अधिवक्ता पवित्रन को जारी समन को रद्द करते हुए कहा कि "once privileged, always privileged" (एक बार विशेषाधिकार प्राप्त हुआ, तो वह हमेशा लागू रहेगा)। अदालत ने यह भी कहा कि कोई भी अधिवक्ता अपने पेशेवर दायित्व के दौरान प्राप्त जानकारी को प्रकट नहीं कर सकता।
  - » **प्राम इन्फ्रा बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2025):** इसी प्रकार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने अधिवक्ता राहुल महेश्वरी को जारी समन को भी रद्द करते हुए कहा कि जब अधिवक्ता न तो आरोपी हो और न ही गवाह, तो इस प्रकार का समन देना अनुचित है।

निष्कर्ष:

एक न्यायिक प्रणाली, जहाँ वकील स्वतंत्र रूप से अपने मुवक्किल की रक्षा कर सकें, लोकतंत्र का एक अनिवार्य अंग है। यदि अधिवक्ताओं को

बार-बार समन या पूछताछ का सामना करना पड़े, तो इससे उनके पेशे की स्वतंत्रता, मुवक्किल की निजता और न्याय प्राप्त करने के अधिकार पर गहरी चोट पहुँचती है।

चुनाव आयोग ने 345 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की

संदर्भ:

भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने देश की राजनीतिक प्रणाली को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आयोग ने 345 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (Registered Unrecognised Political Parties - RUPP) को अपनी सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये वे पार्टियां हैं जिन्होंने लंबे समय से किसी भी चुनाव में हिस्सा नहीं लिया है और जिनके पंजीकरण के दौरान दिए गए पते या संपर्क विवरण अब सत्यापित नहीं हो पा रहे हैं।

रजिस्टर्ड अपंजीकृत राजनीतिक पार्टियां के बारे में:

- रजिस्टर्ड अपंजीकृत राजनीतिक पार्टियां वे राजनीतिक संगठन होते हैं जो 1951 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29A के अंतर्गत भारत के चुनाव आयोग के पास पंजीकृत तो होते हैं, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त नहीं होती।
- हालांकि इन राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त नहीं होतीं, फिर भी इन्हें कुछ विशेष सुविधाएं मिलती हैं, जैसे:
    - » मतदाता सूची तक पहुंच की सुविधा
    - » चंदे पर आयकर छूट
    - » अन्य लाभ, जिनका उद्देश्य लोकतांत्रिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना होता है।
- वर्तमान में देशभर में 2,800 से अधिक गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल पंजीकृत हैं। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में इनमें से कई पार्टियां या तो निष्क्रिय हो गई हैं या संपर्क से बाहर हैं, जिससे इनके दुरुपयोग और वास्तविक उपयोगिता को लेकर गंभीर सवाल सवाल उठे हैं।

इस कार्रवाई के मुख्य बिंदु:

- **देशव्यापी जांच:** चुनाव आयोग ने पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPPs) की व्यापक स्तर पर समीक्षा की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे न्यूनतम आवश्यकताओं का पालन कर रही हैं या नहीं। किसी पार्टी को सक्रिय माने जाने के लिए उसका लोकसभा, राज्य विधानसभा या उपचुनावों में कम से कम एक बार भाग लेना आवश्यक है।
- **हटाने के लिए निर्धारित मानदंड:** जिन 345 पार्टियों को सूची से हटाने के लिए चिन्हित किया गया है, वे दो प्रमुख शर्तें पूरी करती हैं:
    - » उन्होंने वर्ष 2019 से अब तक किसी भी चुनाव में भाग नहीं लिया है (लगभग छह वर्षों की अवधि)।
    - » इनके कार्यालय, पंजीकरण के समय दिए गए पते पर मौजूद नहीं पाए गए, अर्थात् इस संगठन का कोई पता नहीं हैं।
- **राज्यवार पहचान:** इन निष्क्रिय और अप्राप्य पार्टियों की पहचान विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से की गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह समस्या देशव्यापी है और किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है।
- **न्यायसंगत प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय:** यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी वास्तविक और सक्रिय पार्टी के साथ अन्याय न हो, आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) को निर्देश दिया है कि वे संबंधित पार्टियों को कारण बताओ नोटिस (शो-कॉज नोटिस) जारी करें। प्रत्येक पार्टी को अपना पक्ष रखने और सुनवाई में भाग लेने का पूरा अवसर दिया जाएगा। अंतिम निर्णय उनके उत्तर और प्रस्तुतियों के आधार पर ही लिया जाएगा।
- **इस कार्रवाई का उद्देश्य:** इस पूरी प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करना है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान केवल प्रारंभिक चरण है और आने वाले महीनों में शेष RUPPs की भी गहन जांच की जाएगी।

महत्त्व:

- यह पहल राजनीतिक दलों के पंजीकरण के दुरुपयोग को रोकने में सहायक होगी, विशेषकर उन मामलों में जहां पंजीकरण का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग या कर चोरी जैसी गतिविधियों के लिए किया जाता है।
- इससे मतदाता सूचियों और चुनाव संबंधी रिकॉर्ड की शुद्धता और विश्वसनीयता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
- यह सुनिश्चित करेगा कि केवल वे ही राजनीतिक दल सार्वजनिक संसाधनों, सुविधाओं और कानूनी लाभों का उपयोग कर सकें जो वास्तव में सक्रिय हैं और चुनावी प्रक्रिया में गंभीर भागीदारी रखते हैं।

निष्कर्ष:

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत जब कोई संगठन एक राजनीतिक

दल के रूप में पंजीकृत होता है, तो उसे कुछ विशेष अधिकार और सुविधाएं प्राप्त होती हैं। हालांकि, इन अधिकारों के साथ-साथ पारदर्शिता, जवाबदेही और सक्रिय भागीदारी जैसी ज़िम्मेदारियाँ भी आवश्यक होती हैं। पिछले वर्षों में कई रिपोर्टों में यह सामने आया है कि कुछ पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (RUPPs) केवल संदेहास्पद वित्तीय लेनदेन के माध्यम बनकर रह गए थे, जिनका वास्तविक चुनावी राजनीति से कोई लेना-देना नहीं था। चुनाव आयोग की यह कार्रवाई देश में एक साफ, निष्पक्ष और जिम्मेदार चुनावी प्रणाली के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इससे न केवल लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास सुदृढ़ होगा, बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बन सकेगी।

भारत में अंग प्रतिरोपण की कम संख्या

संदर्भः

19 जून को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट में देश के अंग प्रतिरोपण कार्यक्रम से जुड़ी गंभीर समस्याओं को रेखांकित किया गया है। यह रिपोर्ट नेशनल ऑर्गन एंड टिशू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइजेशन (NOTTO) द्वारा तैयार की गई है और इसमें सरकारी अस्पतालों में अंग प्रतिरोपण से संबंधित गतिविधियों की उच्च-स्तरीय समीक्षा शामिल है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

- **अंग प्रतिरोपण की संख्या बहुत कमः** देश में मानव अंगों की मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन प्रतिरोपण सेवाएं उस गति से विकसित नहीं हो पाई हैं।
  - » वर्ष 2023 में देशभर के सरकारी और निजी अस्पतालों में कुल मिलाकर केवल 13,476 गुर्दा प्रतिरोपण किए गए, जबकि हर साल करीब एक लाख गुर्दा प्रतिरोपण की आवश्यकता होती है।
  - » रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी अस्पतालों की मौजूदा क्षमता इस बढ़ती जरूरत को पूरा करने में सक्षम नहीं है। ऐसे में नए प्रतिरोपण केंद्रों की स्थापना और मौजूदा केंद्रों का विस्तार की आवश्यकता है।
- **सरकारी अस्पतालों में बुनियादी ढांचे की कमीः** इस क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती, उचित और समर्पित सुविधाओं का अभाव है।
  - » अधिकांश सरकारी अस्पतालों में अंग प्रतिरोपण के लिए अलग ऑपरेशन थियेटर और गहन चिकित्सा इकाई (Intensive Care Units-ICU) उपलब्ध नहीं हैं।
  - » ICU बेड विशेष रूप से उन मस्तिष्क-मृत दाताओं के लिए जरूरी होते हैं जिनसे अंग लिए जाने हैं, लेकिन ट्रॉमा सेंटरों में बेड पहले से ही पूरी तरह भरे रहते हैं। इससे समय पर अंगों की प्राप्ति में बाधा आती है और सफल प्रतिरोपण की संभावना कम हो जाती है।
  - » यहां तक कि एम्स जैसे प्रमुख संस्थानों में भी HLA (ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन) क्रॉस-मैचिंग के लिए अपनी प्रयोगशाला नहीं है। ऐसे में अस्पतालों को बाहरी प्रयोगशालाओं पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे प्रतिरोपण की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी होती है।
- **विशेषज्ञ स्टाफ की भारी कमीः** रिपोर्ट में यह प्रमुख चिंता जताई गई है कि अंग प्रतिरोपण से जुड़ी चिकित्सा सेवाओं में विशेषज्ञ डॉक्टरों और प्रशिक्षित स्टाफ की गंभीर कमी है।
  - » इसमें ट्रांसप्लांट सर्जन, नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट और इंटेंसिविस्ट जैसे विशेषज्ञ शामिल हैं।
  - » जहां ये विशेषज्ञ उपलब्ध भी होते हैं, वहां बार-बार होने वाले तबादले कार्यक्रमों की निरंतरता को बाधित करते हैं। इसका असर न केवल सेवाओं की गुणवत्ता पर पड़ता है, बल्कि नए विशेषज्ञों के प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी प्रभावित होती है।
- **मरीजों पर वित्तीय बोझः** अंग प्रतिरोपण के बाद की देखभाल, विशेषकर प्रतिरक्षा-रोधी (इम्यूनोसप्रेसिव) दवाओं का आजीवन सेवन, अत्यंत महंगा होता है।
  - » वर्तमान में अधिकांश सरकारी योजनाएं केवल प्रतिरोपण के पहले वर्ष तक ही आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं। इसके बाद मरीजों को दवाओं और नियमित जांचों का खर्च स्वयं वहन करना पड़ता है, जो कई लोगों के लिए बहुत भारी साबित होता है।
  - » कई अस्पतालों ने यह भी बताया है कि सीमित वित्तीय संसाधनों के चलते वे अपने प्रतिरोपण कार्यक्रम शुरू नहीं कर पा रहे हैं या पहले से चालू कार्यक्रमों को जारी रखना मुश्किल होता जा रहा है।

सिफारिशें:

- रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) का दायरा बढ़ाया जाए, ताकि इसमें लिवर और हृदय प्रतिरोपण को भी शामिल किया जा सके। इसके साथ ही, प्रतिरोपण के बाद आवश्यक इम्यूनोसप्रेसिव दवाओं की

आजीवन लागत को भी योजना के तहत कवर किया जाए। इससे विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी और प्रतिरोपण सेवाओं तक उनकी पहुंच बढ़ेगी।

- **अन्य प्रमुख सिफारिशें:**
  - » अधिक सरकारी अस्पतालों में समर्पित ट्रांसप्लांट यूनिट की स्थापना।
  - » ICU बेड और प्रयोगशाला सुविधाओं को बढ़ाना।
  - » सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में स्थायी, प्रशिक्षित और समर्पित विशेषज्ञों की टीम विकसित करना।

निष्कर्ष:

भारत का अंग प्रतिरोपण तंत्र कई संरचनात्मक और प्रणालीगत चुनौतियों से जूझ रहा है। बेहतर बुनियादी ढांचा, प्रशिक्षित स्टाफ की उपलब्धता और मरीजों को आर्थिक सुरक्षा देने जैसे कदमों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। एक समन्वित राष्ट्रीय प्रयास से ही प्रतिरोपण सेवाओं को प्रभावी और समावेशी बनाया जा सकता है, जिससे समय पर जीवनरक्षक अंगों की उपलब्धता सुनिश्चित हो और अधिक से अधिक लोगों की जान बचाई जा सके।

ध्रुव नीति

संदर्भ:

हाल ही में डाक विभाग (Department of Posts) ने एक महत्वपूर्ण नीति दस्तावेज़ ध्रुव (Digital Hub for Reference and Unique Virtual Address) जारी किया है। यह भारत में पते (addresses) के प्रबंधन और साझा करने के तरीके को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसका उद्देश्य एक राष्ट्रीय स्तर का डिजिटल पता डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) तैयार करना है।

ध्रुव (DHRUVA) नीति क्या है?

- ध्रुव नीति डिजीपिन (DIGIPIN) ढांचे पर आधारित है जो एक सुरक्षित, आपसी-संपर्क योग्य (interoperable) और सहमति-आधारित (consent-based) पता प्रणाली का ढांचा निर्धारित करती है।
- इसका लक्ष्य पते की जानकारी को आधार या UPI जैसी बुनियादी सार्वजनिक अवसंरचना (Public Infrastructure) के रूप में स्थापित करना है, जिससे सेवाओं की आसान और समावेशी डिलीवरी हो सके।

मुख्य विशेषताएं:

- **एड्रेस-एज़-ए-सर्विस (AaaS):** एक ऐसा मॉडल जिसमें पता डेटा एक सर्विस की तरह काम करेगा, जिसे सुरक्षित रूप से विभिन्न क्षेत्रों में साझा और उपयोग किया जा सकेगा।
- **उपयोगकर्ता की स्वायत्तता:** नागरिक अपने डिजिटल पते की जानकारी पर पूरा नियंत्रण रख सकेंगे, इसे कैसे और किसके साथ साझा करना है, यह वे तय करेंगे।
- **संपूर्ण क्षेत्रीय एकीकरण:** ध्रुव (DHRUVA) को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह सरकार, निजी कंपनियों और डिजिटल प्लेटफार्मों के बीच एकीकृत रूप से कार्य करे, जिससे सेवा डिलीवरी अधिक कुशल और एकसमान हो।
- इस प्रणाली का मूल आधार डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर (DIGIPIN) है - जो एक राष्ट्रीय एड्रेसिंग ग्रिड है।
- DIGIPIN एक संरचित और दिशा-आधारित नामकरण प्रणाली (directional naming pattern) द्वारा पते खोजने का आसान और तार्किक तरीका देता है। यह प्रणाली आम जनता के लिए निःशुल्क उपलब्ध होगी और भारत के भौगोलिक (geospatial) शासन के लक्ष्यों का समर्थन करेगी।

महत्व क्यों है?

- पते शासन, लॉजिस्टिक्स, वित्तीय समावेशन, ई-कॉमर्स और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। फिलहाल भारत में डिजिटल पते की कोई मानकीकृत प्रणाली नहीं है। ध्रुव इस कमी को दूर करते हुए एक राष्ट्रीय डिजिटल पता परत बनाएगा जिससे पता उपयोग की दक्षता, सटीकता और विश्वसनीयता बढ़ेगी।
- **नीति के लाभ:**
  - » सरकारी सेवाओं और कल्याण योजनाओं की तेज़ और सटीक डिलीवरी
  - » निजी क्षेत्र और ई-कॉमर्स के लिए बेहतर लॉजिस्टिक्स
  - » आपातकालीन और आपदा प्रतिक्रिया में सटीक स्थान जानकारी
  - » डिजिटल बैंकिंग सेवाओं में पहचान और वित्तीय समावेशन का समर्थन

निष्कर्ष:

डाक विभाग ध्रुव को एक सह-निर्मित (co-created) पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में देखता है, जिसमें मंत्रालयों, राज्य सरकारों, स्टार्टअप्स, लॉजिस्टिक्स कंपनियों और नागरिकों की भागीदारी होगी। लक्ष्य है कि यह प्रणाली उपयोगकर्ताओं की ज़रूरतों और तकनीकी विकास के साथ-

साथ विकसित होती रहे। यह नीति दस्तावेज़ सार्वजनिक सुझावों के लिए खोला गया है। सभी हितधारकों को इसमें योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे यह ढांचा और अधिक सुरक्षित, प्रासंगिक और जन-केंद्रित बन सके।

छत्तीसगढ़ होमस्टे नीति 2025-30

सन्दर्भ:

छत्तीसगढ़ सरकार ने साल 2025 से 2030 के लिए एक नई होमस्टे नीति को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और आदिवासी बहुल क्षेत्रों, विशेषकर माओवाद प्रभावित बस्तर संभाग में पर्यटन को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस नीति को स्वीकृति दी गई। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा बल नक्सल विरोधी अभियानों को सक्रिय रूप से अंजाम दे रहे हैं।

- बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्र छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विविधता, प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध आदिवासी विरासत के लिए प्रसिद्ध हैं। होमस्टे नीति के माध्यम से इन क्षेत्रों को न केवल घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाया जाएगा, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार और आय के नए अवसर भी प्राप्त होंगे।

स्थानीय जीवन और संस्कृति का अनुभव:

- सरकारी अधिकारियों के अनुसार, होमस्टे परियोजनाओं के माध्यम से पर्यटकों को ग्रामीण जीवन शैली, स्थानीय संस्कृति, आदिवासी कला, हस्तशिल्प और भोजन का प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा। स्थानीय कारीगर, कलाकार और किसान अपने उत्पादों और सेवाओं के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे जिससे 'वोकल फॉर लोकल' जैसे राष्ट्रीय अभियान को भी मजबूती मिलेगी।
- यह नीति न केवल आर्थिक विकास का साधन बनेगी, बल्कि सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक समझ को भी बढ़ावा देगी। बस्तर जैसे क्षेत्र, जो अब तक सुरक्षा और अविकास की छाया में रहे हैं, इस नीति के तहत पर्यटन मानचित्र पर उभरते हुए नजर आएंगे।

छत्तीसगढ़ होमस्टे परियोजनाओं के प्रमुख लाभ:

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लागू की गई होमस्टे नीति 2025–30 से जुड़े कई व्यापक और स्थायी लाभ हैं। ये लाभ राज्य के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय विकास से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। इसके मुख्य लाभ निम्नलिखित है:

- **ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों का आर्थिक सशक्तिकरण**
  - स्थानीय लोगों को आय के नए स्रोत मिलेंगे। वे अपने घरों को पर्यटकों के लिए किराए पर देकर अतिरिक्त कमाई कर सकेंगे।
  - महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे, जिससे पलायन में भी कमी आएगी।
- **पर्यटन को बढ़ावा**
  - राज्य के कम विकसित लेकिन सांस्कृतिक रूप से समृद्ध क्षेत्रों में पर्यटकों का आकर्षण बढ़ेगा।
  - यह नीति छत्तीसगढ़ को भारत के स्थायी और अनुभवात्मक पर्यटन मानचित्र पर लाएगी।
- **स्थानीय संस्कृति, कला और हस्तशिल्प का संरक्षण**
  - पर्यटक स्थानीय नृत्य, संगीत, व्यंजन, और कारीगरी का प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे, जिससे इन पारंपरिक विधाओं को संरक्षण मिलेगा।
  - लोकल उत्पादों की बिक्री बढ़ेगी, जिससे कारीगरों को आर्थिक लाभ होगा।
- **माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में शांति और विकास**
  - बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्र, विकास की मुख्य धारा से जुड़ेंगे, जिससे वहां के युवाओं को हिंसा की बजाय विकास से जुड़ने की प्रेरणा मिलेगी।
  - सरकार और आम जनता के बीच विश्वास निर्माण को बल मिलेगा।
- **सतत (Sustainable) पर्यटन**
  - होमस्टे मॉडल प्राकृतिक संसाधनों का सीमित उपयोग करता है और स्थानीय पारिस्थितिकी के अनुकूल होता है।
  - इससे बड़े होटल उद्योगों से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान से बचा जा सकता है।
- **'वोकल फॉर लोकल' को बल**
  - स्थानीय उत्पादों और सेवाओं को प्राथमिकता मिलने से आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।
  - यह नीति आत्मनिर्भर भारत अभियान के लक्ष्यों को भी मजबूती प्रदान करेगी।

निष्कर्ष:

छत्तीसगढ़ होमस्टे नीति 2025-30 एक दूरगामी सोच का परिणाम है, जो राज्य के पर्यटन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक समावेशन को नया आधार प्रदान करेगी। यह न केवल बस्तर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाएगी, बल्कि छत्तीसगढ़ को एक समावेशी और सतत विकास की राह पर अग्रसर करेगी।

“मीडिएशन फॉर नेशन” अभियान

सन्दर्भ:

भारत की न्यायपालिका पर लगातार बढ़ते मामलों का दबाव न केवल संस्थागत दक्षता को प्रभावित कर रहा है, बल्कि आम नागरिकों की न्याय तक पहुंच को भी चुनौतीपूर्ण बना रहा है। ऐसे में, 1 जुलाई 2025 से शुरू हो रहा “मीडिएशन फॉर नेशन” अभियान एक सराहनीय पहल है, जिसका उद्देश्य लंबित मामलों को मध्यस्थता के माध्यम से शीघ्र और सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाना है। यह अभियान 30 सितंबर 2025 तक चलेगा और इसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) तथा मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति (MCPC) द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा।

अभियान के उद्देश्य:

- इस अभियान का मूल उद्देश्य न्यायालयों में उपयुक्त लंबित मामलों की पहचान कर उन्हें मध्यस्थता के माध्यम से समाधान की दिशा में अग्रसर करना है। यह पहल देश की निचली अदालतों से लेकर उच्च न्यायालयों तक लागू की जाएगी। अभियान का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि आम जनता में यह विश्वास पैदा करना कि मध्यस्थता (मेडिएशन) एक प्रभावी, तेज, कम खर्चीली और भरोसेमंद विधिक उपाय है।

किन मामलों पर होगा ज़ोर?

- अभियान के तहत मध्यस्थता योग्य मामलों की श्रेणियों में वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावा, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, वाणिज्यिक विवाद, सेवा एवं उपभोक्ता मामले, साथ ही ऋण वसूली, संपत्ति संबंधी विवाद, बेदखली और भूमि अधिग्रहण जैसे कई सिविल मामले शामिल हैं।

अभियान का महत्व:

- **गवर्नेंस और न्यायिक सुधार:** यह अभियान वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र (ADR) के ज़रिए न्यायिक पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देगा। इससे न्याय प्रणाली का बोझ भी कम होगा।
- **सामाजिक लाभ:** आम नागरिकों को त्वरित, सम्मानजनक और आर्थिक रूप से किफायती समाधान मिल सकेगा, विशेषकर ग्रामीण और कमजोर वर्गों को।
- **नीतिगत प्रासंगिकता:** यह पहल नीति-निर्माताओं को यह संदेश देती है कि अदालतों के साथ-साथ मध्यस्थता जैसे वैकल्पिक साधनों का सशक्तिकरण आवश्यक है।

इस अभियान की आवश्यकता क्यों?

- भारत में न्यायिक प्रक्रिया अक्सर धीमी, तकनीकी और महंगी होती है। इससे आम जनता को न्याय मिलने में वर्षों लग जाते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार, देश की निचली अदालतों में 3 करोड़, उच्च न्यायालयों में 60 लाख और सुप्रीम कोर्ट में 70,000 से अधिक मामले लंबित हैं।
- इसके अतिरिक्त, छोटे-छोटे पारिवारिक या व्यावसायिक विवादों का समाधान पाने में आम व्यक्ति को भारी मानसिक, आर्थिक और सामाजिक तनाव झेलना पड़ता है। ऐसी स्थिति में मध्यस्थता एक कम खर्चीला, तनावमुक्त और संवाद-आधारित समाधान प्रदान करती है।
- **संविधानिक प्रासंगिकता:** भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A न्याय तक समान और सुलभ पहुंच की बात करता है। यह अभियान विशेषकर ग्रामीण, वंचित और कमजोर वर्गों के लिए एक प्रभावी औजार बन सकता है, जिससे वे बिना अधिक खर्च किए न्याय पा सकें।

निष्कर्ष:

- “मीडिएशन फॉर नेशन” एक व्यवहारिक, मानवीय और न्यायपूर्ण दृष्टिकोण है, जो भारत की न्यायिक व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम है। यह पहल न केवल अदालतों के बोझ को कम करेगी, बल्कि नागरिकों को समयबद्ध, सम्मानजनक और सहभागितापूर्ण न्याय प्रदान करने में भी सहायक सिद्ध होगी।

लद्दाख के लिए नए नियम

संदर्भ:

जून 2025 में भारत सरकार ने लद्दाख की लंबे समय से चली आ रही मांगों को ध्यान में रखते हुए पाँच नए नियम अधिसूचित किए। इन नियमों का उद्देश्य लद्दाख की विशेष सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करना, स्थानीय लोगों को नौकरियों में प्राथमिकता देना और शासन में उनकी भागीदारी बढ़ाना है। 2019 में लद्दाख को एक अलग केंद्रशासित प्रदेश बनाए जाने के बाद से संवैधानिक सुरक्षा की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन होते रहे हैं।

प्रमुख नियम:

- **लद्दाख सिविल सेवा विकेंद्रीकरण और भर्ती (संशोधन) नियम, 2025:** पहली बार सरकारी नौकरियों के लिए डोमिसाइल (स्थायी निवासी) होने की शर्त लागू की गई है। डोमिसाइल की परिभाषा इस प्रकार है:

» जो व्यक्ति लद्दाख में कम से कम 15 वर्ष से रह रहा हो,
» या जिसने लद्दाख में कम से कम 7 वर्ष तक पढ़ाई की हो और कक्षा 10 या 12 की परीक्षा लद्दाख से दी हो,
» या केंद्र सरकार का कर्मचारी हो और लद्दाख में कम से कम 10 साल की सेवा की हो (या उनके बच्चे)।

- **लद्दाख सिविल सेवा डोमिसाइल प्रमाणपत्र नियम, 2025:**
  » यह नियम डोमिसाइल प्रमाणपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया बताता है।
  » प्रमाणपत्र तहसीलदार द्वारा जारी किया जाएगा।
  » यदि किसी को आपत्ति हो, तो वह उपायुक्त के पास अपील कर सकता है।
  » आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है।
- **लद्दाख आरक्षण (संशोधन) नियम, 2025:** अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अन्य वर्गों के लिए आरक्षण बढ़ाकर कुल 85% कर दिया गया है (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अलग से 10% आरक्षित है)। यह आरक्षण पेशेवर संस्थानों जैसे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में लागू होगा।
- **लद्दाख राजकीय भाषाएँ नियम, 2025:** अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। साथ ही, शिना, ब्रोक्सकट, बल्ती और लद्दाखी भाषाओं को बढ़ावा देने की भी प्रतिबद्धता जताई गई है ताकि सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित किया जा सके।
- **लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (संशोधन) नियम, 2025:** लेह और कारगिल की विकास परिषदों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित की गई हैं, और यह आरक्षण चक्रीय प्रणाली के तहत लागू होगा।

पृष्ठभूमि और मांगें:

- अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग कर एक केंद्रशासित प्रदेश तो बना दिया गया, लेकिन इसकी अपनी विधानसभा नहीं है। इससे स्थानीय कानून बनाने की शक्ति नहीं मिली।
- स्थानीय संगठनों जैसे लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस ने छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा की मांग की है, जैसा कि पूर्वोत्तर के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिला हुआ है। इनका मानना है कि लद्दाख की नाजुक पारिस्थितिकी, परंपरागत आजीविका और जनजातीय संस्कृति की सुरक्षा के लिए ऐसी व्यवस्था आवश्यक है।
- 2024–2025 में सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल और बड़े पैमाने पर प्रदर्शन ने इन मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला दिया।

लद्दाख में नीतिगत बदलावों का अनावरण

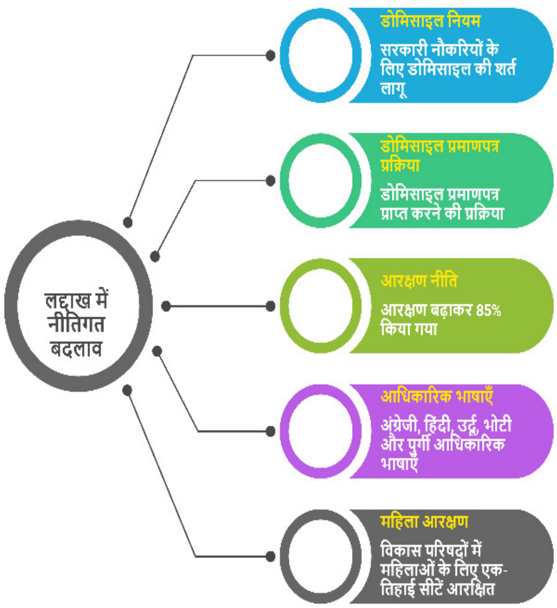

सीमाएँ और आलोचनाएँ:

- बाहरी लोगों के लिए भूमि खरीद पर कोई रोक नहीं, जिससे जनसंख्या और पारिस्थितिकी पर दबाव का खतरा है।
- अब भी लद्दाख में न तो विधानसभा है, न ही ऐसा कोई स्वायत्त निकाय जो कानून बना सके (जैसे छठी अनुसूची में होता है)।
- भाषायी संरक्षण अभी केवल प्रतीकात्मक हैं; प्रशासन या शिक्षा में स्थानीय भाषाओं को लागू करने की कोई ठोस योजना नहीं है।
- 15 वर्षों की डोमिसाइल अवधि को स्थानीय नेताओं ने बहुत कम बताया है, वे 30 वर्षों की मांग कर रहे हैं।

निष्कर्ष:

सरकार द्वारा घोषित ये नए नियम लद्दाख की जनता की आकांक्षाओं को मान्यता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। लेकिन जब तक संवैधानिक सुरक्षा और भूमि संरक्षण जैसे ठोस उपाय नहीं किए जाते, तब तक कई महत्वपूर्ण चिंताएं बनी रहेंगी। गृह मंत्रालय के साथ बातचीत के दौरान, लद्दाखी नेता अपनी क्षेत्रीय पहचान, पर्यावरण और भविष्य की सुरक्षा के लिए मजबूत कानूनी गारंटी की मांग को जारी रखेंगे।

3 अन्तर्राष्ट्रीय संबंध

ईरान-इज़राइल संघर्ष और मध्य एशिया क्षेत्र पर व्यापक प्रभाव: एक विश्लेषण

जून 2025 में, ईरान और इज़राइल के बीच 12 दिनों तक चला एक तीव्र लेकिन संक्षिप्त युद्ध हुआ। यह संघर्ष 13 जून को तब शुरू हुआ जब इज़राइल ने "ऑपरेशन राइजिंग लायन" नामक एक बड़ा सैन्य अभियान ईरान की परमाणु संरचनाओं और सैन्य नेतृत्व को लक्षित करते हुए शुरू किया। इज़राइल ने दावा किया कि उसके हमले ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए आवश्यक थे, जिसे इज़राइली खुफिया एजेंसियाँ तेजी से बढ़ता हुआ मान रही थीं। इन हमलों में कई महत्वपूर्ण ठिकाने और वरिष्ठ ईरानी सैन्य अधिकारी मारे गए। क्षति अत्यंत गंभीर थी:

» ईरान की मुख्य परमाणु सुविधाओं पर हमला किया गया
» हवाई रक्षा प्रणालियों के बड़े हिस्से नष्ट कर दिए गए
» 600 से अधिक लोग, जिनमें नागरिक भी शामिल थे, मारे गए

- इन भारी नुकसानों के बावजूद, ईरान ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। ईरानी सरकार ने शीघ्र ही वापसी की और इज़राइली शहरों और सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले शुरू कर दिए। इन हमलों ने इज़राइल की हवाई रक्षा में कमियाँ उजागर कीं और और अधिक हताहत हुए।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: सहयोग से शत्रुता तक:

- **1979 से पहले के संबंध:**
  » 1979 से पहले, ईरान और इज़राइल शत्रु नहीं थे। वास्तव में, ईरान 1948 में इज़राइल के निर्माण के बाद उसे मान्यता देने वाले पहले मुस्लिम बहुल देशों में से एक था।
  » तत्कालीन ईरानी शासक, शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी, इज़राइल के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखते थे। दोनों देशों ने व्यापार, विशेष रूप से तेल और खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान में सहयोग किया। इज़राइल, जो अरब विरोधी पड़ोसियों से घिरा था, ने "परिधि सिद्धांत" अपनाया, जिसके अंतर्गत उसने ईरान और तुर्की जैसे गैर-अरब देशों से गठजोड़ किया।
  » दोनों राष्ट्र अमेरिका के करीबी सहयोगी भी थे।
- **1979 की इस्लामी क्रांति:**
  » 1979 में जब शाह को अपदस्थ कर दिया गया और ईरान अयातुल्लाह खोमैनी के नेतृत्व में एक इस्लामी गणराज्य बन गया, तो परिस्थितियाँ पूरी तरह बदल गईं। नई सरकार ने इज़राइल को फ़लस्तीनी भूमि पर कब्जा करने वाला बताया और उसे "छोटा शैतान" कहा। अमेरिका को "बड़ा शैतान" कहा गया।

» ईरान ने लेबनान और फ़लस्तीन में सक्रिय इज़राइल विरोधी संगठनों का समर्थन करना शुरू किया और खुले तौर पर इज़राइली नीतियों का विरोध किया।

- **अप्रत्यक्ष या छद्म युद्ध:** हालाँकि 2025 तक ईरान और इज़राइल के बीच पूर्ण युद्ध नहीं हुआ था, परंतु वे लंबे समय से "अप्रत्यक्ष/छाया युद्ध" में संलग्न थे:
  » इज़राइल ने सीरिया में ईरानी समर्थित ठिकानों पर हवाई हमले किए ताकि हथियार हिज़बुल्ला तक न पहुँचें।
  » ईरान ने लेबनान में हिज़बुल्ला और गाज़ा में हमास जैसे संगठनों को धन और हथियार दिए।
  » 2010 में, स्टक्सनेट नामक एक वायरस से ईरान के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को बाधित किया गया। माना जाता है कि यह एक संयुक्त अमेरिकी-इज़राइली साइबर हमला था—जो औद्योगिक उपकरणों को निशाना बनाने वाला पहला ज्ञात साइबर हमला था।
- इन गतिविधियों ने पारस्परिक शत्रुता को और गहराया और 12-दिनों के युद्ध की नींव रखी।

संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमिका:

- संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रारंभ में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इज़राइल के अभियान का समर्थन किया और ईरान से "बिना शर्त आत्मसमर्पण" की माँग की। अमेरिकी बलों ने इज़राइल पर दागी गई कई मिसाइलों को रोकने में मदद की।
- लेकिन जब ईरान ने क़तर और इराक में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमले किए, तो अमेरिका को व्यापक युद्ध की आशंका सताने लगी। अमेरिका के नेतृत्व को इराक, लीबिया और अफगानिस्तान के लंबे युद्धों का अनुभव था, जिससे वह एक और लंबे संघर्ष में नहीं पड़ना चाहता था।
- आख़िरकार, अमेरिका ने इज़राइल के साथ मिलकर ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमले किए ताकि इज़राइल को पीछे हटने का मार्ग मिले, परंतु इसके तुरंत बाद उसने संघर्ष विराम के लिए दबाव बनाना शुरू किया। अमेरिकी दबाव के कारण इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को युद्ध समाप्त करना पड़ा, जबकि पहले उन्होंने ईरानी शासन को गिराने की बात कही थी।

- बाद में अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों ने आकलन किया कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही रुका था, वर्षों के लिए नहीं—यह सैन्य कार्रवाई की सीमाओं को दर्शाता है।

मध्य एशिया पर प्रभाव:

हालाँकि ईरान और इज़राइल मध्य एशिया के निकटतम पड़ोसी नहीं हैं, फिर भी इस संघर्ष के प्रभाव क्षेत्र में लहरों की तरह फैलते हैं, विशेषकर तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और कज़ाखस्तान जैसे देशों के लिए:

- **आर्थिक प्रभाव:** ईरान मध्य एशिया के व्यापार और ऊर्जा मार्गों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तुर्कमेनिस्तान ईरान को प्राकृतिक गैस बेचता है। कज़ाखस्तान और उज्बेकिस्तान ईरानी बंदरगाहों के माध्यम से निर्यात करते हैं। उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा, जो रूस, कज़ाखस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान को हिंद महासागर से जोड़ता है, एक रणनीतिक जीवनरेखा है। ईरानी बंदरगाहों (जैसे चाबहार) या लॉजिस्टिक ढाँचों को नुकसान पहुँचने से मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, निर्यात में देरी हो सकती है और पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्थाओं को झटका लग सकता है।
- **उड्डयन जोखिम:** ईरानी हवाई क्षेत्र मध्य एशिया से खाड़ी देशों की उड़ानों के लिए महत्वपूर्ण है। एयर अस्ताना और फ्लाईअरस्तान जैसी एयरलाइनों को ईरानी हवाई क्षेत्र से बचते हुए मार्ग बदलने पड़े

हैं, जिससे यात्रा समय और लागत दोनों बढ़े हैं।

- **सुरक्षा चिंताएँ:** ईरान ने धार्मिक संबंधों के माध्यम से मध्य एशिया में वैचारिक प्रभाव जमाने की कोशिश की है। ईरान द्वारा मध्य एशियाई नागरिकों को इज़राइल विरोधी गतिविधियों के लिए भर्ती करने की रिपोर्टें भी हैं। उदाहरणस्वरूप, 2024 में UAE में एक इज़राइली रब्बी की हत्या में ईरान से जुड़े उज्बेक नागरिकों का हाथ बताया गया। यह आर्थिक रूप से असुरक्षित युवा जनसंख्या वाले देशों में उग्रवाद के खतरे को उजागर करता है।
- **प्रवासन संकट:** यदि ईरान में अस्थिरता और बढ़ती है, तो शरणार्थियों की लहरें पूर्व की ओर मध्य एशिया में प्रवेश कर सकती हैं। ईरान से सटी ज़मीनी सीमा वाला तुर्कमेनिस्तान मानवीय और सुरक्षा संकट का सामना कर सकता है, जिसमें संसाधनों पर दबाव और सामाजिक तनाव शामिल हैं।

रणनीतिक संतुलन और विदेश नीति की दुविधा:

- ईरान-इज़राइल संघर्ष मध्य एशियाई देशों की संतुलनकारी रणनीतियों की परीक्षा ले रहा है। जहाँ एक ओर ईरान ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स के लिए आवश्यक है, वहीं इज़राइल को कृषि, साइबर सुरक्षा और जल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में पश्चिमी तकनीक के प्रवेश द्वार के रूप में देखा जा रहा है।
- क्षेत्रीय सरकारों ने अब तक सतर्क रुख अपनाया है। कज़ाखस्तान और उज्बेकिस्तान ने अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा चेतावनियाँ जारी की हैं, लेकिन ईरान की सीधी आलोचना से बचते रहे हैं, जिससे उनके ईरानी ट्रांजिट मार्गों और ऊर्जा आपूर्ति पर निर्भरता झलकती है। ये देश अपनी तटस्थता बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन यदि संघर्ष फिर शुरू होता है, तो उन्हें अपने सुरक्षा ढाँचे और कूटनीतिक समीकरणों की पुनः समीक्षा करनी पड़ सकती है।

राजनयिक समाधान की आवश्यकता:

- इस संघर्ष से सबसे स्पष्ट सीख यह है कि सैन्य कार्रवाई स्थायी समाधान नहीं ला सकती। भले ही बड़े हमले किए गए, लेकिन ईरान की परमाणु क्षमता केवल थोड़े समय के लिए ही रुकी, और क्षेत्र एक बड़े युद्ध के मुहाने तक पहुँच गया।
- राजनयिक सफलता के लिए कई कारक आवश्यक हैं:
  - ऐसी गंभीर वार्ताएँ जो इज़राइल की सुरक्षा चिंताओं और ईरान की आर्थिक राहत की माँगों दोनों को संबोधित करें।
  - ईरान के परमाणु कार्यक्रम की निगरानी और सत्यापन के लिए अंतरराष्ट्रीय गारंटी।
  - प्रॉक्सी संगठनों पर नियंत्रण जिनसे प्रतिशोध की हिंसा बढ़ती है।
  - संयुक्त राष्ट्र या क्षेत्रीय सुरक्षा मंचों के माध्यम से व्यापक क्षेत्रीय संवाद, जिससे टकराव के जोखिम को प्रबंधित किया जा सके।

निष्कर्ष:

ईरान-इज़राइल संघर्ष ने पश्चिम एशिया की सुरक्षा संरचना की नाजुकता को उजागर कर दिया है और यह भी दिखाया है कि मध्य एशिया जैसे दूरस्थ पड़ोसी भी युद्ध से सीधे प्रभावित होते हैं। अभी के लिए संघर्ष विराम लागू है, लेकिन स्थिति अत्यंत अस्थिर बनी हुई है। यदि खुले युद्ध की पुनरावृत्ति होती है, तो इससे व्यापार और नागरिक सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, साथ ही परमाणु अप्रसार के पहले से ही कमजोर मानकों को भी नुकसान पहुँच सकता है। दीर्घकालिक स्थिरता सैन्य हमलों या रणनीतिक विरामों पर नहीं, बल्कि निरंतर कूटनीति, क्षेत्रीय सहयोग और शांति के प्रति विश्वसनीय प्रतिबद्धता पर निर्भर करेगी। जब तक मूल समस्याओं को नहीं सुलझाया जाएगा, यह क्षेत्र संघर्ष के चक्र में फँसा रहेगा—जिसके प्रभाव इसकी सीमाओं से कहीं आगे तक महसूस किए जाएँगे।

विदेश नीति में कूटनीतिक कदम साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया तक भारत की रणनीतिक पहुंच

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में 15 से 19 जून 2025 तक साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया का महत्वपूर्ण तीन-देशीय दौरे पर रहे। यह दौरा भले ही भौगोलिक रूप से सीमित रहा हो, लेकिन रणनीतिक दृष्टिकोण और उद्देश्य की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण था। यात्रा के हर चरण में प्रतीकात्मकता और ठोस पहल का संतुलन था, जो वैश्विक कूटनीति में एक निर्णायक शक्ति के रूप में भारत की उभरती भूमिका को दर्शाता है। यह दौरा भारत की बढ़ती आकांक्षाओं को भूमध्यसागरीय क्षेत्र, ट्रांस-अटलांटिक पश्चिम और पूर्वी यूरोप में रणनीतिक हितों से जोड़ता है।

साइप्रस:

प्रधानमंत्री मोदी की 15–16 जून को साइप्रस यात्रा दो दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी।

कनाडा:

प्रधानमंत्री मोदी कनाडा के कनानास्किस G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे जो प्रधानमंत्री मोदी की लगातार छठी उपस्थिति थी।

क्रोएशिया:

यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी क्रोएशिया पहुंचे। 1992 में राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी।

उद्देश्य और व्यापक महत्व:

- इस यात्रा का उद्देश्य तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और भारत की रणनीतिक नींव को मज़बूत करना था:
  - » **साइप्रस और क्रोएशिया:** इंडिया-मिडल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEC) में संभावित साझेदार।
  - » **कनाडा:** G7 शिखर सम्मेलन के मंच के रूप में और एक संतुलित कूटनीतिक पुनर्संवाद की शुरुआत के तौर पर।
- यह दौरा भारत की विदेश नीति की परिपक्वता को दर्शाता है, जो अब केवल संतुलन बनाने से आगे बढ़कर वैश्विक विमर्श को आकार देने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभा रही है।

साइप्रस: भूमध्यसागरीय रणनीतिक आधार

प्रधानमंत्री मोदी की 15–16 जून को साइप्रस यात्रा दो दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। यह क्षेत्रीय रणनीतिक महत्व को पहचानते हुए भारत की गहरी भागीदारी के संकेत देता है।

- **भू-राजनीतिक संदेश:** भारत ने संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा के तहत द्वि-क्षेत्रीय और द्वि-समुदायीय संघीय व्यवस्था के प्रति अपना समर्थन दोहराया। इस रुख का साइप्रस ने स्वागत किया, और यह तुर्की को एक सूक्ष्म संदेश भी था, जो पाकिस्तान का करीबी सहयोगी है और OIC जैसे मंचों पर भारत की आलोचना करता है।
- **रणनीतिक सहयोग:** समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और नौसैनिक आदान-प्रदान को लेकर समझौते हुए, जो रणनीतिक साझेदारी की दिशा में संकेत करते हैं।
- **आर्थिक और कूटनीतिक महत्व:** साइप्रस ने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) का समर्थन दोहराया। यह देश दक्षिणी

यूरोप के लिए भारतीय निर्यात और वित्तीय सेवाओं का संभावित केंद्र बन सकता है।

- **सांस्कृतिक शक्ति और प्रवासी संबंध:** पीएम मोदी ने लिमासोल में भारतीय समुदाय को संबोधित किया और उनकी भूमिका की सराहना की। उन्हें साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया।

कनाडा: वैश्विक कूटनीति और संतुलित संवाद

प्रधानमंत्री मोदी कनाडा के कनानास्किस G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे जो प्रधानमंत्री मोदी की लगातार छठी उपस्थिति थी।

- **G7 मंच:** भारत भले ही G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन उसकी बढ़ती आर्थिक और कूटनीतिक भूमिका के चलते उसे स्थायी अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। पीएम मोदी ने निम्नलिखित विषयों पर भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया:
  - » AI का भरोसेमंद और नैतिक विनियमन
  - » क्वांटम तकनीक और उसके नैतिक पहलू
  - » ग्लोबल साउथ पर केंद्रित जलवायु वित्त
  - » ऊर्जा न्याय और लोकतांत्रिक मजबूती
- **कूटनीतिक संदेश:** यह यात्रा भारत-कनाडा के तनावपूर्ण संबंधों के एक वर्ष बाद हुई, जिसकी वजह खालिस्तानी अलगाववाद से जुड़ा मुद्दा था। हालांकि औपचारिक द्विपक्षीय बैठकें घोषित नहीं हुई, लेकिन पर्दे के पीछे संवाद सक्रिय रहा। भारत ने स्पष्ट संकेत दिया कि वह संवाद के लिए तैयार है लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा पर समझौता नहीं करेगा।
- **आर्थिक संवाद:** कनाडाई कंपनियों के साथ चर्चा में रणनीतिक खनिज, हरित हाइड्रोजन और शिक्षा के क्षेत्र शामिल रहे। इससे संकेत मिलता है कि भारत अपने हितों की रक्षा करते हुए सहयोग को तैयार है।

क्रोएशिया: पूर्वी यूरोप के लिए नया द्वार

यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी क्रोएशिया पहुंचे। 1992 में राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी।

- **भौगोलिक रणनीतिकता:** यूरोपीय संघ और नाटो का सदस्य क्रोएशिया एड्रियाटिक-बाल्कन कॉरिडोर में स्थित है। यह ट्रांस-यूरोपियन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क (TEN-T) जैसे मार्गों पर स्थित है और एड्रियाटिक बंदरगाहों तक पहुंच प्रदान करता है, जैसे रिएका, स्प्लिट और प्लोचे।
- **IMEC प्रासंगिकता:** क्रोएशिया IMEC के प्रमुख टर्मिनलों की मेजबानी के लिए उपयुक्त दावेदार है, जिससे भारत को मध्य और पूर्वी यूरोप में अपनी आर्थिक और लॉजिस्टिक उपस्थिति बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
- **द्विपक्षीय संबंध और व्यापार:**
  - » भारत ने 1992 में क्रोएशिया की स्वतंत्रता को मान्यता दी और संबंध तब से मैत्रीपूर्ण हैं।
  - » व्यापार 2017 के $199.45 मिलियन से बढ़कर 2023 में $337.68 मिलियन हो गया है।
  - » भारत क्रोएशिया को दवाइयां, मशीनरी, रसायन और वस्त्र निर्यात करता है, जबकि क्रोएशिया से रसायन, उपकरण, रबर और लकड़ी आयात करता है।
- **प्रौद्योगिकी और नवाचार:** प्रधानमंत्री प्लेनकोविच और राष्ट्रपति मिलानोविच के साथ डिजिटल नवाचार, समुद्री लॉजिस्टिक, तकनीक हस्तांतरण, पर्यटन और रक्षा सहयोग पर चर्चा हुई।
- **सांस्कृतिक संबंध:**
  - » प्रधानमंत्री मोदी को 1790 में क्रोएशियाई विद्वान फिलिप वेजडिन द्वारा लैटिन में लिखी गई पहली संस्कृत व्याकरण पुस्तक की पुनर्मुद्रित प्रति भेंट की गई।
  - » क्रोएशिया के विद्वानों ने गोवा के चर्च निर्माण सहित भारतीय संस्कृति में योगदान दिया है और भारतीय अध्ययन में निरंतर रुचि है।
- **रणनीतिक दृष्टिकोण:** भारत पश्चिमी यूरोप से आगे बढ़कर अब केंद्रीय और पूर्वी यूरोप पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यह पहल:
  - » बॉल्कन क्षेत्र में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) को संतुलित करने
  - » थ्री सीज़ इनिशिएटिव (3SI) देशों से जुड़ने
  - » संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता जैसी वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को समर्थन दिलाने की दिशा में है।

दौरे के रणनीतिक विषय:

इन तीनों देशों में यात्रा का एक समान सूत्र था, भारत की विदेश नीति का विकसित होता दृष्टिकोण, जो यथार्थवाद, दूरदृष्टि और प्रभाव निर्माण पर आधारित है।

- **भूमध्यसागरीय भागीदारी**
  - » साइप्रस पूर्वी भूमध्यसागर में भारत की मौजूदगी को मजबूती देता है, जिससे कूटनीतिक और समुद्री लाभ मिलता है।
  - » तुर्की और स्वेज नहर से जुड़े व्यापार मार्गों की रणनीतिक निकटता भी मूल्यवर्धन करती है।
- **पश्चिमी ब्लॉक के साथ नया संतुलन**
  - » कनाडा G7 मंच के ज़रिए भारत को तकनीकी नैतिकता,

जलवायु न्याय और वैश्विक शासन पर अपनी भूमिका बढ़ाने का अवसर देता है।
  - कूटनीतिक संयम से भारत की परिपक्व प्रतिक्रिया परिलक्षित होती है।
- **पूर्वी यूरोप की ओर ध्यान**
  - क्रोएशिया मध्य और पूर्वी यूरोप में भारत का प्रवेशद्वार है, जो भारतीय कूटनीति में प्रायः अनदेखा रहा है।
  - यह भारत की यूरोपीय भागीदारी को विविधतापूर्ण बनाता है, जो अब सिर्फ पेरिस, बर्लिन और ब्रुसेल्स तक सीमित नहीं है।
- **IMEC के साथ समन्वय**
  - साइप्रस और क्रोएशिया दोनों ही IMEC की सफलता के लिए अहम हैं, जो चीन के BRI का विकल्प है।
  - ये देश बंदरगाह पहुंच, व्यापार मार्ग और EU से जुड़े अवसर प्रदान करते हैं।
- **सभ्यतागत और सांस्कृतिक कूटनीति**
  - क्रोएशिया में संस्कृत विद्वत्ता और साइप्रस में प्रवासी संवाद जैसी सांस्कृतिक पहल भारत की सॉफ्ट पावर को दर्शाती हैं।
  - यह दीर्घकालीन जनसंपर्क और भारत की वैश्विक छवि को मजबूत करते हैं।

निष्कर्ष:

प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा रणनीतिक सोच और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से भरी रही। ऐसे समय में जब विश्व युद्ध, तकनीकी परिवर्तन और आर्थिक अस्थिरता से गुजर रहा है, भारत को एक संतुलित और भरोसेमंद शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। यह दौरा भारत की कूटनीतिक और रणनीतिक नींव में तीन नए केंद्र, साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया को जोड़ता है। जैसे-जैसे वैश्विक गठबंधन बदल रहे हैं और प्रभाव के नए गलियारे बन रहे हैं, भारत की विदेश नीति अब प्रतिक्रियाशील नहीं रही। यह उद्देश्यपूर्ण, दूरदर्शी और गहराई से जुड़ी हुई है। चाहे वह G7 में वैश्विक मानकों को आकार देना हो या भूमध्यसागर और बाल्कन क्षेत्रों में क्षेत्रीय संपर्क बनाना, भारत की पहलें अब ठोस और निर्णायक हैं। यह यात्रा भारत के एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में एक और अध्याय है। ऐसा राष्ट्र जो प्रभाव विस्तार बल प्रयोग से नहीं, बल्कि साझेदारी, दृष्टि और साझा विकास से करता है।

संक्षिप्त मुद्दे

गोल्डन डोम' मिसाइल रक्षा प्रणाली

संदर्भ:

अमेरिका द्वारा प्रस्तावित 'गोल्डन डोम' मिसाइल रक्षा प्रणाली को लेकर भूराजनीतिक बहस शुरू हो गई है। इसका कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ शर्तों के साथ' गोल्डन डोम' मिसाइल रक्षा प्रणाली को कनाडा को देने की पेशकश की है। इन शर्तों को लेकर कनाडा में यह चिंता बढ़ गई है कि इससे उनकी राष्ट्रीय संप्रभुता और अमेरिका के साथ द्विपक्षीय रिश्तों पर असर पड़ सकता है।

गोल्डन डोम रक्षा प्रणालियों के बारे में:

- गोल्डन डोम की कल्पना रूस, चीन, उत्तर कोरिया और ईरान जैसे देशों द्वारा उत्पन्न मिसाइल खतरों की उभरती प्रकृति की प्रतिक्रिया के रूप में की गई है।
- ICBM (अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल), हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन और पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइलों (SLBM) की बढ़ती सटीकता ने पारंपरिक मिसाइल रक्षा प्रणालियों को अपर्याप्त बना दिया है।
- **गोल्डन डोम के मुख्य उद्देश्यों में शामिल हैं:**
  - बूस्ट चरण के दौरान आईसीबीएम का तेजी से अवरोधन
  - वायुमंडल में पुनः प्रवेश से पहले हाइपरसोनिक प्रोजेक्टाइल का निष्प्रभावीकरण
  - उपग्रह नक्षत्रों का उपयोग करके वैश्विक, निरंतर निगरानी
  - तेजी से लक्ष्यीकरण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ स्वायत्त जुड़ाव प्रणाली

मौजूदा प्रणालियों के साथ तुलना:

- **आयरन डोम (इज़राइल)**
  - राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम द्वारा विकसित और 2011 से परिचालन में
  - ग्राउंड-आधारित रडार और तामिर इंटरसेप्टर का उपयोग करके कम दूरी की प्रणाली
  - गैर-राज्य अभिनेताओं से रॉकेट, मोर्टार और ड्रोन के खिलाफ प्रभावी
  - सीमित स्केलेबिलिटी के साथ स्थानीयकृत सुरक्षा

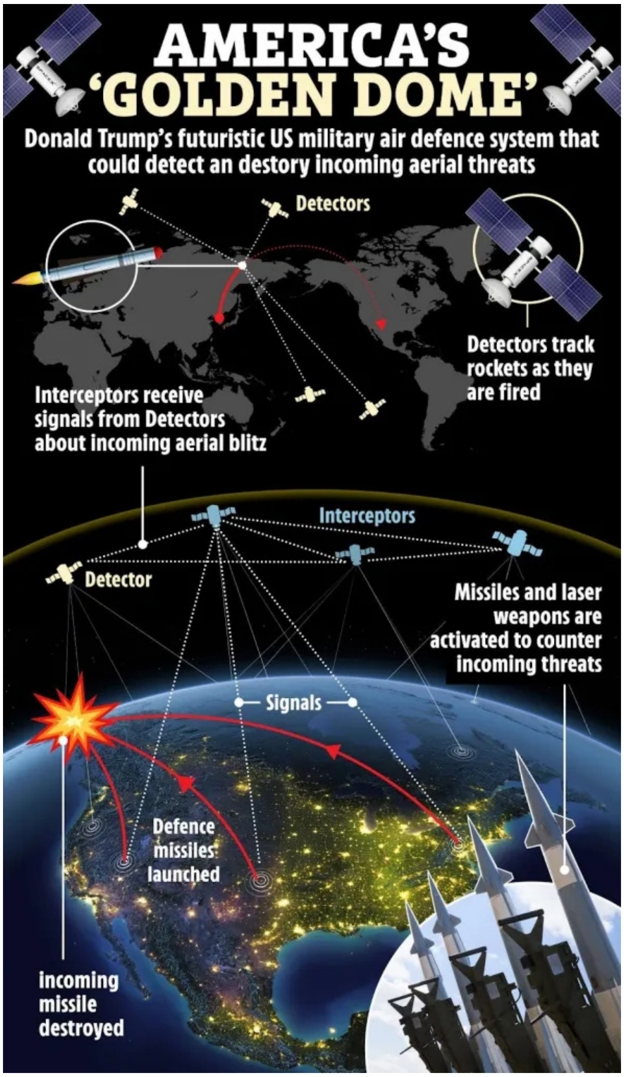

- **यू.एस. सिस्टम (वर्तमान)**
  - **ग्राउंड-आधारित मिडकोर्स डिफेंस (जीएमडी):** मिडकोर्स चरण में लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को लक्षित करता है; सीमित कवरेज
  - **एजिस बीएमडी:** एसएम-3 और एसएम-6 मिसाइलों का उपयोग करने वाले जहाज-आधारित इंटरसेप्टर
  - **थाड (टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस):** टर्मिनल डिसेंट चरण के दौरान मिसाइलों को निशाना बनाता है
  - **पैट्रियट सिस्टम:** कम दूरी के सामरिक खतरों के लिए डिज़ाइन किया गया
- इनमें से कोई भी सिस्टम वास्तविक समय, वैश्विक सुरक्षा या अंतरिक्ष-आधारित अवरोधन प्रदान नहीं करता है। गोल्डन डोम का उद्देश्य इन तरीकों को संश्लेषित करना और उनका स्थान लेना है।

स्पेस-बेस्ड इंटरसेप्शन घटक:

- ट्रंप का प्रस्ताव हजारों लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) उपग्रहों की तैनाती पर केंद्रित है, जो एक स्वायत्त पहचान और इंटरसेप्शन ग्रिड बनाएंगे। यह पहली बार होगा जब कक्षीय काइनेटिक या डायरेक्टेड-एनर्जी हथियारों का मिसाइल रक्षा के लिए संचालनात्मक उपयोग होगा।

मुख्य विशेषताएँ:

- **प्रारंभिक बूस्ट चरण लक्ष्यीकरण:** मिसाइलों को लॉन्च के दौरान इंटरसेप्ट करना आदर्श है, लेकिन तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण है क्योंकि इसमें बहुत कम समय और निकटता की आवश्यकता होती है।
- **एआई-सहायता प्राप्त लक्ष्यीकरण:** उपग्रह मशीन लर्निंग एल्गोरिद्म द्वारा समन्वय करेंगे ताकि खतरे की तेजी से पहचान हो सके।
- **डायरेक्टेड-एनर्जी हथियार (DEWs):** लेज़र या माइक्रोवेव-आधारित प्रणालियाँ विचाराधीन हैं, लेकिन अभी तक लड़ाई में उपयोग नहीं हुई हैं।
- **ऑर्बिटल स्थायित्व:** 24/7 वैश्विक कवरेज, रडार लाइन-ऑफ-साइट की सीमाओं को पार करता है।

विशेषता	आयरन डोम (इज़राइल)	गोल्डन डोम (प्रस्तावित, अमेरिका)
उद्देश्य	क्षेत्रीय मिसाइल रक्षा	वैश्विक मिसाइल रक्षा
तकनीकी आधार	रडार + ज़मीनी इंटरसेप्टर	एकीकृत रडार + अंतरिक्ष-आधारित प्रणाली
कवरेज	स्थानीय (इज़राइल)	राष्ट्रीय/वैश्विक (अमेरिका)
प्राथमिक खतरे	गैर-राष्ट्र अभिनेता (जैसे हिज़बुल्ला, हमास)	राष्ट्र जिनके पास ICBMs हैं (जैसे चीन, रूस)
अंतरिक्ष का उपयोग	नहीं	केंद्रीय घटक

निष्कर्ष:

कनाडा को अमेरिकी गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली में शामिल करने का प्रस्ताव सुरक्षा, संप्रभुता और कूटनीति के जटिल संबंधों को दर्शाता है। यह कार्यक्रम जहाँ एक ओर तकनीकी और रणनीतिक लाभ प्रदान करता है, वहीं कनाडा की भागीदारी से जुड़ी शर्तें गंभीर राजनीतिक और नैतिक चुनौतियाँ उत्पन्न करती हैं। इस प्रस्ताव का परिणाम भविष्य में रक्षा सहयोग के नए मॉडल को आकार दे सकता है और 21वीं सदी

की भूराजनीतिक परिस्थितियों में राष्ट्रीय गठबंधनों की परिभाषा को पुनः स्थापित कर सकता है।

रूस-भारत-चीन (RIC) त्रिपक्षीय प्रारूप पुनः सक्रिय

संदर्भ:

लगभग पाँच वर्षों के अंतराल के बाद रूस ने रूस-भारत-चीन (RIC) त्रिपक्षीय प्रारूप को पुनः सक्रिय करने की पहल की है। यह रणनीतिक संवाद वर्ष 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हुई झड़प के बाद से स्थगित पड़ा था।

रूस-भारत-चीन प्रारूप की पृष्ठभूमि और महत्व:

- रूस-भारत-चीन (RIC) त्रिपक्षीय प्रारूप की शुरुआत 1990 के दशक के अंत में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य तीनों देशों के बीच विदेश नीति, आर्थिक क्षेत्र और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों में सहयोग को बढ़ावा देना था।
- इस प्रारूप की स्थापना एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को प्रोत्साहित करने और पश्चिमी देशों के वर्चस्व का संतुलन बनाने के लिए की गई थी। अब तक इस मंच के अंतर्गत 20 से अधिक मंत्री-स्तरीय बैठकें हो चुकी हैं, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

रूस द्वारा RIC को पुनर्जीवित करने के कारण:

- **भारत-चीन तनावों में कमी:** रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने हाल ही में भारत और चीन के बीच सीमा तनावों में कमी आने की बात कही है, जिससे रूस-भारत-चीन संवाद के पुनः सक्रिय होने के लिए अनुकूल माहौल तैयार हुआ है।
- **पश्चिमी प्रभाव का मुकाबला:** रूस, नाटो और क्वाड जैसे पश्चिमी गठबंधनों के बढ़ते प्रभाव को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा मानता है। RIC एक ऐसा मंच हो सकता है जो इन बाहरी दबावों का सामूहिक रूप से सामना कर सके।
- **यूरेशिया में सुरक्षा संरचना को सुदृढ़ करना:** रूस RIC के माध्यम से "यूरेशिया क्षेत्र में समान और न्यायसंगत सुरक्षा एवं सहयोग प्रणाली" स्थापित करना चाहता है, जो उसकी बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की रणनीति का अहम हिस्सा है।

RIC की चुनौतियाँ:

- **भारत-चीन सीमा विवाद:** सीमा से जुड़े कई मुद्दे अभी भी पूरी तरह सुलझाए नहीं गए हैं। दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी RIC की प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकती है।
- **भारत की रणनीतिक प्राथमिकताएँ:** भारत की क्वाड में भागीदारी और पश्चिमी देशों के साथ उसके गहरे होते संबंध यह दर्शाते हैं कि वह अपनी विदेश नीति में संतुलन बनाए हुए है, जिससे उसके लिए कूटनीतिक रूप से चुनौतियाँ खड़ी हो सकती हैं।
- **रूस-चीन समीपता:** रूस की चीन के साथ बढ़ती निकटता भारत में इस बात को लेकर चिंता पैदा कर सकती है कि क्या RIC मंच निष्पक्ष रहेगा या नहीं।

प्रभाव और भविष्य की संभावनाएँ:

- RIC प्रारूप का पुनर्जीवन क्षेत्रीय सहयोग और वैश्विक राजनीति दोनों पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। हाल ही में भारत और चीन के बीच रिश्तों में आई सकारात्मकता इसे एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है, लेकिन इस प्रारूप को सफल बनाने के लिए अनेक चुनौतियों को पार करना आवश्यक होगा।
- इस त्रिपक्षीय पहल की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि तीनों देश जटिल भू-राजनीतिक परिस्थितियों को किस प्रकार प्रबंधित करते हैं और क्या वे अपने साझा हितों को सर्वोपरि रख पाते हैं।

निष्कर्ष:

रूस द्वारा RIC प्रारूप को पुनर्जीवित करने का प्रयास क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने और पश्चिमी प्रभाव का संतुलन बनाए रखने की उसकी रणनीतिक सोच को दर्शाता है। यदि भविष्य में तीनों देश अपने मतभेदों को पीछे छोड़कर साझा हितों को प्राथमिकता दें और मिलकर काम करें, तो यह पहल क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोग को एक नई दिशा प्रदान कर सकती है।

चीन ने मध्यस्थता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन (IOMed) की शुरुआत की

संदर्भः

चीन ने आधिकारिक तौर पर मध्यस्थता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन (IOMed) नामक एक नया अंतर्राष्ट्रीय कानूनी निकाय शुरू किया है। इसका उद्देश्य विवादों को सुलझाने के लिए एक शांतिपूर्ण, संवाद-आधारित तरीका प्रस्तुत करना है तथा स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) और स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (PCA) जैसी पारंपरिक संस्थाओं के विकल्प के रूप में स्थापित करना है।

आईओमेड के बारे में:

- आईओमेड को चीन के सरकारी मीडिया द्वारा दुनिया का पहला अंतर-सरकारी अंतरराष्ट्रीय कानूनी संगठन बताया गया है जो केवल मध्यस्थता पर ध्यान केंद्रित करता है।
- अदालतों या मध्यस्थता पैनलों के विपरीत, यह बाध्यकारी निर्णय जारी नहीं करता है, बल्कि पक्षों को चर्चा और समझौते के माध्यम से समझौते तक पहुंचने में मदद करता है।
- चीन का कहना है कि यह संगठन वैश्विक विवाद समाधान प्रणाली में एक "महत्वपूर्ण खालीपन" को भरता है।
- इसका मुख्यालय हांगकांग में होगा।

सदस्य कौन हैं?

- हांगकांग में आयोजित एक उच्च स्तरीय समारोह में 30 से अधिक देशों ने चीन के साथ मिलकर IOMed के संस्थापक सदस्य के रूप में भाग लिया। इनमें शामिल हैं:
  - » इंडोनेशिया
  - » पाकिस्तान
  - » बेलारूस
  - » क्यूबा
  - » कंबोडिया
- इसके अलावा, 50 से अधिक देशों और 20 अंतरराष्ट्रीय संगठनों (जैसे संयुक्त राष्ट्र) के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया।

IOMed का क्या कार्य होगा?

- यह संगठन विभिन्न प्रकार के विवादों को सुलझाने का प्रयास करेगा, जैसे:
  - » देशों के बीच विवाद
  - » किसी देश और विदेशी नागरिकों के बीच मतभेद
  - » अंतरराष्ट्रीय व्यापार या कॉर्पोरेट विवाद
- इसका उद्देश्य लचीला और टकराव रहित समाधान देना है, ताकि पारंपरिक "जीत-हार" वाले दृष्टिकोण से हटकर संवाद-आधारित समाधान को बढ़ावा मिल सके।

WHAT IS IOMed

PURPOSE:

To mediate state-to-state disputes through non-oercive dialogue rather than binding rules

HOW IT DIFFERS:

SCO	Open to democratic and non-authoritarian states
EU	Involves smaller nations outside Western alliances
UN	An alternative to playing by UN-defined rules
G7	Broadly inclusive, Global South-friendly grouping
BRICS	Non-economic functions take center stage

© 2025 US–CHINA Reader – Shahid Hussain Soomro

अन्य प्रमुख विवाद समाधान संस्थाएं:

- **अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ):**
  - » यह संयुक्त राष्ट्र की मुख्य न्यायिक संस्था है, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी।
  - » इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड्स में है।
  - » यह देशों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करता है और संयुक्त राष्ट्र को कानूनी राय देता है।
- **स्थायी पंचाट न्यायालय (PCA):**
  - » इसकी स्थापना 1899 में हुई थी।
  - » यह पहली सरकारी अंतरराष्ट्रीय संस्था थी जो पंचाट के माध्यम से विवाद सुलझाने के लिए बनाई गई।

» इसका मुख्यालय भी हेग में है।
» यह देशों, निजी पक्षों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बीच विवाद निपटाने में सहायता करता है।

चीन का कूटनीतिक संदेश:

- IOMed चीन के उस विचार को दर्शाता है कि संवाद और सहमति से विवाद सुलझाए जाने चाहिए, न कि टकराव से।
- यह पहल चीन की “zero-sum mindset” (जहां एक की जीत, दूसरे की हार मानी जाती है) से हटने की सोच को दर्शाती है।
- IOMed के माध्यम से चीन विकासशील देशों में अपना वैश्विक प्रभाव बढ़ाना चाहता है।
- यह पहल चीन की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत वह अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में ग्लोबल साउथ की आवाज को मज़बूत करना चाहता है।

मुख्य चिंताएं:

- **पक्षपात का डर:** चूंकि यह संगठन चीन द्वारा शुरू किया गया है, कई विशेषज्ञ इसकी निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं।
- **पारदर्शिता की कमी:** यह अभी स्पष्ट नहीं है कि संगठन कैसे काम करेगा, कौन मध्यस्थ होंगे, और विवादों का निपटारा कैसे किया जाएगा।
- **राजनीतिक माहौल:** हाल के वर्षों में हांगकांग की राजनीति में आए बदलावों के कारण, वहां स्थित किसी भी संस्था की स्वतंत्रता को लेकर चिंता जताई जा रही है।

निष्कर्ष:

आईओमेड का शुभारंभ मुकदमेबाजी या मध्यस्थता पर मध्यस्थता को बढ़ावा देकर वैश्विक विवाद समाधान को नया रूप देने के चीन के प्रयास को दर्शाता है। हालांकि यह संवाद-आधारित संघर्ष समाधान की ओर बदलाव का संकेत देता है, लेकिन संगठन की दीर्घकालिक विश्वसनीयता और प्रभावशीलता पारदर्शिता, तटस्थता और अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति पर निर्भर करेगी।

पेराग्वे राष्ट्रपति की भारत यात्रा

संदर्भ:

हाल ही में पेराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पेलासियोज़ 2 से 4 जून, 2025 तक भारत की तीन दिवसीय राजकीय यात्रा पर रहे। यह पेराग्वे के किसी राष्ट्राध्यक्ष की दूसरी भारत यात्रा है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- **स्वच्छ ऊर्जा और तकनीक में सेतु निर्माण:**
  » इस यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि भारत और पेराग्वे ने हरित हाइड्रोजन और जैव ईंधन (बायोफ्यूल) के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने का निर्णय लिया।
  » पेराग्वे के पास विशाल जलविद्युत संसाधन हैं, जबकि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग में वैश्विक अग्रणी है।
  » दोनों देश मिलकर निम्न-कार्बन भविष्य की दिशा में काम करने के लिए स्वाभाविक साझेदार हैं।
  » संबंधों को औपचारिक रूप देने के लिए, दोनों देशों ने एक संयुक्त आयोग तंत्र (Joint Commission Mechanism) स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। यह मंच नियमित संवाद और सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान के लिए कार्य करेगा।

- **वैश्विक मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण:** भारत और पेराग्वे कई वैश्विक विषयों पर समान सोच रखते हैं, जैसे:
  » आतंकवाद और साइबर अपराध, नशीली दवाओं की तस्करी जैसे अंतरराष्ट्रीय खतरों का मुकाबला
  » जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण
  » संयुक्त राष्ट्र सहित वैश्विक संस्थानों में सुधार की आवश्यकता
- **आर्थिक और व्यापारिक सहयोग का विस्तार:**
  » पेराग्वे लैटिन अमेरिका में भारत का उभरता हुआ महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार बन रहा है।

» भारत की ऑटोमोबाइल और दवा कंपनियों की पेराग्वे में मौजूदगी बढ़ रही है, वहीं पेराग्वे की कंपनियां भी भारत में सक्रिय हो रही हैं।
» कृषि तकनीक, स्वच्छ ऊर्जा, आधारभूत संरचना और उन्नत निर्माण (Advanced Manufacturing) जैसे क्षेत्रों में व्यापार बढ़ाने की संभावनाएं जताई गईं।

पेराग्वे: एक संक्षिप्त परिचय

- **स्थान:** दक्षिण अमेरिका का एक स्थल-रुद्ध (Landlocked) देश, जिसकी सीमाएँ बोलीविया, ब्राज़ील और अर्जेंटीना से लगती हैं।
- **राजधानी:** असुन्सियोन (Asunción), जो पेराग्वे नदी के किनारे स्थित है।

प्रमुख भौगोलिक विशेषताएँ:

- पेराग्वे नदी देश को दो भागों में बाँटती है:
  - **पूर्वी क्षेत्र (Región Oriental):** उपजाऊ, अधिक वर्षा वाला और घनी आबादी वाला।
  - **पश्चिमी क्षेत्र (चाको बोरेल):** गर्म, शुष्क और कम जनसंख्या वाला।
- **नदी-तंत्र:** पेराग्वे, पराना, पिलकोमायो और अपा नदियाँ।
- **झीलें और घाटियाँ:** यपकाराई और यपोआ झीलें प्रसिद्ध हैं।
- **पहाड़ियाँ:** अमंबाय, म्बराकायू और सैन राफाएल पर्वतमालाएँ।
- **जलवायु:** पूर्वी भाग में आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु (1,400–1,650 मिमी वर्षा), जबकि पश्चिम में अर्ध-शुष्क (लगभग 760 मिमी वर्षा)।
- **ऊर्जा:** पेराग्वे दुनिया के शीर्ष जलविद्युत निर्यातक देशों में है जो भारत के हरित ऊर्जा लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष:

राष्ट्रपति पेना की यह यात्रा भारत-पेराग्वे संबंधों के लिए महत्तवपूर्ण है। राजनीतिक इच्छाशक्ति, वैश्विक मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण और आर्थिक तालमेल के चलते यह साझेदारी बहुआयामी रूप ले रही है। स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल विकास और रणनीतिक व्यापार पर केंद्रित सहयोग के साथ, दोनों देश आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय मंचों पर महत्वपूर्ण साझेदार बनकर उभर सकते हैं।

वियतनाम 'साझेदार देश' के रूप में ब्रिक्स में शामिल

संदर्भ:

वियतनाम अब आधिकारिक रूप से BRICS समूह में "साझेदार देश" (Partner Country) के रूप में शामिल हो गया है। यह उसकी वैश्विक कूटनीति और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। "साझेदार देश" की यह नई श्रेणी 2024 में रूस के कज़ान में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य बिना पूर्ण सदस्यता के अन्य देशों के साथ सहयोग को बढ़ाना है।

साझेदार देश का दर्जा:

- वियतनाम इस श्रेणी में आधिकारिक रूप से शामिल होने वाला 10वां देश बन गया है। वर्तमान में ब्रिक्स के साझेदार देशों की सूची इस प्रकार है:
  - वियतनाम
  - बेलारूस
  - बोलीविया
  - कज़ाकिस्तान
  - क्यूबा
  - मलेशिया
  - नाइजीरिया
  - थाईलैंड
  - युगांडा
  - उज्बेकिस्तान
- इस मॉडल के तहत ब्रिक्स उन देशों के साथ आर्थिक विकास, दक्षिण-दक्षिण सहयोग, वित्तीय सुधार और बहुध्रुवीय कूटनीति जैसे साझा उद्देश्यों पर मिलकर काम कर सकता है, जिन्हें फिलहाल समूह के निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया है।

वियतनाम को क्या लाभ होंगे?

- **बाजार तक पहुंच:** ब्रिक्स देशों के साथ संबंध मजबूत होने से व्यापार और निवेश के नए अवसर मिल सकते हैं।
- **विकास सहयोग:** वियतनाम 'न्यू डेवलपमेंट बैंक' (NDB) जैसे संस्थानों से विकास के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकेगा।
- **तकनीक और बुनियादी ढांचा:** डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, अक्षय ऊर्जा और परिवहन जैसे क्षेत्रों में साझेदारी के मौके मिलेंगे।
- **राजनयिक प्रभाव:** वैश्विक संस्थाओं में अपनी आवाज और भूमिका को मज़बूत कर सकेगा।

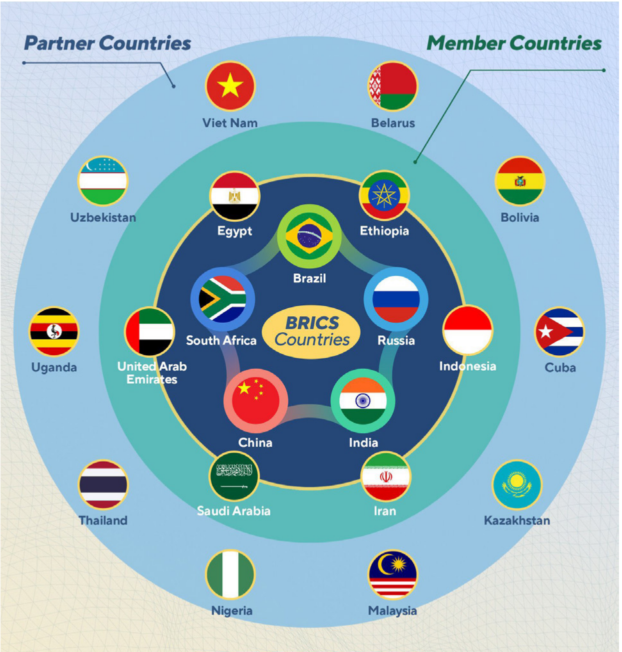

ब्रिक्स के बारे में:

- ब्रिक्स का मतलब "ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका" है। इस समूह की शुरुआत "BRIC" (दक्षिण अफ्रीका के बिना) नाम से 2006 में हुई थी और पहला शिखर सम्मेलन 2009 में रूस में हुआ था।
- दक्षिण अफ्रीका 2010 में जुड़ा, जिससे यह "BRICS" बन गया।
- **सदस्य देश:**
  - » **प्रारंभिक 5 सदस्य:** ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका
  - » **नए सदस्य (ब्रिक्स +):** मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात (UAE)
- **ब्रिक्स का महत्व:**
  - » **जनसंख्या:** दुनिया की 45% आबादी ब्रिक्स देशों में रहती है।
  - » **सकल घरेलू उत्पाद (GDP):** विश्व सकल घरेलू उत्पाद में इस समूह का योगदान 37.3% है, जो यूरोपीय संघ के 14.5% और जी7 के 29.3% से अधिक है।
- **मुख्य उद्देश्य:**
  - » **सहयोग को बढ़ावा देना:** आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाना।
  - » **वैश्विक संरचना को चुनौती:** एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देना और वर्तमान वैश्विक शासन प्रणाली को संतुलित करना।

निष्कर्ष:

वियतनाम का ब्रिक्स में 'साझेदार देश' के रूप में शामिल होना दोनों पक्षों के साझा हितों का एक रणनीतिक मेल है। यह ब्रिक्स के लिए आर्थिक विविधता और भू-राजनीतिक संतुलन को बढ़ाता है, जबकि वियतनाम को वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति सुदृढ़ करने का एक नया अवसर प्रदान करता है। बदलते वैश्विक परिदृश्य में, जहां दुनिया बहुध्रुवीयता की ओर अग्रसर है, वियतनाम की संतुलित विदेश नीति और सक्रिय बहुपक्षीय रुख उन देशों के लिए एक आदर्श बन सकता है, जो वैश्विक व्यवस्था में अपनी प्रभावी भूमिका तलाश रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस यात्रा

संदर्भ:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की साइप्रस यात्रा भारत की पूर्वी भूमध्यसागर क्षेत्र के साथ विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है। यह बीते दो दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है और इसके राजनयिक, रणनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से दूरगामी प्रभाव हैं।

यात्रा की मुख्य बातें:

- यह पिछले चार दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस की केवल तीसरी यात्रा है—इससे पहले इंदिरा गांधी (1982) और अटल बिहारी वाजपेयी (2002) गए थे। प्रधानमंत्री मोदी की यह पहल द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ संबंध को दर्शाता है और भारत की कूटनीतिक प्राथमिकताओं में साइप्रस को एक विशेष स्थान देता है।

तुर्की और पाकिस्तान को भू-राजनीतिक संदेश:

- यह यात्रा उस समय और भी रणनीतिक महत्व रखती है जब हाल ही में अप्रैल 22 को हुए पहलगाम आतंकी हमले और 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया।
- इसके विपरीत, साइप्रस ने इस आतंकी घटना की निंदा की और यूरोपीय संघ के मंचों पर इस मुद्दे को उठाने का वादा किया।
- निकोसिया में मोदी की उपस्थिति तुर्की के प्रभाव को संतुलित करने और उत्तरी साइप्रस को लेकर साइप्रस के साथ एकजुटता जताने के रूप में देखी जा सकती है।

साइप्रस का भारत के लिए महत्व:

- हालाँकि साइप्रस एशिया में स्थित है, यह यूरोपीय संघ (EU) का सदस्य है। तुर्की, सीरिया और मध्य पूर्व के नज़दीक इसका रणनीतिक स्थान भारत के यूरोपीय बाज़ारों तक पहुँचने की महत्वाकांक्षाओं के

लिए अहम है।

- साइप्रस की सबसे बड़ी वित्तीय संस्थाओं में से एक यूरोबैंक द्वारा मुंबई में कार्यालय खोलना बढ़ते वित्तीय और वाणिज्यिक सहयोग का संकेत है।
- **इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEC):** इस प्रस्तावित गलियारे में साइप्रस एक अहम हिस्सा है, जो एशिया और यूरोप के बीच व्यापार और संपर्क को मज़बूत करने का लक्ष्य रखता है। मोदी की यात्रा साइप्रस की इस परियोजना में भूमिका को स्थिर और मज़बूत बनाने की दिशा में है, जिससे भारत को समुद्री और लॉजिस्टिक पहुँच में एक स्थायी साझेदार मिल सकता है।

- **भारत-ईयू वार्ताओं को समर्थन:** 2026 में साइप्रस यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता करेगा। भारत, जो 2025 के अंत तक ईयू के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को अंतिम रूप देना चाहता है, के लिए साइप्रस एक रणनीतिक सहयोगी बन सकता है।
- **ऊर्जा और प्राकृतिक गैस सहयोग:** साइप्रस पूर्वी भूमध्यसागर में समुद्र के अंदर प्राकृतिक गैस की खोज में सक्रिय है, जहाँ तुर्की की सैन्य गतिविधियाँ और दावे बने हुए हैं। ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने की दिशा में भारत साइप्रस को एक संभावित साझेदार के रूप में देखता है।
- **निवेश और कर-व्यवस्था:** साइप्रस भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और दोनों देशों के बीच दोहरा कराधान निषेध समझौता (DTAA) है, जिससे वित्तीय लेन-देन सुगम होता है।

"ऑर्डर ऑफ माकारियॉस III" का ग्रैंड क्रॉस सम्मान:

- भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को इस यात्रा के दौरान "ऑर्डर ऑफ माकारियॉस III" का ग्रैंड क्रॉस सम्मान प्रदान किया गया, जो साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान विश्व नेताओं को राजनयिक, शांति और मानव मूल्यों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है।

निष्कर्ष:

भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस यात्रा केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि यह छोटे लेकिन रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण देशों तक भारत की पहुंच को दर्शाती है। यह तुर्की-पाकिस्तान गठजोड़ के प्रति भारत की असहमति को दर्शाती है और साइप्रस को भारत की यूरोपीय और भूमध्यसागरीय रणनीति में एक अहम भागीदार के रूप में स्थापित करती है।

भारत ने परमाणु हथियारों की संख्या में पाकिस्तान को पीछे छोड़ा

संदर्भ:

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की वर्ष 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने परमाणु हथियारों की कुल संख्या के मामले में पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि, इस क्षेत्र में चीन अब भी दोनों देशों से काफी आगे है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

- सिपरी (SIPRI) के अनुमान के अनुसार जनवरी 2025 तक:
  - भारत: 180 संग्रहित परमाणु हथियार
  - पाकिस्तान: 170 संग्रहित परमाणु हथियार
  - चीन: 600 परमाणु हथियार (इनमें से 24 तैनात हैं)
- यह पहली बार है जब भारत परमाणु हथियारों की होड़ में पाकिस्तान से आगे निकला है। हालांकि चीन की ताकत भारत से तीन गुना से भी अधिक है।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने 2024 में अपने परमाणु हथियारों की संख्या में कुछ वृद्धि की है, विशेष रूप से 'कैनिस्टरयुक्त मिसाइलों' के क्षेत्र में परमाणु हथियार ले जाने वाले नए प्रणालियों के विकास में उल्लेखनीय प्रगति की है।
  - ये मिसाइलें तेज़ी से तैनात की जा सकती हैं और इनमें पहले से परमाणु हथियार जुड़े होते हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि

भारत की पारंपरिक नीति (जिसमें परमाणु हथियार अलग से संग्रहित किए जाते थे) में संभावित बदलाव आ रहा है।

- सिपरी (SIPRI) का मानना है कि यह परिवर्तन भारत की परमाणु नीति में एक महत्वपूर्ण सिद्धांतगत (doctrinal) बदलाव हो सकता है, जो अब केवल पाकिस्तान तक सीमित न रहकर चीन को भी प्रभावी ढंग से रोकने पर केंद्रित होती जा रही है।
- भारत की परमाणु क्षमता अब एक सुदृढ़ न्यूक्लियर ट्रायड के अंतर्गत संचालित हो रही है, जिसमें शामिल हैं:
  - » ज़मीन से मार करने वाली मिसाइलें
  - » परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम लड़ाकू विमान
  - » परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बियाँ, जो समुद्र से प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करती हैं।

WORLD NUCLEAR FORCES, 2025

Country	Stored Warheads	Military Stockpile	Retired Warheads	Total Inventory
US	1,930	3,708	1,620	5,328
Russia	2,591	4,380	1,200	5,580
UK	105	225	--	225
France	10	290	--	290
China	576	500	--	500
India	180	172	--	172
Pakistan	170	170	--	170
N. Korea	50	50	--	50
Israel	90	90	--	90
Total	5,702	9,585	2,820	**12,405**

चीन का तेज़ परमाणु विस्तार:

- चीन एशिया में सबसे तेज़ी से अपने परमाणु हथियारों का विस्तार कर रहा है। जहां 2023 में उसके पास लगभग 410 परमाणु हथियार थे, वहीं 2025 की शुरुआत तक यह संख्या बढ़कर 600 हो गई है। इनमें से 24 हथियार पहले से ही तैनात हैं, यानी ये हथियार किसी भी समय इस्तेमाल के लिए तैयार स्थिति में हैं।
- चीन ने कम से कम दो ऐसे मिसाइल प्रणालियाँ विकसित कर ली हैं जो MIRV (Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicles) ले जाने में सक्षम हैं, अर्थात एक ही मिसाइल से कई लक्ष्यों पर अलग-अलग वार किया जा सकता है।
- यह क्षमता पहले केवल अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों के पास थी। अब भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया भी इस दिशा में तकनीकी विकास कर रहे हैं।

वैश्विक परमाणु प्रवृत्तियाँ और शक्तियाँ:

- अमेरिका और रूस अभी भी परमाणु हथियारों के मामले में सबसे आगे हैं:
  - » अमेरिका: 5,459 परमाणु हथियार (सेवानिवृत्त सहित)
  - » रूस: 5,177 परमाणु हथियार
- सभी 9 परमाणु हथियार संपन्न देश "अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इज़राइल और उत्तर कोरिया" अपने परमाणु शस्त्रागार का आधुनिकीकरण कर रहे हैं।
- रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया द्वारा पारंपरिक और परमाणु दोनों प्रकार के पेलोड के लिए प्रयोग योग्य दोहरी क्षमता वाली मिसाइल प्रणालियों की तैनाती की जा रही है।

भारत का रणनीतिक ध्यान अब चीन की ओर:

- सिपरी (SIPRI) की रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि पाकिस्तान अभी भी भारत की प्रमुख परमाणु चिंता बना हुआ है, लेकिन अब भारत ऐसी लंबी दूरी की मिसाइलें विकसित कर रहा है जो चीन के भीतर गहराई तक निशाना साध सकती हैं। यह संकेत करता है कि भारत की रणनीतिक प्राथमिकताएं अब चीन की सैन्य ताकत को संतुलित करने की दिशा में बढ़ रही हैं, विशेषकर सीमा विवादों और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के परिप्रेक्ष्य में।
- रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि 2020 से 2024 के बीच भारत दुनिया के पाँच सबसे बड़े हथियार आयातक देशों में शामिल रहा है। इस सूची में यूक्रेन, कतर, सऊदी अरब और पाकिस्तान भी शामिल हैं। इन पाँच देशों ने मिलकर वैश्विक हथियार आयातों का लगभग 35% हिस्सा किया, जो दक्षिण एशिया में रणनीतिक योजना में हथियार खरीद की अहम भूमिका को दर्शाता है।

निष्कर्ष:

जैसे-जैसे परमाणु नीतियाँ बदल रही हैं और हथियार प्रणालियाँ अधिक उन्नत और जटिल होती जा रही हैं, SIPRI की यह रिपोर्ट इस बात पर विशेष बल देती है कि एशिया में किसी भी तरह की गलतफहमी और टकराव से बचने के लिए पारदर्शिता, हथियार नियंत्रण पर संवाद और विश्वास निर्माण के ठोस उपायों की अत्यंत आवश्यकता है।

भारत-कनाडा संबंध

संदर्भ:

कनाडा के कनानास्किस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की मुलाकात हुई। इस बैठक में दोनों नेताओं ने एक-दूसरे की राजधानियों में उच्चायुक्तों की बहाली और व्यापार वार्ताओं को फिर से शुरू करने पर सहमति जताई।

बैठक के प्रमुख परिणाम:

- **उच्चायुक्तों की बहाली:** भारत और कनाडा एक-दूसरे की राजधानियों में नए उच्चायुक्तों की नियुक्ति करेंगे। यह प्रक्रिया जुलाई तक पूरी होने की संभावना है।
- **व्यापार वार्ताएँ:** दोनों देश "अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट" (EPTA) पर वार्ताएँ फिर से शुरू करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) की दिशा में बढ़ना है।
- **नई उभरती क्षेत्रों में सहयोग:** भारत और कनाडा स्वच्छ ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल परिवर्तन, एलएनजी, खाद्य सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, उच्च शिक्षा, आवागमन (मोबिलिटी), और आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ता जैसे क्षेत्रों में सहयोग करने की योजना बना रहे हैं।

राजनयिक विवाद की पृष्ठभूमि:

- भारत और कनाडा के बीच राजनयिक तनाव सितंबर 2023 में शुरू हुआ, जब तत्कालीन कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार पर खालिस्तानी कार्यकर्ता हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हत्या करवाने का आरोप लगाया। भारत ने इन आरोपों को खारिज किया, और दोनों देशों ने एक-दूसरे के कई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया, वीजा सेवाएँ निलंबित कर दी गईं और व्यापार वार्ताएँ रोक दी गईं।

भारत-कनाडा संबंधों के प्रमुख पहलू:

- **रणनीतिक और सुरक्षा सहयोग:** दोनों देश इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में नियम-आधारित व्यवस्था का समर्थन करते हैं, जो क्षेत्रीय सुरक्षा, शांति और व्यापार के लिए आवश्यक है। कनाडा की इंडो-पैसिफिक रणनीति भारत को "महत्वपूर्ण साझेदार" और चीन को "बढ़ती विघटनकारी शक्ति" के रूप में मान्यता देती है।
- **आर्थिक और व्यापारिक संबंध:** 2023 में भारत और कनाडा के बीच वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार $9.36 बिलियन तक पहुँचा, जिसमें भारत ने $3.80 बिलियन का निर्यात और $5.56 बिलियन का आयात किया। सेवाओं में व्यापार $9.99 बिलियन रहा। कनाडा भारत का 10वाँ सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
- **निवेश के अवसर:** कनाडा की पेंशन फंड कंपनियों ने भारत में $75 बिलियन से अधिक का निवेश किया है, जो भारत को निवेश के लिए अनुकूल गंतव्य मानती हैं।
- **प्रवासी संबंध:** कनाडा में लगभग 18 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जो कनाडा की कुल जनसंख्या का 3% से अधिक हैं।
- **नाभिकीय सहयोग:** 2010 में हस्ताक्षरित न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट (NCA) दोनों देशों के बीच परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को संभव बनाता है।
- **रक्षा सहयोग:** रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और कनाडाई वाणिज्यिक निगम (CCC) के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) सैन्य और रक्षा प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देता है।

निष्कर्ष:

प्रधानमंत्री मोदी और कार्नी के बीच हुई बैठक भारत-कनाडा संबंधों को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उच्चायुक्तों की बहाली और व्यापार वार्ताओं की पुनः शुरुआत दोनों देशों के संबंधों को मज़बूत करने और उभरते क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने का संकेत देती है। हालांकि, निज्जर की हत्या से संबंधित कनाडाई न्यायिक प्रक्रिया और उसमें प्रस्तुत साक्ष्य आने वाले समय में दोनों देशों के संबंधों की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएँगे।

संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में खाद्य असुरक्षा को लेकर संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी

संदर्भ:

16 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) और विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) ने एक संयुक्त रिपोर्ट जारी की, जिसमें सूडान, दक्षिण सूडान, माली, हैती और फिलिस्तीन (गाजा) को सबसे गंभीर भुखमरी से प्रभावित देश बताया गया है। रिपोर्ट का शीर्षक "हंगर हॉटस्पॉट्स: FAO-WFP अर्ली वॉर्निंग ऑन एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी" है। इसमें बताया गया है कि युद्ध, आर्थिक संकट और जलवायु से जुड़ी आपदाएं वर्तमान समय में भुखमरी के प्रमुख कारण बन रही हैं।

सबसे ज़्यादा प्रभावित देश:

- **सूडान:** 2024 के भीषण अकाल के बाद सूडान अब भी लगातार

संघर्ष और बड़े पैमाने पर जनविस्थापन से जूझ रहा है। वर्तमान में लगभग 2.46 करोड़ लोग गंभीर खाद्य संकट (IPC फेज 3 या उससे ऊपर) की स्थिति में हैं, जबकि करीब 6.37 लाख लोग बेहद भयावह स्तर (IPC फेज 5) की भुखमरी का सामना कर रहे हैं।

- **दक्षिण सूडान:** अप्रैल से जुलाई 2025 के बीच लगभग 77 लाख लोग (जो देश की कुल जनसंख्या का करीब 57% हैं) भारी खाद्य संकट की स्थिति में आ सकते हैं। लगभग 63,000 लोगों को अकाल जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, जिसका कारण बाढ़, आर्थिक समस्याएं और राजनीतिक अस्थिरता है।
- **माली:** जून से अगस्त 2025 के दौरान करीब 2,600 लोगों को भुखमरी का सीधा खतरा है। यहां सशस्त्र संघर्ष और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है।
- **फिलिस्तीन (गाजा):** गाजा पट्टी के सभी 21 लाख लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा की स्थिति में हैं। इनमें से लगभग 5 लाख लोगों पर सितंबर 2025 तक अकाल की गंभीर स्थिति बन सकती है। लगातार सैन्य कार्रवाई और नाकेबंदी के कारण यहां खाद्य आपूर्ति पूरी तरह ख़राब हो गई है।
- **हैती:** हैती में गिरोहों की हिंसा और अराजकता के कारण हजारों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। इस समय करीब 8,400 लोग बेहद गंभीर भुखमरी की स्थिति में हैं।

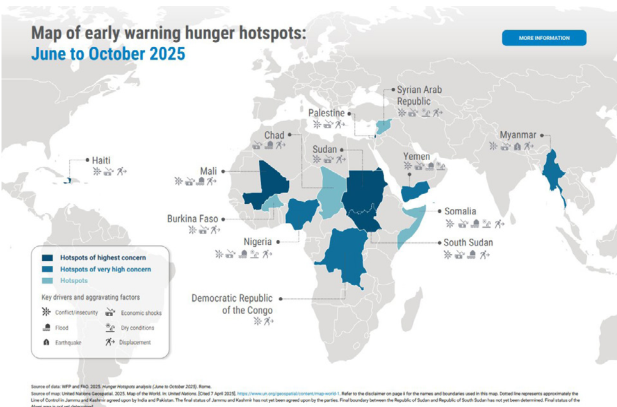

व्यापक वैश्विक चिंता:

- रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई है कि 13 अन्य देशों में भी हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। इनमें से 12 देशों में सशस्त्र संघर्ष ही खाद्य असुरक्षा का प्रमुख कारण है।
- सबसे गंभीर रूप से प्रभावित देश "यमन, कांगो (DRC), म्यांमार और नाइजीरिया हैं। कांगो में हाल ही में हिंसा फिर से तेज़ हुई है, जबकि नाइजीरिया में 2025 में खराब मौसम ने हालात और बिगाड़ दिए हैं।
- अन्य संकटग्रस्त देश "बुर्कीना फासो, चाड, सोमालिया और सीरिया हैं, जहां हालात लगातार चिंताजनक बने हुए हैं।
- इसके विपरीत, कुछ देशों जैसे इथियोपिया, केन्या, मोज़ाम्बिक, जिम्बाब्वे और लेबनान में हालात में कुछ हद तक अस्थायी सुधार देखा गया है। इसका श्रेय अच्छी फसल और संघर्ष में कमी को दिया जा रहा है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि ये सुधार अभी भी बेहद नाजुक हैं और किसी भी समय उलट सकते हैं।

खाद्य असुरक्षा के मुख्य कारण:

- **संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता:** युद्ध और हिंसक झड़पें न केवल खेती-बाड़ी को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि सड़कों, गोदामों और बाजार जैसे बुनियादी ढांचे को भी नष्ट कर देती हैं। इसके कारण लोग अपने घरों से बेघर हो जाते हैं और खाद्य आपूर्ति बुरी तरह बाधित हो जाती है।
- **आर्थिक संकट:** तेज़ महंगाई, बढ़ती बेरोज़गारी और कमजोर सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के चलते करोड़ों लोग आवश्यक खाद्य सामग्री तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कई परिवारों के लिए रोज़ का भोजन जुटाना भी कठिन हो गया है।
- **जलवायु से जुड़ी आपदाएं:** सूखा, बाढ़ और मौसम की अनिश्चितता फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रही हैं। ला नीना जैसी जलवायु घटनाएं विशेष रूप से पूर्वी अफ्रीका में सूखे की स्थिति को और भी गंभीर बना सकती हैं।
- **मानवता सहायता की सीमित पहुंच:** संघर्ष प्रभावित इलाकों में राहत और सहायता पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सड़कों और पुलों की क्षति, साथ ही सुरक्षा और अनुमति की कमी के कारण मानवीय मदद समय पर ज़रूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाती।

सुझाव और सिफारिशें:

- **मानवीय सहायता की पहुंच सुनिश्चित करना:** संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए राजनीतिक संवाद को बढ़ावा देना और सड़कों, गोदामों व परिवहन सुविधाओं जैसे आधारभूत ढांचे में सुधार करना आवश्यक है।
- **प्रभावी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करना:** मौसम, बाजार के रुझान और संघर्ष की स्थितियों पर समय पर निगरानी रखकर संकट आने से पहले ही तैयारी की जानी चाहिए।
- **जलवायु-स्थिर कृषि को प्रोत्साहित करना:** सूखा-प्रतिरोधी फसलों, आधुनिक सिंचाई प्रणालियों और मृदा संरक्षण तकनीकों को बढ़ावा देकर खेती को जलवायु झटकों के प्रति अधिक सक्षम बनाया जाए।
- **आर्थिक रूप से भोजन को सुलभ बनाना:** सामाजिक सुरक्षा

योजनाओं का विस्तार, खाद्य वस्तुओं की कीमतों में स्थिरता और ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना ज़रूरी है।

- **शांति और स्थिरता की दिशा में प्रयास:** संघर्ष के मूल कारणों को सुलझाने के लिए संवाद, बेहतर शासन और स्थानीय शांति निर्माण पहलों को सहयोग देना आवश्यक है।
- **पोषण-केंद्रित राहत उपाय अपनाना:** गर्भवती महिलाओं, बच्चों और कुपोषित व्यक्तियों के लिए पोषणयुक्त भोजन, आवश्यक सप्लीमेंट और आहार संबंधी जागरूकता कार्यक्रम लागू किए जाएं।
- **स्थानीय क्षमताओं का सशक्तिकरण:** स्थानीय समुदायों, संगठनों और संस्थाओं को संसाधन, प्रशिक्षण और भागीदारी के माध्यम से सक्षम बनाना ताकि वे अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें।

निष्कर्ष:

यह रिपोर्ट वैश्विक समुदाय का ध्यान उन क्षेत्रों की ओर केंद्रित करती है, जो गंभीर भुखमरी और खाद्य असुरक्षा से जूझ रहे हैं। यह स्पष्ट संदेश देती है कि भविष्य में अकाल जैसी भयावह स्थितियों को रोकने और लंबे समय तक टिकाऊ खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल, समन्वित और व्यापक वैश्विक कार्रवाई अत्यंत आवश्यक है।

बांग्लादेश को 1.5 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता

संदर्भ:

हाल ही में एशियाई विकास बैंक (ADB) और विश्व बैंक (World Bank) ने बांग्लादेश को कुल 1.5 अरब डॉलर से अधिक की ऋण सहायता प्रदान करने की घोषणा की है।

मुख्य बिंदु:

- एशियाई विकास बैंक (ADB) ने बांग्लादेश को कुल 900 मिलियन डॉलर की सहायता स्वीकृत की है, जिसमें से 500 मिलियन डॉलर की नीति-आधारित सहायता बैंकिंग क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए दी जा रही है।
- इसका उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली में शासन, परिसंपत्ति गुणवत्ता और समग्र स्थिरता को बेहतर बनाना है। यह कदम बांग्लादेश के वित्तीय क्षेत्र में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व लाने में मदद करेगा।
- इसके अतिरिक्त, ADB ने जलवायु-लचीले और समावेशी विकास कार्यक्रम (CRIDP) के दूसरे चरण के लिए 400 मिलियन डॉलर की ऋण सहायता भी दी है।
- इस परियोजना का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटना, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना और समावेशी आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना है।
- विश्व बैंक ने भी दो अहम परियोजनाओं के लिए कुल 640 मिलियन डॉलर की सहायता मंज़ूर की है। इसमें एक परियोजना गैस आपूर्ति में सुधार से संबंधित है, जबकि दूसरी का उद्देश्य वायु गुणवत्ता में सुधार करना है।
- यह दोनों परियोजनाएं सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के उद्देश्यों से जुड़ी हैं।

बांग्लादेश को इस वित्तीय सहायता की आवश्यकता क्यों है?

- **विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव:** बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार (Foreign Exchange Reserves) पिछले कुछ वर्षों से लगातार गिरावट का सामना कर रहा है। इसका मुख्य कारण है—
  - » आयात बिल में वृद्धि, विशेषकर ईंधन और खाद्यान्न के आयात में बढ़ोत्तरी।
  - » निर्यात और प्रवासी आय (रेमिटेंस) में अपेक्षित वृद्धि नहीं होना।
  - » डॉलर के मुकाबले स्थानीय मुद्रा टका का अवमूल्यन।
  - » इस स्थिति में, देश को आयात और कर्ज चुकाने के लिए अतिरिक्त विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ी, जिसे ADB और विश्व बैंक की सहायता से आंशिक रूप से पूरा किया जा सका।
- **बैंकिंग क्षेत्र में संरचनात्मक समस्याएँ:** बांग्लादेश के बैंकिंग क्षेत्र में कई संस्थागत कमजोरियाँ हैं:
  - » बढ़ता हुआ एनपीए (Non-Performing Assets) या फंसा हुआ ऋण।
  - » सरकारी बैंकों में अप्रभावी शासन व्यवस्था और कर्ज वितरण में पारदर्शिता की कमी।
  - » वित्तीय अनुशासन का अभाव।

  इन चुनौतियों से निपटने के लिए ADB का $500 मिलियन का नीति-आधारित ऋण दिया गया है जिससे बैंकिंग क्षेत्र को सुधारने की योजना है।
- **जलवायु परिवर्तन का गहरा प्रभाव:**
  - » बांग्लादेश एक जलवायु-संवेदनशील देश है, जो समुद्र-स्तर वृद्धि, बाढ़, चक्रवात और तटीय कटाव जैसी समस्याओं से बुरी तरह प्रभावित होता है।
  - » कृषि और ग्रामीण जीवन सबसे अधिक प्रभावित होते हैं।
  - » लाखों लोगों के विस्थापन की आशंका रहती है।

» इस संदर्भ में जलवायु अनुकूलन, सतत विकास और समावेशी ढाँचा निर्माण हेतु ADB ने $400 मिलियन की सहायता दी है।

- **ऊर्जा और पर्यावरण की चुनौतियाँ:**
  » गैस आपूर्ति में अस्थिरता और औद्योगिक क्षेत्र में ऊर्जा की कमी विकास को बाधित कर रही थी।
  » वायु प्रदूषण खासकर ढाका जैसे शहरों में खतरनाक स्तर तक बढ़ चुका है।
  » इन समस्याओं से निपटने के लिए विश्व बैंक ने गैस आपूर्ति और वायु गुणवत्ता सुधार परियोजनाओं के लिए $640 मिलियन की सहायता मंजूर की।

एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक:

- एशियाई विकास बैंक (ADB) की स्थापना 1966 में हुई थी, जिसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। इसका उद्देश्य एशिया-प्रशांत क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन, बुनियादी ढांचे के विकास और सतत विकास को बढ़ावा देना है।
- विश्व बैंक की स्थापना 1944 ई. में हुई थी और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डी.सी. में है। यह संगठन वैश्विक स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा और गरीबी उन्मूलन जैसे क्षेत्रों में ऋण और अनुदान प्रदान करता है।

निष्कर्ष:

इस सहायता से बांग्लादेश के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ रहे दबाव को भी कुछ हद तक कम किया जा सकेगा, जो हाल के वर्षों में बाह्य ऋण और आयात निर्भरता के कारण तनाव में रहा है।

वैश्विक शांति सूचकांक 2025

सन्दर्भ:

हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (IEP) द्वारा ग्लोबल पीस इंडेक्स (GPI) 2025 जारी किया गया। इसके अनुसार, वैश्विक शांति स्तर में 0.36 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। यह लगातार 13वीं बार है जब दुनिया में शांति का स्तर और नीचे गया है।

रिपोर्ट का दायरा और पद्धति:

- GPI 2025 रिपोर्ट में 163 देशों को शामिल किया गया है, जो विश्व की 99.7% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह रिपोर्ट 23 गुणात्मक और मात्रात्मक संकेतकों के आधार पर तीन प्रमुख डोमेन में शांति का मूल्यांकन करती है:
  » सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षा का स्तर
  » आंतरिक एवं बाह्य संघर्षों की तीव्रता
  » सैन्यीकरण की स्थिति

प्रमुख निष्कर्ष:

- रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में दुनिया में 59 सक्रिय राज्य-आधारित संघर्ष चल रहे हैं, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे अधिक हैं।
- बीते एक वर्ष में 17 देशों में 1000 से अधिक संघर्षजनित मौतें दर्ज की गई हैं।
- 2008 से अब तक 17 में से 23 संकेतकों में गिरावट आई है।
- 2025 में कुल 94 देशों में शांति का स्तर गिरा, जबकि 66 देशों में सुधार हुआ और 1 में कोई बदलाव नहीं हुआ।
- केवल 9% संघर्ष निर्णायक सैन्य जीत में समाप्त होते हैं, और मात्र 4% का समाधान संवाद के ज़रिए हुआ। इससे 'फॉरएवर वॉर्स' की प्रवृत्ति को बल मिला है।

भारत की स्थिति:

- भारत को 2025 के GPI में 115वां स्थान प्राप्त हुआ है, और उसका GPI स्कोर 2.229 है। भारत की रैंकिंग में 0.58% का सुधार देखा

गया है। यह पहले की तुलना में बेहतर है:

» 2024 – 116वां स्थान
» 2023 – 126वां स्थान
» 2020 – 139वां स्थान
» 2019 – 141वां स्थान

- यह सुधार भारत में आंतरिक सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, और राजनीतिक स्थिरता में धीरे-धीरे हुए सुधार को दर्शाता है।

क्षेत्रीय विश्लेषण – दक्षिण एशिया:

- रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण एशिया में औसत शांति स्तर में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है। खासतौर पर बांग्लादेश और पाकिस्तान में शांति का स्तर तेज़ी से गिरा है। अफगानिस्तान को अब भी इस क्षेत्र और विश्व का सबसे अस्थिर व अशांत देश माना गया है।

अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य:

- रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया एक नए भू-राजनीतिक ध्रुवीकरण की ओर बढ़ रही है। महाशक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा, मध्यम-स्तरीय शक्तियों का उदय और उन्नत सैन्य तकनीकों (जैसे AI-ड्रोन, स्पेस हथियार) की होड़ ने संघर्षों को और जटिल बना दिया है।
- साथ ही, रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 के बाद से हर परमाणु हथियार संपन्न देश ने अपने शस्त्रागार को बढ़ाया है। सिपरी (Stockholm International Peace Research Institute) की हालिया रिपोर्ट भी इस परमाणु होड़ की पुष्टि करती है।

सबसे शांतिपूर्ण देश:

- जीपीआई 2025 के अनुसार आइसलैंड लगातार 2008 से विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। उसके बाद आयरलैंड, न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रिया का स्थान है।

निष्कर्ष:

जीपीआई 2025 स्पष्ट करता है कि दुनिया में शांति लगातार गिर रही है और परंपरागत संघर्ष समाधान रणनीतियाँ असफल हो रही हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार, 'सकारात्मक शांति' में निवेश ही एकमात्र स्थायी समाधान है, जो आर्थिक वृद्धि, सामाजिक कल्याण और वैश्विक स्थिरता का आधार बन सकता है। भारत की स्थिति में सुधार उत्साहजनक है, लेकिन क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर चुनौतियाँ अभी भी गंभीर बनी हुई हैं।

भारत का सतत विकास लक्ष्यों में उल्लेखनीय सुधार

सन्दर्भ:

विकासशील देशों के संदर्भ में सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals - SDGs) की प्राप्ति एक महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौती बनी हुई है। इस दिशा में भारत ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज करते हुए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क (UN SDSN) द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार, SDG सूचकांक में 99वां स्थान प्राप्त किया है। यह भारत की अब तक की सर्वोत्तम रैंकिंग है, जो देश की सतत विकास प्रतिबद्धताओं और प्रयासों की पुष्टि करती है।

सतत विकास लक्ष्य सूचकांक और भारत की स्थिति:

- SDG सूचकांक, 17 सतत विकास लक्ष्यों पर देशों की प्रगति को 0 से 100 के पैमाने पर मापता है। भारत का 2025 में कुल स्कोर 67 रहा। यह सुधार क्रमशः 2022 (121वां स्थान), 2023 (112वां), और 2024 (109वां) से तुलना में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है।
- इस रिपोर्ट में फिनलैंड प्रथम स्थान पर रहा, जबकि स्वीडन और डेनमार्क क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। चीन 49वें स्थान पर है जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, वैश्विक SDG एजेंडा से दूरी के कारण, अंतिम (193वें) स्थान पर रखा गया है। भारत के पड़ोसी

देशों में भूटान (74वां), नेपाल (85वां), बांग्लादेश (114वां) और पाकिस्तान (140वां) शामिल हैं।

क्षेत्रीय और वैश्विक रुझान:

- रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि पूर्वी और दक्षिण एशिया ने 2015 से अब तक सतत विकास के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रगति की है। नेपाल, कंबोडिया, फिलिपींस, बांग्लादेश और मंगोलिया जैसे देशों ने तीव्र सुधार दर्ज किया है। इसके पीछे आर्थिक और सामाजिक संकेतकों में तेजी से वृद्धि, तकनीकी पहुँच, और आधारभूत सेवाओं में सुधार को उत्तरदायी माना गया है।

चुनौतियाँ एवं नीतिगत अवरोध:

- हालांकि, वैश्विक स्तर पर SDG लक्ष्यों की प्राप्ति की प्रगति अत्यंत धीमी है। रिपोर्ट के अनुसार, केवल 17% लक्ष्यों के 2030 तक पूर्ण होने की संभावना है।
- मुख्य बाधाएँ निम्नलिखित हैं:
  - » संघर्ष एवं युद्ध की स्थितियाँ
  - » संरचनात्मक असमानताएँ
  - » विकासशील देशों के लिए सीमित वित्तीय संसाधन
  - » पर्यावरणीय क्षरण
- विशेष रूप से:
  - » मोटापा (SDG 2)
  - » प्रेस स्वतंत्रता (SDG 16)
  - » जैव विविधता संरक्षण (SDG 15)
  - » भ्रष्टाचार और संस्थागत विश्वसनीयता (SDG 16)

वित्तीय संरचना में सुधार की आवश्यकता:

- रिपोर्ट यह भी रेखांकित करती है कि वर्तमान वैश्विक वित्तीय व्यवस्था संरचनात्मक रूप से पक्षपाती है, जो समृद्ध देशों को प्राथमिकता देती है और विकासशील तथा उभरती अर्थव्यवस्थाओं को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं कराती। इस संदर्भ में आगामी "विकास हेतु वित्तपोषण पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (FfD4)" जो सेविले, स्पेन में आयोजित होगा, अत्यंत महत्वपूर्ण होगा।

निष्कर्ष:

भारत की SDG सूचकांक में प्रगति न केवल उसके नीति-संचालित दृष्टिकोण को परिलक्षित करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि भारत वैश्विक सतत विकास विमर्श में एक उत्तरदायी और सक्रिय भागीदार के रूप में उभर रहा है। फिर भी, कुछ क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, पर्यावरणीय प्रबंधन, संस्थागत पारदर्शिता और सामाजिक समावेशन के क्षेत्र में अभी भी सार्थक सुधार और निवेश की आवश्यकता है।

आतंकवाद के विरुद्ध एससीओ बैठक में भारत का सख्त रुख

सन्दर्भ:

हाल ही में 26 जून, 2025 को चीन के क़िंगदाओ में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत ने आतंकवाद पर स्पष्ट और सख्त रुख अपनाते हुए संयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि दस्तावेज़ में भारत में 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले का कोई उल्लेख नहीं था, जबकि पाकिस्तान में मार्च में हुए जैफर एक्सप्रेस अपहरण की चर्चा की गई थी।

बैठक की मुख्य बातें:

- भारत ने आतंकवाद पर दोहरे मापदंड की आलोचना करते हुए आतंकवाद के खिलाफ भारत की "शून्य सहिष्णुता" (Zero Tolerance) नीति को दोहराया और सभी 11 सदस्य देशों से इस पर एकजुट रुख अपनाने का आग्रह किया।
- भारत ने SCO के संयुक्त बयान में पहलगाम आतंकी हमले का उल्लेख न किए जाने पर गहरी आपत्ति जताई। जबकि इसके विपरीत, पाकिस्तान में हुए एक ट्रेन अपहरण का उल्लेख ड्राफ्ट में शामिल किया गया है। भारत ने इसे पक्षपातपूर्ण और अस्वीकार्य बताया।
- यदि आतंकवादी संगठनों को सामूहिक विनाश के हथियार (Weapons of Mass Destruction - WMDs) तक पहुंच मिलती है, तो यह वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा

होगा। इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत ने निर्णायक कार्रवाई पर जोर दिया।

- संयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर न करके भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल आम सहमति के नाम पर वह आतंकवाद के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगा।

भारत का यह कदम महत्वपूर्ण क्यों है?

- शंघाई सहयोग संगठन पर परंपरागत रूप से रूस और चीन का प्रभाव रहा है, परंतु रूस के यूक्रेन युद्ध में व्यस्त रहने के चलते चीन की भूमिका और बढ़ गई है। चीन इस वर्ष SCO की अध्यक्षता कर रहा है और पाकिस्तान उसका प्रमुख सहयोगी है।
- बीजिंग ने पहले भी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को आतंकवाद से संबंधित आलोचनाओं से बचाने में मदद की है। भारत का मसौदा वक्तव्य पर हस्ताक्षर न करना, केवल कूटनीतिक असहमति नहीं, बल्कि भारत की "आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं" की स्पष्ट नीति को दर्शाता है।

शंघाई सहयोग संगठन का परिचय:

- शंघाई सहयोग संगठन एक प्रमुख क्षेत्रीय संगठन है जिसमें "भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कज़ाख़स्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस" शामिल हैं। इसकी स्थापना 2001 में शंघाई में की गई थी।
- यह संगठन सुरक्षा सहयोग, आतंकवाद विरोध और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। इसका "रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर (RATS)" आतंकवाद से जुड़ी सूचनाओं का आदान-प्रदान करता है।

निष्कर्ष:

भारत ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि वह आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेगा। चाहे वह सीमा पार आतंकवाद हो, या आतंकवाद के खिलाफ दोहरे मापदंड अपनाने वाले राष्ट्र हों, भारत अब ऐसे प्रयासों के सामने झुकने को तैयार नहीं है। भारतीय रक्षा मंत्री की स्पष्टवादिता और SCO में भारत का रुख न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देने का संकेत है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की सैद्धांतिक नेतृत्वकारी भूमिका को भी दर्शाता है।

भारत-वियतनाम की 13वीं राजनीतिक परामर्श बैठक

संदर्भ:

भारत और वियतनाम के बीच नई दिल्ली में 13वीं राजनीतिक परामर्श बैठक और 10वां रणनीतिक संवाद आयोजित हुआ। इन बैठकों की सह-अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) पी. कुमरन और वियतनाम के उप विदेश मंत्री गुयेन मन्ह कूओंग ने की। ऐसे नियमित संवाद दोनों देशों के बीच सहयोग की प्रगति की समीक्षा करने और भविष्य की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं।

बैठक की प्रमुख बातें:

- **व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा**
    - दोनों पक्षों ने दिसंबर 2020 में अपनाए गए "शांति, समृद्धि और जनता के लिए संयुक्त दृष्टिकोण" के तहत हुई प्रगति की समीक्षा की।
    - अगस्त 2024 में वियतनामी प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित 2024–2028 कार्य योजना के कार्यान्वयन पर भी चर्चा की गई।
- **रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग**
    - भारत और वियतनाम ने विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई।
    - संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, सूचनाओं के आदान-प्रदान और क्षमता निर्माण जैसे पहलुओं पर चर्चा हुई।
    - दोनों देशों ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को अत्यंत आवश्यक बताया।
- **आर्थिक एवं व्यापारिक सहयोग**
    - व्यापार और निवेश संबंधों को सुदृढ़ बनाना बैठक का प्रमुख

विषय रहा।

- कृषि, दवा उद्योग, ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटल भुगतान और फिनटेक जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने की प्रतिबद्धता जताई गई।
- दोनों देशों ने संपर्क (connectivity) को बढ़ाने और विज्ञान, प्रौद्योगिकी व अंतरिक्ष क्षेत्र में नए सहयोग के अवसर तलाशने पर सहमति व्यक्त की।

- **सांस्कृतिक एवं विकासात्मक सहयोग**
  - दोनों पक्षों ने विरासत संरक्षण और पुनरुद्धार से जुड़ी विकास परियोजनाओं की प्रगति पर संतोष जताया।
  - त्वरित प्रभाव परियोजनाएं (QIPs), भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC), E-ITEC प्रशिक्षण कार्यक्रम और छात्रवृत्तियां वियतनाम की विकास आवश्यकताओं में सहायक साबित हो रही हैं।
- **आतंकवाद विरोधी सहयोग**
  - भारत और वियतनाम ने सीमापार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट और कठोर निंदा की।
  - भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में वियतनाम द्वारा दिए जा रहे निरंतर समर्थन की सराहना की।
- **क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर संवाद**
  - दोनों पक्षों ने आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।
  - वियतनाम की भूमिका को भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर दृष्टिकोण (MAHASAGAR Vision) और हिंद-प्रशांत रणनीति में एक प्रमुख भागीदार के रूप में पुनः पुष्टि की गई।

भारत-वियतनाम संबंध:

- अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 के बीच वियतनाम द्वारा भारत में कुल 12.69 मिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) किया गया है, जिससे वह एफडीआई इक्विटी प्रवाह में 84वें स्थान पर है। वियतनाम, भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद-प्रशांत रणनीति में एक प्रमुख और रणनीतिक भागीदार की भूमिका निभाता है।
- वर्ष 2023–24 में भारत-वियतनाम के बीच द्विपक्षीय व्यापार का आंकड़ा 14.81 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। इसमें भारत से वियतनाम को निर्यात 5.47 बिलियन डॉलर और वियतनाम से भारत को आयात 9.34 बिलियन डॉलर रहा। वियतनाम अपने व्यापारिक आधार को विविध बनाते हुए भारत के तेजी से बढ़ते बाजार का लाभ उठा रहा है।
- वियतनाम से भारत को होने वाले प्रमुख निर्यातों में मोबाइल फोन और उनके घटक, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, रसायन, प्लास्टिक, रबर, कॉफी, काली मिर्च और काजू प्रमुख हैं।
- भारत से वियतनाम को किए जाने वाले मुख्य निर्यातों में लोहा और इस्पात उत्पाद, वस्त्र, मत्स्य उत्पाद, मक्का, दवाइयाँ (फार्मास्यूटिकल्स) और ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स शामिल हैं।
- भारत, वियतनाम का 8वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि वियतनाम भारत का 15वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार तथा दक्षिण-पूर्व एशिया में चौथा सबसे बड़ा साझेदार है।
- मेकांग-गंगा सहयोग (MGC) के तहत भारत प्रत्येक 50,000 अमेरिकी डॉलर मूल्य की त्वरित प्रभाव परियोजनाओं (QIPs) को वित्तपोषित करता है। वर्तमान में भारत की 317 वैध परियोजनाएं, जिनका कुल मूल्य 1 बिलियन डॉलर से अधिक है, वियतनाम में सक्रिय हैं, जिससे भारत 129 निवेशक देशों में 23वें स्थान पर आता है।

निष्कर्ष:

नई दिल्ली में आयोजित 13वें राजनीतिक परामर्श और 10वें रणनीतिक संवाद ने भारत-वियतनाम की समग्र रणनीतिक साझेदारी को नई मजबूती प्रदान की है। दोनों देशों ने सुरक्षा, व्यापार, संस्कृति और क्षेत्रीय सहयोग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में साझेदारी को और गहरा करने के लिए स्पष्ट प्राथमिकताएं तय की हैं। यह संवाद हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और साझा समृद्धि की दिशा में दोनों देशों की मजबूत और प्रतिबद्ध सोच को उजागर करता है।

जलवायु परिवर्तन का गहराता संकट: एशिया के सामने जलवायु परिवर्तन की चुनौती

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने एशिया में जलवायु की स्थिति (State of the Climate in Asia) 2024 रिपोर्ट जारी की है, जो पूरे महाद्वीप में तीव्र होते जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की एक गंभीर तस्वीर पेश करती है। एशिया अब वैश्विक औसत की लगभग दोगुनी दर से गर्म हो रहा है, जिसमें 1991–2024 की प्रवृत्ति 1961–1990 की तुलना में लगभग दोगुनी है। यह तीव्र गर्मी चरम मौसम की घटनाओं में वृद्धि का कारण बन रही है, जिससे जीवन, आजीविका, पारिस्थितिकी तंत्र और अर्थव्यवस्थाओं पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है।

मुख्य बिंदु:

तेज़ गर्मी और रिकॉर्ड तापमान:

- 2024 में, एशिया का औसत तापमान 1991–2020 के आधार रेखा से 1.04°C अधिक रहा, जिससे यह अब तक का सबसे गर्म या दूसरा सबसे गर्म वर्ष बन गया, यह आंकड़ों पर निर्भर करता है। यह दीर्घकालिक प्रवृत्ति से मेल खाता है जिसमें स्थलीय क्षेत्र, विशेष रूप से एशिया जैसे बड़े महाद्वीपीय क्षेत्र, महासागरों की तुलना में तेज़ी से गर्म हो रहे हैं।
- अप्रैल से नवंबर के बीच, पूर्वी एशिया में बार-बार और दीर्घकालिक हीटवेव देखी गईं। मासिक औसत तापमान के रिकॉर्ड कई बार टूटे:
  - जापान में अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में,
  - दक्षिण कोरिया में अप्रैल, जून, अगस्त और सितंबर में,
  - चीन में अप्रैल, मई, अगस्त, सितंबर और नवंबर में।
- दक्षिण-पूर्व एशिया, मध्य एशिया और मध्य पूर्व के कुछ हिस्से भी तीव्र हीटवेव की चपेट में आए। म्यांमार ने 2024 में 48.2°C का नया राष्ट्रीय तापमान रिकॉर्ड बनाया।
- **भारत पर प्रभाव:** भारत गंभीर रूप से प्रभावित हुआ। कई क्षेत्रों में घातक हीटवेव देखे गए जिनसे 450 से अधिक मौतें दर्ज की गईं। इसके अलावा कई चरम मौसम घटनाएँ दर्ज की गईं:
  - केरल के वायनाड में भारी वर्षा के कारण भूस्खलन से 350 से अधिक मौतें।
  - विभिन्न राज्यों में विद्युत गिरने से लगभग 1300 मौतें।

हिंदू कुश हिमालय में ग्लेशियरों का तेज़ी से पिघलना:

- रिपोर्ट में एशिया के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में, विशेष रूप से हिंदू कुश हिमालय में ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने की चिंताजनक प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला गया है। यह क्षेत्र एशिया की प्रमुख नदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल है, जो विश्व की लगभग एक चौथाई जनसंख्या की जल आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।
- 2023 से 2024 के बीच, इस क्षेत्र में निगरानी किए गए 24 में से 23 ग्लेशियरों में निरंतर बर्फ की हानि दर्ज की गई। मुख्य कारण थे:
  - सर्दियों में बर्फबारी में कमी।
  - गर्मियों में तेज़ गर्मी।
- प्रमुख ग्लेशियर हानि दर्ज की गई:
  - **मध्य हिमालय:** नेपाल, सिक्किम और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को कवर करता है।
  - **तियान शान श्रृंखला:** चीन, किर्गिस्तान और कज़ाखस्तान में फैली हुई।

समुद्री हीटवेव और समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि:

- एशिया के महासागर खतरनाक गति से गर्म हो रहे हैं। समुद्री सतह का तापमान (SST) हर दशक में 0.24°C की दर से बढ़ रहा है, जो वैश्विक औसत 0.13°C प्रति दशक से लगभग दोगुना है।
- 2024 में, उपग्रह रिकॉर्ड (1993 से) के अनुसार, महाद्वीप ने अब तक

की सबसे व्यापक समुद्री हीटवेव दर्ज की:

» लगभग 1.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर महासागर क्षेत्र प्रभावित – पृथ्वी की कुल महासागरीय सतह का लगभग एक-दसवां हिस्सा।
» तीव्र गर्मी मुख्य रूप से उत्तर भारतीय महासागर, येलो सी, ईस्ट चाइना सी और जापान के आसपास के जल में देखी गई।

उठता समुद्री स्तर – तटीय आबादी को खतरा:

- एशिया के भारतीय और प्रशांत महासागरीय तटीय क्षेत्रों में समुद्री स्तर वैश्विक औसत से तेज़ बढ़ रहा है। इसके कारण निम्नलिखित ख़तरे बढ़ रहे हैं:
  » तटीय बाढ़,
  » मीठे जल स्रोतों में खारे पानी का प्रवेश,
  » आवासीय भूमि की हानि और समुदायों का विस्थापन।

चरम मौसम:

- 2024 में एशिया में कई विध्वंसक मौसम की घटनाएँ दर्ज की गईं:
  » भारी वर्षा के कारण कई देशों में बाढ़ और भूस्खलन से भारी जनहानि और विस्थापन।
  » तटीय क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तबाही।
  » गंभीर सूखे ने कृषि और जल आपूर्ति को प्रभावित किया, जिससे भारी आर्थिक नुकसान और खाद्य असुरक्षा बढ़ी।
- भारत ने विशेष रूप से वर्षा-जनित आपदाओं, घातक हीटवेव और बिजली गिरने से होने वाली मौतों के समन्वित प्रभावों का अनुभव किया, जो मजबूत आपदा तैयारी और जलवायु अनुकूलन रणनीतियों की आवश्यकता को दर्शाता है।

जलवायु पूर्व चेतावनी प्रणाली की आवश्यकता:

- रिपोर्ट जलवायु पूर्व चेतावनी प्रणाली और पूर्व अनुमान आधारित कार्रवाई की महत्ता को रेखांकित करती है। नेपाल से एक केस स्टडी में यह दिखाया गया है कि जिन समुदायों को मजबूत पूर्व चेतावनी प्रणालियों की पहुँच थी, वे चरम मौसम का बेहतर जवाब दे सके और जीवन व आजीविका की रक्षा कर सके।

जलवायु और मौसम जनित आपदाओं के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव:

बाढ़, सूखा, तूफान और हीटवेव जैसी आपदाएँ व्यापक और परस्पर जुड़ी हुई सामाजिक-आर्थिक समस्याएँ उत्पन्न कर रही हैं:

- **खाद्य असुरक्षा:** चरम मौसम से फसलें नष्ट हो रही हैं और पशुधन की हानि हो रही है, जिससे यह आधुनिक इतिहास का सबसे गंभीर खाद्य संकट बनता जा रहा है।
- **आबादी का विस्थापन:** जलवायु घटनाएँ बड़े पैमाने पर विस्थापन का कारण बनती हैं, जिससे स्थानीय संसाधनों पर दबाव, आश्रय स्थलों में स्वास्थ्य जोखिम और सामाजिक अस्थिरता बढ़ती है।
- **आर्थिक हानि:** अधोसंरचना, कृषि और आजीविका पर गंभीर असर पड़ता है, जिससे आर्थिक पुनर्प्राप्ति धीमी हो जाती है और गरीब क्षेत्रों में गरीबी गहराती है।
- **असमानता में वृद्धि:** जलवायु झटके गरीब और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं, जिससे विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों के लिए असमानताएँ और अधिक बढ़ जाती हैं (एसडीजी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 10)।
- **वैश्विक प्रभाव:** आपदाएँ वैश्विक बाज़ारों को प्रभावित करती हैं – खाद्य कीमतों में वृद्धि, आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधा और मानवीय लागतों में वृद्धि से वैश्विक आर्थिक स्थिरता को ख़तरा उत्पन्न होता है।

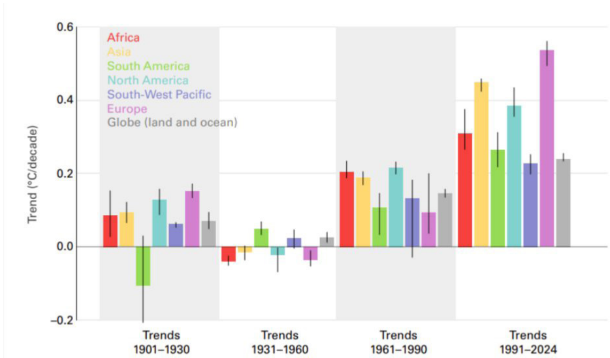

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) के बारे में:

- WMO एक संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत एजेंसी है, जो मौसम, जलवायु, जल और संबंधित भौगोलिक विज्ञानों के लिए उत्तरदायी है। इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को WMO कन्वेंशन के माध्यम से की गई थी और यह 1873 में स्थापित अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन (IMO) से विकसित हुआ है।
  » **मुख्यालय:** जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड
  » **सदस्य:** 192 सदस्य देश और क्षेत्र (भारत सहित)
  » **कार्य:** वैश्विक मौसम, जल विज्ञान और जलवायु से संबंधित गतिविधियों का समन्वय करना।

नीतिगत प्रासंगिकता और आगे की राह:

- एशिया में जलवायु की स्थिति (State of the Climate in Asia) रिपोर्ट राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जलवायु नीतियों को दिशा देने के लिए महत्वपूर्ण आंकड़े उपलब्ध कराती है। यह निम्नलिखित क्षेत्रों में

तात्कालिक कार्रवाई की आवश्यकता को रेखांकित करती है:

- पूर्व चेतावनी अधोसंरचना के माध्यम से जलवायु लचीलापन सुदृढ़ करना,
- हिमालयी नदियों के जल स्रोतों की रक्षा करना,
- समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को गर्म होते महासागरों से सुरक्षित रखना,
- शहरी गर्मी के जोखिमों को कम करना, विशेष रूप से संवेदनशील आबादी के लिए,
- कृषि, अधोसंरचना और आपदा प्रबंधन में अनुकूलन रणनीतियों में तेजी लाना।

- चूंकि एशिया विश्व की आधी से अधिक आबादी का घर है, इसलिए इस क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का वैश्विक स्तर पर असर पड़ेगा। यह रिपोर्ट सरकारों, समुदायों और हितधारकों के लिए सतर्कता का संकेत है कि अब तेज़ और निर्णायक कार्रवाई आवश्यक है।

निष्कर्ष:

वर्ष 2024 ने एशिया के जलवायु परिदृश्य में एक मोड़ का संकेत दिया है। रिकॉर्ड-तोड़ गर्मी, व्यापक ग्लेशियर हानि, समुद्री हीटवेव और चरम मौसम आपदाओं के साथ, यह क्षेत्र जबरदस्त दबाव में है। यदि वर्तमान प्रवृत्तियाँ जारी रहती हैं, तो खाद्य सुरक्षा, जल आपूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य और जैव विविधता पर इसके प्रभाव गहरे होंगे। WMO की रिपोर्ट एक स्पष्ट संदेश देती है कि जलवायु परिवर्तन कोई दूर की चिंता नहीं, बल्कि एक वर्तमान और बढ़ता हुआ संकट है। एशिया, जो दुनिया के सबसे अधिक आबादी और जलवायु के लिहाज़ से संवेदनशील देशों का घर है, को अब जलवायु अनुकूलन, शमन और लचीलापन निर्माण में अग्रणी भूमिका निभानी होगी।

संकट में महासागर: जलवायु संकट, समुद्री स्वास्थ्य और भारत की समुद्री जिम्मेदारी

महासागर पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वे अर्थव्यवस्थाओं को सहारा देते हैं, जलवायु को संतुलित रखते हैं और खासकर भारत जैसे तटीय देशों में लाखों लोगों की आजीविका चलाते हैं। लेकिन जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और अत्यधिक दोहन के कारण महासागर गंभीर पर्यावरणीय संकट से गुजर रहे हैं और इन संसाधनों के सतत उपयोग की आवश्यकता अब पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन (UNOC3), जो नीस (फ्रांस) में हुआ, में भारत ने महासागरों की सततता पर तत्काल और समन्वित वैश्विक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया है। भारत सरकार में पृथ्वी विज्ञान मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत की समुद्री पहलों और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं की एक व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत की। यह सम्मेलन फ्रांस और कोस्टा रिका द्वारा “महासागर के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए सभी पक्षों को सक्रिय करना” थीम के तहत आयोजित किया गया था और SDG 14: “जल के नीचे जीवन” पर वैश्विक सहयोग को बढ़ाने का महत्वपूर्ण मंच बना।

क्यों महासागर पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं?

- महासागर पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक भाग को ढकते हैं और इसमें 97% जल संग्रहित है। ये लगभग 94% ज्ञात जीवों का घर हैं, जिससे ये पृथ्वी की सबसे बड़ी और जटिल पारिस्थितिकी प्रणाली बनते हैं।
- **महासागर:**
  - फाइटोप्लैंकटन जैसे सूक्ष्म समुद्री पौधों के जरिए 50% से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं।
  - हर साल मानव गतिविधियों से उत्सर्जित CO_2 का लगभग 23% अवशोषित करते हैं।
  - समुद्री धाराओं के ज़रिए जलवायु को नियंत्रित करते हैं।
  - तेल और गैस से समृद्ध महाद्वीपीय शेल्फ रखते हैं जैसे पर्शियन गल्फ, मैक्सिको की खाड़ी और बॉम्बे हाई।
  - मत्स्य पालन, पर्यटन, समुद्री परिवहन और ऊर्जा के माध्यम से आजीविका प्रदान करते हैं।

लेकिन आज महासागर गंभीर तनाव में हैं। बढ़ते ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के कारण:

- **वे अधिक गर्म हो रहे हैं:** ग्लोबल वॉर्मिंग से उत्पन्न 90% अतिरिक्त गर्मी महासागर अवशोषित कर रहे हैं।
- **अधिक अम्लीय हो रहे हैं:** महासागर अब औद्योगिक क्रांति से पहले की तुलना में 30% अधिक अम्लीय हो गए हैं।
- **ऑक्सीजन की कमी हो रही है:** गर्म पानी में ऑक्सीजन

की मात्रा कम होती है, जिससे समुद्री जैव विविधता खतरे में पड़ रही है।

- इन बदलावों के गंभीर परिणाम हैं। उदाहरण के लिए, गर्म होते महासागर फाइटोप्लैंकटन की मात्रा घटा रहे हैं, जो समुद्री खाद्य श्रृंखला की नींव हैं। 2021 की IPCC रिपोर्ट में बताया गया कि 1950 के दशक से भारतीय महासागर सबसे तेज़ गर्म हो रहा है, जिससे केवल पश्चिमी भाग में ही फाइटोप्लैंकटन की मात्रा 20% तक घट गई है।

कोरल रीफ पर असर:

- महासागर के गर्म होने का एक बड़ा असर कोरल ब्लीचिंग पर पड़ा है। कोरल, जिन्हें "समुद्र के वर्षावन" कहा जाता है, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बेहद जरूरी हैं। जब समुद्र का तापमान बढ़ता है, तो कोरल अपने अंदर रहने वाले शैवाल (zooxanthellae) को निकाल देते हैं, जिससे वे सफेद हो जाते हैं और बीमारियों और मृत्यु के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय कोरल रीफ पहल (ICRI) के अनुसार, जनवरी 2023 से मार्च 2025 तक की अवधि में चौथी वैश्विक ब्लीचिंग घटना दर्ज की गई, जिसमें 82 देशों के 84% कोरल रीफ प्रभावित हुए। यह समुद्री जैव विविधता और उन करोड़ों लोगों के लिए खतरा है, जो कोरल पर भोजन, पर्यटन और तटीय सुरक्षा के लिए निर्भर हैं।

हिमनद पिघलना, समुद्र स्तर बढ़ना और तटीय खतरे:

- ध्रुवीय क्षेत्रों में गर्म होते महासागर ग्लेशियरों के पिघलने और बर्फ की चट्टानों के टूटने को तेज कर रहे हैं, जिससे समुद्र स्तर बढ़ रहा है। भारत के लिए इसके विशेष गंभीर परिणाम हैं:
  - » मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे शहरों में बाढ़, समुद्री जल के घुसपैठ और ढांचे को नुकसान का खतरा बढ़ रहा है।
  - » भूमिगत पीने के जल स्रोतों में लवणता बढ़ने का खतरा है।
  - » तटीय आजीविका और व्यापार व राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा बुनियादी ढांचा जलवायु जोखिम में आ रहा है।

भारतीय महासागर क्षेत्र:

- भारत की समुद्री भौगोलिक स्थिति एक ताकत भी है और चुनौती भी।
  - » भारत की तटरेखा 11,098 किमी लंबी है और 200 समुद्री मील तक फैला विशाल विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) है।
  - » भारत की लगभग 30% जनसंख्या तटीय क्षेत्रों में रहती है।
  - » ब्लू इकोनॉमी भारत के GDP का लगभग 4% योगदान करती है।
  - » फिर भी, EEZ का बड़ा हिस्सा अभी भी अपर्याप्त रूप से खोजा गया और कम उपयोग किया गया है।
- लेकिन जलवायु परिवर्तन पहले ही समुद्री संपदा को नुकसान पहुँचा रहा है। उदाहरण के लिए, केरल में तेल-सार्डीन मछली की पकड़ 2021 में 75% गिर गई, इसका कारण महासागर का गर्म होना, धाराओं का बदलना और प्लवक की कमी रहा।
- इसी के साथ-साथ रणनीतिक चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। चीन की "स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स" रणनीति, भारतीय महासागर में समुद्री ढांचे का निर्माण, भारत की समुद्री प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश मानी जा रही है।

वैश्विक महासागर संरक्षण में भारत की बढ़ती भूमिका:

- **गहरे समुद्र की खोज:** भारत का "डीप ओशन मिशन", विशेष रूप से 'समुद्रयान' परियोजना—पहला मानव-संचालित पनडुब्बी मिशन—2026 तक लॉन्च किया जाएगा। यह 6,000 मीटर की गहराई तक जाकर समुद्र के अध्ययन में भारत की वैज्ञानिक भागीदारी को वैश्विक स्तर पर मजबूत करेगा।
- **ब्लू इकोनॉमी:** भारत की ब्लू इकोनॉमी पहल, सागरमाला कार्यक्रम और प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY) द्वारा समुद्री बुनियादी ढांचे और आजीविकाओं को बदल रही है।
  - » 600 से अधिक बंदरगाह आधारित परियोजनाओं पर लगभग 80 अरब डॉलर खर्च किए गए हैं।
  - » मत्स्य क्षेत्र के आधुनिकीकरण में 2.5 अरब डॉलर का निवेश

किया गया है, जिससे 2022 से मछली उत्पादन में 10% वृद्धि और 1,000 से अधिक फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बने हैं।

- **समुद्री जैव विविधता:** भारत ने अपने EEZ के 6.6% हिस्से को समुद्री संरक्षित क्षेत्र (MPAs) घोषित किया है। साथ ही 10,000 हेक्टेयर से अधिक मैंग्रोव वनों की बहाली की गई है, जो तटीय समुदायों की रक्षा के लिए प्रकृति आधारित समाधान हैं।
- **प्लास्टिक और कचरा प्रबंधन:** भारत 'स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर' अभियान के तहत समुद्री कचरे को संबोधित कर रहा है। 2022 से अब तक 1,000 किमी से अधिक तटरेखा को साफ किया गया है और 50,000 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा हटाया गया है। राष्ट्रीय समुद्री कचरा नीति का मसौदा तैयार किया गया है और भारत वैश्विक प्लास्टिक संधि और BBNJ (हाई सीज़) समझौते के शीघ्र अनुमोदन का समर्थन करता है।
- **SAHAV पोर्टल का शुभारंभ:** भारत ने SAHAV नामक नया डिजिटल महासागर डेटा पोर्टल लॉन्च किया है, जो वैज्ञानिकों, नीति-निर्माताओं और आम जनता को खुले और वैज्ञानिक डेटा उपलब्ध कराता है।
- **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:** भारत की वैश्विक समुद्री शासन में भूमिका फ्रांस और कोस्टा रिका के साथ 'ब्लू टॉक्स' के सह-नेतृत्व और भारत-नॉर्वे समुद्री स्थानिक योजना कार्यक्रम जैसे मंचों में सहभागिता के माध्यम से बढ़ रही है। ये प्रयास भारत के घरेलू प्रयासों से वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ते दृष्टिकोण को दर्शाते हैं।

निष्कर्ष:

महासागर जीवन को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में सहारा देते हैं। लेकिन आज, मानवीय गतिविधियों और लापरवाही के कारण महासागर संकट की स्थिति में हैं। जलवायु प्रभावों के बढ़ने से न केवल समुद्री जैव विविधता, बल्कि अरबों लोगों की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और जीवन भी खतरे में हैं। भारत के पास एक विशाल तटरेखा और रणनीतिक स्थिति है इसलिए उसे अपने महासागरों के स्वास्थ्य से बहुत कुछ हासिल हो सकता है और बहुत कुछ खो भी सकता है। अब कार्रवाई का समय है, ताकि हम समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा कर सकें और एक ऐसा समुद्री भविष्य बना सकें जो मनुष्य और प्रकृति दोनों को सहारा दे सके।

संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025

संदर्भ:

हाल ही में फ्रांस के नीस शहर में तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन (UNOC) संपन्न हुआ, जिसमें वैश्विक महासागर शासन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रगति देखने को मिली। यह सम्मेलन समुद्री जैव विविधता की रक्षा और महासागरों के सतत उपयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित था, और इसमें "बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जूरिडिक्शन (BBNJ)" समझौते या "हाई सीज़ संधि" को लागू करने की दिशा में ठोस प्रगति हुई।

BBNJ संधि क्या है?

- हाई सीज़ संधि का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्रों अर्थात् ऐसे समुद्री क्षेत्रों जो किसी एक देश के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, में मानवीय गतिविधियों को नियंत्रित करना है। इन क्षेत्रों को अक्सर "वैश्विक साझा संसाधन" कहा जाता है, जो अत्यधिक मछली पकड़ने, अनियमित खनन और समुद्री आनुवंशिक संसाधनों के दोहन के कारण संकट में हैं। यह समझौता जैव विविधता सम्मेलन (CBD) के तहत वर्ष 2030 तक 30% समुद्री और तटीय क्षेत्रों की रक्षा करने के वैश्विक लक्ष्य का समर्थन करता है।
- यह संधि चार मुख्य क्षेत्रों को लक्षित करती है:
  - » राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे समुद्री संरक्षित क्षेत्रों (MPAs) का निर्माण
  - » हाई सीज़ में गतिविधियों के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA)
  - » समुद्री आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच और उनसे प्राप्त लाभों का साझा करना
  - » विकासशील देशों के लिए क्षमता निर्माण और समुद्री प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण
- जून 2025 तक, 56 देशों ने इस संधि की पुष्टि (ratify) कर दी है। इसके कानूनी रूप से लागू होने के लिए 60 पुष्टि आवश्यक हैं, जिसके बाद 120 दिनों की उलटी गिनती शुरू होगी। 160 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन पुष्टि के लिए घरेलू कानूनों में समायोजन जरूरी है।
- अमेरिका और भारत ने अब तक इसे पुष्टि नहीं की है, हालांकि भारत ने कहा है कि यह "प्रक्रिया में है।" संयुक्त राष्ट्र को उम्मीद है कि सितंबर तक यह संख्या 70 तक पहुंच जाएगी और 2026 में पहला BBNJ पार्टियों का सम्मेलन (COP) आयोजित होगा।

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ:

- सबसे बड़ी चुनौती समुद्री आनुवंशिक संसाधनों से प्राप्त लाभों को न्यायसंगत तरीके से साझा करने की है, जो अक्सर गहरे समुद्री क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनका उपयोग दवा, जैव प्रौद्योगिकी और कृषि में हो सकता है, लेकिन ये राष्ट्रीय नियंत्रण से बाहर होते हैं, जिससे लाभ साझा करने को लेकर विवाद उत्पन्न होते हैं।
- पर्यावरण समूहों ने यह भी कहा है कि संधि में स्पष्ट रूप से निष्कर्षण (extraction) पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जिससे महासागर शोषण के लिए अब भी असुरक्षित रह सकते हैं।

UNOC 2025 में प्रमुख घोषणाएँ:

- **यूरोपीय आयोग:** महासागर संरक्षण और सतत मत्स्य पालन के लिए €1 बिलियन
- **फ्रेंच पोलिनेशिया:** विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र (पूरा EEZ, ~50 लाख वर्ग किमी)
- **न्यूज़ीलैंड:** प्रशांत क्षेत्र में महासागर शासन के लिए $52 मिलियन
- **जर्मनी:** बाल्टिक और उत्तरी समुद्रों में पुराने गोला-बारूद को हटाने के लिए €100 मिलियन
- **37 देशों का हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर ए क्वायट ओशन:** पनामा और कनाडा के नेतृत्व में समुद्री ध्वनि प्रदूषण से लड़ने हेतु
- **इटली:** समुद्री निगरानी को बढ़ाने के लिए €6.5 मिलियन
- **कनाडा:** छोटे द्वीपीय विकासशील देशों में जलवायु लचीलापन के लिए $9 मिलियन
- **स्पेन:** अपने समुद्री क्षेत्र का 25% कवर करने के लिए पाँच नए संरक्षित क्षेत्र
- **संयुक्त राष्ट्र एजेंसियाँ:** "वन ओशन फाइनेंस" की शुरुआत – ब्लू इकोनॉमी क्षेत्रों में निवेश जुटाने की वैश्विक पहल

निष्कर्ष:

जैसे-जैसे BBNJ संधि कानूनी रूप से लागू होने के करीब पहुँच रही है, अब ध्यान इसके प्रभावी कार्यान्वयन और देशों के बीच सच्चे सहयोग पर केंद्रित हो गया है ताकि उच्च समुद्री क्षेत्रों जो कि पृथ्वी के अंतिम अप्रशासित सीमांतों में से हैं, की रक्षा की जा सके।

इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA)

संदर्भ:

हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA) की पहली सभा नई दिल्ली में आयोजित की गई, जहाँ पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को नौ संस्थापक देशों के प्रतिनिधियों द्वारा सर्वसम्मति से IBCA के पहले अध्यक्ष

के रूप में चुना गया। इस सभा में मुख्यालय समझौते को भी अनुमोदित किया गया, जिससे IBCA का संचालन केंद्र आधिकारिक रूप से भारत में स्थापित हो गया है। भविष्य में सदस्य देशों में इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी खोले जाएंगे।

IBCA के बारे में:

- IBCA की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल, 2023 को "प्रोजेक्ट टाइगर" की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर की थी।
- इस पहल का मुख्य उद्देश्य सात प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों का संरक्षण करना है: टाइगर, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा।
- 29 फरवरी 2024 को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने IBCA की स्थापना को मंजूरी दी, और इसका मुख्यालय भारत में स्थापित किया गया।
- इस पहल का नेतृत्व राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) ने किया, जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के अंतर्गत कार्यरत है।
- IBCA की सदस्यता सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के लिए खुली है, विशेष रूप से उन देशों के लिए जहाँ ये प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा वे देश भी सदस्य बन सकते हैं जो संरक्षण प्रयासों में सहयोग देना चाहते हैं। सितंबर 2024 तक विश्व के 95 रेंज देशों में से 25 देश IBCA के सदस्य बन चुके थे।

IBCA की स्थापना क्यों की गई?

- IBCA की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों से की गई:
  - » बड़ी बिल्लियों के प्रति बढ़ते खतरों से निपटना।
  - » संरक्षण प्रयासों को एकजुट करना और सर्वोत्तम तरीकों को साझा करना।
  - » सांझा शोध, क्षमता निर्माण और वित्तीय सहायता को बढ़ावा देना।
  - » शीर्ष शिकारी प्रजातियों की रक्षा के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित करना।

IBCA के कार्य:

- संरक्षण रणनीतियों के लिए देशों के बीच सहयोग।
- तकनीकी साझेदारी, शोध और डेटा का आदान-प्रदान।
- सदस्य देशों के लिए वित्तीय सहायता।
- शिकार विरोधी प्रशिक्षण और समन्वय।
- इको-टूरिज्म और सतत विकास को बढ़ावा देना।
- सीमाओं के पार बड़ी बिल्लियों की निगरानी।

संरक्षित बड़ी बिल्ली प्रजातियाँ और उनकी संरक्षण स्थिति:

प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	IUCN स्थिति	CITES स्थिति	वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (भारत)
बाघ (Tiger)	पैंथेरा टाइग्रिस	संकटग्रस्त	परिशिष्ट-I	अनुसूची-1
एशियाई शेर	पैंथेरा लियो पर्सिका	संकटग्रस्त	परिशिष्ट-I	अनुसूची-1
तेंदुआ	पैंथेरा पार्डस	असुरक्षित	परिशिष्ट-I	अनुसूची-1
हिम तेंदुआ	पैंथेरा अन्सिया	असुरक्षित	परिशिष्ट-I	अनुसूची-1
चीता	एसिनोनिक्स जुबेटस	असुरक्षित	परिशिष्ट-I	अनुसूची-1
जैगुआर (Jaguar)	पैंथेरा ओंका	निकट संकटग्रस्त	परिशिष्ट-I	भारत में नहीं पाई जाती
प्यूमा (Puma)	प्यूमा कॉनकलर	कम संकटग्रस्त	परिशिष्ट-I	भारत में नहीं पाई जाती

निष्कर्ष:

IBCA वैश्विक स्तर पर बड़ी बिल्लियों के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसकी समग्र और सहयोगात्मक संरचना इन जीवों और उनके आवासों को भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने में मदद कर सकती है।

पोर्टुलाका भारत

संदर्भ:

राजस्थान के जयपुर के पास अरावली की पहाड़ियों में एक नई फूलदार पौधे की प्रजाति पोर्टुलाका भारत की खोज हुई है। यह दुर्लभ खोज, ऐतिहासिक गलताजी मंदिर के पास स्थित शुष्क और पथरीली ढलानों में की गई, जो भारत के शुष्क क्षेत्रों की छुपी हुई जैव विविधता को उजागर करती है और कम खोजे गए क्षेत्रों में आवास संरक्षण के महत्व को रेखांकित करती है।

अनुसंधान की मुख्य विशेषताएँ:

- पोर्टुलाका भारत एक नई खोजी गई फूलदार पौधे की प्रजाति है, जो अरावली की पहाड़ियों की सूखी ढलानों की पथरीली दरारों में पाई गई है। अब तक, इस प्रजाति के केवल 10 पौधे ही वन्य रूप में पाए गए हैं, जिससे यह अत्यंत दुर्लभ और संकटग्रस्त मानी जाती है।
- इस पौधे को हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर और लखनऊ में नियंत्रित परिस्थितियों में उगाया गया ताकि इसके विकास पैटर्न और बनावट की स्थिरता को समझा जा सके। राष्ट्रीय हर्बेरियम संग्रह से तुलना करने के बाद इसे आधिकारिक रूप से नई प्रजाति के रूप में मान्यता दी गई।
- मौजूदा जानकारी की कमी के कारण इसे फिलहाल IUCN रेड लिस्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार "डेटा अपर्याप्त" (Data Deficient) की श्रेणी में रखा गया है।
- इस खोज को औपचारिक रूप से अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक जर्नल Phytotaxa में प्रकाशित किया गया है। शोध दल में कोलकाता और देहरादून स्थित भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (BSI) के सदस्य शामिल थे।

पोर्टुलाका भारत की वनस्पति विशेषताएँ:

 » विपरीत दिशा में और थोड़े अंदर की ओर मुड़े हुए पत्ते
 » हल्के पीले रंग के फूल जिनके सिरे क्रीम-सफेद रंग में बदलते हैं
 » परागकण धारकों (stamen filaments) पर ग्रंथियुक्त रोयें
 » शुष्क परिस्थितियों के अनुकूल मोटी जड़ प्रणाली

- ये विशेषताएँ पोर्टुलाका भारत को भारत में पाए जाने वाले अन्य पोर्टुलाका वंश के पौधों से अलग बनाती हैं। यह वंश कठोर और रसदार पौधों का समूह है, जो उष्णकटिबंधीय और अर्ध-शुष्क पर्यावरण में पाए जाते हैं।

पारिस्थितिकीय महत्व:

- पोर्टुलाका वंश में विश्व स्तर पर लगभग 153 प्रजातियाँ हैं, जिनमें से 11 भारत में ज्ञात हैं, और इनमें से 4 स्थानिक (endemic) हैं।
- पोर्टुलाका भारत भारत की स्थानिक वनस्पतियों में एक नया योगदान देता है और अरावली जैसे अर्ध-शुष्क क्षेत्रों के पारिस्थितिक महत्व को दर्शाता है।
- अरावली पर्वतमाला, जो पृथ्वी की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, अद्वितीय सूक्ष्म-आवासों का समर्थन करती है और पौधों की स्थानिकता के लिए एक हॉटस्पॉट मानी जाती है।

PORTULACA BHARAT

A RARE FLORAL TREASURE UNEARTHED NEAR JAIPUR

A rare new species of flowering plant, named *Portulaca bharat*, was recently discovered in the Aravall Hills near Jaipur and officially documented on 17 June 2025 in the journal *Phytotaxa*.

Found near the Galtaji Temple. only about 10 plants have been observed so far. The species stands out with its pale–yellow flowers, thick roots, and uniquely shaped leaves—features that help it survive in dry, rocky terrain. The plant belongs to the *Portulaca* genus, which has 11 Indian species, four endemic.

Discovered by Nishant Chauhan with Botanical Survey of India scientists, *P. bharat* is classified 'Data Deficient' by IUCN due to its highly restricted range and presence.

संरक्षण संबंधी चिंताएँ:

- पोर्टुलाका भारत की केवल एक ही ज्ञात आबादी है और यह विशिष्ट आवास परिस्थितियों पर निर्भर है, जिससे यह जलवायु परिवर्तन, भूमि क्षरण और आवास क्षति के प्रति संवेदनशील बन जाती है।
- शोधकर्ताओं ने लक्षित फील्ड सर्वेक्षण, इन सिटू (प्राकृतिक आवास में) संरक्षण और एक्स सिटू (प्राकृतिक आवास के बाहर) संरक्षण उपायों की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है।
- अरावली जैसे शुष्क पारिस्थितिक तंत्रों को अक्सर संरक्षण योजनाओं में नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि इनका जैव विविधता में महत्वपूर्ण योगदान है।

व्यापक प्रभाव:

- पोर्टुलाका भारत की खोज निम्नलिखित क्षेत्रों में नए शोध मार्ग खोलती है:
    - » फाइटोजियोग्राफिकल अनुसंधान (वनस्पति वितरण का अध्ययन), शुष्क क्षेत्रों में विकासात्मक पैटर्न को समझने के लिए।
    - » संरक्षण जीवविज्ञान, विशेष रूप से सीमित क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों पर ध्यान केंद्रित करना।
    - » जलवायु सहनशीलता अध्ययन, विशेषकर चरम परिस्थितियों में अनुकूलित पौधों के माध्यम से।

निष्कर्ष:

पोर्टुलाका भारत, केवल एक वनस्पति खोज नहीं है बल्कि यह भारत की शुष्क भूमि में छिपी हुई पारिस्थितिक संपदा का एक सामयिक स्मरण करवाता है। ऐसी दुर्लभ प्रजातियों और उनके नाजुक आवासों की रक्षा के लिए संरक्षण उपायों को मजबूत करना और वैज्ञानिक सर्वेक्षणों में निवेश करना आवश्यक है।

मगरमच्छ संरक्षण के 50 साल

संदर्भ:

हाल ही में 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया गया। वर्ष 2025 में भारत अपने मगरमच्छ संरक्षण कार्यक्रम के 50 वर्ष पूरे कर रहा है। यह राष्ट्रीय प्रयास, जो 1975 में शुरू हुआ था, देश में प्रजातियों के पुनरुद्धार के सबसे सफल उदाहरणों में से एक है। ओडिशा ने इस कार्यक्रम की शुरुआत और इसे बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है।

पृष्ठभूमि:

- मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1 अप्रैल 1975 को भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के सहयोग से शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य भारत की तीन देशज मगरमच्छ प्रजातियों की रक्षा करना था:
    - » घड़ियाल (Gavialis gangeticus)
    - » नमकीन पानी का मगरमच्छ (Crocodylus porosus)
    - » मगर या दलदली मगरमच्छ (Crocodylus palustris)
- परियोजना की शुरुआत के समय, इन तीनों प्रजातियों के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा था। इनके आवास नष्ट हो रहे थे, शिकार किया जा रहा था, और मानवीय गतिविधियों से बाधाएं उत्पन्न हो रही थीं।

ओडिशा की भूमिका:

- ओडिशा भारत के पहले वैज्ञानिक मगरमच्छ संरक्षण कार्य का केंद्र बना। यह देश का एकमात्र राज्य है जहाँ तीनों मगरमच्छ प्रजातियाँ वन्य अवस्था में पाई जाती हैं। प्रत्येक प्रजाति के लिए ओडिशा में विशिष्ट स्थानों की पहचान की गई:
    - » घड़ियाल के लिए टिकरपाड़ा (महानदी नदी)
    - » नमकीन पानी के मगरमच्छ के लिए डंगमाल (भितरकनिका मैंग्रोव)
    - » मगर के लिए रामतीर्थ (मयूरभंज ज़िले की नदी धाराएँ)
- 1975 में ओडिशा पहला राज्य बना जिसने मगरमच्छों के अंडे को पालने के लिए केंद्र स्थापित किए। इन केंद्रों ने जंगल में रखे गए अंडों को इकट्ठा किया, नियंत्रित परिस्थितियों में उन्हें सेया और बच्चों को तब तक पाला जब तक वे प्राकृतिक आवास में छोड़ने लायक सुरक्षित आकार के न हो गए।
- पहली सफल हैचिंग जून 1975 में टिकरपाड़ा और डंगमाल में हुई, परियोजना शुरू होने के केवल दो महीने बाद।

मुख्य उपलब्धियाँ:

- ओडिशा पहला राज्य था जिसने मगरमच्छ संरक्षण के लिए प्रशिक्षित वन्यजीव जीवविज्ञानी नियुक्त किए।
- इसने नंदनकानन चिड़ियाघर और डंगमाल में घड़ियालों के लिए प्रजनन तालाब बनाए।
- इसने पाले-पोसे गए घड़ियालों और नमकीन पानी के मगरमच्छों को पहली बार जंगल में छोड़ा।
- ओडिशा ने अंतरराष्ट्रीय सहयोगों में भी भाग लिया, जैसे कि जर्मनी की फ्रैंकफर्ट ज़ूलॉजिकल सोसाइटी से एक वयस्क नर घड़ियाल मंगवाना ताकि प्रजनन में सुधार हो सके।
- भितरकनिका और सतकोसिया को मगरमच्छों के लिए संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया और बाद में इन्हें राष्ट्रीय उद्यान तथा टाइगर रिज़र्व का दर्जा भी दिया गया।

वर्तमान स्थिति:

- भारत के पास अब दुनिया की लगभग 80% वन्य घड़ियाल आबादी है, जिसकी संख्या लगभग 3,000 आंकी गई है।
- वन में नमकीन पानी के मगरमच्छों की संख्या बढ़कर लगभग 2,500 हो गई है, जिनमें सबसे बड़ा समूह ओडिशा के भितरकनिका में है।
- मगरमच्छ की संख्या भी अच्छी तरह बढ़ी है, जिनकी वन्य संख्या अब 8,000 से 10,000 के बीच है।

नया घड़ियाल परियोजना:

- मार्च 2025 में एक नई राष्ट्रीय घड़ियाल संरक्षण परियोजना की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य घड़ियालों को गंगा और इसकी सहायक नदियों के साथ-साथ ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी प्रणालियों में उनके पुराने आवासों में फिर से बसाना है। यह परियोजना ओडिशा की महानदी नदी में मौजूदा आबादी को भी मजबूत करने की योजना रखती है।

निष्कर्ष:

पिछले 50 वर्षों में भारत के मगरमच्छ संरक्षण प्रयासों ने तीनों प्रजातियों की वन्य आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि की है। ओडिशा की शुरुआती और लगातार की गई संरक्षण, अनुसंधान और आवास सुरक्षा की कोशिशों ने इस सफलता में अहम भूमिका निभाई है। जैसे-जैसे यह कार्यक्रम अपने छठे दशक में प्रवेश कर रहा है, देशभर में मगरमच्छ संरक्षण को विस्तार और मजबूती देने की नई योजनाएँ बनाई जा रही हैं।

यूरेशियन ऊदबिलाव

संदर्भ:

यूरेशियन ऊदबिलाव (Lutra lutra), जिसे लंबे समय से कश्मीर में विलुप्त माना जा रहा था, हाल ही में दक्षिण कश्मीर के श्रीगुफवारा क्षेत्र में लिद्दर नदी में देखा गया। यह अप्रत्याशित दृश्य स्थानीय वन्यजीव संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण प्रगति है, क्योंकि यह वर्ष 2025 में घाटी में इस ऊदबिलाव की तीसरी उपस्थिति है।

यूरेशियन ऊदबिलाव के बारे में:

- ऊदबिलाव स्तनधारियों के उस समूह से संबंधित हैं जिसे मस्टेलिडी (Mustelidae) कहा जाता है और ये मीठे पानी तथा समुद्री दोनों प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं।
- जम्मू और कश्मीर में इन्हें 'वोडुर' कहा जाता है और ये जल-परिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।
- ये प्रायः भोर और संध्या के समय सक्रिय रहते हैं इसलिए इन्हें संध्याकालीन जीव कहा जाता है।
- ये हिमालय, पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमी घाटों में पाए जाते हैं।
- यूरेशियन ऊदबिलाव मछलियाँ, झींगे और कभी-कभी सरीसृप, पक्षी, अंडे, कीट और कीड़े भी इनके आहार श्रृंखला में है।
  - » **संरक्षण स्थिति:** इन्हें IUCN द्वारा निकट संकटग्रस्त (Near Threatened) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में शामिल किया गया है और CITES के परिशिष्ट-I में भी रखा गया है।
  - » **भारत में पाए जाने वाले अन्य ऊदबिलाव प्रजातियाँ:** भारत में स्मूद-कोटेड ऊदबिलाव (जो पूरे देश में पाया जाता है) और स्मॉल-क्लॉड ऊदबिलाव (जो हिमालय और दक्षिण भारत में पाया जाता है) भी मौजूद हैं।

संख्या में गिरावट के कारण:

- **जल प्रदूषण:** कश्मीर की नदियों और झीलों में बढ़ता प्रदूषण जैसे सीवेज, प्लास्टिक कचरा, कृषि रसायन और अनियंत्रित पर्यटन ने ऊदबिलाव के प्राकृतिक आवास को नष्ट कर दिया। चूँकि ऊदबिलाव स्वच्छ जल और स्वस्थ मछली आबादी पर निर्भर करते हैं, प्रदूषित पारिस्थितिकी तंत्र ने इन्हें वहाँ से बाहर कर दिया।
- **फ़र के लिए शिकार:** पहले ऊदबिलावों का शिकार उनके मुलायम और जलरोधक फ़र के लिए किया जाता था, जिससे इनकी संख्या में भारी गिरावट आई।

यह क्यों महत्वपूर्ण है:

- यूरेशियन ऊदबिलाव की वापसी एक सकारात्मक पारिस्थितिक संकेत है। मीठे जल के आवासों में शीर्ष शिकारी होने के नाते, ऊदबिलाव जलीय खाद्य श्रृंखला में संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। इनकी उपस्थिति अक्सर एक अपेक्षाकृत स्वस्थ नदी प्रणाली का संकेत होती है।
- हालाँकि, विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ दृश्य मिलने का मतलब यह नहीं है कि आबादी पूरी तरह से पुनर्स्थापित हो गई है। यह एकाकी जीव हो सकता है या किसी छिपी हुई छोटी आबादी का हिस्सा हो सकता है। इसके लिए अधिक फील्ड शोध और दीर्घकालीन निगरानी की आवश्यकता होगी।

लिद्दर नदी के बारे में:

- लिद्दर नदी, दक्षिण कश्मीर की एक स्वच्छ और तेज बहाव वाली नदी है। यह हिमालय की हिमनदियों से निकलती है और सुंदर लिद्दर घाटी, जिसमें पहलगाम शहर शामिल है, से होकर बहती है।
- यह नदी पहलगाम के पास दो शाखाओं "पूर्वी लिद्दर और पश्चिमी लिद्दर" में बंट जाती है। यह झेलम नदी की एक शाखा है और मछलियों, वन्यजीवों तथा स्थानीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण है।
- यह नदी पर्यटन को भी सहारा देती है और क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाती है।

धनुषकोडी लैगून घोषित हुआ ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य

संदर्भ:

हाल ही में 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने रामेश्वरम द्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित 5.3 वर्ग किमी (524.8 हेक्टेयर) के लैगून को ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया। यह पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील वेटलैंड सेंट्रल एशियन फ्लाईवे (दुनिया के प्रमुख प्रवासी पक्षी मार्गों में से एक) पर एक महत्वपूर्ण ठहराव स्थल है।

लैगून का पारिस्थितिक महत्व:

- नया घोषित अभयारण्य जैव विविधता से परिपूर्ण है और प्रवासी एवं स्थायी पक्षी प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण आश्रय स्थल है।
- हाल की वेटलैंड बर्ड जनगणना में 128 विभिन्न प्रजातियों के कुल 10,761 पक्षी दर्ज किए गए, जो इसे विश्राम और भोजन का महत्वपूर्ण क्षेत्र दर्शाते हैं।

समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र:

- पक्षियों के अलावा, धनुषकोडी लैगून निम्नलिखित के लिए एक पोषण क्षेत्र (नर्सरी हैबिटेट) भी है:
  - मछलियाँ
  - शंख-घोंघे (मोलस्क)
  - झींगा और केकड़ा (क्रस्टेशियन्स)
- ये जीव लैगून के खारे पानी और समृद्ध वनस्पति पर अपने प्रारंभिक विकास चरणों में निर्भर करते हैं। यह स्थानीय मछली पालन को सहारा देता है, जो समुदायों की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है।
- लैगून के समीप स्थित धनुषकोडी समुद्र तट समुद्री कछुओं के लिए एक महत्वपूर्ण अंडे देने का स्थल भी है, जिससे इस क्षेत्र का पारिस्थितिक महत्व और बढ़ जाता है।

मैन्ग्रोव वन और वनस्पतिक विविधता:

- अभयारण्य का पारिस्थितिक तंत्र रेत के टीले, दलदल और मैन्ग्रोव वनों का अनूठा संयोजन प्रस्तुत करता है।
- यह क्षेत्र 47 पौधों की प्रजातियों का घर है, जिनमें प्रमुख मैन्ग्रोव प्रजातियाँ शामिल हैं:
  - एविसेनिया
  - राइज़ोफोरा
- ये मैन्ग्रोव निम्नलिखित पारिस्थितिक कार्य करते हैं:
  - तटीय रेखा को स्थिर बनाना
  - कटाव को रोकना
  - तूफानों के प्रभाव से प्राकृतिक ढाल प्रदान करना
  - समुद्री जीवों और पक्षियों को आश्रय प्रदान करना
- इसके अलावा, जड़ी-बूटी, झाड़ी और वृक्ष जैसी अन्य वनस्पतियाँ कीटों, पक्षियों और छोटे स्तनधारियों सहित व्यापक जीवन तंत्र को सहारा देती हैं, जिससे यह क्षेत्र एक जीवंत और आपस में जुड़ा हुआ पारिस्थितिक तंत्र बनाता है।

भारत में फ्लेमिंगो पक्षी:

- भारत में दो प्रकार की फ्लेमिंगो प्रजातियाँ पाई जाती हैं: ग्रेटर फ्लेमिंगो (Phoenicopterus roseus) और लेसर फ्लेमिंगो (Phoeniconaias minor)।
- ग्रेटर फ्लेमिंगो सबसे बड़ी और सबसे व्यापक रूप से पाई जाने वाली प्रजाति है, जिसे गुलाबी-सफेद शरीर, गुलाबी चोंच के काले सिरे और पीली आँखों से पहचाना जाता है। यह भारत में खारे और मीठे दोनों प्रकार के जलवेटलैंड्स में पाई जाती है, केवल उच्च हिमालय, पूर्वी और उत्तर-पूर्व भारत को छोड़कर। यह गुजरात का राज्य पक्षी भी है।
  - **संरक्षण स्थिति:** IUCN – कम चिंता; CITES – परिशिष्ट II
- लेसर फ्लेमिंगो सबसे छोटी प्रजाति है, जो अपने "हैलक्स" या पीछे के पंजे के कारण पहचानी जाती है। यह मुख्य रूप से नीले-हरे शैवाल पर भोजन करती है और मुख्य रूप से पश्चिम भारत के खारे वेटलैंड्स में पाई जाती है, जैसे गुजरात, राजस्थान और मुंबई।
  - **संरक्षण स्थिति:** IUCN – निकट संकटग्रस्त; CITES – परिशिष्ट II

संरक्षण और समुदाय पर प्रभाव:

- इस वेटलैंड को अभयारण्य घोषित करना न केवल जैव विविधता की

दृष्टि से एक जीत है, बल्कि प्रवासी और स्थायी पक्षियों के आवास की औपचारिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तमिलनाडु सरकार का उद्देश्य है:

- दीर्घकालिक पारिस्थितिक अखंडता सुनिश्चित करना
- वेटलैंड संरक्षण के प्रति जनजागरूकता बढ़ाना
- उत्तरदायी पर्यटन को प्रोत्साहित करना

निष्कर्ष:

धनुषकोडी लैगून को ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित करना तमिलनाडु के नाज़ुक वेटलैंड पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह विभिन्न पक्षी प्रजातियों को सुरक्षित करता है, समुद्री जीवन को सहारा देता है, और संरक्षण आधारित पर्यटन और मत्स्य पालन के माध्यम से स्थानीय आजीविकाओं को सशक्त करता है।

राजस्थान के उदयपुर और फालोदी स्थलों को मिली रामसर मान्यता

संदर्भ:

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारत ने दो नई आर्द्रभूमियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित क्षेत्रों की सूची में शामिल कराया है। ये स्थल "उदयपुर स्थित मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स और फालोदी में स्थित खीचन वेटलैंड हैं। इन दोनों के शामिल होने के साथ ही भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर 91 हो गई है।

रामसर कन्वेंशन के बारे में:

- रामसर कन्वेंशन एक अंतर-सरकारी संधि है, जिस पर 1971 में ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षर किए गए थे। इसका उद्देश्य आर्द्रभूमियों का संरक्षण और उनका सतत (टिकाऊ) उपयोग सुनिश्चित करना है। इस संधि के तहत जिन आर्द्रभूमियों को मान्यता दी जाती है, उन्हें "रामसर स्थल" या "अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियाँ" कहा जाता है।
- इस कन्वेंशन के अनुसार, आर्द्रभूमियों की परिभाषा बहुत व्यापक है। इसमें वे सभी क्षेत्र शामिल हैं जो पीटलैंड या जल के क्षेत्र , चाहे प्राकृतिक हों या कृत्रिम, स्थायी हों या अस्थायी, जिनका पानी स्थिर हो या बहता हो, ताजा, खारा या नमकीन हो। यहाँ तक कि वे समुद्री क्षेत्र भी शामिल हैं जहाँ ज्वार के समय पानी की गहराई छह मीटर से अधिक नहीं होती।
- किसी आर्द्रभूमि को रामसर स्थल घोषित करने के लिए उसमें निम्न में से एक या अधिक मानदंडों को पूरा करना आवश्यक होता है, जैसे:
  - किसी दुर्लभ या विशेष प्रकार की आर्द्रभूमि का प्रतिनिधित्व करना
  - संकटग्रस्त, लुप्तप्राय या अति संकटग्रस्त प्रजातियों को आश्रय देना
  - प्रवासी पक्षियों और मछलियों के लिए सुरक्षित आवास प्रदान करना

मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स के बारे में:

- मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स दक्षिणी राजस्थान में स्थित है और इसमें तीन प्रमुख तालाब "ब्रह्म तालाब, धान्द तालाब और खेड़ा तालाब" शामिल हैं। ये तालाब आसपास की कृषि भूमि से जुड़े हुए हैं, जो मानसून के दौरान जलभराव के कारण एक विशाल आर्द्रभूमि में बदल जाती है। यह मौसमी जलभराव पक्षियों के लिए एक आदर्श प्राकृतिक आवास प्रदान करता है।
- यहाँ की जैव विविधता उल्लेखनीय है:
  - कुल 110 जल पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से 67 प्रवासी पक्षी हैं।
  - यह क्षेत्र दो अत्यंत संकटग्रस्त प्रजातियों "सफेद पीठ वाले गिद्ध और लंबी चोंच वाले गिद्ध" को भी आश्रय प्रदान करता है।

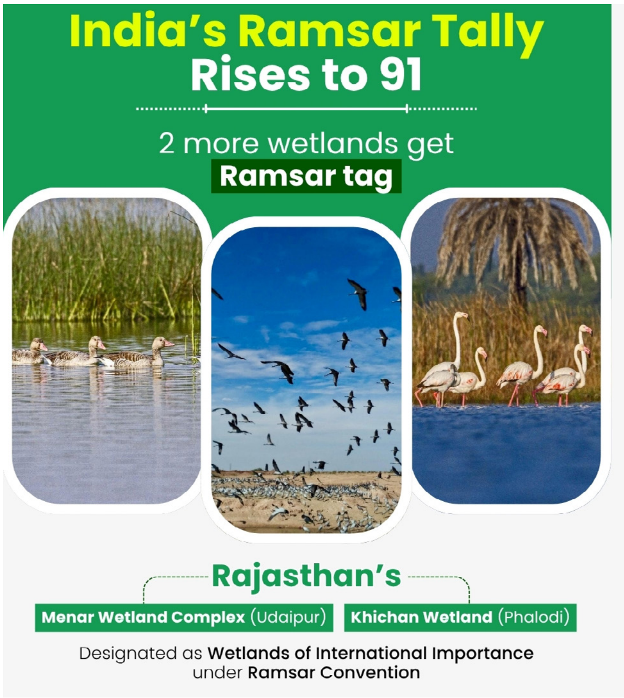

खीचन वेटलैंड के बारे में:

- खीचन वेटलैंड उत्तर-पश्चिमी राजस्थान के थार मरुस्थल क्षेत्र में स्थित है। इसमें दो प्रमुख जल स्रोत "रात्रि नदी और विजयसागर तालाब" शामिल हैं, साथ ही आसपास की झाड़ियों और नदी किनारे की भूमि भी इसका हिस्सा हैं। यह शुष्क और अर्ध-रेगिस्तानी परिदृश्य पक्षियों के लिए अत्यंत अनुकूल वातावरण प्रदान करता है।
- यहाँ की प्रमुख विशेषताएँ हैं:
  - 150 से अधिक पक्षी प्रजातियाँ, जिनमें कई प्रवासी पक्षी भी शामिल हैं।
  - हर वर्ष सर्दियों में आने वाली डेमोइसेल क्रेनों की विशाल झुंड, जिनकी संख्या 22,000 से अधिक होती है।

वैश्विक और एशियाई रैंकिंग:

- **वैश्विक रैंकिंग:** भारत (91) विश्व स्तर पर यूनाइटेड किंगडम (176 साइट) और मैक्सिको (144 साइट) के बाद तीसरे स्थान पर है।
- **एशियाई नेतृत्व:** रामसर स्थलों की संख्या के मामले में भारत एशिया में अग्रणी है ।

आर्द्रभूमियों का महत्व:

- आर्द्रभूमियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जो न केवल प्रकृति की विविधता को बनाए रखने में सहायक हैं, बल्कि मानव जीवन के लिए भी अनेक लाभ प्रदान करती हैं:
  - **जैव विविधता का संरक्षण:** ये क्षेत्र विभिन्न वनस्पतियों और जीव-जंतुओं का आवास हैं और विशेष रूप से प्रवासी पक्षियों के लिए सुरक्षित आश्रय स्थल प्रदान करते हैं।
  - **बाढ़ नियंत्रण:** आर्द्रभूमियाँ अतिरिक्त जल को अपने भीतर समाहित कर लेती हैं, जिससे बाढ़ की संभावना कम हो जाती है और जल प्रवाह संतुलित रहता है।
  - **जल संसाधन का स्रोत:** ये पीने के पानी, सिंचाई और औद्योगिक उपयोग के लिए आवश्यक जल का एक प्रमुख स्रोत हैं।
  - **प्रवासी पक्षियों का ठिकाना:** ये स्थल प्रवासी पक्षियों के प्रवास मार्ग और उनके जीवन चक्र में अहम भूमिका निभाते हैं, जिससे वैश्विक पारिस्थितिक संतुलन बना रहता है।

निष्कर्ष:

भारत में रामसर स्थलों की बढ़ती संख्या यह स्पष्ट संकेत देती है कि देश पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन को लेकर प्रतिबद्ध है। मेनार और खीचन जैसे आर्द्रभूमि क्षेत्रों को अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिलना न केवल जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए इन मूल्यवान पारिस्थितिकी तंत्रों को सुरक्षित रखने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास भी है।

चंडीगढ़ में परजीवी ततैया की एक नई प्रजाति की खोज

संदर्भ:

लगभग छह दशकों बाद वैज्ञानिकों ने भारत में लॉसग्ना (Losgna) वंश की पुनः खोज की है। उन्होंने लॉसग्ना ऑक्सिडेंटालिस (Losgna occidentalis) नाम की परजीवी ततैया की एक नई प्रजाति की पहचान की, जो चंडीगढ़ के एक शहरी शुष्क झाड़ीदार जंगल से मिली है। यह खोज भारत की जैव विविधता की अनदेखी समृद्धि को उजागर करती है और वर्गीकरण और संरक्षण प्रयासों के महत्व को रेखांकित करती है।

ततैया के बारे में:

- ततैया एक प्रकार का कीट है जो हाइमेनोप्टेरा (Hymenoptera) नामक समूह के एपोक्रिटा (Apocrita) उपसमूह से जुड़ा होता है। यह वे कीट होते हैं जो न तो मधुमक्खी होते हैं और न ही चींटी। कुछ कीट जैसे सॉफ़्लाईज़ (sawflies) देखने में ततैया जैसे लगते हैं, लेकिन वे एक अलग समूह में आते हैं, इसलिए उन्हें ततैया नहीं माना जाता।

खोज का महत्व:

- लॉसग्ना प्रजाति की पुनः खोज कई कारणों से महत्वपूर्ण है:
  - **नई प्रजाति:** लॉसग्ना की खोज ओक्सीडेंटलिस परजीवी ततैया की एक नई प्रजाति का प्रतिनिधित्व करता है, जो भारत में विशाल अज्ञात जैव विविधता को उजागर करता है।
  - **पश्चिमी प्रजाति:** लोसग्ना ऑक्सीडेंटलिस इस वंश की सबसे पश्चिमी ज्ञात प्रजाति है, जिसके पूर्व अभिलेख केवल पूर्वी भारत के उष्णकटिबंधीय जंगलों और दक्षिण-पूर्व एशिया के समीपवर्ती क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं।
  - **वर्गीकरण का महत्व:** यह खोज भारत की जैव विविधता के दस्तावेजीकरण और संरक्षण में ठोस वर्गीकरण कार्य और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर जोर देती है।

संरक्षण से जुड़े संकेत:

- लॉसग्ना ऑक्सिडेंटालिस की खोज संरक्षण के लिहाज़ से कई ज़रूरी बातें सामने लाती है:
  - **आवासों की सुरक्षा:** यह खोज बताती है कि शहरी सूखे झाड़ीदार जंगल जैसे आवासों की रक्षा करना ज़रूरी है, क्योंकि इनमें कई अनोखी और सिर्फ उसी जगह पाई जाने वाली प्रजातियाँ रहती हैं।
  - **जैव विविधता का संरक्षण:** यह दिखाता है कि हमें भारत की वनस्पति और जीव-जंतुओं का ठीक से रिकॉर्ड रखना और उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए, खासकर जब प्राकृतिक आवास खत्म हो रहे हैं और जलवायु तेजी से बदल रही है।
  - **जनभागीदारी की भूमिका:** यह खोज यह भी बताती है कि आम लोग भी स्थानीय इलाकों में घूमकर और जिम्मेदारी से नमूने इकट्ठा करके वैज्ञानिक शोध और प्रकृति संरक्षण में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

लॉसग्ना ऑक्सिडेंटालिस के बारे में:

- लॉसग्ना ऑक्सिडेंटालिस ततैयों के इक्नेमोनिडे (Ichneumonidae) परिवार से संबंधित है, जो अपने अंडे अन्य कीटों के शरीर पर या भीतर देती हैं। यह ततैया परागण और जैविक नियंत्रण एजेंट के रूप में कार्य करती हैं और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं। भारत में लॉसग्ना वंश की पिछली रिकॉर्डिंग 1965 में हुई थी, इसलिए यह खोज बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

निष्कर्ष:

भारत में लॉसग्ना वंश की दोबारा खोज और लॉसग्ना ऑक्सिडेंटालिस नामक नई प्रजाति का वर्णन एक अहम उपलब्धि है, जो टैक्सोनॉमी, संरक्षण और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के महत्व को दर्शाती है। यह खोज इस बात की याद दिलाती है कि भारत की जैव विविधता में अभी बहुत कुछ छिपा हुआ है, जिसे पहचानने और संरक्षित करने की आवश्यकता है।

महासागर पारिस्थितिक तंत्र को बदल रहा है औद्योगिक प्रदूषण

संदर्भ:

2 जून 2025 को प्रोसीडिंग्स ऑफ़ द नेशनल एकेडमी ऑफ़ साइंसेज़ में प्रकाशित एक नई अध्ययन रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि औद्योगिक प्रदूषण महासागर में पोषक तत्वों के चक्र को बदल रहा है और पारिस्थितिक सीमाओं को विस्थापित कर रहा है विशेष रूप से उत्तर प्रशांत क्षेत्र में। शोध से यह सामने आया है कि इंसानों द्वारा उत्सर्जित लौह (iron) कण समुद्री फाइटोप्लैंकटन (सूक्ष्म पौधों) की वृद्धि को बढ़ा रहे हैं और सतही जल में पोषक तत्वों की तेजी से कमी का कारण बन रहे हैं।

अध्ययन की प्रमुख बातें:

- **मानवजनित लौह कण बढ़ा रहे हैं फाइटोप्लैंकटन की वृद्धि:** वसंत ऋतु में समुद्र की सतह पर पाए जाने वाले कुल लौह का लगभग 39% हिस्सा वायुमंडलीय प्रदूषण, विशेषकर पूर्वी एशिया से होने वाले औद्योगिक उत्सर्जन से आता है। ये लौह कण हवाओं के माध्यम से समुद्र तक पहुंचते हैं और फाइटोप्लैंकटन के प्रसार को बढ़ावा देते हैं, जो समुद्री खाद्य श्रृंखला की आधारशिला होते हैं।
- **लौह प्रदूषण में मौसमी बदलाव:** लौह की मात्रा वसंत में सबसे अधिक होती है, जब हवाएं तेज होती हैं और फाइटोप्लैंकटन की भरमार होती है। वैज्ञानिकों ने 2016, 2017 और 2019 के वसंत के दौरान और 2018 के शरद ऋतु में समुद्री अभियानों से डेटा इकट्ठा किया।
- **विशिष्ट समस्थानिक संकेत (Isotopic Signature):** औद्योगिक प्रदूषण से आया लौह एक अलग समस्थानिक संकेत रखता है, जिससे इसे समुद्री नमूनों में पहचाना जा सकता है। इसके लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया।

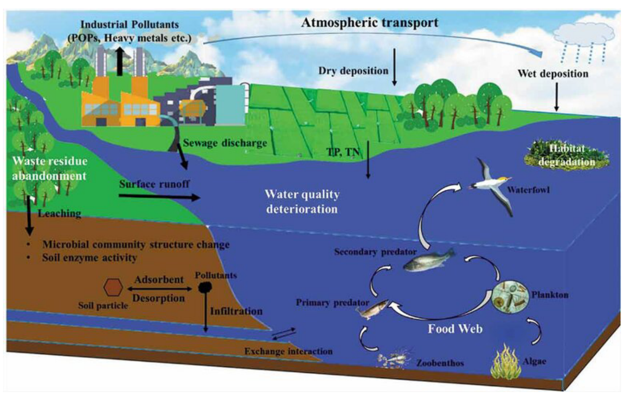

- **तेज पोषक तत्व खपत:** अधिक लौह की उपलब्धता से फाइटोप्लैंकटन तेजी से बढ़ते हैं, जिससे नाइट्रेट जैसे आवश्यक पोषक तत्व जल्दी समाप्त होने लगते हैं। इसका परिणाम यह हो सकता है कि कुछ समुद्री क्षेत्र नाइट्रोजन की कमी के दौर में चले जाएं, जहां पर्याप्त पोषक तत्व नहीं बचते।
- **पारिस्थितिक सीमाओं में दीर्घकालिक बदलाव:** पिछले 25 वर्षों में, वसंत ऋतु में फाइटोप्लैंकटन की तीव्र वृद्धि और तेज पोषक तत्व खत्म होने की प्रक्रिया के कारण ट्रांजिशन ज़ोन क्लोरोफिल फ्रंट (TZCF) नामक सीमा उत्तर की ओर खिसक रही है, यह वह सीमा है जो पोषक-समृद्ध और पोषक-गरीब जल क्षेत्रों को अलग करती है। इसका मतलब है कि महासागर में उत्पादकता के पैटर्न बदल रहे हैं।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

- फाइटोप्लैंकटन समुद्री जीवन श्रृंखला की बुनियाद होते हैं, इन पर झींगे, मछलियाँ, समुद्री पक्षी और व्हेल जैसे जीव निर्भर करते हैं।
- यदि अतिरिक्त लौह की वजह से पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं और क्षेत्र में पोषक की कमी हो जाती हैं, तो समुद्री जैवविविधता पर नकारात्मक असर पड़ेगा खासकर उन प्रजातियों पर जो जल्दी स्थानांतरित नहीं हो सकतीं। जिससे मत्स्य व्यवसाय और तटीय अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हो सकती हैं।
- फाइटोप्लैंकटन पृथ्वी के कार्बन चक्र में अहम भूमिका निभाते हैं। उनके कामकाज में बदलाव से जलवायु पर भी असर पड़ सकता है।
- बायोएक्यूम्युलेशन और बायोमैग्निफिकेशन जैसे प्रभावों के चलते, ये गड़बड़ियां मानव स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकती हैं।

निष्कर्ष:

यह अध्ययन स्पष्ट रूप से दिखाता है कि मानवजनित प्रदूषण अब पृथ्वी के सबसे दूरस्थ क्षेत्रों को भी प्रभावित कर रहा है। यह न केवल प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ रहा है, बल्कि महासागरों की पोषण प्रणाली और पारिस्थितिक सीमाओं को भी बदल रहा है। भविष्य में ऐसे प्रभावों की निगरानी और नियंत्रण वैश्विक समुद्री प्रशासन और जलवायु रणनीतियों का एक आवश्यक हिस्सा होना चाहिए।

सूखा: बदलती जलवायु में बढ़ती चिंता

संदर्भ:

हाल ही में जारी OECD की Global Drought Outlook रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के चलते सूखे की स्थिति अब पहले से अधिक बार, लंबे समय तक और अधिक गंभीर रूप में सामने आ रही है। ये लगातार बढ़ती सूखे की स्थिति न केवल जल सुरक्षा और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा हैं, बल्कि कृषि, खाद्य आपूर्ति और वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहे हैं।

मुख्य निष्कर्ष:

- 1900 से अब तक सूखे से प्रभावित वैश्विक भूमि क्षेत्र लगभग दोगुना हो गया है। आज पृथ्वी का करीब 40% हिस्सा बार-बार और पहले से अधिक ज़्यादा तीव्र सूखे की चपेट में आ रहा है।
- जो घटनाएँ पहले दुर्लभ मानी जाती थीं, अब वे सामान्य होती जा रही हैं। उदाहरणस्वरूप, 2022 में यूरोप में पड़ा भीषण सूखा और उत्तरी अमेरिका में वर्षों से जारी लंबा सूखा इस बदलाव की गंभीरता को दर्शाते हैं।
- लगातार बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण वर्षा के पैटर्न बिगड़ रहे हैं और वाष्पीकरण की दर तेज़ हो रही है, जिससे ताज़े पानी की उपलब्धता घटती जा रही है। IPCC की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, यदि वैश्विक तापमान 4°C तक बढ़ता है, तो सूखे की आवृत्ति और तीव्रता पूर्व-औद्योगिक युग की तुलना में सात गुना तक अधिक हो सकती है।

मानव और सामाजिक प्रभाव:

- 2021 में, विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने वैश्विक जलवायु की बिगड़ती स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कई प्रमुख रिपोर्टें जारी कीं। इन रिपोर्टों से पता चला कि प्राकृतिक आपदाओं में सूखे की हिस्सेदारी केवल 6% है, लेकिन ये कुल आपदा से होने वाली मौतों में 34% के लिए ज़िम्मेदार हैं।
- सूखा न केवल गरीबी को बढ़ाता है, बल्कि लोगों को आजीविका छोड़कर पलायन करने पर मजबूर कर देता है। इससे विशेष रूप से कमजोर और पिछड़े इलाकों में सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ और अधिक गहरी हो जाती हैं।
- जब सूखा लंबे समय तक बना रहता है, तो कई परिवार अपनी ज़मीन और घर छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं, जिससे विस्थापन, बेरोज़गारी और खाद्य असुरक्षा जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं।

पर्यावरणीय हानि:

- सूखे के कारण मरुस्थलीकरण बढ़ता है, जैव विविधता में गिरावट आती है और पारिस्थितिक तंत्र धीरे-धीरे नष्ट होने लगते हैं।
- 1980 के बाद से अब तक दुनिया की लगभग 37% भूमि में मिट्टी की नमी में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही नदियाँ और भूजल स्रोत भी लगातार कम होते जा रहे हैं।

- इन पर्यावरणीय बदलावों का असर केवल प्राकृतिक तंत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कार्बन भंडारण, जल शुद्धिकरण और जलवायु संतुलन जैसी महत्वपूर्ण पारिस्थितिक सेवाओं को भी गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं।

आर्थिक प्रभाव:

- सूखे से आर्थिक नुकसान लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2000 के बाद से एक औसत सूखे से नुकसान पहले की तुलना में दोगुना हो चुका है और अनुमान है कि 2035 तक यह लागत 35% से लेकर 110% तक और बढ़ सकती है।
- कृषि क्षेत्र सूखे से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। अत्यधिक सूखे वर्षों में फसल उत्पादन में 22% तक की गिरावट आ सकती है, जिससे वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाएं प्रभावित होती हैं।
- इसके अलावा, जलविद्युत उत्पादन, नदी परिवहन और औद्योगिक गतिविधियाँ भी प्रभावित होती हैं, क्योंकि पानी की उपलब्धता लगातार घटती जा रही है।

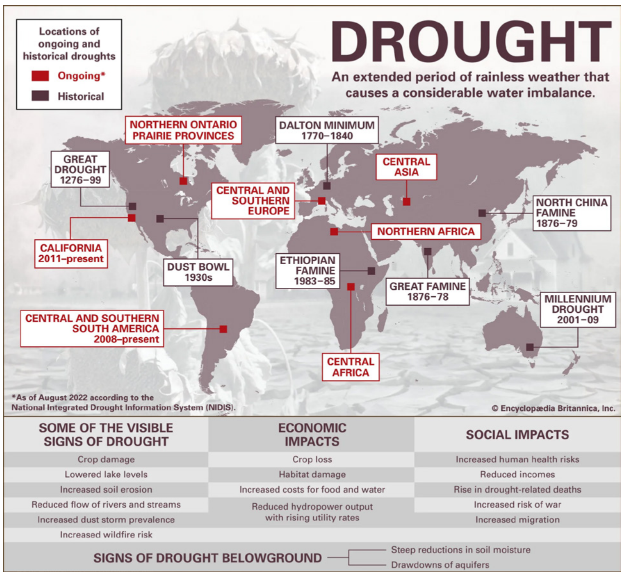

सूखा रोकथाम हेतु प्रमुख पहलें:

- **संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण से निपटने का सम्मेलन (UNCCD) की सूखा पहल:** इस पहल का उद्देश्य सूखे के प्रति समुदायों की सहनशीलता बढ़ाना और टिकाऊ भूमि प्रबंधन को प्रोत्साहित करना है, ताकि सूखे के प्रभावों को लंबे समय तक रोका जा सके।
- **अंतरराष्ट्रीय सूखा प्रबंधन कार्यक्रम:** यह कार्यक्रम विश्व मौसम संगठन (WMO) और वैश्विक जल साझेदारी के नेतृत्व में संचालित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य एकीकृत और समन्वित रणनीतियों के ज़रिए सूखा प्रबंधन को अधिक प्रभावी और टिकाऊ बनाना है।

जल विभाजन प्रबंधन:

- यह किसी विशेष जलग्रहण क्षेत्र की भूमि और जल संसाधनों के समग्र प्रबंधन की प्रक्रिया है। इसमें मृदा और जल संरक्षण उपाय, वनीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियाँ शामिल होती हैं, जिससे जल संग्रहण और रिसाव को बढ़ाया जा सके।

भारत में पहलें:

- भारत ने सूखे से निपटने और जल संरक्षण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे:
  - » प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)
  - » महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)

निष्कर्ष:

बदलती जलवायु के संदर्भ में सूखा एक बढ़ती हुई और गंभीर चुनौती बन चुका है, जो जल सुरक्षा, पर्यावरण और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाल रहा है। यदि सूखे के कारणों और इसके व्यापक प्रभावों को ठीक से समझा जाये, तो प्रभावी रणनीतियाँ तैयार कर सकते हैं और भविष्य में आने वाले खतरों के लिए खुद को बेहतर ढंग से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम सूखा-प्रतिरोधी व्यवस्थाओं में निवेश किया जा सकता है और जल प्रबंधन के पारंपरिक तरीकों को आधुनिक और टिकाऊ दृष्टिकोण से सुधार सकते हैं। इस तरीके से एक सुरक्षित, लचीला और सतत भविष्य की ओर ले जा सकते है।

5 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान यात्रा: एक्सिओम-4 मिशन और गगनयान तक की राह

भारत की अंतरिक्ष यात्रा हमेशा बड़े सपनों और सतत प्रगति से प्रेरित रही है। उपग्रह लॉन्च करने से लेकर चंद्रमा और मंगल पर अंतरिक्ष यान भेजने तक, देश ने सीमित संसाधनों के बावजूद असाधारण उपलब्धियां हासिल कर दिखाई हैं।

हाल ही में एक्सिओम-4 मिशन, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला भी है, से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुँच गये है। यह एक ऐसी उपलब्धि है जो केवल एक यात्रा से कहीं अधिक मायने रखती है। यह दर्शाता है कि भारत कैसे अंतरराष्ट्रीय साझेदारी और वाणिज्यिक अवसरों का उपयोग करके तेजी से सीख रहा है, अनुभव प्राप्त कर रहा है और आत्मविश्वास बना रहा है। यह मिशन सिर्फ अंतरिक्ष तक पहुंचने के बारे में नहीं है—यह भारत के भविष्य में एक अग्रणी अंतरिक्ष राष्ट्र बनने की बुनियाद रखने के बारे में है। एक्सिओम-4 से प्राप्त अनुभव सीधे गगनयान, भारत के स्वदेशी मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, का समर्थन करेगा और आने वाले वर्षों में और अधिक जटिल मिशनों के लिए आवश्यक कौशल, प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों के विकास में मदद करेगा।

अंतरिक्ष अन्वेषण का नया मॉडल:

- एक्सिओम-4 नासा और प्रमुख वाणिज्यिक अंतरिक्ष कंपनी एक्सिओम स्पेस द्वारा संचालित चौथा निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है। यह मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण की बदलती प्रकृति को दर्शाता है, जहां निजी कंपनियां उन भूमिकाओं में कदम रख रही हैं, जो कभी केवल सरकारी एजेंसियों तक सीमित थीं।
- चार सदस्यीय अंतरराष्ट्रीय दल में अमेरिका से कमांडर पेगी व्हिटसन, भारत से पायलट के रूप में शुभांशु शुक्ला और पोलैंड व हंगरी से मिशन विशेषज्ञ शामिल थे। इस विविध दल ने न केवल वैज्ञानिक कार्य किए बल्कि अंतरिक्ष में बढ़ते वैश्विक सहयोग की भावना का भी प्रदर्शन किया।
- स्पेसएक्स ने लॉन्च प्रदाता के रूप में सेवा दी। उसका फाल्कन 9 रॉकेट फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से रवाना हुआ। लॉन्च के लगभग 16 घंटे बाद, अंतरिक्ष यान आईएसएस से जुड़ गया, जिससे वैज्ञानिक प्रयोगों पर केंद्रित 14-दिन का नियोजित मिशन शुरू हुआ।

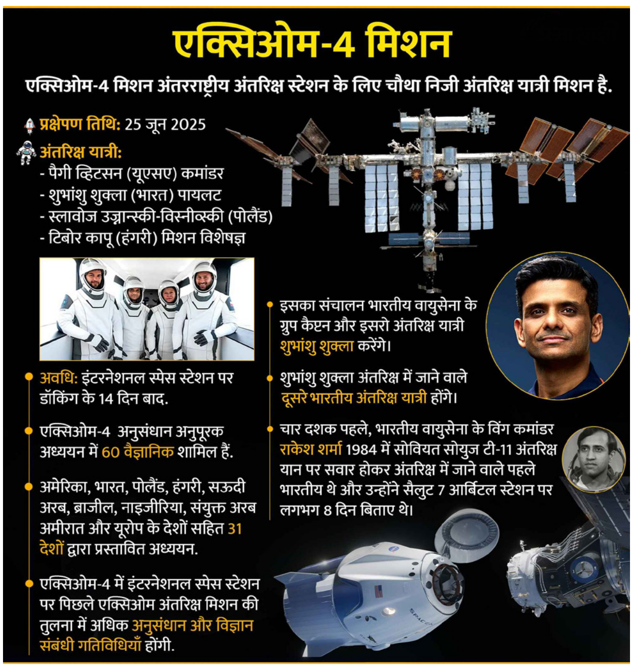

भारत के दृष्टिकोण में रणनीतिक बदलाव:

- एक्सिओम-4 में भारत की भागीदारी अपनी अंतरिक्ष क्षमताओं को विकसित करने के लिए एक नए, व्यावहारिक दृष्टिकोण को रेखांकित करती है। पारंपरिक रूप से, देशों ने अंतरिक्ष यात्रियों की उड़ानों के लिए द्विपक्षीय सरकारी समझौतों पर निर्भर किया। चूंकि नासा अब विदेशी अंतरिक्ष यात्री मिशनों को प्रायोजित नहीं करता है, भारत ने वाणिज्यिक अंतरिक्ष सेवाओं का रुख किया। यह निर्णय बदलते वैश्विक परिदृश्य की समझ को दर्शाता है, जहां निजी कंपनियों के साथ साझेदारी तेजी से प्रगति के लिए आवश्यक है।
- इसरो इस मिशन में एक समान भागीदार था। एक बड़ी भारतीय टीम अमेरिका में अंतिम चरण की तैयारी के दौरान योजना बनाने, निगरानी करने और समस्याओं के समाधान में मदद के लिए मौजूद थी। यहां प्राप्त अनुभव गगनयान मिशन की दिशा में भारत के प्रयासों के लिए अमूल्य होगा।

वैज्ञानिक प्रयोग: गगनयान के लिए प्रासंगिकता:

- इस मिशन के दौरान लगभग 31 देशों के प्रतिनिधित्व वाले 60 प्रयोग किए जाने की उम्मीद है, जिनमें कई अध्ययन गगनयान कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं:
  - **शून्य गुरुत्वाकर्षण में फसलों की वृद्धि:** भारतीय वैज्ञानिक शून्य गुरुत्वाकर्षण में मूंग और मेथी जैसी फसलों के अंकुरण और वृद्धि का मूल्यांकन करेंगे। यह अनुसंधान भारत-विशिष्ट अंतरिक्ष भोजन प्रणालियों के विकास में मदद करेगा और लंबे समय तक मिशनों के लिए मजबूत पौधों की किस्मों की पहचान करेगा।
  - **मानव शरीर विज्ञान:** अध्ययनों में शून्य गुरुत्वाकर्षण में कंकाल की मांसपेशियों की समस्याओं, कोशिकीय प्रतिक्रियाओं और मांसपेशियों की हानि के मार्गों की जांच की जाएगी। ये निष्कर्ष लंबे मिशनों के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य रखरखाव प्रोटोकॉल को सूचित करेंगे और पृथ्वी पर मांसपेशियों से संबंधित रोगों के चिकित्सा अनुसंधान में योगदान देंगे।
  - **मानसिक स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक प्रदर्शन:** प्रयोगों से यह पता चलेगा कि शून्य गुरुत्वाकर्षण संज्ञान, स्क्रीन उपयोग और तनाव को कैसे प्रभावित करता है। ये अंतर्दृष्टियां अंतरिक्ष यान के आंतरिक डिजाइन और मनोवैज्ञानिक समर्थन प्रणालियों का मार्गदर्शन करेंगी।
  - **जीवन समर्थन प्रणाली:** साइनोबैक्टीरिया और माइक्रोएल्गी पर अनुसंधान ऑक्सीजन उत्पादन, अपशिष्ट पुनर्चक्रण और भोजन आपूर्ति में उनकी क्षमता का परीक्षण करेगा। यह गगनयान और भारत के नियोजित अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सतत जीवन समर्थन प्रणाली डिजाइन करने से सीधे जुड़ा है।

अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन:

- 1998 से संचालित आईएसएस पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर परिक्रमा करता है और अंतरिक्ष में मानवता की प्रमुख प्रयोगशाला के रूप में मान्यता प्राप्त है। नासा, रोसकोसमोस, ईएसए, जाक्सा और सीएसए के गठबंधन द्वारा प्रबंधित, इसने हजारों वैज्ञानिक अध्ययनों को सक्षम किया और अंतरिक्ष यात्रियों की कई पीढ़ियों को प्रशिक्षित किया।
- हालांकि, आईएसएस अपने परिचालन जीवन के अंतिम चरण में है और 2030-2031 तक नियंत्रित तरीके से इसे कक्षा से हटाने की योजना है। यह संक्रमण एक्सिओम स्टेशन जैसे वाणिज्यिक स्टेशनों के लिए अवसर पैदा करता है, जो शुरू में आईएसएस से जुड़कर बाद में स्वतंत्र मंच बन जाएगा। एक्सिओम-4 जैसे मिशनों के माध्यम से आईएसएस तक पहुंच भारत को ऐसा वास्तविक अनुभव प्रदान करती है, जिसे स्टेशन के सेवानिवृत्त होने के बाद दोहराना असंभव होगा।

भारत के लिए महत्व:

- **गगनयान के माध्यम से स्वदेशी क्षमता निर्माण:** 2018 में स्वीकृत गगनयान मिशन का उद्देश्य भारत की स्वतंत्र मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करना है। इस कार्यक्रम के तहत तीन सदस्यीय दल को 400 किलोमीटर निम्न पृथ्वी कक्षा में अधिकतम तीन दिनों के लिए भेजने की योजना है। अगले कुछ वर्षों में प्रारंभिक बिना चालक दल की परीक्षण उड़ानें निर्धारित हैं, जबकि पहली मानवयुक्त उड़ान का लक्ष्य 2027 तक रखा गया है।
- एक्सिओम-4 में भागीदारी से गगनयान के कई संचालनात्मक क्षेत्रों में सीधा लाभ होने की उम्मीद है:
  - लॉन्च से पहले क्वारंटीन प्रक्रियाएं और चिकित्सा तैयारी
  - अंतरिक्ष यान में प्रवेश और निकासी प्रोटोकॉल
  - शून्य गुरुत्वाकर्षण स्वास्थ्य निदान
  - आपातकालीन प्रक्रियाएं और आकस्मिक योजना
  - अंतरराष्ट्रीय मिशन समन्वय और संचालन
- **दीर्घकालिक दृष्टि और महत्वाकांक्षाएं:** भारत की महत्वाकांक्षाएं प्रारंभिक गगनयान उड़ानों से कहीं आगे जाती हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम 2028 तक राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जो 2035 तक पूरी तरह से परिचालन में आ जाएगा। 2040 तक एक मानवयुक्त चंद्र मिशन भी योजनाबद्ध है। ये मील के पत्थर भारत को

उन कुछ देशों में शामिल करेंगे जो पृथ्वी की कक्षा और चंद्रमा दोनों पर स्वतंत्र मानव अंतरिक्ष संचालन में सक्षम हैं।

» एक्सिओम-4 पर कर्मन रेखा पार करना इस रोडमैप में पहला कदम है, जो भविष्य के मिशनों के लिए परिचालन अंतर्दृष्टि और वैज्ञानिक डेटा प्रदान करता है।

- **आर्थिक और प्रौद्योगिकी प्रभाव:** मानव अंतरिक्ष उड़ान तकनीकी प्रगति और आर्थिक विकास के लिए उत्प्रेरक है। गगनयान मिशन पहले ही 500 से अधिक एमएसएमई और निजी उद्यमों को पुर्जों, उपप्रणालियों और सामग्रियों की आपूर्ति में शामिल कर रहा है। यह प्रयास एक जीवंत घरेलू स्पेस-टेक इकोसिस्टम बनाने में मदद करता है और कुशल रोजगार पैदा करता है।
  » भारत वर्तमान में 500 अरब डॉलर की वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में लगभग 2% का हिस्सा रखता है। सरकार का लक्ष्य 2033 तक इस हिस्से को 8% तक बढ़ाना है, जिससे भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था लगभग 44 अरब डॉलर तक पहुंचेगी। यह वृद्धि उन्नत सामग्रियों, स्वचालन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सतत जीवन समर्थन प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देगी।
- **राजनयिक प्रभाव और वैश्विक स्थिति:** यह मिशन उभरते हुए अंतरिक्ष नेता के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करता है। प्रदर्शित मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता एक शक्तिशाली राजनयिक उपकरण के रूप में कार्य करती है, साझेदारी को मजबूत करती है और सहयोग के नए अवसर प्रदान करती है। रूस के साथ अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण, फ्रांस के साथ जीवन समर्थन प्रणालियों और ऑस्ट्रेलिया के साथ चालक दल की रिकवरी पर हालिया सहयोग भारत की सक्रिय अंतरराष्ट्रीय भागीदारी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

निष्कर्ष:

एक्सिओम-4 मिशन में भारत की भागीदारी स्वतंत्र मानव अंतरिक्ष उड़ान प्राप्ति की दिशा में निर्णायक कदम है। वाणिज्यिक साझेदारी को अपनाकर, भारत महत्वपूर्ण कौशल के विकास में तेजी ला रहा है, प्रौद्योगिकियों का परीक्षण कर रहा है और अंतरिक्ष पेशेवरों की नई पीढ़ी तैयार कर रहा है। वैज्ञानिक प्रयोग गगनयान और भविष्य के मिशनों के लिए महत्वपूर्ण ज्ञान समृद्ध करेंगे, जबकि परिचालन अनुभव मिशन की सुरक्षा और सफलता सुनिश्चित करने में मदद करेगा। जैसे-जैसे देश राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन और मानवयुक्त चंद्र लैंडिंग की ओर देख रहा है, यह अनुभव भारत की अंतरिक्ष प्रगति की आधारशिला बना रहेगा। उत्पन्न हुई गति युवाओं को प्रेरित करने, प्रौद्योगिकी क्षमताओं को मजबूत करने और आने वाले दशकों में भारत को एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति के रूप में स्थापित करने की उम्मीद है।

भारत में एआई-आधारित बायोमैन्युफैक्चरिंग: नवाचार, अवसर और चुनौतियाँ

भारत जैव प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य सेवाओं को बदलने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। बायोई3 नीति और इंडिया एआई मिशन जैसी प्रमुख नीतियों के साथ, देश ने एआई-आधारित बायोमैन्युफैक्चरिंग में वैश्विक नेता बनने की मजबूत दृष्टि दिखाई है। इसका अर्थ केवल उत्पादन की गति बढ़ाना नहीं है, बल्कि टीकों, दवाओं और डायग्नोस्टिक्स जैसे जैविक उत्पादों को डिज़ाइन, विकसित और डिलीवर करने के तरीके को पूरी तरह से बदलना है। हालांकि, इस महत्वाकांक्षा के साथ-साथ भारत एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। इसके नियामक और सुरक्षा ढांचे बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में एआई की तेज़ी से बढ़ोतरी की गति से मेल नहीं खा पाए हैं। यदि इन अंतरालों को जल्दी नहीं सुलझाया गया, तो यह प्रगति को धीमा कर सकते हैं और एआई-आधारित नवाचारों में सार्वजनिक विश्वास को भी कम कर सकते हैं।

भारत में बायोमैन्युफैक्चरिंग: एक नया अध्याय

- भारत को लंबे समय से "दुनिया की फार्मेसी" के रूप में जाना जाता है। यह वैश्विक टीका मांग का 60% से अधिक आपूर्ति करता है और किफायती जेनेरिक दवाओं का एक प्रमुख निर्यातक है। यह सफलता बड़े पैमाने पर उत्पादन, कम लागत और लगातार गुणवत्ता पर आधारित है। लेकिन अब वैश्विक जैव प्रौद्योगिकी परिदृश्य बदल रहा है। देश बल्क मैन्युफैक्चरिंग से परे जाकर अधिक उन्नत, एआई-आधारित प्रणालियों की ओर बढ़ रहे हैं जो दक्षता, सटीकता और अनुकूलनशीलता में सुधार लाते हैं।
- आधुनिक बायोमैन्युफैक्चरिंग सुविधाओं में, एआई पहले से ही कई तरीकों से उपयोग में है:

» रोबोट बिना किसी मानवीय त्रुटि के सटीक, दोहराए जाने वाले कार्य करते हैं।
» सेंसर हर सेकंड हजारों डेटा पॉइंट्स एकत्र करते हैं।
» एआई एल्गोरिद्म इस डेटा का वास्तविक समय में विश्लेषण करके प्रक्रियाओं का अनुकूलन करते हैं।

▪ एआई यह सुनिश्चित करता है कि उत्पादन वातावरण स्थिर बना रहे। यदि कुछ गलत होने लगे — जैसे पीएच का बदलना या तापमान का बढ़ना — तो एआई सिस्टम पहले ही इसका अनुमान लगाकर सिस्टम को स्वचालित रूप से समायोजित कर सकता है। इससे त्रुटियाँ कम होती हैं, अपशिष्ट घटता है और उत्पादों की गुणवत्ता बेहतर होती है।

भारतीय कंपनियाँ बदलाव की अगुआई कर रही हैं

▪ कई भारतीय कंपनियाँ पहले से ही अपनी जैव प्रौद्योगिकी संचालन में एआई का उपयोग कर रही हैं:
» बायोकॉन, एक प्रमुख बायोफार्मास्युटिकल कंपनी, अपने बायोलॉजिक्स निर्माण में एआई का उपयोग करती है। एआई ड्रग स्क्रीनिंग और किण्वन प्रक्रियाओं को बेहतर बनाता है, जिससे लागत घटती है और गुणवत्ता बनी रहती है।
» स्ट्रैंड लाइफ साइंसेज, बेंगलुरु आधारित कंपनी, जीनोमिक्स और व्यक्तिगत चिकित्सा में एआई का उपयोग करती है। इनके एआई मॉडल जटिल आनुवंशिक डेटा का विश्लेषण कर बेहतर दवा लक्ष्य खोजने और मरीज की प्रतिक्रिया की भविष्यवाणी करने में सक्षम हैं।
» विप्रो और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) फार्मास्युटिकल कंपनियों को ड्रग डिस्कवरी, क्लिनिकल ट्रायल और ट्रीटमेंट प्रेडिक्शन में एआई अपनाने में मदद कर रही हैं।

▪ ये उदाहरण दर्शाते हैं कि भारत केवल वैश्विक रुझानों का अनुसरण नहीं कर रहा, बल्कि एआई आधारित हेल्थकेयर और बायोमैन्युफैक्चरिंग में अपनी खुद की क्षमताएँ विकसित कर रहा है।

सरकारी पहलें: बायोई3 और इंडिया एआई मिशन

जैव प्रौद्योगिकी में एआई की संभावनाओं को पहचानते हुए भारत सरकार ने दो प्रमुख पहलें शुरू की हैं:

बायोई3 नीति (2024)

▪ इस नीति में निम्नलिखित की योजना बनाई गई है:
» उन्नत बायोमैन्युफैक्चरिंग हब
» अनुसंधान और उत्पाद विकास के लिए बायोफाउंड्री
» बायो-एआई हब जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और डेटा एनालिटिक्स के विशेषज्ञों को एकत्र करते हैं

▪ ये हब स्टार्टअप्स, शोधकर्ताओं और बड़ी कंपनियों को बुनियादी ढांचा, फंडिंग और नीति सहायता प्रदान करेंगे ताकि प्रयोगशाला से बाज़ार तक नवाचार लाया जा सके।

इंडिया एआई मिशन

▪ यह मिशन जिम्मेदार और नैतिक तरीके से एआई के विकास को प्रोत्साहित करता है। यह बढ़ावा देता है:
» एक्सप्लेनेबल एआई, जो निर्णय लेने को पारदर्शी बनाता है
» एल्गोरिदमिक पक्षपात को कम करने के प्रयास
» सुरक्षित और विश्वसनीय एआई प्रणालियों के लिए ढाँचों का विकास

▪ इन कार्यक्रमों का संयुक्त उद्देश्य भारत को एआई-संचालित जैव प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेता बनाना है — न केवल पैमाने के आधार पर, बल्कि सुरक्षा, नैतिकता और नवाचार में भी।

नियामक चुनौती:

▪ इन प्रयासों के बावजूद, भारत का नियामक ढांचा अभी भी पुराने तकनीकी मॉडल के लिए डिज़ाइन किया गया है। नई दवाओं, बायोलॉजिक्स और निर्माण प्रणालियों को मंजूरी देने के नियम एआई के शामिल होने से पहले बनाए गए थे। इससे कई समस्याएँ पैदा होती हैं:
» यह स्पष्ट नहीं है कि एआई मॉडल का परीक्षण और अनुमोदन कैसे किया जाए।
» अगर कोई एआई-संचालित प्रणाली गलती करती है तो ज़िम्मेदारी किसकी होगी, यह अस्पष्ट है।
» एआई को प्रशिक्षण देने के लिए प्रयुक्त डेटा भारत के विविध वातावरण का प्रतिनिधित्व करता है या नहीं — इसके लिए कोई मानक नहीं हैं।

▪ उदाहरण के लिए, बेंगलुरु की एक हाई-टेक फैक्ट्री से लिए गए डेटा पर प्रशिक्षित एआई सिस्टम शायद बद्दी या इंदौर की किसी छोटी फैक्ट्री में अच्छा प्रदर्शन न करे। स्थानीय जलवायु, पानी की गुणवत्ता और बिजली आपूर्ति जैसे कारक उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं, और यदि एआई विविध डेटा पर प्रशिक्षित नहीं है, तो वह सही ढंग से अनुकूलित नहीं कर पाएगा।

वैश्विक मॉडल जिनसे भारत सीख सकता है:

▪ अन्य देश पहले से ही एआई के लिए अधिक स्मार्ट और जोखिम-आधारित नियामक प्रणालियाँ बना रहे हैं:
» यूरोपीय संघ का एआई अधिनियम (2024) एआई उपकरणों को जोखिम स्तर के आधार पर वर्गीकृत करता है। उच्च जोखिम वाले अनुप्रयोगों जैसे जीन एडिटिंग में सख्त ऑडिट

और परीक्षण की आवश्यकता होती है।

- » अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने हेल्थकेयर में एआई के मूल्यांकन के लिए सात-चरणीय ढांचा पेश किया है। इसमें प्रीडिटरमाइंड चेंज कंट्रोल प्लान्स जैसे उपकरण शामिल हैं, जो एआई सिस्टम को समय के साथ सुरक्षित रूप से विकसित होने की अनुमति देते हैं और सख्त निगरानी बनाए रखते हैं।

- भारत के पास अभी ऐसे सिस्टम नहीं हैं। यदि उपयोग-संदर्भ और लचीले विनियमन को नहीं अपनाया गया, तो एआई नवाचार या तो रुक सकते हैं या असफल हो सकते हैं — विशेषकर स्वास्थ्य और जैव प्रौद्योगिकी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में।

बायोटेक और हेल्थकेयर में एआई का व्यापक प्रभाव:

- एआई की भूमिका केवल निर्माण तक सीमित नहीं है। यह निम्नलिखित बदलाव ला रहा है:
  - » **ड्रग डिस्कवरी:** एआई वर्चुअल रूप से लाखों यौगिकों को स्क्रीन कर सकता है, जिससे समय और पैसा बचता है।
  - » **मॉलिक्यूलर डिज़ाइन:** एआई ऐसी दवाएँ विकसित करने में मदद करता है जिनके साइड इफेक्ट्स कम हों और प्रभावशीलता अधिक हो।
  - » **क्लिनिकल ट्रायल्स:** एआई उपकरण प्रतिभागियों के बेहतर चयन से ट्रायल्स को तेज़ और अधिक सटीक बनाते हैं।
  - » **हेल्थकेयर डिलीवरी:** एआई मरीज की सही पहचान में मदद करता है, बीमारी के जोखिम की भविष्यवाणी करता है और प्रेसिजन मेडिसिन सक्षम करता है।
- भारत में एआई आधारित प्रणालियाँ मदद कर सकती हैं:
  - » दूरदराज़ क्षेत्रों में बीमारी के प्रकोप की भविष्यवाणी
  - » आनुवंशिक डेटा के आधार पर व्यक्तिगत उपचार योजनाओं का निर्माण
  - » दवाओं की मांग का पूर्वानुमान लगाकर आपूर्ति श्रृंखला की समस्याओं को कम करना
- ये अनुप्रयोग दर्शाते हैं कि एआई भारत की पूरी हेल्थकेयर व्यवस्था को सशक्त बना सकता है।

प्रमुख चुनौतियाँ:

- **डेटा गवर्नेंस:** एआई मॉडल केवल उतने ही अच्छे होते हैं जितना अच्छा उनका प्रशिक्षण डेटा होता है। भारत को नियम बनाने होंगे ताकि डाटासेट हों:
  - » साफ़ और सटीक
  - » पूर्वाग्रह से मुक्त
  - » भारत की भौगोलिक और जनसंख्या विविधता को समाहित करने वाले
- **बौद्धिक संपदा (IP)**
  - » जब एआई उपकरण नई दवाओं या प्रक्रियाओं का आविष्कार करते हैं, तब स्वामित्व किसका होगा — यह स्पष्ट होना चाहिए। यदि एआई के लिए स्पष्ट आईपी कानून नहीं होंगे, तो कानूनी विवाद बढ़ सकते हैं।
- **कुशल जनशक्ति और बुनियादी ढांचा**
  - » भारत को एआई, डेटा साइंस और जैव प्रौद्योगिकी में प्रतिभा तैयार करनी होगी — केवल महानगरों में नहीं, बल्कि छोटे शहरों और टियर-2 शहरों में भी। इस विकेंद्रीकृत विकास को सहारा देने के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश भी ज़रूरी है।

आगे की राह:

- भारत को तीन प्रमुख कदम उठाने होंगे:
  - » अनुकूली, जोखिम-आधारित नियामक प्रणाली बनाना, जो उपयोग-संदर्भ, मॉडल सत्यापन और निरंतर निगरानी को शामिल करे।
  - » देशभर में बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन में निवेश करना, ताकि क्षेत्रीय समावेश सुनिश्चित हो सके।
  - » सरकारी निकायों, उद्योगों, अकादमिक संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना, ताकि ज्ञान साझा किया जा सके और वैश्विक मानक तय किए जा सकें।

निष्कर्ष:

भारत की किफायती दवा निर्माण में मजबूती पहले से ही स्थापित है। अब एआई के उदय के साथ, देश के पास नवाचार में नेतृत्व करने का अवसर है — केवल उत्पादन में नहीं। यदि यह स्मार्ट नीतियाँ, मजबूत संस्थाएँ और कुशल जनशक्ति तैयार कर सके, तो भारत एआई-संचालित बायोमैन्युफैक्चरिंग में वैश्विक महाशक्ति बन सकता है।

बीएसएनएल ने शुरू की भारत की पहली स्वदेशी सिम-रहित 5G FWA सेवा

संदर्भ:

18 जून 2025 को भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने हैदराबाद में भारत की पहली 100% स्वदेशी, सिम-रहित 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (FWA) सेवा "क्वांटम 5G FWA" का सॉफ्ट लॉन्च किया। यह लॉन्च देश की डिजिटल अवसंरचना को सशक्त बनाने, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने और सस्ती ब्रॉडबैंड सेवाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (FWA) क्या है?

- फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (FWA) एक ऐसी ब्रॉडबैंड तकनीक है, जो हाई-स्पीड इंटरनेट सेवा रेडियो सिग्नलों के माध्यम से प्रदान करती है। इसमें ऑप्टिकल फाइबर जैसी भौतिक केबल की आवश्यकता नहीं होती। एक बेस स्टेशन से सिग्नल उपयोगकर्ता के घर या कार्यालय में स्थापित रिसीवर डिवाइस तक भेजे जाते हैं।
- यह तकनीक पारंपरिक फाइबर-आधारित सेवाओं की तुलना में अधिक किफायती और शीघ्रता से स्थापित की जा सकती है। FWA विशेष रूप से उन क्षेत्रों में उपयोगी है, जहाँ फाइबर नेटवर्क बिछाना कठिन या अत्यधिक महंगा होता है। यह घरेलू, फिक्स्ड (नॉन-मोबाइल) इंटरनेट उपयोग के लिए उपयुक्त है और वैश्विक स्तर पर इसकी ग्राहक संतुष्टि दर फाइबर ब्रॉडबैंड के समान पाई गई है।

क्वांटम 5G FWA की प्रमुख विशेषताएं:

- **सिम-रहित संरचना:** यह सेवा BSNL के "Direct-to-Device" प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जिसके तहत ग्राहक परिसर उपकरण (CPE) की पहचान और कनेक्टिविटी बिना किसी भौतिक सिम कार्ड के स्वचालित रूप से हो जाती है। यह प्रक्रिया इंस्टॉलेशन को सरल बनाती है और उपयोगकर्ता अनुभव को अधिक सहज व सुविधाजनक बनाती है।
- **पूर्णतः स्वदेशी तकनीक:** 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के अंतर्गत विकसित यह तकनीक पूरी तरह भारतीय कंपनियों द्वारा निर्मित है। इसका कोर नेटवर्क, रेडियो एक्सेस नेटवर्क (RAN) और CPE—all भारत में ही डिजाइन और निर्मित किए गए हैं। इससे न केवल विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम होती है, बल्कि भारत की दूरसंचार क्षेत्र में तकनीकी आत्मनिर्भरता भी सुदृढ़ होती है।
- **उच्च गति और प्रदर्शन:** हैदराबाद में किए गए प्रदर्शन के अनुसार, सेवा ने 980 Mbps की डाउनलोड स्पीड और 140 Mbps की अपलोड स्पीड दर्ज की, साथ ही लेटेंसी 10 मिलीसेकंड से भी कम रही। यह अल्ट्रा एचडी स्ट्रीमिंग, क्लाउड-आधारित एप्लिकेशन और वास्तविक समय के रिमोट कार्य जैसे कार्यों के लिए अत्यंत उपयुक्त है।
- **फाइबर के बिना तेज तैनाती:** BSNL ने हैदराबाद में अपने मौजूदा टॉवर नेटवर्क के माध्यम से 85% घरों को इस सेवा से कवर कर लिया है। इस प्रक्रिया में केबल बिछाने या खुदाई जैसे जटिल कार्यों की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिससे यह समाधान विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए फायदेमंद है जहाँ बुनियादी ढांचा सीमित या कमजोर है।

रोलआउट योजना:

- प्रारंभिक परीक्षण तैनातियाँ निम्न शहरों में की जाएँगी:
  - बेंगलुरु
  - पांडिचेरी
  - विशाखापत्तनम
  - पुणे
  - ग्वालियर
  - चंडीगढ़

व्यवसायिक उपयोग और भविष्य की दिशा:

- क्वांटम 5G FWA का स्टैंडअलोन 5G कोर इंफ्रास्ट्रक्चर भविष्य में उन्नत एंटरप्राइज सेवाओं के लिए भी उपयोग किया जाएगा, जैसे — एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग और SLA-आधारित (Service Level Agreement) कनेक्टिविटी। BSNL की योजना है कि इन सेवाओं को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs), औद्योगिक पार्कों और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों में सक्रिय रूप से अपनाया जाए, ताकि उन्नत, कुशल और स्मार्ट औद्योगिक समाधान विकसित किए जा सकें।

रणनीतिक महत्व:

- क्वांटम 5G FWA सेवा के माध्यम से BSNL भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में 5G तकनीक की पहल में अग्रणी बन गया है। यह पहल न केवल विदेशी विक्रेताओं पर निर्भरता को कम करती है, बल्कि देश की स्वदेशी इंजीनियरिंग क्षमताओं और तकनीकी आत्मनिर्भरता का भी प्रमाण प्रस्तुत करती है। इसकी सिम-रहित संरचना, पूर्णतः स्वदेशी निर्माण और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुकूल तैनाती इसे डिजिटल समावेशन और आत्मनिर्भर भारत जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप बनाती है।

- इस लॉन्च कार्यक्रम में BSNL के बोर्ड सदस्यों, दूरसंचार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोगियों की उपस्थिति इस स्वदेशी नवाचार को मजबूत संस्थागत समर्थन मिलने का स्पष्ट संकेत है।

निष्कर्ष:

यह सेवा उच्च गति, पूर्णतः स्वदेशी तकनीक और सरल वितरण मॉडल के साथ देशभर में व्यापक एवं भविष्योन्मुख ब्रॉडबैंड सुविधा की मजबूत नींव रखती है। BSNL का यह नवाचार डिजिटल भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक उल्लेखनीय और प्रेरणादायक पहल के रूप में उभरता है।

डीएनए से शव की पहचान में मदद

संदर्भ:

अहमदाबाद में एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की दुखद दुर्घटना ने डीएनए पहचान को एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया के रूप में सामने लाया है। जब किसी बड़ी आपदा में शव जल जाते हैं या बुरी तरह क्षत-विक्षत हो जाते हैं, तब पारंपरिक तरीकों से पहचान करना लगभग असंभव हो जाता है। ऐसी कठिन हालात में डीएनए परीक्षण एकमात्र वैज्ञानिक और विश्वसनीय माध्यम बन जाता है, जो मृतकों की सटीक पहचान सुनिश्चित करता है।

डीएनए पहचान क्यों महत्वपूर्ण है?

- हर व्यक्ति का डीएनए (एक जैसे जुड़वां को छोड़कर) पूरी तरह से अलग होता है और यह शरीर की लगभग हर कोशिका में मौजूद रहता है। बड़े हादसों, जब शव क्षतिग्रस्त हो जाते हैं कि चेहरा या अन्य पहचान के संकेत नहीं बचते, तब पारंपरिक तरीकों से पहचान कर पाना संभव नहीं होता। ऐसे में डीएनए परीक्षण एकमात्र वैज्ञानिक, सटीक और भरोसेमंद तरीका बन जाता है, जो शवों की सही पहचान करके उन्हें उनके परिजनों से मिलाने का काम करता है।

डीएनए विश्लेषण की प्रमुख विधियाँ:

- आपदाओं के बाद शवों से प्राप्त नमूनों की स्थिति और गुणवत्ता के आधार पर विभिन्न प्रकार की डीएनए जांच की जाती है। प्रत्येक विधि की अपनी विशेषता और उपयोग का क्षेत्र होता है:
  - **शॉर्ट टेंडेम रिपीट (STR) विश्लेषण:** यह सबसे सामान्य तकनीक है, जिसमें न्यूक्लियर डीएनए के छोटे-छोटे दोहराए जाने वाले अनुक्रमों का विश्लेषण किया जाता है। ये अनुक्रम हर व्यक्ति में अलग-अलग होते हैं, जिससे सटीक पहचान संभव होती है।
  - **माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए (mtDNA) विश्लेषण:** जब न्यूक्लियर डीएनए उपलब्ध नहीं होता या बहुत अधिक क्षतिग्रस्त होता है, तब यह तकनीक उपयोग में लाई जाती है। यह मां से बच्चों को मिलने वाले डीएनए का अध्ययन करती है और विशेष रूप से लंबी अवधि से क्षयग्रस्त अवशेषों की पहचान में सहायक होती है।
  - **वाई-क्रोमोज़ोम STR विश्लेषण:** यह विश्लेषण पुरुषों में पाए जाने वाले वाई-क्रोमोज़ोम पर आधारित होता है, जो पिता से बेटे को मिलता है। इससे मृत व्यक्ति की पहचान उसके पितृ पक्ष के पुरुष परिजनों से की जा सकती है।
  - **सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलिमॉरफिज्म (SNP) विश्लेषण:** जब डीएनए बहुत अधिक विखंडित या नष्ट हो चुका हो, तब यह विधि सहायक होती है। इसमें डीएनए अनुक्रमों में पाए जाने वाले एकल अणविक बदलावों का अध्ययन किया जाता है, जो व्यक्ति-विशिष्ट पहचान सुनिश्चित करने में मदद करते हैं।

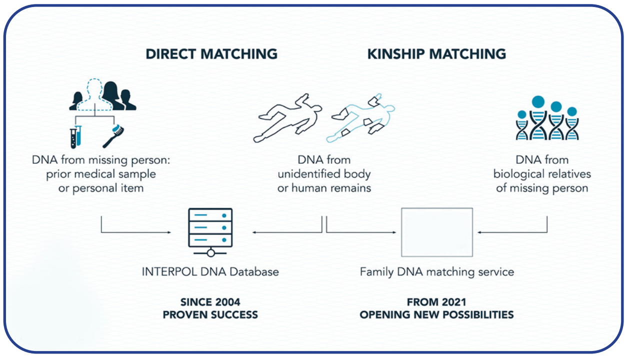

डीएनए क्या होता है?

- डीएनए (डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड) एक अति सूक्ष्म अणु है, जो किसी भी जीव की जीवन प्रक्रिया, विकास और वंशानुगत गुणों के संचरण के लिए आवश्यक सभी आनुवंशिक सूचनाएँ संग्रहीत करता है। यह मुख्य रूप से कोशिकाओं के नाभिक (nucleus) में पाया जाता है, जबकि उसकी थोड़ी मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया में भी मौजूद होती है।

डीएनए की संरचना:

- डीएनए का आकार एक डबल हेलिक्स (दोहरी कुंडल) होता है, जो

एक मुड़ी हुई सीढ़ी जैसा दिखता है। इसकी संरचना निम्नलिखित भागों से मिलकर बनी होती है:

- » **बैकबोन (कंकाल):** इसमें शक्कर (डिऑक्सीराइबोज़) और फॉस्फेट अणु एक-दूसरे से रूप में जुड़े होते हैं।
- » **नाइट्रोजन बेस:** डीएनए में चार प्रकार के नाइट्रोजन बेस "एडेनिन (A), थाइमिन (T), साइटोसिन (C), और ग्वानिन (G)" होते हैं।

- **बेस पेयरिंग (जोड़ी बनाने का नियम):** ये बेस एक-दूसरे से विशिष्ट नियमों के आधार पर जुड़ते हैं:
  - » एडेनिन (A) हमेशा थाइमिन (T) से, और साइटोसिन (C) हमेशा ग्वानिन (G) से जुड़ता है।
  - » यही अनुक्रम व्यक्ति की अनूठी आनुवंशिक पहचान तय करता है।

डीएनए कैसे काम करता है?

- आनुवंशिक जानकारी को संग्रहीत करता है।
- प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है।
- पीढ़ियों के बीच लक्षणों का स्थानांतरण करता है।
- कोशिकाओं के कामकाज और विकास को नियंत्रित करता है।

डीएनए का महत्व:

- **फोरेंसिक विज्ञान (अपराध जांच):**
  - » **अपराध सुलझाना:** अपराध स्थल से मिले डीएनए की तुलना संदिग्धों से की जाती है।
  - » **पितृत्व परीक्षण:** जैविक संबंधों की पुष्टि करता है।
  - » **लापता व्यक्ति:** आपदाओं या जांच में अवशेषों की पहचान कर उनके परिवार से मिलाता है।
  - » **न्याय:** जिन लोगों को गलत तरीके से दोषी ठहराया गया हो, उन्हें निर्दोष साबित करता है।
- **चिकित्सा (स्वास्थ्य):**
  - » **अनुवांशिक अनुसंधान:** बीमारियों को समझने और उनका इलाज खोजने में मदद करता है।
  - » **जीन थेरेपी:** दोषपूर्ण जीन को सुधारता है।
  - » **व्यक्तिगत इलाज:** हर व्यक्ति के डीएनए के अनुसार इलाज तैयार किया जाता है।
- **कृषि (खेती-बाड़ी):**
  - » **बेहतर फसलें:** उत्पादन बढ़ाने, पोषण सुधारने और बीमारियों से लड़ने में मदद करता है।
  - » **पशु पालन:** आनुवंशिक चयन से पशुओं की गुणवत्ता बढ़ाई जाती है।
  - » **कीट नियंत्रण:** कीड़ों की पहचान कर उनके विरुद्ध सटीक उपाय किए जाते हैं।

शोक्स (SHOX) जीन

संदर्भ:

प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज (PNAS) में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन ने तीन प्रमुख बायोबैंक का उपयोग करके 9 लाख से अधिक व्यक्तियों के आनुवंशिक डेटा का विश्लेषण किया। अध्ययन ने इस बात के दुर्लभ साक्ष्य प्रदान किए कि सेक्स क्रोमोसोम में भिन्नताएं ऊंचाई को कैसे प्रभावित करती हैं।

गुणसूत्र भिन्नता और ऊंचाई:

- अध्ययन में अतिरिक्त X या Y गुणसूत्र वाले व्यक्तियों की तुलना की गई। निष्कर्षों में शामिल हैं:
  - » एक अतिरिक्त Y गुणसूत्र एक अतिरिक्त X गुणसूत्र की तुलना में ऊंचाई में अधिक वृद्धि का कारण बनता है।
  - » यह पैटर्न विभिन्न जनसंख्या समूहों में एक समान था, जो एक मजबूत आनुवंशिक प्रभाव का सुझाव देता है।
  - » शोधकर्ताओं ने हार्मोनल प्रभावों और टर्नर और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जैसी ज्ञात स्थितियों से सेक्स क्रोमोसोम की भूमिका को अलग करने के लिए सांख्यिकीय मॉडल का उपयोग किया।
  - » परिणामों से पता चला कि Y गुणसूत्र से आनुवंशिक योगदान पुरुषों और महिलाओं के बीच औसत ऊंचाई के अंतर का 22.6% तक बताता है।
- अध्ययन व्यापक सामाजिक और स्वास्थ्य मुद्दों से भी जुड़ा है:
  - » पिछली सदी में, पुरुषों की लंबाई महिलाओं की तुलना में तेज़ी से बढ़ी है।
  - » सामाजिक प्राथमिकताएँ अक्सर लम्बे पुरुषों को वरीयता देती हैं, हालाँकि शोधकर्ता चेतावनी देते हैं कि लम्बे व्यक्तियों को अधिक बार कोशिका विभाजन के कारण कुछ कैंसर का जोखिम बढ़ सकता है।

SHOX जीन और उसका कार्य:

- SHOX (शॉर्ट स्टैचर होमोबॉक्स) जीन हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है और स्यूडोऑटोसोमल क्षेत्र 1 (PAR1) में स्थित होता है - एक खंड जो X और Y गुणसूत्रों दोनों द्वारा साझा किया जाता है।
- महिलाओं (XX) में, एक X गुणसूत्र ज्यादातर निष्क्रिय होता है,

लेकिन PAR1 (SHOX सहित) में जीन आंशिक रूप से सक्रिय रहते हैं।

- पुरुषों (XY) में, X और Y गुणसूत्र दोनों सक्रिय रूप से SHOX जीन को व्यक्त करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उच्च जीन गतिविधि और अधिक ऊँचाई की संभावना होती है।

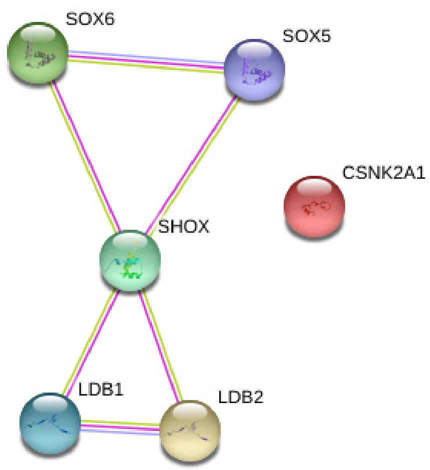

SHOX से जुड़ी अन्य स्थितियाँ:

- जब SHOX जीन की एक प्रति गायब हो या ठीक से काम न कर रही हो (इस स्थिति को SHOX haploinsufficiency कहते हैं), तो यह छोटे कद और कुछ कंकाल संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है।
- SHOX हैप्लोइंसफिशिएंसी (haploinsufficiency) निम्नलिखित स्थितियों में छोटे कद का कारण बनती है:
  - » टर्नर सिंड्रोम
  - » लेरी–वील सिंड्रोम (LWS)
  - » कुछ मामलों में अस्पष्टीकृत छोटे कद (Idiopathic short stature – जब कद छोटे होने का कोई ज्ञात कारण नहीं होता)

निष्कर्ष:

हालाँकि वृद्धि के लिए हार्मोन महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन यह अध्ययन यह पुष्टि करता है कि लिंग-संबंधित आनुवंशिक कारक—विशेष रूप से SHOX जीन की सक्रियता—पुरुषों और महिलाओं के कद में अंतर को समझाने में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ये निष्कर्ष जैविक विविधता को समझने को मज़बूती देते हैं और वृद्धि एवं स्वास्थ्य से जुड़े आगे के आनुवंशिक अनुसंधानों के लिए एक आधार प्रदान करते हैं।

असामान्य रक्त थक्कों को रोकने के लिए नई नैनोजाइम तकनीक विकसित

संदर्भ:

भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने एक कृत्रिम धातु आधारित नैनोजाइम विकसित की है, जो असामान्य रक्त जमने की प्रक्रिया जैसे कि पल्मोनरी थ्रॉम्बोएम्बोलिज़्म (PTE) पर प्रभावी नियंत्रण में उपयोगी हो सकती है। यह खोज न केवल गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने में मददगार हो सकती है, बल्कि स्ट्रोक जैसी जानलेवा स्थितियों को भी रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।

रक्त जमने की सामान्य प्रक्रिया और खतरे:

- जब शरीर में किसी रक्त वाहिका को चोट लगती है, तो प्लेटलेट्स नामक विशेष रक्त कोशिकाएं सक्रिय होकर उस स्थान पर इकट्ठा होती हैं और थक्का बनाकर रक्तस्राव रोकती हैं। इस प्रक्रिया को "हीमोस्टेसिस" कहा जाता है, जो विभिन्न प्रोटीन और रासायनिक संकेतों, जैसे कोलेजन और थ्रोम्बिन के समन्वय से संचालित होती है। लेकिन जब यह प्रक्रिया असामान्य हो जाती है, जैसे कि पल्मोनरी थ्रॉम्बोएम्बोलिज़्म (PTE) या कोविड-19 जैसी बीमारियों के दौरान, तब शरीर में "ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस" और "रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ (ROS)" की मात्रा असंतुलित हो जाती है।
- इससे प्लेटलेट्स अत्यधिक सक्रिय हो जाती हैं, और रक्त वाहिकाओं में अनावश्यक थक्के बनने लगते हैं, जिससे थ्रॉम्बोसिस का खतरा बढ़ता है।

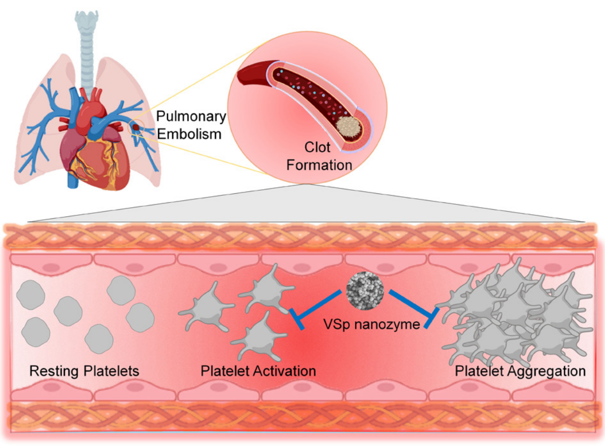

Prevention of platelet activation and pulmonary thromboembolism by VSp nanozyme

नई कृत्रिम धातु आधारित नैनोजाइम:

- आईआईएससी की टीम ने ऐसे नैनोमटेरियल्स विकसित किए हैं, जो शरीर में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स की तरह कार्य करते हैं। ये नैनोजाइम, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ (ROS) को नियंत्रित कर प्लेटलेट्स की अत्यधिक सक्रियता को रोकते हैं, जिससे अनावश्यक रक्त थक्कों से बचाव होता है।
- शोधकर्ताओं ने अलग-अलग आकार और संरचना वाले रेडॉक्स-सक्रिय नैनोमटेरियल्स बनाए और उन्हें मानव रक्त से प्राप्त प्लेटलेट्स पर परीक्षण किया। परिणामस्वरूप यह पाया गया कि गोलाकार वैनाडियम पेंटऑक्साइड (V_2O_5) आधारित नैनोजाइम सबसे प्रभावी सिद्ध हुआ।

रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ (ROS):

- जब हमारी कोशिकाएं ऊर्जा बनाती हैं (जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में) या जब शरीर किसी संक्रमण से लड़ रहा होता है, तब ऑक्सीजन के कुछ अणु अधूरा रासायनिक प्रतिक्रिया करके अस्थिर और अत्यधिक प्रतिक्रियाशील रूप में बदल जाते हैं।
- इन्हें ही रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ (ROS) कहा जाता है। इनका संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। जब इनकी मात्रा बढ़ जाती है, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उत्पन्न होता है, जो अनेक गंभीर बीमारियों की जड़ बन सकता है।

नैनोजाइम:

- नैनोजाइम (Nanozyme) एक कृत्रिम (artificial) रूप से विकसित नैनोमीटर आकार का पदार्थ होता है, जो प्राकृतिक एंजाइमों (enzymes) की तरह कार्य करता है। यानी यह जैव-रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज़ करने (catalysis) में मदद करता है। इसे रासायनिक तरीकों से बनाया जाता है।

आगे की राह:

शोध टीम अब इस तकनीक की उपयोगिता को इस्केमिक स्ट्रोक जैसी स्थितियों में भी जांचने की योजना बना रही है, जो रक्त वाहिकाओं के अवरुद्ध होने से होती है। यह शोध भारत में नैनोमेडिसिन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो भविष्य में गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सटीक, तेज और सुरक्षित समाधान प्रदान कर सकती है।

‘भारत जेन’: भारत का AI आधारित मल्टीमॉडल भाषा मॉडल

संदर्भ:

हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ‘भारत जेन’ नामक एक स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित मल्टीमॉडल लार्ज भाषा मॉडल (Large Language Model - LLM) का औपचारिक शुभारंभ किया। यह मॉडल विशेष रूप से भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है, ताकि देश के नागरिकों को उनकी अपनी भाषाओं में उन्नत तकनीकी सेवाएं मिल सकें।

क्या है भारत जेन?

- ‘भारत जेन’ एक स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है, जिसे नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर-फिजिकल सिस्टम्स (NM-ICPS) के अंतर्गत विकसित किया गया है। इसका निर्माण IIT बॉम्बे के TIH Foundation for IoT and IoE के माध्यम से किया जा रहा है।
- यह परियोजना विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा समर्थित है और इसे देश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों, शोधकर्ताओं और तकनीकी विशेषज्ञों के सहयोग से तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के भाषाई और सांस्कृतिक परिदृश्य के अनुरूप एक प्रभावी और समावेशी AI समाधान तैयार करना है।

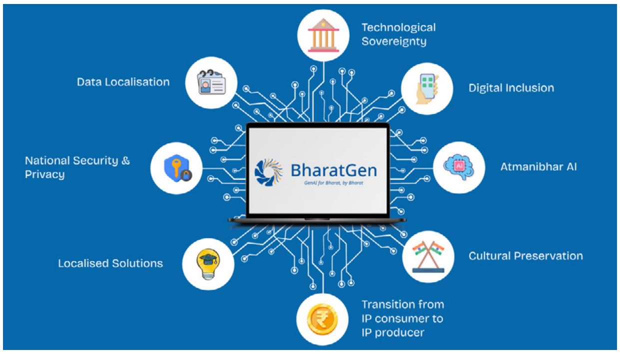

भारत जेन की प्रमुख विशेषताएं:

- **मल्टीमॉडल क्षमताएं:** भारत जेन टेक्स्ट, स्पीच और इमेज जैसे विभिन्न प्रकार के इनपुट को समझने और उनका विश्लेषण करने में सक्षम है, जिससे यह अनेक प्रकार की AI सेवाएं प्रदान कर सकता है।
- **बहुभाषी समर्थन:** यह मॉडल भारत की 22 भाषाओं को समर्थन देता है, जिससे यह देश की भाषायी और सांस्कृतिक विविधता को बेहतर ढंग से समझने और सेवा देने में सक्षम बनता है।

- **नैतिक और समावेशी दृष्टिकोण:** भारत जेन को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह नैतिक मूल्यों, समावेशिता, बहुभाषिकता और भारतीय संस्कृति में गहराई से जुड़ा रहे, ताकि यह देश की प्राथमिकताओं और संवेदनाओं के अनुरूप कार्य कर सके।

मल्टीमॉडल AI क्या है?

- पारंपरिक AI मॉडल केवल टेक्स्ट को समझते हैं, लेकिन मल्टीमॉडल भाषा मॉडल ऐसे मॉडल होते हैं जो विभिन्न प्रकार के इनपुट को एक साथ समझ सकते हैं, जैसे:
  - » **टेक्स्ट:** यह मॉडल विभिन्न भारतीय भाषाओं में पढ़ सकता है और उत्तर दे सकता है।
  - » **स्पीच:** यह बोले गए प्रश्नों को समझ सकता है और क्षेत्रीय बोलियों में जवाब दे सकता है।
  - » **इमेज:** यह चित्रों को समझ सकता है, जैसे मेडिकल स्कैन या शैक्षिक ग्राफिक्स।

प्रमुख उपयोग और प्रभाव:

- **स्वास्थ्य सेवा:** भारत जेन ग्रामीण और दूरदराज़ के इलाकों में मरीजों की स्थानीय भाषा में संवाद कर उन्हें बेहतर उपचार देने में मदद कर सकता है।
- **शिक्षा:** यह मॉडल टेक्स्ट और चित्रों को मिलाकर पढ़ाई को ज्यादा रोचक और आसान बना सकता है।
- **शासन:** भारत जेन सरकारी मंचों जैसे सीपीग्राम्स (CPGRAMS) पर नागरिकों की शिकायतों और सुझावों को उनकी भाषा में समझकर बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकता है।
- **कृषि:** यह मॉडल क्षेत्रीय ज़रूरतों के अनुसार कृषि से जुड़ी AI सेवाएं दे सकता है, जिससे किसानों की उत्पादकता बढ़ेगी।

निष्कर्ष:

'भारत जेन' का शुभारंभ भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो एक ऐसे AI प्रणाली की नींव रखता है जो पूरी तरह से भारतीय भाषाओं, मूल्यों और दृष्टिकोण से जुड़ी हुई है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के हर नागरिक तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शक्ति पहुंचे, चाहे वह किसी भी भाषा बोलता हो, उसका साक्षरता स्तर कुछ भी हो या वह देश के किसी भी भाग में रहता हो। भारत अब वैश्विक AI प्रतिस्पर्धा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और 'भारत जेन' इसी प्रगति का प्रतीक है। यह देश की तकनीकी क्षमता, सांस्कृतिक समझ और समावेशी विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को उजागर करता है।

भारत की फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन (FGD) नीति

संदर्भ:

हाल ही में प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) अजय सूद की अध्यक्षता वाली समिति ने भारत सरकार को 2015 की उस नीति को वापस लेने की सलाह दी है, जिसमें सभी कोयला-आधारित थर्मल पावर प्लांट्स (TPPs) में फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन (FGD) यूनिट्स को अनिवार्य किया गया था। इस सिफारिश ने ऊर्जा आवश्यकताओं, लागत और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बीच संतुलन के मुद्दे पर फिर से बहस को जन्म दिया है।

फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन (FGD) के बारे में:

- FGD यूनिट्स थर्मल पावर प्लांट्स की निकासी गैस (फ्लू गैस) से सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) को हटाने के लिए डिजाइन की जाती हैं। जब कोयले को जलाया जाता है, तब सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) निकलता है, जो वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन में बड़ा योगदान देता है। यह PM2.5 (एक खतरनाक सूक्ष्म कण) के बनने का कारण भी बनता है, जिससे सांस और हृदय संबंधी बीमारियाँ होती हैं।
- FGD यूनिट्स फ्लू गैस को एक क्षारीय यौगिक से उपचारित कर SO_2 की अम्लता को निष्क्रिय करती हैं। इसके तीन मुख्य प्रकार हैं:
  - » **ड्राई सॉर्बेंट इंजेक्शन:** इसमें पिसा हुआ चूना पत्थर या अन्य सॉर्बेंट्स SO_2 के साथ प्रतिक्रिया करके फिल्टर द्वारा हटाए जाते हैं।
  - » **वेट लाइमस्टोन ट्रीटमेंट:** इसमें चूने के पत्थर के घोल से SO_2 को जिप्सम (एक औद्योगिक उप-उत्पाद) में बदला जाता है। यह सबसे प्रभावी और प्रचलित तकनीक है।
  - » **सीवॉटर आधारित FGD:** तटीय क्षेत्रों में उपयोग की जाती है, जहाँ समुद्री जल SO_2 को अवशोषित करता है और फिर उपचारित होकर बाहर छोड़ा जाता है।

सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन से जुड़ी चिंताएँ:

- सल्फर डाइऑक्साइड जलवायु को गर्म करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं में योगदान देता है। यह सेकेंडरी पर्टिकुलेट्स बनाता है, जिससे PM2.5 का स्तर काफी बढ़ जाता है। शोध से पता चला है कि भारत के PM2.5 प्रदूषण का 15% कोयला आधारित पावर प्लांट्स से आता है, जिसमें 80% SO_2 के कारण होता है। ये उत्सर्जन नियंत्रित करना मुश्किल होता है, लेकिन इसका स्वास्थ्य

और वायु गुणवत्ता पर बड़ा प्रभाव पड़ता है।

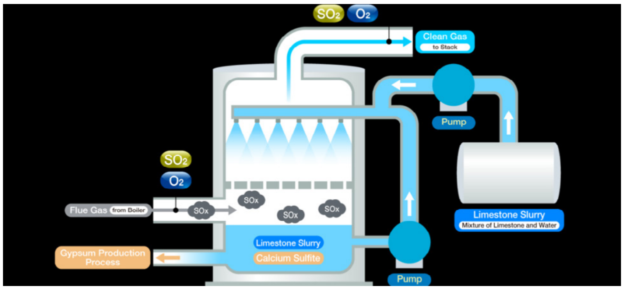

2015 का FGD अनिवार्यता आदेश:

- 2015 में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सभी 537 कोयला आधारित TPPs को 2018 तक FGD लगाने का आदेश दिया था। लेकिन इसका क्रियान्वयन बहुत धीमा रहा:
  - » अप्रैल 2025 तक केवल 39 संयंत्रों ने FGD लगाया है।
  - » अवधियाँ 2027, 2028 और 2029 तक बढ़ा दी गई हैं, संयंत्र श्रेणी के अनुसार।
  - » दिसंबर 2024 में सरकार ने बिना किसी स्पष्टीकरण के डेडलाइन और आगे बढ़ा दी।
  - » सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्ययन समिति ने 2025 में FGD नीति को पूरी तरह समाप्त करने की सिफारिश की।

FGD स्थापना को लेकर आपत्तियाँ:

- FGD यूनिट्स महंगी होती हैं। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार, एक मेगावॉट पर ₹1.2 करोड़ का खर्च आता है।
- अप्रैल 2025 में भारत की कोयला आधारित क्षमता 2,19,338 मेगावॉट थी, जो कुल विद्युत उत्पादन का लगभग आधा है। इस पर FGD लगाने का कुल खर्च ₹2.6 लाख करोड़ से अधिक होगा।
- अधिकारियों का कहना है कि 97,000 मेगावॉट की नई कोयला विद्युत योजना के साथ FGD लगाने से ₹97,000 करोड़ अतिरिक्त लागत आएगी और उपभोक्ता दरें बढ़ सकती हैं। यही आर्थिक तर्क FGD अनिवार्यता को हटाने की मांग को बढ़ावा दे रहा है।
- हालांकि शोधकर्ताओं की दलीलें:
  - » FGD से टैरिफ केवल ₹0.72 प्रति यूनिट (kWh) बढ़ेगा — जिसमें अधिकतर हिस्सा स्थायी लागत का होगा।
  - » चलती लागत ₹0.10 प्रति यूनिट से भी कम रहेगी, इसलिए असर सीमित होगा।
  - » स्वच्छ हवा स्वास्थ्य खर्च कम करती है, उत्पादकता बढ़ाती है और समय से पहले मौतों को रोकती है — जिससे लंबे समय में आर्थिक बचत होती है।

निष्कर्ष:

SO_2 उत्सर्जन हटाने के लिए FGD का कोई व्यवहारिक विकल्प नहीं है। कोयला वाशिंग से कोयले में मौजूद सल्फर नहीं हटता। भविष्य में कोयले की खपत बढ़ने की संभावना है, खासकर पुराने, अक्षम और सरकारी संयंत्रों में। ऐसे में FGD न लगाना वायु गुणवत्ता को गंभीर रूप से खराब कर सकता है। FGD नीति को हटाना राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) को भी कमजोर करेगा, जिसमें अब तक ₹6,000 करोड़ से अधिक निवेश हुआ है। इससे वायु गुणवत्ता प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण में हुई प्रगति पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

लॉन्ग कोविड पर एक वैश्विक आनुवंशिक अध्ययन

संदर्भ:

हाल ही में 'नेचर जेनेटिक्स' पत्रिका में प्रकाशित एक नए अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला है कि लॉन्ग कोविड में जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी की क्या भूमिका हो सकती है। इस अध्ययन में जीनोम-वाइड एसोसिएशन स्टडी (जीडब्ल्यूएएस) नामक शोध पद्धति का उपयोग किया गया, जो कई लोगों के डीएनए को स्कैन करके छोटे-छोटे परिवर्तनों (जिन्हें एसएनपी कहा जाता है) का पता लगाता है, जो विशिष्ट रोग वाले लोगों में अधिक बार दिखाई देते हैं।

- इस अध्ययन में 19 देशों के 33 अनुसंधान समूहों से डेटा लिया गया।
  - » इसमें 6,450 लॉन्ग कोविड वाले लोग और 1 मिलियन से अधिक बिना लॉन्ग कोविड वाले लोग शामिल थे।
  - » एक फॉलो-अप अध्ययन में 9,500 लॉन्ग कोविड मामलों और 800,000 नियंत्रण समूहों पर निष्कर्षों की दोबारा जांच की गई।

मुख्य खोज: FOXP4 जीन

- अध्ययन में यह पाया गया कि जिन लोगों में FOXP4 जीन के पास एक विशेष आनुवंशिक बदलाव था, उनमें लॉन्ग कोविड होने की संभावना 63% अधिक थी। इस बदलाव को rs9367106 के नाम से जाना जाता है।
  - » FOXP4 फेफड़ों में सक्रिय होता है, खासकर टाइप-2 अल्वेओलर कोशिकाओं में—जो फेफड़ों की मरम्मत करती हैं और संक्रमण के विरुद्ध लड़ती हैं।

- » जिन लोगों में यह बदलाव पाया गया, उनके फेफड़ों में FOXP4 की सक्रियता अधिक थी।
  - » यहां तक कि जो लोग कोविड के दौरान अस्पताल में नहीं भर्ती हुए थे, उनमें भी अगर यह आनुवंशिक बदलाव था, तो लॉन्ग कोविड का जोखिम अधिक था।
  - » यह बदलाव पूर्वी एशियाई लोगों में 36% पाया गया, जबकि यूरोपीय लोगों में केवल 1.6%—यह दर्शाता है कि आनुवंशिक जोखिम वंशानुसार अलग-अलग होता है।
- आगे की जांच में यह पाया गया कि जिन लोगों में संक्रमण के बाद FOXP4 का स्तर थोड़ा अधिक था, उनमें लॉन्ग कोविड होने की संभावना दोगुनी से भी अधिक थी।
- एक अंतिम विधि जिसे को-लोकेलाइजेशन एनालिसिस कहा जाता है, से यह 91% संभावना पाई गई कि यह आनुवंशिक बदलाव FOXP4 गतिविधि और लॉन्ग कोविड दोनों को प्रभावित करता है।

लॉन्ग कोविड क्या है?

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, लॉन्ग कोविड वे लक्षण हैं जो कोविड संक्रमण के तीन महीनों के भीतर शुरू होते हैं और कम से कम दो महीनों तक बिना किसी अन्य ज्ञात कारण के बने रहते हैं। ये लक्षण सामान्यतः निम्नलिखित होते हैं:
  - » लगातार थकान या कमजोरी
  - » सांस लेने में तकलीफ
  - » ब्रेन फॉग या याददाश्त में कमी

भारत के लिए महत्व:

- भारत में कोविड-19 की कई लहरें देखी गई हैं और अब भी लॉन्ग कोविड के मामलों की व्यापक जागरूकता या निगरानी नहीं है। भारत में किए गए कुछ अध्ययनों के अनुसार लॉन्ग कोविड के लक्षण:
  - » अलग-अलग अध्ययनों में 45% से 80% मरीजों में पाए गए
  - » अस्पताल में भर्ती 16.5% मरीजों में संक्रमण के एक साल बाद भी थकावट और सांस की तकलीफ जैसे लक्षण बने रहे
- हालांकि, इस वैश्विक अध्ययन में दक्षिण एशियाई डेटा बहुत ही सीमित था। यह एक बड़ी कमी है, क्योंकि:
  - » भारत में उच्च वायु प्रदूषण, कम पहचानी गई फेफड़ों की बीमारियाँ, और असमान स्वास्थ्य सेवाएं जैसी विशिष्ट स्वास्थ्य चुनौतियाँ हैं।
  - » भारतीय आबादी में FOXP4 जीन बदलाव का क्या प्रभाव है, यह अभी तक अज्ञात है।

भारत की जीनोमिक प्रगति:

- भारत की जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट (GenomeIndia Project) ने देश के विभिन्न क्षेत्रों के 10,000 लोगों का आनुवंशिक डेटा एकत्र किया है। भले ही यह डेटा किसी बीमारी पर केंद्रित नहीं है, लेकिन यह एक शुरुआती कदम है जिससे भारतीयों में स्वास्थ्य पर जीन का प्रभाव समझा जा सकता है।
- यह डेटाबेस भविष्य में भारत में लॉन्ग कोविड जैसी बीमारियों पर अध्ययन को समर्थन दे सकता है, जिससे डॉक्टर और शोधकर्ता अधिक अनुकूलित इलाज और देखभाल मॉडल बना सकें।

निष्कर्ष:

इस वैश्विक अध्ययन ने FOXP4 जीन के माध्यम से लॉन्ग कोविड और आनुवंशिकी के बीच संबंध स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। लेकिन भारत जैसे देशों के लिए ज़रूरी है कि वे स्थानीय अनुसंधान करें ताकि यह समझा जा सके कि ये निष्कर्ष भारतीय आबादी पर कैसे लागू होते हैं।

गर्म जलवायु का स्लीप एप्निया पर प्रभाव

संदर्भ:

नेचर कम्युनिकेशंस पत्रिका में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन में यह पाया गया है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि स्लीप एप्निया (नींद के दौरान सांस रुकने की स्थिति) को और गंभीर बना सकती है। शोध के अनुसार, जैसे-जैसे धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे इस बीमारी की गंभीरता और प्रसार में भी वृद्धि हो रही है, जो न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य और मानसिक भलाई को प्रभावित करती है, बल्कि इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।

ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एप्निया (OSA) क्या है?

- ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एप्निया नींद से जुड़ा विकार है, जिसमें व्यक्ति की नींद के दौरान सांस बार-बार रुक जाती है। यह रुकावट आमतौर पर ऊपरी श्वास नली के संकुचित या बंद हो जाने के कारण होती है।
- इससे शरीर में ऑक्सीजन का स्तर गिर जाता है, नींद बार-बार टूटती है, तेज खर्राटे आते हैं और दिनभर थकान, चिड़चिड़ापन और एकाग्रता में कमी महसूस होती है।
- यह विकार दिल की बीमारी, स्ट्रोक, मधुमेह, डिप्रेशन, और पार्किंसन तथा डिमेंशिया जैसी न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का जोखिम भी बढ़ा सकता है।

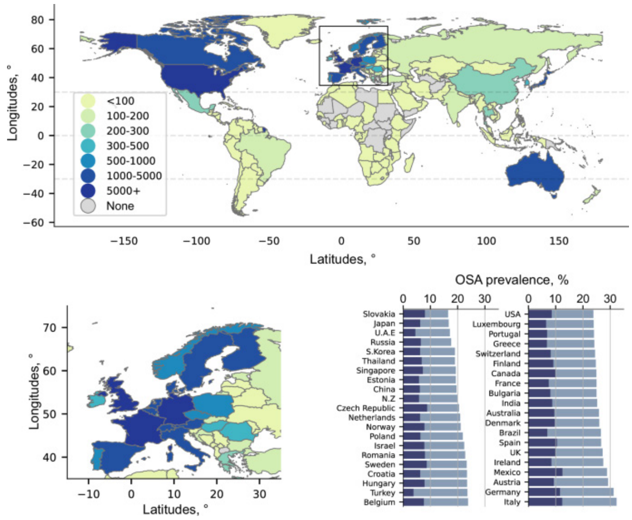

अध्ययन में क्या पाया गया?

- अध्ययन में पाया गया कि गर्म दिनों में ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एप्निया (OSA) होने की संभावना वैश्विक स्तर पर लगभग 45% तक बढ़ जाती है।
- यह खतरा विशेष रूप से यूरोपीय देशों में अधिक देखा गया, लेकिन भारत, इज़राइल और ब्राज़ील जैसे निम्न GDP वाले देशों में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है, क्योंकि वहां एयर कंडीशनिंग, ठंडक पहुंचाने की सुविधाएँ और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सीमित है।
- शोध का अनुमान है कि यदि औसत वैश्विक तापमान पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.8°C तक बढ़ गया, तो वर्ष 2100 तक स्लीप एप्निया का बोझ दोगुना हो सकता है अर्थात न सिर्फ अधिक लोग इस बीमारी से प्रभावित होंगे, बल्कि पहले से पीड़ित लोगों की स्थिति भी और गंभीर हो सकती है।
- अकेले 2023 में, अध्ययन ने अनुमान लगाया कि जलवायु-जनित स्लीप एपनिया इसके लिए जिम्मेदार था:
  - » 780,000 स्वस्थ जीवन वर्षों की हानि
  - » 29 देशों में 105 मिलियन कार्यदिवसों का नुकसान
  - » 98 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान , जिसमें शामिल हैं:
    - ➢ स्वास्थ्य-संबंधी नुकसान 68 बिलियन अमेरिकी डॉलर
    - ➢ कार्यस्थल पर उत्पादकता में 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर की हानि

एक उभरती हुई सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती:

- अच्छी नींद को अक्सर हल्के में लिया जाता है, जबकि यह हमारे शारीरिक, मानसिक और मस्तिष्कीय स्वास्थ्य के लिए बुनियादी आवश्यकता है।
  - » **हृदय स्वास्थ्य:** स्लीप एप्निया से हृदय रोगों, उच्च रक्तचाप और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है।
  - » **मानसिक स्वास्थ्य:** यह विकार चिंता, अवसाद (डिप्रेशन), डिमेंशिया और पार्किंसन जैसी गंभीर मानसिक और तंत्रिका संबंधी बीमारियों से भी जुड़ा होता है।

आगे की राह:

- **जलवायु अनुकूलन उपाय:** विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में एयर कंडीशनिंग जैसी शीतलन सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करना, ताकि गर्मी से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं को रोका जा सके।
- **जनस्वास्थ्य अभियान:** स्लीप एप्निया को लेकर जागरूकता बढ़ाना, नियमित जांच की व्यवस्था करना और समय पर उपचार को प्रोत्साहित करना।
- **स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश:** निम्न और मध्यम आय वाले देशों में नींद संबंधी रोगों के निदान और उपचार के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना और विशेषज्ञों की संख्या बढ़ाना।
- **जलवायु कार्रवाई:** वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने के लिए ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना, जिससे जलवायु-जनित स्वास्थ्य जोखिमों को कम किया जा सके।

सिकल सेल रोग

सन्दर्भ:

हाल ही में 19 जून 2025 को विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस मनाया गया। इस वर्ष की थीम थी – 'वैश्विक कार्यवाही, स्थानीय प्रभाव: अपनी प्रभावी वकालत के लिए समुदायों को सशक्त बनाना' ("Global Action, Local Impact: Empowering Communities for Effective Self-Advocacy")। सिकल सेल रोग एक पुरानी, वंशानुगत रक्त विकार है। यह रोग आम तौर पर आदिवासी लोगों में पाया जाता है, जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है। संयुक्त राष्ट्र से मान्यता प्राप्त यह दिन इस रोग से प्रभावित लोगों के लिए शीघ्र निदान, प्रभावी उपचार और सहायक सामुदायिक वातावरण बनाने के वैश्विक प्रयासों को मजबूत करता है।

सिकल सेल रोग क्या है?

- सिकल सेल रोग (SCD) एक आनुवंशिक रक्त विकार है, जिसमें शरीर असामान्य हीमोग्लोबिन उत्पन्न करता है। यह हीमोग्लोबिन

लाल रक्त कोशिकाओं को विकृत (हंसिया/चंद्रमा के आकार का) बना देता है, जिससे वे कठोर और चिपचिपी हो जाती हैं। यह कोशिकाएं रक्त प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करती हैं, जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति में बाधा आती है और दर्द, सूजन, संक्रमण और अंगों को क्षति पहुँच सकती है।

भारत में स्थिति:

- भारत में अनुमानतः 10 लाख लोग इस रोग से प्रभावित हैं।
- **प्रमुख प्रभावित राज्य:** ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में।
- 2024 की एक मेटा-विश्लेषण रिपोर्ट (Priyanka Rao et al.) के अनुसार:
  - » सिकल सेल रोग (SCD) की व्यापकता: 1.17%
  - » सिकल सेल वाहक (Trait) की व्यापकता: 5.9%

लक्षण (Symptoms):

- एनीमिया, जिससे थकान और कमजोरी होती है
- दर्द की बार-बार आने वाली स्थितियाँ (Pain Crises)
- हाथ-पैरों की सूजन, पीलिया, संक्रमण की अधिकता, विकास में विलंब
- गंभीर मामलों में स्ट्रोक, अक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, स्प्लीन की खराबी और प्रायपिज्म

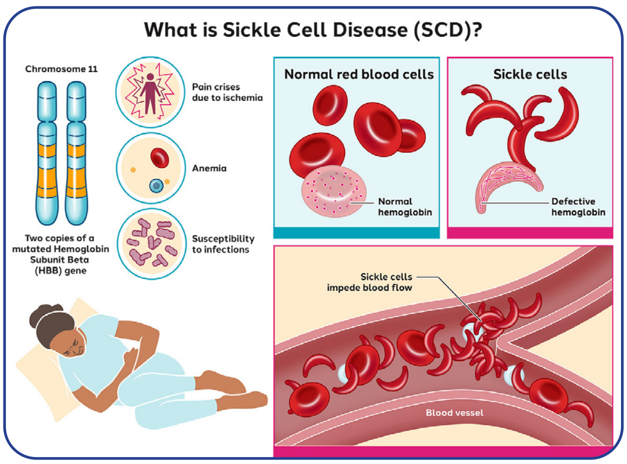

उपचार और नवाचार:

- हाइड्रॉक्सी यूरिया जैसी दवाएँ
- रक्त आधान (Blood transfusion)
- बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जो एकमात्र स्थायी इलाज हो सकता है
- दर्द निवारक और एंटीबायोटिक्स
- जीन थेरेपी में प्रगति:
  - » दिसंबर 2023 में Casgevy और Lyfgenia को अमेरिका में FDA द्वारा मंजूरी मिली
  - » मई 2024 में पहली बार एक 12 वर्षीय बालक को Casgevy आधारित जीन उपचार दिया गया

भारत सरकार की पहल :

- राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन (2023)
  - » **उद्देश्य:** 2047 तक इस रोग को जन स्वास्थ्य संकट की श्रेणी से हटाना
  - » **लक्ष्य:** 17 उच्च-प्रभावित राज्यों में स्क्रीनिंग, परामर्श, सस्ता इलाज, और जनजागरूकता
  - » **मुख्य चुनौती:** दवाओं और इलाज की पहुंच, खासकर ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में
- **मुख्य तथ्य (Key Takeaways):**
  - » सिकल सेल रोग एक गंभीर परंतु रोके जा सकने वाला आनुवंशिक रोग है।
  - » भारत में यह रोग सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों, विशेष रूप से आदिवासी समूहों में अधिक व्याप्त है।
  - » नीति, विज्ञान और समुदाय आधारित हस्तक्षेपों की त्रि-आयामी रणनीति से ही इस चुनौती से निपटा जा सकता है।

निष्कर्ष:

सिकल सेल रोग केवल एक आनुवंशिक समस्या नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी व्यापक चुनौती है। इसे मात देने के लिए जमीनी स्तर पर जनजागरूकता, समय पर निदान, वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रभावी नीति क्रियान्वयन अपरिहार्य हैं।

सौर ऊर्जा से हरित हाइड्रोजन उत्पादन में बड़ी उपलब्धि

संदर्भ:

हाल ही में भारत ने हरित ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसा अगली पीढ़ी का उपकरण विकसित किया है, जो केवल सौर ऊर्जा का उपयोग करके जल अणुओं को विभाजित करता है और हरित हाइड्रोजन (Green Hydrogen) उत्पन्न करता है। यह शोध रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के जर्नल में प्रकाशित हुआ है। यह उपलब्धि न केवल भारत की वैज्ञानिक क्षमता को दर्शाती है, बल्कि

वैश्विक जलवायु लक्ष्यों की दिशा में भी एक क्रांतिकारी कदम है।

शोध की मुख्य बातें:

- हरित ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति करते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज (CeNS), बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने एक अत्याधुनिक फोटोइलेक्ट्रोकेमिकल (PEC) उपकरण विकसित किया है।
- इस उपकरण की सबसे प्रमुख बात यह है कि इसमें सौर ऊर्जा और पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करता है।
- इसमें एक सिलिकॉन-आधारित फोटोएनोड का प्रयोग हुआ है जो N-i-P हेटेरोजंक्शन आर्किटेक्चर पर आधारित है।
- ये आर्किटेक्चर मिलकर फोटो-करंट के चार्ज को बेहतर तरीके से अलग और स्थानांतरित करते हैं।
- सामग्री को मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग तकनीक से तैयार किया गया है जो औद्योगिक पैमाने पर दोहराई जा सकने वाली प्रक्रिया है।
- इस प्रयोग में सौर ऊर्जा से सीधे हाइड्रोजन उत्पादन में अत्यधिक प्रभावशीलता प्रदर्शित की हैं। सबसे उल्लेखनीय यह है कि डिवाइस ने 10 घंटे तक लगातार संचालन में केवल 4% प्रदर्शन गिरावट दिखाई जो सिलिकॉन-आधारित फोटोइलेक्ट्रोकेमिकल (PEC) प्रणालियों के लिए असाधारण है।

हरित हाइड्रोजन क्या है?

- हरित हाइड्रोजन वह हाइड्रोजन गैस है जिसे पानी (H_2O) को विद्युत अपघटन (Electrolysis) की प्रक्रिया से तोड़कर प्राप्त किया जाता है, और इस प्रक्रिया में प्रयुक्त बिजली पूरी तरह से अक्षय ऊर्जा स्रोतों (जैसे सौर या पवन ऊर्जा) से आती है। चूंकि इस उत्पादन प्रक्रिया में कोई कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) या ग्रीनहाउस गैसें उत्सर्जित नहीं होतीं, इसलिए इसे "हरित" (Green) कहा जाता है।

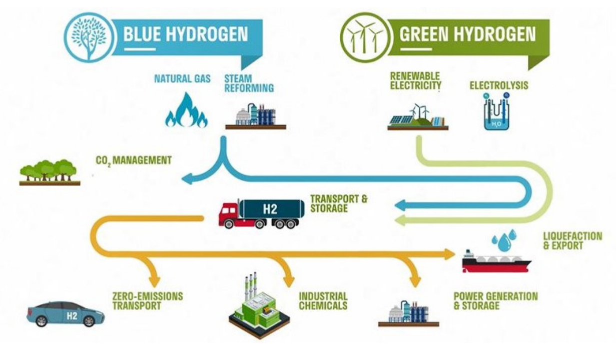

हरित हाइड्रोजन के प्रमुख लाभ:

लाभ	विवरण
शून्य कार्बन उत्सर्जन	यह जीवाश्म ईंधनों की तरह प्रदूषण नहीं करता, जिससे जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद मिलती है।
उद्योगों का डी-कार्बोनाइजेशन	इस्पात, उर्वरक, रसायन जैसे भारी उद्योगों में इसे उपयोग कर कार्बन उत्सर्जन कम किया जा सकता है।
स्वच्छ परिवहन ईंधन	हाइड्रोजन-चालित वाहन पारंपरिक वाहनों की तुलना में अधिक पर्यावरण-अनुकूल होते हैं।
ऊर्जा भंडारण में सक्षम	हरित हाइड्रोजन को संग्रहीत कर, आवश्यकता अनुसार ऊर्जा में बदला जा सकता है।
ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम	भारत अपने घरेलू नवीकरणीय संसाधनों से हाइड्रोजन बना सकता है, जिससे आयात पर निर्भरता घटेगी।

निष्कर्ष:

हरित ऊर्जा के क्षेत्र में यह उपलब्धि न केवल भारत की वैज्ञानिक क्षमता को दर्शाती है, बल्कि वैश्विक जलवायु लक्ष्यों की दिशा में भी एक क्रांतिकारी कदम है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले वर्षों में यह तकनीक घरेलू उपयोग से लेकर औद्योगिक संयंत्रों तक, हाइड्रोजन-आधारित ऊर्जा प्रणालियों को पूरी तरह सौर ऊर्जा पर आधारित बना सकती है। भारत की यह उपलब्धि न केवल ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम है, बल्कि एक स्वच्छ, स्थायी और नवोन्मेषी भविष्य का निर्माण भी करती है।

"स्वर्ण ऋण: वित्तीय समावेशन बनाम नियामकीय सख्ती"

भारत आर्थिक अस्थिरता और बढ़ते घरेलू कर्ज से जूझ रहा है, ऐसे समय में एक पारंपरिक लेकिन अब और भी महत्वपूर्ण वित्तीय साधन स्वर्ण ऋण (Gold Loan) फिर से चर्चा में है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा सोने के बदले दिए जाने वाले ऋणों को लेकर हाल में जारी मसौदा दिशा-निर्देशों के बाद, वित्त मंत्रालय ने दो प्रमुख छूटों की सिफारिश की है:

» ₹2 लाख से कम के ऋणों को छूट देना

» नियमों के कार्यान्वयन की तिथि को 1 जनवरी 2026 तक टालना।

- तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के हस्तक्षेप से प्रेरित इन घटनाक्रमों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत की सामाजिक-आर्थिक संरचना में स्वर्ण ऋण कितने गहरे जुड़े हुए हैं और बिना ठोस नियमन के यह क्षेत्र कितना जोखिम भरा हो सकता है।

भारत में सोने का सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व:

- भारत में सोना केवल एक कीमती धातु नहीं बल्कि यह सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत मूल्यवान संपत्ति है। शादियों से लेकर धार्मिक त्योहारों तक, सोना विभिन्न अनुष्ठानों में केंद्रीय भूमिका निभाता है और इसे धन, सुरक्षा और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। भारतीय घरों में भारी मात्रा में सोना संग्रहित है, अक्सर आभूषणों के रूप में, जो पीढ़ियों से आगे बढ़ता रहा है।
- इस भावनात्मक और आर्थिक महत्व के कारण, सोना सामान्यतः तभी बेचा जाता है जब अत्यधिक आवश्यकता हो। लेकिन जब बेचना जरूरी हो, तब सोना एक आसानी से उपलब्ध संपार्श्विक (asset) बन जाता है, जो व्यक्तियों को अल्पकालिक ऋण प्राप्त करने का त्वरित मार्ग प्रदान करता है। ऐसे देश में जहाँ बड़ी जनसंख्या औपचारिक ऋण व्यवस्था से बाहर है, वहाँ गोल्ड लोन एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य करता है जो अनौपचारिक आवश्यकताओं और औपचारिक वित्त के बीच पुल बनाता है।

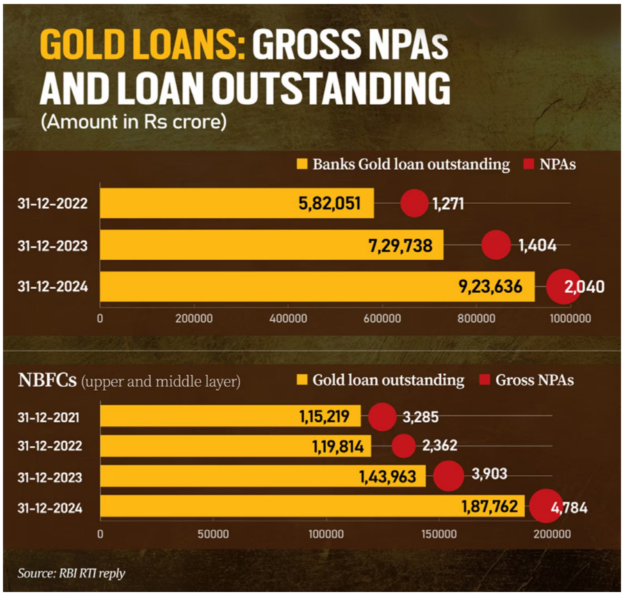

गोल्ड लोन में तीव्रता का कारण:

- कई आर्थिक और व्यावहारिक कारणों से गोल्ड लोन की मांग में भारी वृद्धि हुई है:

  » **सुलभता:** जिनके पास मजबूत क्रेडिट इतिहास नहीं है, उन्हें भी गोल्ड लोन मिल जाता है, जिससे यह उन लोगों के लिए भी

सुलभ है जो बैंकिंग सेवाओं से वंचित हैं।

- **त्वरित वितरण:** कुछ घंटों में ही ऋण स्वीकृत और वितरित हो सकता है, जैसे आपात चिकित्सा, स्कूल फीस या अन्य आकस्मिक खर्चों के समय यह अत्यंत उपयोगी होता है।
- **कम ब्याज दरें:** संपार्श्विक आधारित होने के कारण इन पर व्यक्तिगत ऋण या वेतन-दिवस ऋण की तुलना में ब्याज दरें काफी कम होती हैं।
- **कम दस्तावेजी आवश्यकता:** आधार और पैन जैसे केवल मूल KYC दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है।
- **लचीला पुनर्भुगतान:** एकमुश्त भुगतान, EMI या केवल ब्याज भुगतान जैसी विकल्प उपलब्ध हैं।
- **क्रेडिट स्कोर की अनिवार्यता नहीं:** चूँकि यह ऋण संपार्श्विक आधारित होता है, इसलिए ऋणदाता क्रेडिट स्कोर को लेकर अधिक चिंतित नहीं होते।
- **संपत्ति को बनाए रखना:** गोल्ड लोन से लोग अपनी निष्क्रिय संपत्ति को मोनेटाइज़ कर सकते हैं बिना उसे बेचे।

- गोल्ड लोन बैंकों, NBFCs और विशेष रूप से गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों द्वारा दिए जाते हैं, जिससे यह सेवा भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक रूप से व्यापक रूप से उपलब्ध है।

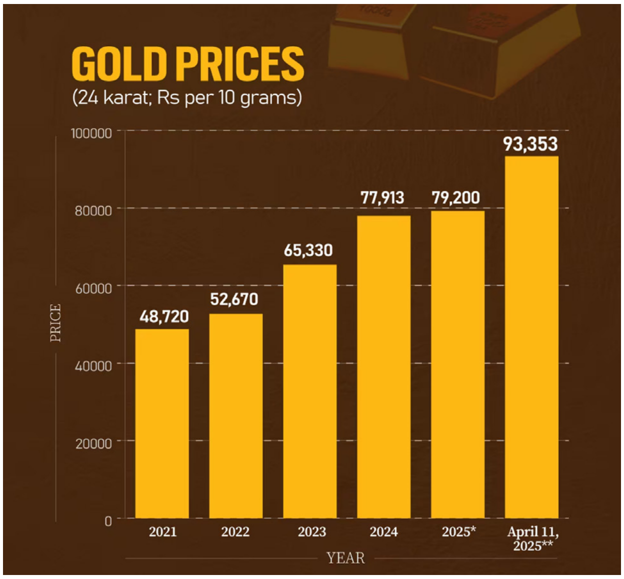

बढ़ते एनपीए और नियामकीय खामियाँ:

- जैसे-जैसे सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं (जून 2025 में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹95,760 प्रति 10 ग्राम तक पहुँच चुकी है), वैसे-वैसे सोने के बदले ऋण में तेज़ी से वृद्धि हुई है लेकिन इसके साथ ही जोखिम भी बढ़े हैं।
  - **बढ़ते एनपीए:** आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए गोल्ड लोन का एनपीए 2023 में ₹1,404 करोड़ से बढ़कर 2024 के अंत तक ₹2,040 करोड़ हो गया। NBFCs के लिए यह आंकड़ा ₹3,904 करोड़ से बढ़कर ₹4,784 करोड़ हो गया।
  - **मूल्यांकन और वसूली में समस्याएँ:** हालाँकि सोने की संपार्श्विक मौजूदगी से ऋणदाताओं को सुरक्षा मिलती है, लेकिन गलत मूल्यांकन, बढ़ा-चढ़ाकर तय LTV अनुपात, सोने की गिरती कीमतें और धीमी नीलामी प्रक्रिया वसूली को संकट में डाल सकते हैं।
  - **उधारकर्ताओं पर भावनात्मक असर:** कई भारतीय घरों में आभूषण केवल आर्थिक नहीं, बल्कि भावनात्मक और पारिवारिक विरासत के रूप में देखे जाते हैं। यदि ऋण न चुकाने की स्थिति में इनकी नीलामी हो जाती है, तो यह उधारकर्ताओं के लिए एक गहरा मानसिक आघात बन सकता है।

RBI के नए मसौदा दिशा-निर्देश: इस क्षेत्र को स्थिर करने की कोशिश

इन समस्याओं से निपटने के लिए, RBI ने एक व्यापक मसौदा दिशा-निर्देश पेश किया है, जो प्रक्रियाओं के मानकीकरण, जवाबदेही बढ़ाने और प्रणालीगत जोखिमों को कम करने का प्रयास करता है। इन दिशा-निर्देशों में शामिल हैं:

- **LTV (ऋण-मूल्य अनुपात) सीमा:**
  - उपभोग ऋण के लिए सोने के बाजार मूल्य का अधिकतम 75% तक सीमित। इससे बढ़ी हुई कीमतों के आधार पर अत्यधिक ऋण देने से बचा जा सकेगा।
- **मानकीकृत मूल्यांकन प्रक्रिया:**
  - प्रमाणित, स्वच्छ रिकॉर्ड वाले मूल्यांकनकर्ता अनिवार्य।
  - मूल्यांकन 22 कैरेट सोने के मूल्य पर आधारित होगा — या तो 30-दिनों का औसत या पिछले दिन का समापन मूल्य, जो भी कम हो।
  - चाँदी की संपार्श्विक की शुद्धता 999 होनी चाहिए।
- **स्वामित्व का प्रमाण:**

- » उधारकर्ता को या तो बिक्री रसीद या स्वामित्व विवरण वाली घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।
- **ऋण उद्देश्य का भेद:** उपभोग बनाम आय-सृजन ऋण:
  - » बुलेट पुनर्भुगतान ऋण की अधिकतम अवधि 12 महीने।
  - » आय-सृजन ऋण के लिए वितरण संभावित नकदी प्रवाह के आधार पर होगा, केवल संपार्श्विक के आधार पर नहीं।
  - » गोल्ड का दोहरे उद्देश्य (उपभोग और आय) के लिए उपयोग वर्जित।
- **संपार्श्विक सीमा:** एक उधारकर्ता द्वारा अधिकतम गिरवी:
  - » 1 किलोग्राम सोने/चाँदी के आभूषण
  - » 50 ग्राम सोने के सिक्के
  - » 500 ग्राम चाँदी के सिक्के
- **कुछ संपार्श्विकों पर रोक:**
  - » सोने की ईंट, बारीक सोना, सिल्लियाँ या फिर से गिरवी रखा गया सोना – इन पर ऋण प्रतिबंधित।
- **पुनर्भुगतान और नीलामी शर्तें:**
  - » पारदर्शी ऋण अनुबंध, पुनर्भुगतान विकल्प और ब्याज दर अनिवार्य।
  - » डिफ़ॉल्ट की स्थिति में, ऋणदाता को नीलामी से पहले सूचना देनी होगी। नीलामी के बाद बची हुई राशि उधारकर्ता को वापस की जानी चाहिए।

वित्त मंत्रालय की प्रतिक्रिया: सामाजिक संवेदनशीलता और नियामकीय विवेक का मेल

- तमिलनाडु जैसे राज्यों की आपत्ति के बाद जिनका तर्क था कि ये नए नियम निम्न-आय वर्ग के लिए ऋण उपलब्धता को सीमित कर देंगे, वित्त मंत्रालय ने दो प्रमुख सिफारिशें की हैं:
  - » ₹2 लाख से कम के गोल्ड लोन को नए दिशा-निर्देशों से छूट देना।
  - » नियमों के कार्यान्वयन को 1 जनवरी 2026 तक टालना, जिससे प्रणाली को बदलाव के लिए पर्याप्त समय मिल सके।
- यह प्रतिक्रिया एक प्रमुख नीति द्वंद्व को दर्शाती है: वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना, लेकिन नियामकीय अखंडता से समझौता किए बिना।

निष्कर्ष:

RBI के गोल्ड लोन दिशा-निर्देश उस क्षेत्र को औपचारिक रूप देने का प्रयास करते हैं जो अब तक अर्ध-औपचारिक रहा है, वह भी उसकी पहुँच को सीमित किए बिना। जैसे-जैसे भारत अधिकाधिक ऋण-निर्भर होता जा रहा है और अब भी सोने को मूल्य संचय के रूप में देखता है ऐसे में यह नियामकीय स्पष्टता आवश्यक हो जाती है। हालाँकि, वित्त मंत्रालय द्वारा सुझाया गया चरणबद्ध और लचीला कार्यान्वयन ज़मीनी सच्चाईयों के साथ नियामकीय लक्ष्यों के संतुलन के लिए उपयुक्त प्रतीत होता है। आर्थिक अनिश्चितता के इस दौर में, गोल्ड लोन भारतीय परिवारों के लिए एक आवश्यक साधन बने रहेंगे। लेकिन उधारकर्ता की गरिमा और ऋणदाता की वित्तीय स्थिरता की रक्षा के लिए, समझदारी भरे नियमन की आवश्यकता है, न कि कठोर नियंत्रण की।

भारत का आर्थिक परिदृश्य 2024–25: वैश्विक अनिश्चितता के बीच संतुलन साधने की कोशिश

भारत की अर्थव्यवस्था अब अपने दीर्घकालिक विकास पथ की ओर लौटती दिख रही है। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने 2024–25 के लिए GDP वृद्धि दर 6.5% अनुमानित की है, जबकि चौथी तिमाही में यह दर आश्चर्यजनक रूप से 7.4% रही। ये अनंतिम अनुमान पहले के अनुमान से अधिक विस्तृत आँकड़ों पर आधारित हैं, जो एक अस्थिर वैश्विक वातावरण में अधिक स्थिर पूर्वानुमान की आधारशिला बनाते हैं। पहले और दूसरे अग्रिम अनुमानों में क्रमशः 6.4% और 6.5% वृद्धि का अनुमान था, जिससे आँकड़ों की स्थिरता और विश्वसनीयता का संकेत मिलता है।

यह दीर्घकालिक प्रवृत्ति की वापसी महत्वपूर्ण है। कोविड-19 से पहले के दस वर्षों में भारत की औसत वार्षिक वृद्धि दर 6.6% रही थी,

और हाल के आँकड़े बताते हैं कि अर्थव्यवस्था उसी दिशा में लौट रही है। हालांकि, पिछले तीन वर्षों में GDP में जो उत्साहजनक संशोधन देखने को मिले थे, वे अब कम हो सकते हैं।

वृद्धि संशोधन और नाममात्र जीडीपी प्रवृत्तियाँ:

- वित्त वर्ष 2023–24 में GDP वृद्धि दर में बड़ा संशोधन हुआ:
  - » पहला अग्रिम अनुमान: 7.3%
  - » अनंतिम अनुमान: 8.2%
  - » अंतिम संशोधन: 9.2%
- मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए नाममात्र GDP में 9.8% की वृद्धि हुई, जिससे अर्थव्यवस्था का आकार $3.6 ट्रिलियन (2023–24) से बढ़कर $3.91 ट्रिलियन (2024–25) हो गया। भारत की राष्ट्रीय लेखांकन प्रणाली में अनंतिम अनुमान ज्यादा प्रामाणिक माने जाते हैं और अगले अपडेट (2026 की शुरुआत) तक पूर्वानुमानों का मजबूत आधार बनते हैं।

उपभोग, निवेश और वित्तीय गतिविधियाँ:

- निजी खपत में 7.2% की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई, जिसका मुख्य कारण ग्रामीण मांग रही। शहरी खपत थोड़ी धीमी रही। हालांकि, चौथी तिमाही में कुल खपत वृद्धि 6% तक घट गई।
- सरकारी खपत व्यय पूरे वर्ष नियंत्रण में रहा—वार्षिक वृद्धि केवल 2.3% रही और चौथी तिमाही में यह –1.8% तक घट गया। दूसरी ओर, पूंजी निवेश में तेजी आई, खासकर अंतिम तिमाही में, जब केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय संशोधित अनुमान से भी अधिक रहा। इससे GDP की तुलना में निवेश तेजी से बढ़ा।

क्षेत्रीय प्रदर्शन:

- उत्पादन क्षेत्र का प्रदर्शन मिला-जुला रहा। कृषि और सेवा क्षेत्र ने अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि विनिर्माण क्षेत्र अपेक्षाकृत कमजोर रहा और केवल 4.5% की वृद्धि दर्ज की जो कृषि से भी कम है। श्रम-प्रधान निर्माण क्षेत्र ने 9.4% की वृद्धि दर्ज की, जो रोजगार सृजन के लिए सकारात्मक संकेत है।
- माल निर्यात में कोई खास बदलाव नहीं हुआ 2023–24 में $437.07 बिलियन के मुकाबले 2024–25 में यह $437.41 बिलियन रहा, जिससे पारंपरिक निर्यात क्षेत्रों में ठहराव दिखाई देता है।

बाहरी दबाव और व्यापारिक निर्भरता:

- वैश्विक व्यापारिक माहौल जटिल होता जा रहा है। अमेरिका और चीन के बीच शुल्कों की पुनः बहाली और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं ने व्यापार प्रवाह को प्रभावित किया है। भारत की अर्थव्यवस्था भले ही घरेलू मांग पर आधारित हो, पर अब वह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और पूंजी बाजारों से जुड़ी हुई है, जिससे यह बाहरी झटकों के प्रति संवेदनशील हो गई है।

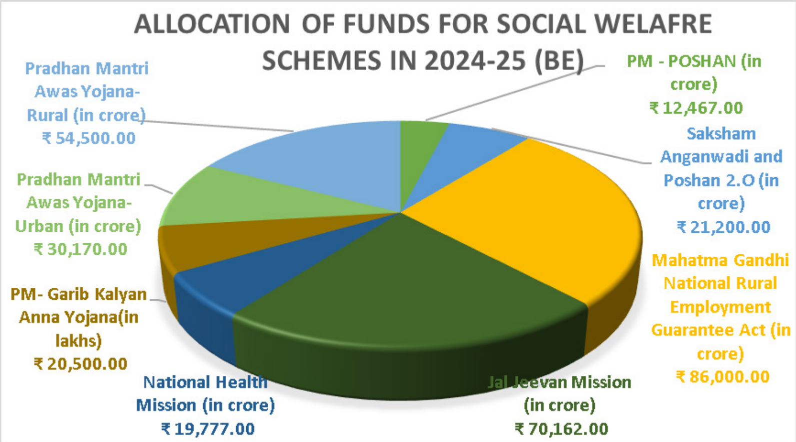

- **प्रत्यक्ष प्रभाव:** अमेरिका की वृद्धि दर 2024 में 2.8% से घटकर 2025 में 1.5% होने की संभावना है, जिससे भारतीय निर्यात की मांग घट सकती है। अमेरिका द्वारा लगाए गए शुल्कों से भारत की प्रतिस्पर्धा और प्रभावित हो सकती है।
- **परोक्ष प्रभाव:** यूरोपीय संघ और एशिया जैसे अन्य प्रमुख निर्यात बाजारों से आ सकते हैं। S&P Global के अनुसार, वैश्विक GDP वृद्धि 2024 में 3.3% से घटकर 2025 में 2.7% हो सकती है। चीन, जो अधिशेष उत्पादन और मूल्य गिरावट का सामना कर रहा है, भारत जैसे देशों में सस्ते उत्पाद निर्यात कर सकता है, जिससे प्रतिस्पर्धा और बढ़ेगी।
- हालाँकि, अमेरिका और चीन के बीच हाल ही में 90 दिनों के लिए 115% शुल्क कटौती पर सहमति बनी है, लेकिन यह राहत अस्थायी है। इसके बाद की स्थिति अनिश्चित बनी हुई है, जिससे निवेशक सतर्क हैं और निजी निवेश निर्णय टल रहे हैं।

चुनौतियों से निपटने की क्षमता:

- बाहरी अनिश्चितताओं के बावजूद भारत के पास कुछ मजबूत बुनियादी आधार मौजूद हैं:

- विदेशी मुद्रा भंडार $686 बिलियन पर है।
- चालू खाता घाटा सीमित है।
- सरकार का बाहरी ऋण नियंत्रित है।

- भारत का निर्यात ढाँचा भी लचीलापन दर्शाता है। सेवा निर्यात अब कुल निर्यात का लगभग आधा हिस्सा है और यह वस्तुओं की तुलना में वैश्विक अस्थिरता से कम प्रभावित होता है। WTO के अनुसार:
  - वैश्विक वस्तु व्यापार 2025 में 0.2% घट सकता है।
  - सेवा व्यापार में 4% वृद्धि की संभावना है, जो भारत को वैश्विक मंदी से कुछ राहत देगा।
- हालाँकि सेवा निर्यात की वृद्धि भी धीमी हो सकती है, फिर भी इनका स्थायित्व भारत के लिए एक संरचनात्मक लाभ है।

मौद्रिक नीति और खपत का दृष्टिकोण:

- रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन, दालों की अच्छी पैदावार और अनुकूल मानसून से खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने और कृषि आय बढ़ने की संभावना है। कच्चे तेल की कीमतें भी कम रहने की उम्मीद है, लगभग $65 प्रति बैरल जो आयात व्यय को कम करेगी और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को विकास को समर्थन देने के लिए अधिक स्थान देगी।
- खाद्य मुद्रास्फीति में कमी का सबसे अधिक लाभ निम्न-आय वाले परिवारों को होगा, जिनके उपभोग में भोजन और ईंधन का हिस्सा अधिक होता है। इससे ग्रामीण और निम्न-आय वाले शहरी क्षेत्रों में खर्च बढ़ेगा और खपत में सुधार को बल मिलेगा।

निवेश परिवेश और आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव:

- सरकार की शुरुआती वित्तीय सक्रियता स्पष्ट है। अप्रैल 2025 में ही केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय ₹1.59 लाख करोड़ तक पहुँच गया जो कि पूरे वर्ष के बजट लक्ष्य का लगभग 14.3% है। हालाँकि, निजी निवेश की संभावनाएँ अभी भी मिश्रित हैं क्योंकि वैश्विक अस्थिरता और पूंजी प्रवाह व विनिमय दरों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।
- फिर भी, भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के पुनर्गठन से लाभ मिल रहा है:
  - Apple अब अमेरिका के लिए अधिकांश iPhones भारत में बनाएगा।
  - एक वियतनामी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी भारत में संयंत्र स्थापित कर रही है।
- देश की बड़ी और मध्यम कंपनियाँ आर्थिक रूप से मजबूत स्थिति में हैं और इन अवसरों का लाभ उठा सकती हैं। लेकिन इस निवेश की गति को बनाए रखने के लिए भूमि, श्रम और नियामकीय अड़चनों से जुड़े संरचनात्मक सुधार जरूरी हैं।

आगे की राह:

- 2024–25 में भारत की GDP 6.5% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जो दीर्घकालिक औसत के अनुरूप है। हालांकि, वैश्विक व्यापार की बदलती स्थिति और कमजोर निजी निवेश के चलते कुछ जोखिम बने हुए हैं।
- विकास को समर्थन देने वाले प्रमुख कारक:
  - ग्रामीण मांग में स्थायित्व।
  - सार्वजनिक पूंजीगत व्यय का विस्तार।
  - कृषि उत्पादन की स्थिरता और वस्तुओं की कीमतों में नरमी।
  - वैश्विक विनिर्माण आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की बढ़ती भागीदारी।
- भविष्य की दिशा इस पर निर्भर करेगी कि भारत किस तरह से संरचनात्मक चुनौतियों को दूर करता है और बाहरी झटकों के प्रति कितनी कुशलता से प्रतिक्रिया देता है जिससे वह आर्थिक स्थिरता बनाए रखते हुए अपनी पूरी विकास क्षमता को हासिल कर सके।

कोल्हापुरी चप्पल विवाद

संदर्भ:

हाल ही में इटली की लग्जरी फैशन ब्रांड प्राडा (Prada) के नए कलेक्शन में प्रदर्शित सैंडल्स को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। भारत के कोल्हापुरी चप्पल निर्माताओं ने आरोप लगाया है कि यह डिज़ाइन कोल्हापुरी चप्पलों की नकल है, जो कि भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्राप्त पारंपरिक उत्पाद है। यह विवाद न केवल बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) का उल्लंघन है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक अस्मिता और कारीगरों के अधिकारों से भी जुड़ा गंभीर मामला है। हालाँकि बढ़ती आलोचना के चलते प्राडा ने अपने उत्पाद को कोल्हापुरी चप्पल से प्रेरित बताया।

कोल्हापुरी चप्पल की सांस्कृतिक और आर्थिक महत्ता:

- कोल्हापुरी चप्पलें महाराष्ट्र की एक सदियों पुरानी कारीगरी का प्रतीक हैं। शुद्ध चमड़े से निर्मित यह चप्पलें न केवल स्थानीय पहचान हैं बल्कि हजारों कारीगरों की आजीविका का आधार भी हैं। इन्हें वर्ष 2019 में GI टैग प्राप्त हुआ, जिसका अर्थ है कि इस विशिष्ट डिज़ाइन और निर्माण तकनीक को कोल्हापुर और उसके आस-पास के क्षेत्र से जोड़ा गया है और इसके संरक्षण की कानूनी व्यवस्था है।
- प्राडा द्वारा प्रस्तुत सैंडल डिज़ाइन को कोल्हापुरी चप्पलों की हूबहू नकल माना गया है परंतु इसमें कहीं भी भारतीय स्रोत या प्रेरणा का उल्लेख नहीं किया गया है। इसकी कीमत लगभग ₹1 लाख रखी गई है, जबकि वही डिज़ाइन भारत में कई गुना सस्ते दाम पर हज़ारों कारीगरों द्वारा बनाया जाता है।

भौगोलिक संकेत (GI) टैग:

- भौगोलिक संकेत (Geographical Indication-GI) टैग एक प्रकार का बौद्धिक संपदा अधिकार है, जो किसी उत्पाद को उसके विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से जोड़ता है। इसका मतलब है कि उस उत्पाद की गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या विशेष विशेषताएँ उस क्षेत्र की भौगोलिक उत्पत्ति पर निर्भर करती हैं। उदाहरण: कोल्हापुरी चप्पल, दार्जिलिंग चाय, बनारसी साड़ी आदि।
- **भौगोलिक संकेत का महत्त्व:**
  - » यह स्थानीय कारीगरों और किसानों को पहचान और बाज़ार में लाभ दिलाता है।
  - » नकली या घटिया उत्पादों से उत्पाद की प्रतिष्ठा की रक्षा करता है।
  - » क्षेत्रीय आजीविका, परंपरा व सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण देता है।
  - » वैश्विक बाज़ार में प्रतिस्पर्धा की क्षमता बढ़ाता है।

विधिक और नैतिक पक्ष:

- GI टैग प्राप्त उत्पाद की नकल करने पर भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 के तहत कानूनी उल्लंघन माना जाता है:
  - » **आपराधिक कार्रवाई:** नकली उत्पाद बेचने या बनाने पर 6 महीने तक की जेल और जुर्माना (₹50,000 या अधिक) हो सकता है।
  - » **सिविल कार्रवाई:** अदालत से निषेधाज्ञा (injunction) लेकर नकली उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाई जा सकती है और हर्जाने की मांग की जा सकती है।
  - » **सीमा शुल्क उपाय:** नकली उत्पादों के आयात-निर्यात पर भी रोक लगाई जा सकती है।
  - » **ब्रांड की प्रतिष्ठा की रक्षा:** कानूनी कार्रवाई से उत्पाद की पहचान और स्थानीय कारीगरों की आजीविका सुरक्षित रहती है।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर GI टैग प्राप्त उत्पादों की रक्षा के लिए निम्न उपाय उपलब्ध हैं:
  - » **TRIPS समझौता (WTO के तहत):** सदस्य देशों को GI संरक्षण देना अनिवार्य है। भारत WTO में शिकायत दर्ज कर सकता है।
  - » **WIPO (World Intellectual Property Organization):** इसके जरिए GI का अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण व संरक्षण संभव है (Lisbon Agreement के तहत)।
  - » **राजनयिक कदम:** भारत अन्य देशों से द्विपक्षीय समझौते कर GI उत्पादों की नकल पर रोक लगाने की मांग कर सकता है।
  - » **विदेशी अदालतों में मुकदमा:** GI धारक विदेशी बाजारों में भी नकली उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं।
- नैतिक दृष्टिकोण से भी यह स्पष्ट है कि वैश्विक ब्रांडों को पारंपरिक डिज़ाइनों से प्रेरणा लेने के साथ-साथ उनकी उत्पत्ति को स्वीकार करना, स्थानीय कारीगरों को श्रेय देना, और राजस्व साझाकरण पर विचार करना चाहिए।

निष्कर्ष:

प्राडा और कोल्हापुरी चप्पल विवाद न केवल एक डिज़ाइन तक सीमित है, बल्कि यह भारत जैसे देश की सांस्कृतिक और बौद्धिक संपदा की वैश्विक

स्तर पर रक्षा का मामला बन गया है। यदि इस मुद्दे को समय रहते प्रभावी ढंग से नहीं उठाया गया, तो अन्य GI टैग प्राप्त उत्पादों जैसे बनारसी साड़ी, कांच की चूड़ियाँ, मधुबनी चित्रकला पर भी ऐसे ही खतरे मंडरा सकते हैं। यह समय है कि भारत न केवल कानूनी रूप से GI टैग की रक्षा करे, बल्कि वैश्विक मंचों पर भी सांस्कृतिक संपदा की रक्षा के लिए नैतिक और कूटनीतिक दबाव बनाए। यह मामला केवल डिज़ाइन की चोरी नहीं है, बल्कि एक प्रकार की "सांस्कृतिक चोरी" बन जाता है, जब कोई वैश्विक ब्रांड किसी परंपरागत शिल्प को बाज़ार में उतारकर स्थानीय शिल्पकारों को श्रेय दिए बिना लाभ कमाता है।

वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025

संदर्भः

संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (UNCTAD) द्वारा जारी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार, भले ही भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) के वास्तविक प्रवाह में हल्की गिरावट आई हो, फिर भी वह दुनिया के शीर्ष निवेश गंतव्यों में अपनी स्थिति मजबूत करने में सफल रहा है।

मुख्य बिंदुः

- **FDI प्रवाहः**
  - » भारत को वर्ष 2024 में $27.6 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मिला, जो 2023 के $28.1 बिलियन से थोड़ा कम है।
  - » इसके बावजूद भारत वैश्विक स्तर पर एक स्थान ऊपर चढ़कर 15वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि 2023 में यह 16वें स्थान पर था।
- **ग्रीनफील्ड निवेश और परियोजना वित्तः**
  - » भारत 2024 में कुल 1,080 नई ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के साथ इस क्षेत्र में दुनिया में चौथे स्थान पर रहा।
  - » अंतरराष्ट्रीय परियोजना वित्त सौदों के मामले में भारत शीर्ष पांच देशों में शामिल रहा, जहां 97 समझौतों की घोषणा हुई।
  - » यह वृद्धि दर्शाती है कि निवेशकों का भारत पर भरोसा बना हुआ है, भले ही वास्तविक निवेश में थोड़ी गिरावट आई हो।
- **वैश्विक परिप्रेक्ष्यः**
  - » अमेरिका ने FDI प्राप्त करने के मामले में अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा, जहां निवेश 2023 के $233 बिलियन से बढ़कर 2024 में $279 बिलियन हो गया।
  - » अमेरिका ने ग्रीनफील्ड परियोजनाओं और परियोजना वित्त सौदों में भी भारत से दो गुना अधिक प्रदर्शन किया।
  - » चीन में FDI प्रवाह में 29% की भारी गिरावट आई, जिससे वह 2023 में दूसरे स्थान से फिसलकर 2024 में चौथे स्थान पर आ गया।
  - » ASEAN देशों को FDI में 10% की वृद्धि मिली, जिससे कुल निवेश $225 बिलियन पहुंच गया — यह अब तक का सर्वोच्च स्तर है।
  - » पश्चिम एशिया में निवेश प्रवाह स्थिर रहा, और यूएई को विशेष रूप से मजबूत निवेश प्राप्त हुआ।

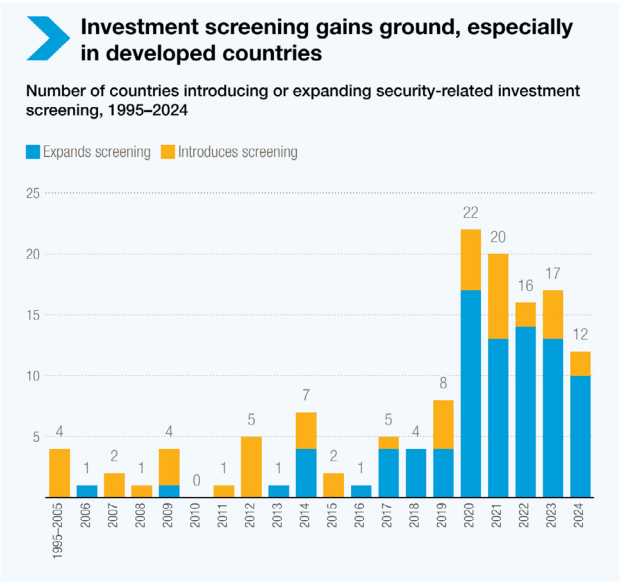

- **भारत का बाह्य विदेशी प्रत्यक्ष निवेशः**
  - » भारत के विदेशी निवेश 2024 में बढ़कर $24 बिलियन हो गए, जो 2023 में $14 बिलियन थे।
  - » इस वृद्धि के साथ भारत वैश्विक स्तर पर बाहर निवेश करने वाले देशों की सूची में 23वें से 18वें स्थान पर पहुंच गया।
  - » भारतीय निवेशकों द्वारा 20% अधिक ग्रीनफील्ड परियोजनाएं शुरू की गई, जिससे भारत शीर्ष 10 वैश्विक निवेशक देशों में शामिल हो गया।
- **क्षेत्रीय ध्यान केंद्रितः**
  - » भारत के बाह्य निवेश मुख्य रूप से सेमीकंडक्टर और बेसिक मेटल्स क्षेत्रों पर केंद्रित रहे।
  - » भारत और विदेशों दोनों में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और बैटरी असेंबली से जुड़ी परियोजनाओं की घोषणा की गई, जो ग्रीन और उन्नत मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में कदम है।

UNCTAD के बारे में:

- संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (UNCTAD) की स्थापना 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक स्थायी अंतर-सरकारी संगठन के रूप में की गई थी।
- इसका मुख्य उद्देश्य विकासशील, अल्पविकसित और संक्रमणशील अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक अर्थव्यवस्था में समावेशित करने में सहायता प्रदान करना है।
- यह देशों को विकास से जुड़ी चुनौतियों को समझने, आर्थिक विविधीकरण करने और वित्तीय जोखिमों का प्रभावी प्रबंधन करने में सहयोग करता है।
- UNCTAD के 195 सदस्य राष्ट्र हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में स्थित है।
- इसके प्रमुख प्रकाशनों में ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट और द लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ रिपोर्ट शामिल हैं।

निष्कर्ष:

हालांकि भारत में FDI के वास्तविक प्रवाह में मामूली गिरावट देखी गई, लेकिन ग्रीनफील्ड परियोजनाओं और बाहरी निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई है। यह भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं, विशेषकर उच्च प्रौद्योगिकी और हरित क्षेत्रों में, बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। परियोजना-स्तरीय निवेशों और बाहरी निवेश के विस्तार से यह संकेत मिलता है कि वैश्विक पूंजी प्रवाह में भारत की स्थिति मजबूत और दीर्घकालिक रूप से सकारात्मक बनी हुई है।

विश्व बैंक ने भारत के वित्त वर्ष 2025–26 के लिए वृद्धि अनुमान 6.3% स्थिर रखी

संदर्भ:

विश्व बैंक की हालिया “वैश्विक आर्थिक संभावनाएं” रिपोर्ट में भारत की वित्त वर्ष 2025–26 (FY26) के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6.3% पर बनाए रखी गई है, जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्था नीतिगत अनिश्चितता और व्यापारिक तनावों के चलते मंदी का सामना कर रही है। यह अनुमान भारत की पहचान दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में फिर से स्थापित करता है।

भारत की आर्थिक स्थिति:

- **FY26 (2025–26) में जीडीपी वृद्धि दर:** 6.3% पर स्थिर बनी रहेगी।
- **FY27 (2026–27) का अनुमान:** वृद्धि दर बढ़कर 6.5% होने की संभावना।
- **FY28 (2027–28) का अनुमान:** 6.7% तक पहुँचने का अनुमान, जिसमें मजबूत सेवा क्षेत्र और निर्यात में धीरे-धीरे सुधार सहायक होंगे।
- **घरेलू महंगाई दर:** FY26 में औसतन 3.7% रहने की उम्मीद है, जिससे सरकार को विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत कदम उठाने की गुंजाइश मिलेगी।
- **सार्वजनिक ऋण-से-जीडीपी अनुपात:** राजकोषीय अनुशासन और राजस्व में वृद्धि के चलते धीरे-धीरे गिरावट की ओर अग्रसर रहने की संभावना है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था का पूर्वानुमान:

- जहां भारत की आर्थिक मजबूती उभरकर सामने आई है, वहीं विश्व बैंक की रिपोर्ट में वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति चिंताजनक बताई गई है। दुनिया के लगभग 70% देशों की वृद्धि दर में गिरावट का पूर्वानुमान लगाया गया है, जिसका कारण है व्यापारिक तनाव, नीतिगत अनिश्चितता और निवेश विश्वास में कमी।
  - **2025 में वैश्विक वृद्धि दर:** घटकर 2.3% (जनवरी के 2.7% अनुमान से नीचे), जो 2008 के बाद मंदियों को छोड़कर सबसे धीमी रफ्तार है।
  - **2026 का अनुमान:** थोड़ा सुधार होकर 2.4%
  - **2027 का पूर्वानुमान:** हल्की बढ़ोतरी के साथ 2.6%, जो फिर भी महामारी से पहले की गति से कम है।

वैश्विक मंदी के प्रमुख कारण:

- **व्यापार में गिरावट:** 2000 के दशक में जहां वैश्विक व्यापार औसतन 5% की दर से बढ़ रहा था, वहीं 2020 के दशक में यह घटकर 3% से भी कम रह गया है। यह गिरावट वैश्विक उत्पादन की धीमी रफ्तार को दर्शाती है।
- **निवेश में गिरावट:** नीतिगत अस्थिरता और वित्तीय उतार-चढ़ाव ने वैश्विक पूंजी प्रवाह को कमजोर किया है। रिपोर्ट के अनुसार, बढ़ते वैश्विक कर्ज के बीच निवेश की गति भी धीमी पड़ी है।
- **टैरिफ:** संरक्षणवादी नीतियों की वापसी, विशेषकर अमेरिका और चीन द्वारा—वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर रही है। अप्रैल 2025 में ट्रम्प प्रशासन द्वारा लगाए गए टैरिफ, भले ही अस्थायी रूप से रोक दिए गए हों, लेकिन वे अब भी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा जोखिम बने हुए हैं।
- **भूराजनीतिक तनाव:** अमेरिका और चीन के बीच चल रही व्यापार वार्ताएं, जो निर्यात प्रतिबंधों और जवाबी उपायों से प्रभावित हैं, वैश्विक वृद्धि को या तो और कमजोर कर सकती हैं या फिर उसमें

मामूली सुधार ला सकती हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इन वार्ताओं का परिणाम क्या निकलता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और राजकोषीय नीति:

- हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक ने नीतिगत रुख में उदारता दिखाते हुए रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट (bps) की कटौती की है। इस प्रकार, 2025 में अब तक कुल 100 bps की कटौती की जा चुकी है। मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने निजी उपभोग और निवेश को प्रोत्साहित करने की जरूरत पर ज़ोर दिया है, विशेष रूप से तब जब मुद्रास्फीति लक्षित सीमा के भीतर बनी हुई है।
- हालाँकि विश्व बैंक का दृष्टिकोण अपेक्षाकृत सतर्क है, लेकिन आरबीआई और सरकार अधिक आशावादी हैं और उन्होंने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 6.3% से 6.8% के बीच आर्थिक वृद्धि का अनुमान जताया है।

निष्कर्ष:

वैश्विक स्तर पर आर्थिक अनिश्चितताएँ और चुनौतियाँ भले ही बनी हुई हों, लेकिन भारत अपनी स्थिरता और तेज़ विकास दर के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रहा है। विश्व बैंक का स्थिर अनुमान भारत की आर्थिक मजबूती को दर्शाता है, साथ ही यह संकेत भी देता है कि आगे की वृद्धि के लिए नीतिगत सहयोग, निर्यात का विविधीकरण और उत्पादकता बढ़ाने वाले संरचनात्मक सुधारों में निरंतर निवेश करना बेहद आवश्यक होगा।

सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमों में दी छूट

संदर्भ:

हाल ही में केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों के निर्माण हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) स्थापित करने से संबंधित नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है।

प्रमुख बदलाव:

- **भूमि की न्यूनतम आवश्यकता में कमी:** विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 5 में संशोधन करते हुए सरकार ने सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए अब न्यूनतम 50 हेक्टेयर के स्थान पर केवल 10 हेक्टेयर संलग्न भूमि की आवश्यकता को मंजूरी दी।
- **घरेलू आपूर्ति की अनुमति:** विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाइयाँ अब केवल निर्यात तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि देश के अन्य हिस्सों को भी उत्पाद बेच सकेंगी, बशर्ते वे निर्धारित शुल्कों का भुगतान करें। (नियम 18 में संशोधन)
- **भूमि पर ऋण या पट्टे की छूट:** यदि विशेष आर्थिक क्षेत्र की भूमि सरकार या किसी अधिकृत एजेंसी के पक्ष में गिरवी रखी गई या पट्टे पर दी गई है, तो अब ऐसी स्थिति में भी उसे बाधा-मुक्त (encumbrance-free) माने जाने की अनुमति दी जा सकती है। (नियम 7 में संशोधन)
- **मुफ्त प्राप्त वस्तुओं की गणना में समावेश:** अब नेट फॉरेन एक्सचेंज (NFE) की गणना में नि:शुल्क प्राप्त वस्तुओं के मूल्य को भी शामिल किया जा सकेगा, जिससे निर्यात और आयात का संतुलन बेहतर होगा।

प्रभाव:

- **उन्नत तकनीक आधारित विनिर्माण को प्रोत्साहन:** इन संशोधनों से उच्च तकनीक वाले क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा तथा सेमीकंडक्टर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को गति प्राप्त होगी।
- **कुशल मानव संसाधन के अवसर बढ़ेंगे:** सेमीकंडक्टर निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास से देश में उच्च दक्षता वाली नौकरियों के नए अवसर उत्पन्न होंगे।
- **निवेश आकर्षण में वृद्धि:** इन नीतिगत सुधारों के माध्यम से सेमीकंडक्टर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में निवेश को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा।

नई परियोजनाएं:

- अधिसूचना के बाद, गुजरात और कर्नाटक में ₹13,100 करोड़ के कुल निवेश के साथ दो एसईजेड सुविधाओं को मंजूरी दी गई है। माइक्रोन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंडिया ₹13,000 करोड़ के अनुमानित निवेश के साथ गुजरात के साणंद में एक एसईजेड सुविधा स्थापित करेगी , जबकि एक्वस ₹100 करोड़ के अनुमानित निवेश के साथ कर्नाटक के धारवाड़ में एक एसईजेड स्थापित करेगी।

विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या होते हैं?

- विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zones - SEZ) ऐसे निर्दिष्ट क्षेत्र होते हैं जिन्हें व्यापार, कर तथा सीमा शुल्क के संदर्भ में देश के सामान्य क्षेत्र से भिन्न, एक स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में माना जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना तथा रोजगार के अवसर सृजित करना है।
- इन क्षेत्रों का संचालन विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 एवं

विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के अंतर्गत किया जाता है। वर्तमान में भारत में कुल 276 विशेष आर्थिक क्षेत्र सक्रिय हैं। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान इन क्षेत्रों से कुल निर्यात 163.69 अरब अमेरिकी डॉलर दर्ज किया गया।

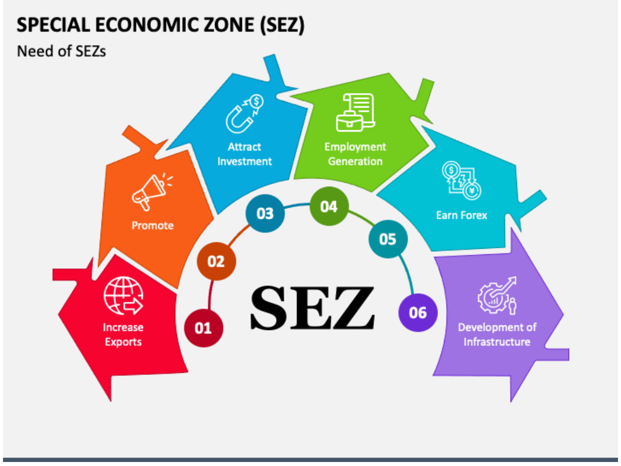

भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के प्रमुख लाभ:

- विकास के लिए वस्तुओं का शुल्क मुक्त आयात
- कर छूट (जैसे, जीएसटी शून्य रेटिंग)
- एकल खिड़की मंजूरी
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रोत्साहन
- प्रति वर्ष 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक की ईसीबी की अनुमति

विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के बारे में:

- यह अधिनियम फरवरी 2006 में लागू हुआ और इसका उद्देश्य निर्यात बढ़ाना, विदेशी निवेश आकर्षित करना और रोज़गार के अवसर बनाना है। यह पहले के निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (EPZ) की जगह लाया गया। अधिनियम में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना के लिए सरल अनुमोदन प्रक्रिया और शुल्क-मुक्त आयात व कर छूट जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

निष्कर्ष:

विशेष आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित नियमों में किया गया यह संशोधन भारत में उन्नत प्रौद्योगिकी आधारित विनिर्माण को प्रोत्साहन देने तथा निवेश एवं औद्योगिक विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण सृजित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

11 वर्षों में भारत के 26.9 करोड़ अत्यधिक गरीबी से बाहर: विश्व बैंक रिपोर्ट

संदर्भ:

विश्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत ने गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2011-12 से 2022-23 के बीच लगभग 26.9 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर आये हैं।

विश्व बैंक की गरीबी रेखा के बारे में:

- विश्व बैंक के अनुसार अत्यधिक गरीबी की स्थिति में ऐसे व्यक्ति है, जो प्रति व्यक्ति प्रति दिन एक निश्चित राशि से कम पर जीवन यापन करता है। इस राशि की गणना विभिन्न देशों में जीवन यापन की लागत और मुद्रास्फीति के अंतर को ध्यान में रखते हुए क्रय शक्ति समता (PPP) के आधार पर की जाती है।
- वर्तमान में, विश्व बैंक के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा (IPL) को $3.00 प्रति व्यक्ति प्रति दिन तय किया गया है। यह सीमा विशेष रूप से निम्न-आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में अत्यधिक गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाती है।
- **गरीबी रेखा की श्रेणियाँ इस प्रकार हैं:**
  - **निम्न आय वाले देश:** $3.00 प्रति व्यक्ति प्रति दिन (पहले $2.15 था)
  - **निम्न-मध्यम आय वाले देश (LMIC):** $4.20 प्रति व्यक्ति प्रति दिन (पहले $3.65 था)
  - **उच्च-मध्यम आय वाले देश:** $8.40 प्रति व्यक्ति प्रति दिन (पहले $6.85; कुछ स्रोतों में $8.30 भी उल्लेखित है)

विश्व बैंक के मुख्य निष्कर्ष:

- अत्यधिक गरीबी में रहने वाले भारतीयों की कुल संख्या 2011-12 में 344.47 मिलियन से घटकर 2022-23 में 75.24 मिलियन रह गयी।
  - **अत्यधिक गरीबी दर :** भारत की अत्यधिक गरीबी दर 2011-12 में 27.1% से घटकर 2022-23 में 5.3% हो गई।
  - **ग्रामीण और शहरी गरीबी:** इसी अवधि के दौरान ग्रामीण अत्यधिक गरीबी 18.4% से घटकर 2.8% हो गई, जबकि शहरी अत्यधिक गरीबी 10.7% से घटकर 1.1% हो गई।
  - **गरीबी में कमी लाने में योगदान देने वाले राज्य:** उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, ये पांच राज्य 2011-12 में भारत की लगभग 65% अत्यधिक गरीब

जनसंख्या के लिए जिम्मेदार थे। 2022-23 तक कुल गरीबी में आई कमी का दो-तिहाई योगदान इन्हीं राज्यों से आया।

बहुआयामी गरीबी में प्रगति:

- सिर्फ आय-आधारित मापदंडों से आगे बढ़कर, भारत ने बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) के संकेतकों (जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर तक पहुँच) में भी उल्लेखनीय सुधार किया है।
  - वर्ष 2005-06 में MPI 53.8% था।
  - 2019-21 तक यह घटकर 16.4% रह गया।
  - 2022-23 में यह और घटकर 15.5% हो गया, जो स्वास्थ्य सेवाओं, स्कूली शिक्षा, स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता को दर्शाता है।

गरीबी उन्मूलन के लिए प्रमुख योजनायें:

- विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में गरीबी में आई तीव्र गिरावट का श्रेय लक्षित कल्याणकारी योजनाओं और प्रौद्योगिकी व शासन सुधारों से समर्थित आर्थिक विकास को जाता है। इन पहलों ने सामाजिक सुरक्षा को मजबूत किया और विकास को समावेशी बनाया। प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल हैं:
  - **प्रधानमंत्री आवास योजना:** ग्रामीण और शहरी गरीबों के लिए किफायती आवास प्रदान करना।
  - **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना:** स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन वितरित करना।
  - **प्रधानमंत्री जन धन योजना:** बैंक खातों के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।
  - **आयुष्मान भारत:** निम्न-आय वाले परिवारों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कवरेज उपलब्ध कराना।
  - **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT):** सब्सिडी और लाभों को सीधे लाभार्थियों तक पहुँचाकर लीकेज को रोकना।
  - **डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना:** आधार, मोबाइल बैंकिंग और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए पारदर्शिता, पहुंच और सेवा वितरण में सुधार।

निष्कर्ष:

भारत की यह उल्लेखनीय यात्रा जहाँ एक दशक में अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या 344 मिलियन से घटकर 75 मिलियन रह गई, इसके विकास मार्ग में एक गहरे परिवर्तनकारी चरण को दर्शाती है। समावेशी विकास, डिजिटल शासन, और सशक्त सामाजिक कल्याण योजनाओं पर निरंतर ध्यान देने के साथ, भारत न केवल अपने गरीबी अंतर को और कम करने के लिए तैयार है, बल्कि यह दुनिया के सामने गरीबी उन्मूलन का एक प्रभावशाली वैश्विक मॉडल भी प्रस्तुत कर सकता है।

चिनाब पुल का उद्घाटन

संदर्भ:

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चिनाब पुल का उद्घाटन किया, जो भारत की बुनियादी ढांचे की यात्रा में एक ऐतिहासिक क्षण है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज के रूप में, चिनाब ब्रिज आधुनिक इंजीनियरिंग और क्षेत्रीय एकीकरण का प्रतीक है। यह उधमपुर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेल लिंक (USBRL) परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कश्मीर घाटी को पहली बार राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ता है।

रणनीतिक महत्व:

- यह पुल, नए खुले अंजी खाद ब्रिज के साथ मिलकर जम्मू और श्रीनगर के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाता है। अब तक, कश्मीर में देश के बाकी हिस्सों के साथ रेल संपर्क की कमी थी।
- कटरा और श्रीनगर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के शुरू होने से सड़क मार्ग से यात्रा का समय 6 घंटे से घटकर रेल मार्ग से 3 घंटे से भी कम हो जाएगा। पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि USBRL परियोजना एक नए, सशक्त जम्मू और कश्मीर का प्रतीक है और भारत की बढ़ती क्षमताओं का प्रमाण है।

मुख्य तकनीकी विशेषताएँ:

- **ऊँचाई:** नदी तल से 359 मीटर ऊपर, यह पुल एफिल टॉवर से भी ऊँचा है।
- **लंबाई:** यह 1,315 मीटर (1.3 किमी) तक फैला है।
- **मुख्य मेहराब की लंबाई:** 467 मीटर, जो दुनिया में सबसे लंबी है।
- **ट्रेन की गति और जीवनकाल:** ट्रेनें 100 किमी/घंटा की रफ़्तार से चल सकती हैं; पुल को 120 साल तक चलने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **हवा और भूकंप प्रतिरोध:** 260 किमी/घंटा तक की हवा और बड़े भूकंपों का सामना कर सकता है।
- **विस्फोट-रोधी:** विस्फोट-रोधी होने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **प्रयुक्त तकनीक:** -10°C से 40°C तक के तापमान को झेलने के लिए संरचनात्मक स्टील से बनाया गया है। टेक्ला सॉफ़्टवेयर का उपयोग करके सटीकता सुनिश्चित की गई है।
- **लागत:** निर्माण में अनुमानित ₹1,486 करोड़ खर्च हुए।

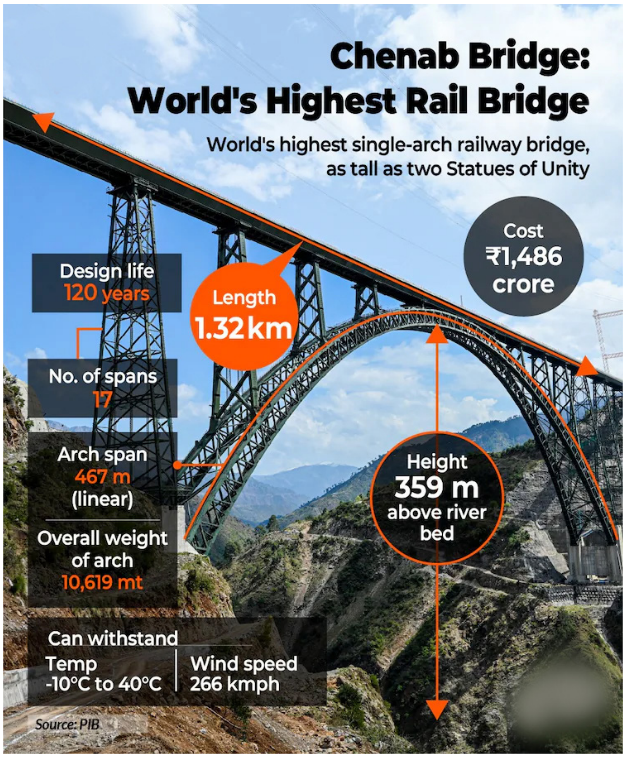

ऐसी परियोजनाओं का महत्व:

- हिमालयी इलाके में इस तरह के पुल का निर्माण करना बड़ी चुनौतियों का सामना करता है। इंजीनियरों ने साइट तक पहुँचने के लिए 26 किलोमीटर की एप्रोच रोड और 400 मीटर लंबी सुरंग बनाई। 93 डेक खंडों में से प्रत्येक का वजन लगभग 85 टन था, जिसके लिए मिलीमीटर स्तर की सटीकता की आवश्यकता थी।
- नींव को पहाड़ी ढलानों पर सुरक्षित किया गया था, जो असाधारण इंजीनियरिंग कौशल का प्रदर्शन करता है। इस परियोजना को कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन के तहत निष्पादित किया गया था, जिसमें IIT, DRDO और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का योगदान था।

निष्कर्ष:

चिनाब पुल सिर्फ़ एक बुनियादी ढांचा परियोजना से कहीं ज़्यादा है। यह एकता, शक्ति और प्रगति का प्रतीक है, जो जम्मू और कश्मीर के लोगों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। बेहतर कनेक्टिविटी के साथ, यह पुल पर्यटन, व्यापार और रोज़गार को बढ़ावा देगा, जिससे क्षेत्र में समृद्धि का एक नया युग शुरू होगा।

भारत सरकार ने SPMEPCI के लिए दिशानिर्देश जारी किए

संदर्भ:

भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) ने भारत में इलेक्ट्रिक पैसेंजर कारों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए (Scheme to Promote Manufacturing of Electric Passenger Cars in India –SPMEPCI) योजना" के तहत विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस योजना का उद्देश्य वैश्विक निवेश को आकर्षित करना, स्थानीय निर्माण को बढ़ावा देना और भारत को 2070 तक नेट ज़ीरो उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने में मदद करना है।

योजना के उद्देश्य:

- वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन (EV) निर्माताओं से नए निवेश आकर्षित करना।
- भारत को EV निर्माण का एक प्रमुख केंद्र बनाना।
- 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' को प्रोत्साहन देना।
- रोजगार सृजन करना और पर्यावरण पर प्रभाव को कम करना।

योजना की प्रमुख विशेषताएं:

- **आयात शुल्क में रियायतें:**
  - » स्वीकृत कंपनियां 35,000 अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक की लागत वाले पूरी तरह से निर्मित इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर वाहन (CBU) भारत में केवल 15% सीमा शुल्क दर पर आयात कर सकेंगी।
  - » यह दर मंजूरी की तारीख से पांच वर्षों तक लागू रहेगी।
  - » कंपनियां प्रति वर्ष अधिकतम 8,000 वाहन आयात कर सकती हैं। यदि किसी वर्ष कोटा पूरा नहीं होता है, तो शेष वाहनों की संख्या अगले वर्ष के कोटे में जोड़ी जा सकती है।
  - » सरकार द्वारा दी जाने वाली कुल सीमा शुल्क छूट की अधिकतम सीमा ₹6,484 करोड़ या कंपनी द्वारा किए गए कुल निवेश (इनमें से जो भी राशि कम हो) तक सीमित रहेगी।
- **निवेश मानदंड:**
  - » न्यूनतम निवेश: ₹4,150 करोड़ (लगभग $500 मिलियन), जिसे मंजूरी के तीन साल के भीतर करना होगा।
  - » अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है।
  - » निवेश नए (ग्रीनफील्ड) या पुराने (ब्राउनफील्ड) प्रोजेक्ट्स में किया जा सकता है, लेकिन पुराने प्रोजेक्ट को मौजूदा इकाई से भौतिक रूप से अलग करना होगा।

» निवेश में शामिल मदें:
  ➢ नए संयंत्र, मशीनरी और उपकरण
  ➢ संबंधित उपयोगिताएं और अनुसंधान व विकास (R&D)
  ➢ भवन निर्माण (निवेश का अधिकतम 10%)
  ➢ चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर (निवेश का अधिकतम 5%)

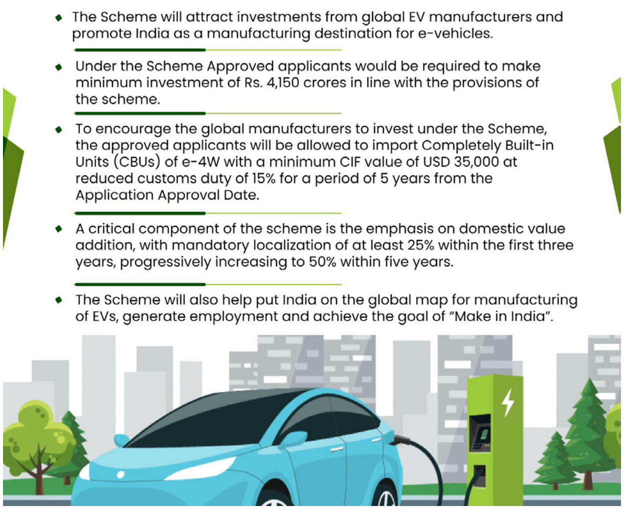

- **घरेलू मूल्य वर्धन (DVA) की शर्तें:** लाभ प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए, कंपनियों को निम्नलिखित DVA लक्ष्य हासिल करने होंगे:
  » 3 वर्षों में कम से कम 25% घरेलू मूल्य वर्धन
  » 5 वर्षों में कम से कम 50% घरेलू मूल्य वर्धन
  » DVA प्रमाणन PLI ऑटो योजना के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंसियों द्वारा किया जाएगा।
- **बैंक गारंटी:** कंपनी को निम्नलिखित में से जो भी अधिक हो, उस राशि की बैंक गारंटी एक भारतीय वाणिज्यिक बैंक से जमा करनी होगी:
  » सरकार द्वारा छोड़ा गया कुल सीमा शुल्क
  » ₹4,150 करोड़

पात्रता मानदंड:

- योजना में आवेदन करने के लिए कंपनियों को निम्नलिखित मानदंड पूरे करने होंगे:

मानक	आवश्यकता
वैश्विक समूह का ऑटो क्षेत्र से राजस्व	कम से कम ₹10,000 करोड़
वैश्विक फिक्स्ड एसेट में निवेश (सकल ब्लॉक)	कम से कम ₹3,000 करोड़

रणनीतिक महत्व:

- यह नीति भारत में अंतरराष्ट्रीय EV ब्रांड्स को लाने और उन्हें देश में निर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने का एक संतुलित प्रयास है। इसके माध्यम से:
  » तकनीकी हस्तांतरण और स्थानीयकरण को बढ़ावा मिलेगा
  » सप्लाई चेन और चार्जिंग नेटवर्क सहित संपूर्ण EV पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया जाएगा

निष्कर्ष:

इन दिशानिर्देशों के जरिए भारत वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन (EV) विनिर्माण हब बनने की दिशा में एक ठोस कदम बढ़ा रहा है। यह योजना न केवल दुनिया की प्रमुख EV कंपनियों को भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहित करेगी, बल्कि देश में तकनीकी विकास, स्थानीय उत्पादन क्षमता और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा देगी। इससे भारत का दीर्घकालिक और सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित होगा।

वित्त वर्ष 2024-25 के लोए भारत की अस्थायी जीडीपी अनुमान रिपोर्ट

संदर्भ:

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) और सकल मूल्य वर्धन (GVA) के अस्थायी अनुमान (Provisional Estimates) जारी किए हैं। ये आंकड़े देश की आर्थिक स्थिति को समझने, वित्तीय योजना बनाने, मौद्रिक नीति निर्धारित करने और निवेश संबंधी निर्णयों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

मुख्य निष्कर्ष:

- **समग्र जीडीपी प्रदर्शन:**
  » वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था ने अच्छा प्रदर्शन किया। स्थिर कीमतों (2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए) पर वास्तविक जीडीपी 6.5% बढ़कर ₹187.97 लाख करोड़ हो गई। यह बताता है कि भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक चुनौतियों और घरेलू बदलावों के बावजूद मजबूत बनी रही।
  » वहीं, मुद्रास्फीति को शामिल करते हुए नाममात्र जीडीपी 9.8%

बढ़कर ₹330.68 लाख करोड़ पहुंच गई। यह दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था में हल्की-फुल्की महंगाई भी रही।

- **प्राथमिक क्षेत्र (कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन):**
  - » इस साल प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि 4.4% रही, जो पिछले साल के 2.7% से काफी बेहतर है। इसमें अच्छी बारिश, खेती में सुधार और ग्रामीण क्षेत्रों की मांग स्थिर रहने जैसे कारणों का योगदान रहा।
  - » चौथी तिमाही (Q4) में इस क्षेत्र की वृद्धि दर 5% रही, जिससे ग्रामीण आमदनी को सहारा मिला और स्थिरता बनी रही।
- **खपत और निवेश:**
  - » निजी उपभोग व्यय (PFCE) में 7.2% की वृद्धि हुई, जो इस बात का संकेत है कि लोग ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। खासतौर पर शहरी इलाकों में खर्च बढ़ा है, जो बढ़ती आय और बेहतर रोजगार के कारण हो सकता है।
  - » सकल स्थिर पूंजी निर्माण (GFCF) में 7.1% की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे साफ होता है कि मशीनरी, भवनों और बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ रहा है। इससे यह भी पता चलता है कि निवेशकों का भरोसा बना हुआ है और उत्पादन क्षमता बढ़ रही है।
- **विनिर्माण क्षेत्र:**
  - » अर्थव्यवस्था में सुधार के बावजूद विनिर्माण क्षेत्र की रफ्तार धीमी रही। इसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) केवल 4.04% रही, जबकि कृषि क्षेत्र की दर 4.72% थी।
  - » विनिर्माण की यह सुस्ती चिंता का विषय है, क्योंकि यह क्षेत्र आमतौर पर बड़ी संख्या में अर्ध-कुशल लोगों को रोजगार देता है। इस क्षेत्र में कमजोरी की वजहें हैं—वैश्विक मांग में कमी, घरेलू स्तर पर प्रतिस्पर्धा की चुनौती और ढांचागत समस्या।

सकारात्मक संकेत:

- **लगातार आर्थिक विकास:** दुनिया भर की अनिश्चितताओं के बावजूद भारत अभी भी दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है।
- **कृषि क्षेत्र की मजबूती:** वित्त वर्ष 2020 से अब तक कृषि क्षेत्र की GVA (सकल मूल्य वर्धन) में वृद्धि विनिर्माण क्षेत्र की तुलना में बेहतर रही है।

चुनौतियाँ:

- **नाममात्र जीडीपी में धीमी बढ़त:** वित्त वर्ष 2025 में नाममात्र जीडीपी की वृद्धि दर 9.8% रही, जो 2014 के बाद तीसरी सबसे धीमी रही है।
- **विनिर्माण क्षेत्र की कमजोरी:** इस क्षेत्र की धीमी विकास दर से साफ है कि औद्योगिक गतिविधियाँ उम्मीद से कम हैं।
- **रोजगार से जुड़ी समस्याएँ:** विनिर्माण में सुस्ती के चलते शहरी युवाओं में बेरोजगारी बढ़ रही है और मजदूरों का ग्रामीण क्षेत्रों की ओर पलायन हो रहा है।

महत्त्व:

- यह अस्थायी जीडीपी डेटा सरकार के लिए बजट बनाने, मौद्रिक नीति तय करने और निवेश से जुड़ी योजनाएं बनाने में बेहद काम आता है। यह आंकड़े एक तरफ भारत की आर्थिक मजबूती दिखाते हैं, तो दूसरी तरफ विनिर्माण जैसे अहम क्षेत्रों में मौजूद कमजोरियों की भी पहचान कराते हैं।

निष्कर्ष:

वित्त वर्ष 2025 की अस्थायी जीडीपी रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत की अर्थव्यवस्था ने 6.5% की वृद्धि के साथ ठीक-ठाक मजबूती दिखाई है। लेकिन विनिर्माण क्षेत्र की धीमी रफ्तार और दूसरे क्षेत्रों में असंतुलन अब भी चिंता का विषय हैं। भारत को अगर लंबे समय तक टिकाऊ और संतुलित विकास चाहिए, तो इन कमजोरियों को जल्द दूर करना ज़रूरी है।

एनएसओ सांख्यिकीय रिपोर्ट 2025

संदर्भ:

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट "कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से उत्पादन के मूल्य पर सांख्यिकीय रिपोर्ट (2011–12 से 2023–24)" जारी की है। यह रिपोर्ट देश में फसलों, पशुपालन, जंगल और मछली पालन से जुड़ी जानकारी देती है, जो वर्तमान और स्थिर (2011–12 को आधार वर्ष मानते हुए) कीमतों पर आधारित है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

- **जीवीए और जीवीओ में वृद्धि:** वर्तमान कीमतों पर कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का सकल मूल्य वर्धन (GVA) 2011–12 में ₹1,502 हजार करोड़ से बढ़कर 2023–24 में ₹4,878 हजार करोड़ हो गया।
  - » स्थिर कीमतों पर सकल उत्पादन मूल्य (GVO) में 54.6% की निरंतर वृद्धि दर्ज की गई, जो ₹2,949 हजार करोड़ तक पहुँच गया।

- **फसल क्षेत्र का प्रभुत्व:** फसल क्षेत्र कृषि GVO में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बना रहा। 2023–24 में इसका उत्पादन (स्थिर कीमतों पर) ₹1,595 हजार करोड़ रहा, जो कुल कृषि GVO का 54.1% है।
  - » इसमें अनाज और फल-सब्जियाँ मिलकर कुल फसल उत्पादन का 52.5% हिस्सा रखते हैं। केवल धान और गेहूँ ने अनाज GVO में लगभग 85% का योगदान दिया।
- **अनाज उत्पादन में क्षेत्रीय रुझान:** उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और हरियाणा – ये पाँच राज्य मिलकर 2023–24 में देश के कुल अनाज GVO में लगभग 53% का योगदान करते हैं।
  - » हालाँकि उत्तर प्रदेश अब भी पहले स्थान पर है, लेकिन उसकी हिस्सेदारी 2011–12 में 18.6% से घटकर 2023–24 में 17.2% रह गई है।

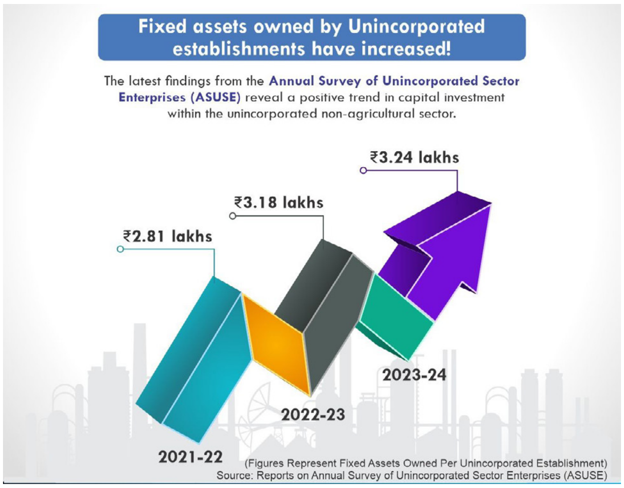

- **फलों और सब्जियों की बदलती स्थिति:** 2023–24 में फलों के वर्ग में केले ने आम को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन गया। केले का GVO ₹47.0 हजार करोड़ जबकि आम का GVO ₹46.1 हजार करोड़ रहा। पूरे कालखंड में आलू प्रमुख सब्जी बना रहा, जिसका उत्पादन मूल्य ₹21.3 हजार करोड़ से बढ़कर ₹37.2 हजार करोड़ हो गया। फूलों की खेती (फ्लोरीकल्चर) में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई, और इसका उत्पादन मूल्य लगभग दोगुना होकर ₹28.1 हजार करोड़ हो गया, जो उच्च-मूल्य horticulture की ओर झुकाव को दर्शाता है।
- **मसाला उत्पादन में अग्रणी:** मध्य प्रदेश 2023–24 में 19.2% हिस्सेदारी के साथ मसाले उत्पादन में अग्रणी राज्य बना। कर्नाटक (16.6%) और गुजरात (15.5%) इसके बाद रहे, जो मसाला खेती में क्षेत्रीय विविधता को दर्शाता है।
- **पशुधन क्षेत्र का विस्तार:** पशुधन उत्पादों के GVO में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जो 2011–12 में ₹488 हजार करोड़ से बढ़कर 2023–24 में ₹919 हजार करोड़ हो गया। दूध अब भी सबसे बड़ा उत्पाद है, हालाँकि इसकी हिस्सेदारी थोड़ी घटकर 67.2% से 65.9% हो गई।
  - » मांस उत्पादों की हिस्सेदारी 19.7% से बढ़कर 24.1% हो गई, जो देश में पशु-प्रोटीन की बढ़ती मांग को दर्शाता है।
- **वानिकी और लकड़ी उत्पादन के रुझान:** वानिकी उत्पादन में भी वृद्धि हुई है, जो ₹149 हजार करोड़ से बढ़कर ₹227 हजार करोड़ हो गया। औद्योगिक लकड़ी का योगदान 49.9% से बढ़कर 70.2% हो गया, जिससे इसके उपयोग में हो रहे बदलाव का संकेत मिलता है।
- **मत्स्य पालन का बढ़ता महत्व:** मत्स्य पालन और जलीय कृषि का महत्व तेजी से बढ़ा है। कृषि GVO में इनका हिस्सा 2011–12 में 4.2% से बढ़कर 2023–24 में 7% हो गया। विशेष रूप से, समुद्री मछलियों की हिस्सेदारी 42.3% से बढ़कर 49.8% हो गई, जबकि अंतर्देशीय मछलियों की हिस्सेदारी में अनुपातिक कमी आई। इस क्षेत्र में प्रमुख उत्पादन बदलाव पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में दर्ज किए गए।

निष्कर्ष:

यह रिपोर्ट भारत के कृषि क्षेत्र की निरंतर प्रगति और उसके बदलते स्वरूप को दर्शाती है। बागवानी, पशुधन और मत्स्य पालन की बढ़ती हिस्सेदारी उपभोग के नए रुझानों और कृषि के व्यावसायिक अवसरों की ओर संकेत करती है। रिपोर्ट में प्रस्तुत आंकड़े ऐसी नीतियाँ बनाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं जो किसानों की आय बढ़ाएँ, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करें और ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करें।

तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन

संदर्भ:

29 जून 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया। यह कदम भारत के हल्दी क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि लंबे समय से किसान एक विशेष संस्था की मांग कर रहे थे जो हल्दी उत्पादन, विपणन और निर्यात को प्रोत्साहित कर सके।

बोर्ड का महत्व:

- हल्दी की व्यापक लोकप्रियता के बावजूद, किसानों को न तो उचित मूल्य मिल रहा था और न ही आधुनिक कृषि सुविधाओं तक पर्याप्त पहुंच थी। अब तक हल्दी का दायित्व भारतीय मसाला बोर्ड (Spices

Board) के अधीन था, जो 50 से अधिक मसालों की देखरेख करता है, जिससे हल्दी पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा पा रहा था। वर्षों से हल्दी किसान यह मांग कर रहे थे कि उनकी फसल के लिए एक अलग बोर्ड बनाया जाए, जो विशेष रूप से हल्दी से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों पर काम करे।

- राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2023 में की गई थी और इसे जनवरी 2025 में औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया। हालांकि, बोर्ड अब पूरी तरह से क्रियाशील हो गया है क्योंकि जून 2025 में इसका मुख्यालय विधिवत रूप से शुरू हो गया है।
- तेलंगाना को बोर्ड के मुख्यालय के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि यह देश के प्रमुख हल्दी उत्पादक राज्यों में शामिल है। वर्ष 2024–25 में तेलंगाना भारत का तीसरा सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक राज्य रहा।

प्रमुख कार्य और लक्ष्य:

- राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करेगा। इसका उद्देश्य हल्दी क्षेत्र को वैज्ञानिक, व्यावसायिक और वैश्विक दृष्टिकोण से सशक्त बनाना है। इसके प्रमुख कार्यों में शामिल हैं:
  - उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का विकास और आधुनिक खेती तकनीकों को बढ़ावा देना।
  - हल्दी के प्रसंस्करण (processing), पैकेजिंग, ब्रांडिंग और विपणन (marketing) को सुदृढ़ करना।
  - निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हल्दी को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार करना।
  - किसानों को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से सशक्त बनाना।
- इन पहलों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने ₹200 करोड़ की राशि आवंटित की है, जिसका उपयोग हल्दी की गुणवत्ता सुधार, अनुसंधान और किसानों की आमदनी बढ़ाने से जुड़ी योजनाओं में किया जाएगा।
- सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक भारत से हल्दी का निर्यात बढ़ाकर 1 बिलियन डॉलर तक पहुँचाया जाए। स्वास्थ्य और जैविक उत्पादों के क्षेत्र में भारतीय हल्दी की बढ़ती विश्वसनीयता और मांग इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अहम भूमिका निभाएगी।

हल्दी के बारे में:

- हल्दी (Curcuma longa) भारत में उत्पन्न एक प्राचीन फसल है, जो सदियों से भारतीय खानपान, चिकित्सा प्रणाली और सांस्कृतिक परंपराओं का अभिन्न हिस्सा रही है।
- इसके सूजन-रोधी (anti-inflammatory) और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण हल्दी आज वैश्विक स्वास्थ्य और जीवनशैली उत्पादों "जैसे हल्दी लट्टे, सप्लीमेंट्स और ऑर्गेनिक स्किनकेयर" में तेजी से लोकप्रिय हो रही है।
- भारत विश्व का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। वर्ष 2022–23 में देश में लगभग 3.24 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हल्दी की खेती हुई, जिससे 11.6 लाख टन उत्पादन प्राप्त हुआ। यह वैश्विक उत्पादन का 75% से अधिक है।
- भारत हल्दी के वैश्विक व्यापार में भी अग्रणी है और इसकी हिस्सेदारी 62% से अधिक है।

किसानों के लिए लाभ:

- अभी तक हल्दी किसान बिचौलियों पर निर्भर रहते थे, जिसके कारण उनकी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा उनकी पहुँच से बाहर चला जाता था। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन से किसानों को सीधे बेहतर बाजारों तक पहुंचने का अवसर मिलेगा, जिससे वे अपने उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त कर सकेंगे।
- वर्ष 2025 में हल्दी का बाजार मूल्य लगभग ₹18,000 से ₹19,000 प्रति क्विंटल रहा। सरकार का लक्ष्य है कि आगामी तीन वर्षों में यह मूल्य ₹6,000 से ₹7,000 प्रति क्विंटल तक और बढ़ाया जाए, जिससे किसानों की आय में सीधा इजाफा हो सके।
- हल्दी के निर्यात को संगठित और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के लिए नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड किसानों के साथ मिलकर कार्य करेंगी। ये संस्थाएं निम्नलिखित क्षेत्रों में किसानों को सहयोग देंगी:
  - उत्पाद की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना,
  - निर्यात योग्य हल्दी के लिए उपयुक्त और आकर्षक पैकेजिंग विकसित करना,
  - कटाई और उपरांत प्रक्रियाओं (post-harvest handling) से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करना।

निष्कर्ष:

राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना भारत के हल्दी बाजार को संगठित और सशक्त बनाने की दिशा में एक निर्णायक पहल है। इससे न केवल किसानों की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि हल्दी का वैश्विक व्यापार भी मजबूत होगा। यदि इस योजना को समुचित धन और संस्थागत समर्थन मिलता रहा, तो हल्दी किसान अधिक स्थिर और लाभदायक बाजारों तक पहुंच बना सकेंगे।

7 आंतरिक सुरक्षा

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता:भारत की रणनीतिक क्षमता का विस्तार

भारत के रक्षा क्षेत्र ने पिछले दशक में महत्वपूर्ण प्रगति की है। जो क्षेत्र पहले मुख्यतः आयात पर निर्भर था, वह अब आत्मनिर्भर और विकासशील उद्योग में बदल रहा है। सरकार ने 2029 तक ₹3 लाख करोड़ के रक्षा निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है और भारतीय रक्षा उत्पाद पहले ही 90 से अधिक देशों में निर्यात किए जा रहे हैं। यह परिवर्तन भारत की सैन्य शक्ति को मजबूत करने और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करने की बड़ी रणनीति का हिस्सा है। रक्षा बजट में भी भारी वृद्धि हुई है, 2013–14 के ₹2.53 लाख करोड़ से बढ़कर 2025–26 में ₹6.81 लाख करोड़ हो गया है जो राष्ट्रीय सुरक्षा पर सरकार के सशक्त फोकस को दर्शाता है। 'मेक इन इंडिया', रक्षा गलियारों का विकास, निजी कंपनियों को समर्थन, और नई तकनीकों में निवेश जैसे प्रयासों ने इस रूपांतरण में योगदान दिया है। आज भारत केवल अपनी सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण ही नहीं कर रहा, बल्कि वैश्विक रक्षा बाजार में एक प्रमुख भागीदार बन रहा है।

आयात पर निर्भरता से रिकॉर्ड उत्पादन तक:

- पिछले दशक में भारत ने रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव देखा है। 2014–15 में देशीय उत्पादन ₹46,429 करोड़ था। 2023–24 में यह बढ़कर ₹1.27 लाख करोड़ हो गया, लगभग 174 प्रतिशत की वृद्धि।
- आत्मनिर्भर भारत की इस रणनीतिक बदलाव ने सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (PSUs) और निजी कंपनियों दोनों को वायु, थल, जल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में मजबूत विनिर्माण आधार तैयार करने की शक्ति दी।
- यह गति 2024–25 में भी बनी रही। रक्षा मंत्रालय ने इस वर्ष 193 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए, जिनका कुल मूल्य ₹2,09,050 करोड़ रहा जो अब तक का सर्वाधिक है। इनमें से 177 अनुबंध (₹1,68,922 करोड़) भारतीय कंपनियों को दिए गए, जिससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि आयात से देशीय उत्पादन की ओर एक निर्णायक मोड़ आया है। यह न केवल उत्पादन को बढ़ाता है, बल्कि रोजगार सृजन, तकनीकी क्षमताओं में सुधार और घरेलू रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को भी सुदृढ़ करता है।

स्वदेशी रक्षा विकास के प्रमुख स्तंभ:

- **रक्षा औद्योगिक गलियारे:** रणनीतिक रक्षा निर्माण के लिए अवसंरचना की आवश्यकता होती है। इसके तहत भारत ने दो रक्षा औद्योगिक गलियारों की स्थापना की:
  - उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में, कुल 11 औद्योगिक नोड्स।
  - फरवरी 2025 तक ₹8,658 करोड़ के निवेश प्रतिबद्धताएँ प्राप्त हो चुकी थीं और 253 एमओयू के माध्यम से ₹53,439 करोड़ के संभावित निवेश के संकेत मिले हैं।
- **पॉजिटिव इंडिजेनाइजेशन लिस्ट:** भारत ने पाँच "पॉजिटिव इंडिजेनाइजेशन लिस्ट" जारी की हैं, जो आयात पर रोक लगाकर घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करती हैं। 5,500 से अधिक वस्तुओं को कवर करते हुए, इन सूचियों के अंतर्गत फरवरी 2025 तक 3,000 वस्तुओं का स्वदेशीकरण हो चुका था। इनमें शामिल हैं:
  - आर्टिलरी गन
  - असॉल्ट राइफलें
  - कॉर्वेट युद्धपोत
  - सोनार प्रणाली
  - ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट
  - लाइट कॉम्बैट हेलिकॉप्टर (LCH)
  - राडार
  - व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म
  - रॉकेट, बम
  - कमांड-पोस्ट और डोज़िंग के लिए बख्तरबंद वाहन

नवाचार में iDEX की भूमिका:

- अप्रैल 2018 में "इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (iDEX)"

कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिससे एमएसएमई, स्टार्टअप, अनुसंधान संस्थानों और अकादमिक संस्थाओं के ज़रिए रक्षा नवाचार को प्रोत्साहन मिला।

- **प्रमुख बिंदु:**
  - » प्रत्येक परियोजना के लिए ₹1.5 करोड़ तक का अनुदान।
  - » iDEX समर्थित संस्थाओं से ₹2,400 करोड़ मूल्य की 43 वस्तुओं की खरीद।
  - » FY 2025–26 के लिए ₹449.62 करोड़ का आवंटन (ADITI उप-योजना सहित)।
  - » फरवरी 2025 तक: 549 समस्या कथन, 619 प्रतिभागी, 430 अनुबंध।

संरचनात्मक नीति सुधार और निवेश वातावरण:

- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) उदारीकरण (सितंबर 2020):** स्वचालित मार्ग से 74 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति, उसके ऊपर सरकारी मार्ग से। अप्रैल 2000 से अब तक ₹5,516.16 करोड़ का कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश।
- **टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स, वडोदरा (अक्टूबर 2024):** C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट निर्माण हेतु 56 में से 40 विमान भारत में निर्मित
- **मंथन (एरो इंडिया 2025):** बेंगलुरु में रक्षा नवाचार सम्मेलन—स्टार्टअप, निवेशकों, शैक्षणिक संस्थाओं और रक्षा के बीच संपर्क।
- **डिफेंस टेस्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम (DTIS):** आठ ग्रीनफील्ड परीक्षण सुविधाओं के लिए समर्थन; सात पहले ही स्वीकृत (UAS, EW, इलेक्ट्रो-ऑप्टिक्स, कम्युनिकेशन)।
- **घरेलू खरीद को प्राथमिकता:** DAP 2020 के तहत, FY 2025–26 के आधुनिकीकरण बजट का 75 प्रतिशत (₹1,11,544 करोड़) घरेलू उत्पादन के लिए आरक्षित।

भारत का रक्षा निर्यात:

- 2013–14 में ₹686 करोड़ से बढ़कर 2024–25 में ₹23,622 करोड़ तक पहुंचा जो 34 गुना वृद्धि है। निर्यात का विस्तार और विविधता भारत को एक भरोसेमंद वैश्विक रक्षा नवोन्मेषक के रूप में स्थापित करती है।
- **2024–25 की प्रमुख उपलब्धियाँ:**
  - » ₹15,233 करोड़ निजी क्षेत्र से, ₹8,389 करोड़ DPSUs से (2023–24 में क्रमशः ₹15,209 करोड़ और ₹5,874 करोड़)।
  - » DPSU निर्यात में 42.85 प्रतिशत वृद्धि।
  - » 1,762 निर्यात प्राधिकरण (16.9 प्रतिशत वृद्धि), 17.4 प्रतिशत अधिक निर्यातक।
- **निर्यात किए गए उत्पाद:**
  - » बुलेट-प्रूफ जैकेट, पेट्रोल जहाज़, डोर्नियर विमान, चेतक हेलिकॉप्टर, टॉरपीडो।
  - » 100+ देशों में पहुँच—अमेरिका, फ्रांस, आर्मेनिया सहित।
  - » **महत्वपूर्ण उपलब्धि:** ब्रह्मोस मिसाइल अनुबंध (जनवरी 2022) फिलीपींस के साथ—US$375 मिलियन।

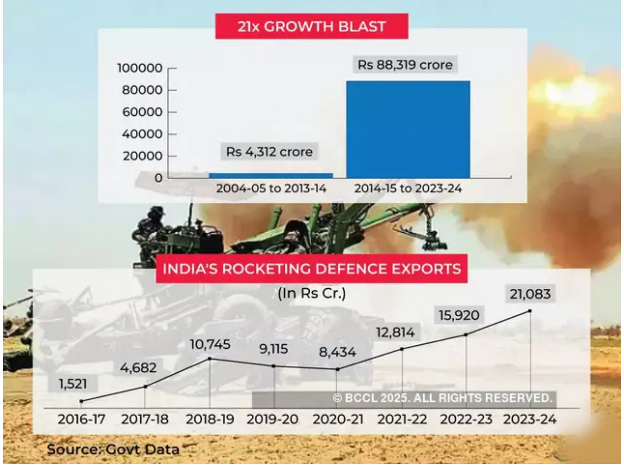

प्रमुख अधिग्रहण और स्वदेशी कार्यक्रम:

- **ब्रह्मोस मिसाइल:** मार्च 2024 में ₹19,518.65 करोड़ का अनुबंध, साथ ही ₹988.07 करोड़ जहाज-लॉन्च संस्करण हेतु। संयुक्त उपक्रम स्तर पर 9 लाख मानव दिवस और सहायक उद्योगों में 1.35 करोड़ मानव दिवस का सृजन।
- **MQ 9B ड्रोन:** अमेरिका से 31 ड्रोन की खरीद—दीर्घ दूरी की निगरानी और सटीक हमले के लिए।
- **LCH प्रचंड हेलिकॉप्टर:** 28 मार्च 2025 को 156 हेलिकॉप्टर के अनुबंध (₹62,700 करोड़), डिलीवरी तीन वर्षों में शुरू होगी। "65% से अधिक स्वदेशी सामग्री", 250 MSMEs शामिल 8,500+ नौकरियाँ।
- **AMCA (एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट):** मई 2025 में AMCA निष्पादन मॉडल स्वीकृत; ADA द्वारा औद्योगिक साझेदारियों के साथ क्रियान्वयन।
- **KC 135 फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट:** पहली बार वेट-लीज़ के माध्यम से प्रशिक्षण हेतु; छह महीनों में तैनात।
- **ATAGS तोपें:** 307 तोपों और 327 टोइंग वाहनों की खरीद (₹7,000 करोड़)। DRDO, भारत फोर्ज, TAS द्वारा सह-विकसित; 40 किमी रेंज, स्वचालित लोडिंग; कठोर परीक्षण।

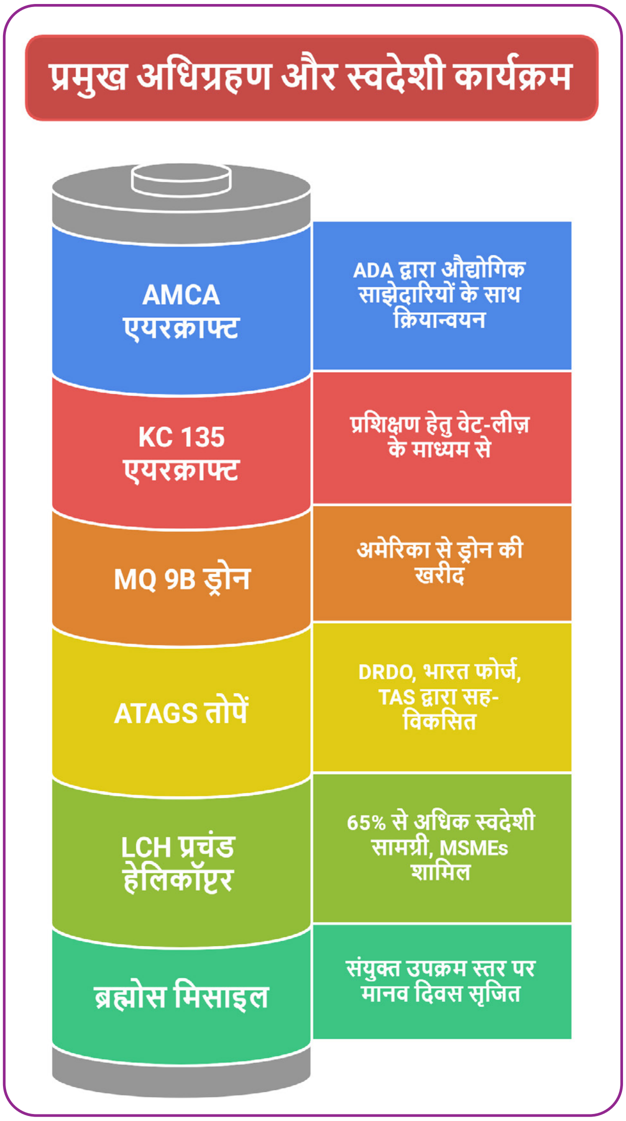

चुनौतियाँ और अवसर:

- **घरेलू उत्पादन:** इस गति को बनाए रखने के लिए अनुसंधान एवं विकास को गहरा करना और उत्पादन क्षमता का विस्तार आवश्यक है। भारत को 2029 तक ₹50,000 करोड़ निर्यात लक्ष्य पाने हेतु वैश्विक तकनीकी समता पर ध्यान देना होगा।
- **प्रोक्योरमेंट दक्षता:** DAP 2020 की घरेलू खरीद पहल स्वागत योग्य है, लेकिन नौकरशाही और खरीद समय सीमाएँ प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकती हैं। प्रक्रियाओं को सरल, मूल्यांकन पारदर्शी और उद्योग प्रतिक्रिया मज़बूत होनी चाहिए।
- **नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र:** iDEX ने आधारशिला रखी है, लेकिन प्रोटोटाइप से पूर्ण उत्पादन तक पहुँचना अब भी चुनौती है। बेहतर इनक्यूबेशन, परीक्षण, वित्त और बाज़ार तक पहुँच आवश्यक है।
- **कौशल विकास:** उच्च स्तरीय उत्पादन के लिए कुशल कार्यबल की आवश्यकता है, विशेष रूप से एयरोस्पेस, एवियोनिक्स, डिजिटल सिस्टम्स और इंटीग्रेशन में। रक्षा गलियारे और परीक्षण केंद्रों के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान शिक्षा का तालमेल ज़रूरी है।
- **निर्यात रणनीति:** उन्नत प्रणालियों, मिसाइल, UAV, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का निर्यात गुणवत्ता के साथ-साथ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, प्रमाणन, और राजनयिक समझौतों पर निर्भर है। मित्र देशों के साथ साझेदारी, तकनीक हस्तांतरण समझौते, और ऑफसेट तंत्र निर्णायक होंगे।
- **क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य:** दक्षिण एशिया का बदलता खतरा वातावरण (चीन, पाकिस्तान, प्रॉक्सी नेटवर्क) स्वदेशी रक्षा तत्परता की माँग करता है। स्वदेशी क्षमताओं को रणनीतिक सिद्धांत, कूटनीति और एकीकृत युद्ध तैयारी से समर्थन मिलना चाहिए।

निष्कर्ष:

भारत की बढ़ती रक्षा औद्योगिक क्षमता, आत्मनिर्भर और वैश्विक प्रतिस्पर्धा वाले राष्ट्र की महत्वाकांक्षा को मूर्त रूप दे रही है। रक्षा प्रणालियों का आयातक बनने से लेकर निर्माता और निर्यातक बनने तक की राह अब स्पष्ट है। रणनीतिक स्पष्टता, अनुकूल नीतियाँ, अवसंरचना, निवेश और नवाचार एक साथ आ रहे हैं। यदि स्पष्ट राजनीतिक इच्छाशक्ति और सतत सुधार जारी रहे, तो भारत न केवल अपने ऐतिहासिक रक्षा आयात निर्भरता को पार कर सकता है, बल्कि एक वैश्विक रक्षा विनिर्माण शक्ति बनकर उभर सकता है।

ड्रोन और आधुनिक युद्ध की दिशा में बदलाव

संदर्भ:

भारत की सैन्य नीति में एक रणनीतिक बदलाव देखा जा रहा है, जिसमें पारंपरिक युद्धों में ड्रोन की भूमिका लगातार बढ़ रही है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे ने यूक्रेन द्वारा रूसी एयरबेस पर सफल ड्रोन हमलों और पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन के इस्तेमाल को देखते हुए ड्रोन खतरों के खिलाफ त्वरित नीति और कानूनी कार्रवाई की अपील की है।

ड्रोन युद्ध से मिले वैश्विक सबक:

- **नागोर्नो-काराबाख (2020):** अज़रबैजान ने इज़रायली 'हरोप' लूटिंग म्यूनिशन का इस्तेमाल कर उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों को हराया।
- **यूक्रेन:** सैन्य और व्यावसायिक UAV (मानवरहित हवाई वाहन), जिसमें संशोधित बाजार में उपलब्ध ड्रोन भी शामिल थे, का "ऑपरेशन स्पाइडर वेब" जैसे अभियानों में उपयोग किया गया।
- **म्यांमार:** विद्रोही बलों ने थ्री-डी प्रिंटेड ड्रोन का इस्तेमाल कर मजबूत सैन्य बलों का मुकाबला किया, जिससे सस्ते विषम युद्ध (Asymmetric Warfare) की संभावना सामने आई।

सैन्य और व्यावसायिक ड्रोन तकनीक का विलय

- सैन्य और नागरिक ड्रोन तकनीकों के बीच की रेखा अब धुंधली हो रही है। तुर्की का TB-2, ईरान का शाहिद और चीन का विंग लूंग जैसे ड्रोन दोहरे उपयोग वाली प्रणालियों का उपयोग करते हैं, जिससे वे राष्ट्रों और विद्रोही समूहों, दोनों के लिए सुलभ और स्केलेबल हो जाते हैं। इसके प्रमुख सहायक तत्व हैं:
  - ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर;
  - मॉड्यूलर हार्डवेयर;
  - थ्री-डी प्रिंटिंग (जैसे यूक्रेन का टाइटन फाल्कन, म्यांमार का लिबरेटर)।

ड्रोन की क्षमता और उनसे निपटने के उपाय:

- अपने फायदों के बावजूद, ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, पारंपरिक वायु रक्षा और सॉफ्ट/हार्ड-किल प्रणालियों के लिए संवेदनशील बने हुए हैं। फिर भी, आधुनिक ड्रोन इन खतरों के जवाब में लगातार विकसित हो रहे हैं:
  - **एआई-आधारित नेविगेशन:** यूक्रेन ने मशीन विज़न और पहले से लोड किए गए भू-आकृति डेटा का उपयोग किया ताकि ड्रोन रडार सिस्टम से बच सकें।
  - **झुंड रणनीति (Swarm Tactics):** रूस और चीन रक्षा प्रणालियों को पस्त करने के लिए बड़ी संख्या में डिस्पोजेबल ड्रोन का एक साथ हमला करते हैं।
  - **फाइबर-ऑप्टिक टेथरिंग:** यूक्रेनी बलों ने इलेक्ट्रॉनिक जामिंग को मात देने के लिए फाइबर-ऑप्टिक मार्गदर्शन का उपयोग किया।
- भारत की एंटी-ड्रोन प्रणाली सॉफ्ट और हार्ड-किल तकनीकों का मिश्रण है, जो एकीकृत वायु कमान और नियंत्रण प्रणाली (IACCS) के अंतर्गत आती है, और पाकिस्तान के साथ हालिया तनाव में यह प्रभावी सिद्ध हुई है।

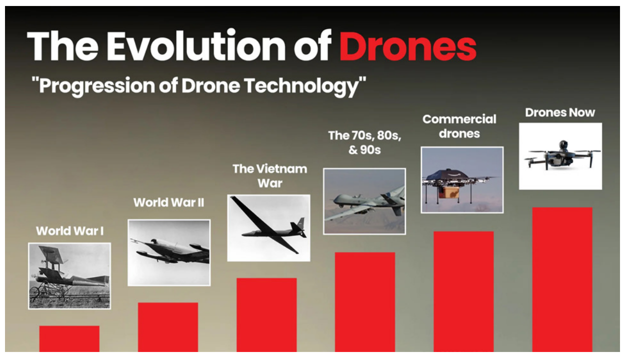

भारत का ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र:

- यूक्रेन और अन्य संघर्ष क्षेत्रों से एक प्रमुख सबक यह है कि मजबूत और उत्तरदायी रक्षा उत्पादन आधार (defence industrial base) आवश्यक है। भारत को चीन और पाकिस्तान की दोहरी सीमाओं से खतरा है, जो दोनों ही ड्रोन प्रणालियों में भारी निवेश कर रहे हैं:
  - **चीन:** लंबी दूरी और झुंड-सक्षम प्रणालियों जैसे 'सोअरिंग ड्रैगन' और 'CH-901' सहित विविध ड्रोन बेड़े का मालिक है।
  - **पाकिस्तान:** चीन और तुर्किये के साथ साझेदारी करके अपनी ड्रोन क्षमताओं को लगातार बढ़ा रहा है।
- भारत को अपनी खरीद प्रणाली की पुरानी समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है:
- **चुनौतियाँ:**
  - अनिश्चित खरीद समय-सीमा से उद्योग में निवेश हतोत्साहित होती है।
  - कम मात्रा में ऑर्डर से नवाचार और उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है।

- **सिफारिशें:**
  - ड्रोन, लूटिंग म्यूनिशन और मिसाइल प्रणालियों के लिए त्वरित उत्पादन क्षमता विकसित करें।
  - निजी क्षेत्र की भागीदारी और मॉड्यूलर डिज़ाइन को प्रोत्साहित करें ताकि प्रणाली में लचीलापन रहे।
  - थ्री-डी प्रिंटिंग और घरेलू कंपोनेंट इकोसिस्टम को प्राथमिकता दें ताकि विदेशी निर्भरता घटे।

आंतरिक सुरक्षा और गैर-राज्य खतरे:

- भारत को उन खतरों के लिए भी तैयार रहना होगा जहां गैर-राज्य तत्व व्यावसायिक ड्रोन को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। रणनीतिक संरचनाओं पर सस्ते ड्रोन से हमला अब केवल काल्पनिक नहीं रहा, यह एक वास्तविक खतरा है। इससे निपटने के लिए आवश्यक है:
  - आंतरिक सुरक्षा तंत्र में एंटी-ड्रोन तकनीकों का एकीकरण;
  - कानून प्रवर्तन एजेंसियों को शुरुआती चेतावनी और प्रतिक्रिया प्रणालियों के साथ प्रशिक्षित और सुसज्जित करना;
  - ड्रोन की पहचान और निवारण रणनीतियों में सैन्य और नागरिक समन्वय।

निष्कर्ष:

ड्रोन आधुनिक युद्ध की परिभाषा को बदल रहे हैं। भारत को उत्पादन बढ़ाना होगा, नवाचार में निवेश करना होगा और ड्रोन क्षमताओं को अपने सशस्त्र बलों तथा आंतरिक सुरक्षा तंत्र में पूरी तरह एकीकृत करना होगा। भविष्य के युद्धों में सफलता केवल हथियार की गुणवत्ता पर नहीं, बल्कि अनुकूलन, प्रतिस्थापन और बड़े पैमाने पर तेजी से तैनाती की क्षमता पर निर्भर करेगी।

भारत की आई-स्टार विमान परियोजना

संदर्भ:

भारत अब भारतीय वायु सेना के लिए I-STAR (इंटेलिजेंस, सर्विलांस, टारगेट एक्विजिशन और रिकॉनिसेंस) विमान खरीदकर अपनी हवाई खुफिया और स्ट्राइक क्षमता को मजबूत करने जा रहा है। ₹10,000 करोड़ की यह परियोजना देश की रक्षा क्षमताओं के आधुनिकीकरण और क्षेत्र में बढ़ते सुरक्षा खतरों से निपटने की क्षमता को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

I-STAR सिस्टम का अवलोकन:

- I-STAR विमान उच्च ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले सिस्टम होते हैं जो मल्टी-स्पेक्ट्रल सर्विलांस और टोही मिशनों को अंजाम देने में सक्षम होते हैं।
- ये विमान युद्ध क्षेत्र में निरंतर और रियल-टाइम खुफिया जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे मोबाइल एयर डिफेंस यूनिट्स, रडार साइट्स और कमांड सेंटर्स जैसे उच्च-मूल्य वाले दुश्मन ठिकानों का सटीक पता लगाना और ट्रैक करना संभव हो पाता है।
- यह सिस्टम स्टैंड-ऑफ दूरी से संचालित होने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे भारतीय वायु सेना को दुश्मन की हवाई सीमा में प्रवेश किए बिना लक्ष्य पहचान और हमला करने की सुविधा मिलती है। इससे टकराव के जोखिम कम होते हैं और ऑपरेशन की सुरक्षा बढ़ती है।

खरीद प्रक्रिया और स्वदेशी तकनीकी समावेशन:

- इस परियोजना के तहत तीन उन्नत विमानों की खरीद अंतरराष्ट्रीय एयरोस्पेस निर्माताओं, जैसे कि बोइंग या बॉम्बार्डियर से की जाएगी।
- महत्वपूर्ण बात यह है कि इन विमानों में पूरी तरह से स्वदेशी सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगाए जाएंगे, जिन्हें रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) के सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम्स (CABS) द्वारा विकसित किया गया है।
- इन स्वदेशी सिस्टम्स में रडार, इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस घटक शामिल हैं, जिन्हें व्यापक रूप से परखा और प्रमाणित किया जा चुका है, जिससे इनका त्वरित एकीकरण और तैनाती संभव है।
- यह दृष्टिकोण रक्षा प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भर भारत की रणनीतिक पहल को दर्शाता है, जिसमें विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर स्वदेशी और उन्नत एवियोनिक्स को जोड़ा गया है।

रणनीतिक और परिचालन महत्व:

- I-STAR विमान भारतीय वायु सेना की 24/7 निगरानी और लक्ष्य पहचान की क्षमता को बढ़ाएंगे, जिसमें जटिल और ऊबड़-खाबड़ इलाकों में, सभी मौसमों में संचालन की क्षमता शामिल है।
- ये प्लेटफॉर्म युद्धक्षेत्र की गतिशील और सटीक तस्वीर प्रदान करेंगे, जिससे दुश्मन के एयर डिफेंस यूनिट्स और कम्युनिकेशन नोड्स जैसी महत्वपूर्ण संरचनाओं पर समन्वित और सर्जिकल स्ट्राइक संभव हो पाएंगी।
- स्टैंड-ऑफ प्रीसिशन स्ट्राइक की यह क्षमता आधुनिक युद्ध परिदृश्यों में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां संपार्श्विक क्षति को न्यूनतम रखना और टकराव से बचना रणनीतिक प्राथमिकता है।
- यह परियोजना ऐसे समय में लाई जा रही है जब भारत "ऑपरेशन

सिंदूर" के तहत पाकिस्तान सीमा पर खतरों को बेअसर करने के लिए अभियान चला रहा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि बढ़ी हुई ISR (इंटेलिजेंस, सर्विलांस, रिकॉनिसेंस) क्षमताएं तत्काल परिचालक सम्बन्धी जरूरत हैं।

वैश्विक संदर्भ और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभाव:

- विश्व स्तर पर केवल कुछ ही देश "जैसे अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और इज़राइल", ऐसे हवाई ISR और स्ट्राइक कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म्स का संचालन करते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भारत जो क्षमता हासिल कर रहा है वह कितनी उन्नत है।
- इन प्लेटफॉर्म्स पर स्वदेशी सिस्टम्स का समावेशन भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत करता है, जिससे विदेशी खुफिया स्रोतों पर निर्भरता कम होती है और महत्वपूर्ण सैन्य तकनीकों पर नियंत्रण बढ़ता है।
- सिर्फ सामरिक लाभ ही नहीं, बल्कि I-STAR विमान भारत की प्रतिरोधक क्षमता और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमताओं को भी मजबूती देंगे, जिससे नीति-निर्माताओं को संघर्ष प्रबंधन के लिए विवेकपूर्ण विकल्प मिलेंगे।

निष्कर्ष:

I-STAR परियोजना भारत की वायु शक्ति के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो वैश्विक एयरोस्पेस तकनीक और स्वदेशी उच्च तकनीक निगरानी प्रणालियों का सम्मिलन संभव बनाती है। जैसे ही भारत उन्नत ISR प्लेटफॉर्म्स वाले देशों की श्रेणी में शामिल होता है, यह बढ़ते क्षेत्रीय अस्थिरता वाले माहौल में अपनी रणनीतिक बढ़त और परिचालनिक तत्परता बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता को साबित करता है।

भारत की आपातकालीन रक्षा खरीद प्रणाली

संदर्भ:

हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने अत्यावश्यक सैन्य उपकरणों की त्वरित आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ₹1,981.90 करोड़ की लागत से 13 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। ये अधिग्रहण ऑपरेशन सिंदूर के बाद किए गए, जिसमें भारत ने सीमा पार पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे पर कार्यवाही की थी। इसके पश्चात दोनों देशों के बीच तीन दिन तक जवाबी हमले हुए, जिसके बाद युद्धविराम लागू हुआ। यह घटनाक्रम रक्षा क्षमताओं में तेज़ी से वृद्धि की तात्कालिक आवश्यकता को उजागर करता है।

आपातकालीन खरीद प्रणाली क्या है?

- यह प्रणाली सशस्त्र बलों को पारंपरिक और सामान्य खरीद प्रक्रियाओं के स्थान पर आवश्यक हथियारों और उपकरणों की त्वरित खरीद की अनुमति देती है। यह छठी बार है जब इस प्रणाली के तहत खरीद की जा रही है। आमतौर पर रक्षा सौदों को अंतिम रूप देने में काफी समय लगता है, लेकिन आपातकालीन खरीद में अनुबंध सीमित समय में पूरे किए जाते हैं ताकि सैन्य तैयारियों में कोई बाधा न आए।
- आपातकालीन खरीद की यह व्यवस्था पहली बार 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक के बाद लागू की गई थी। इसके बाद 2019 के बालाकोट एयरस्ट्राइक और 2020 में चीन के साथ लद्दाख सीमा पर हुए संघर्ष के दौरान भी इसका उपयोग किया गया। तब से बदलती सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए इस प्रणाली को समय-समय पर

विस्तार दिया जाता रहा है, ताकि आवश्यक क्षमताओं को तेजी से मजबूत किया जा सके।

खरीदे जा रहे प्रमुख उपकरण:

- रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इन अनुबंधों के तहत कई आधुनिक हथियार और सुरक्षात्मक उपकरणों की खरीद की जा रही है:
  - **ड्रोन रोधी प्रणाली:** दुश्मन ड्रोन की पहचान और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम (IDDIS)।
  - **बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली (VSHORAD):** निकटवर्ती हवाई खतरों से निपटने के लिए लॉन्चर और मिसाइलें।
  - **हल्के रडार (LLLR):** विशेष रूप से दुर्गम क्षेत्रों में निचली ऊंचाई पर निगरानी के लिए उपयुक्त।
  - **लूटरिंग म्यूनिशन:** लक्ष्य पर सटीक हमला करने वाले ड्रोन वर्टिकल टेकऑफ एंड लैंडिंग (VTOL) प्रणाली सहित।
  - **बुलेटप्रूफ जैकेट और बैलिस्टिक हेलमेट:** सैनिकों को गोलियों और विस्फोटों से सुरक्षा देने हेतु।
  - **त्वरित प्रतिक्रिया वाहन (QRFV):** युद्धक्षेत्र में तेजी से पहुंच और कार्रवाई के लिए।
  - **राइफलों के लिए नाइट साइट:** कम रोशनी या रात में बेहतर लक्ष्य भेदन क्षमता के लिए।
- मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि ये सभी खरीदारी ₹2,000 करोड़ के स्वीकृत बजट के भीतर की गई है, और इनमें से अधिकांश उपकरण देश की 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत घरेलू कंपनियों से प्राप्त किए गए हैं।

हालिया नीतिगत बदलाव:

- रक्षा मंत्रालय के अनुसार, सरकार ने थलसेना, नौसेना और वायुसेना को अपने पूंजीगत बजट का 15% तक आपातकालीन खरीद पर खर्च करने की अनुमति दी है। इसका उद्देश्य युद्धक क्षमताओं में त्वरित वृद्धि करना, आवश्यक उपकरणों की कमी को पूरा करना और संचालनात्मक तैयारियों को मजबूत करना है।
- पिछले पाँच वर्षों के दौरान इस प्रणाली के माध्यम से कई उन्नत हथियार और प्रणालियाँ हासिल की गई हैं, जिनमें शामिल हैं:
  - **HAMMER गाइडेड बम:** राफेल लड़ाकू विमानों के लिए उच्च-सटीकता वाले हवा से जमीन पर वार करने वाले हथियार।
  - **Spice Bombs:** सटीक लक्ष्य भेदन की क्षमता वाले स्मार्ट बम।
  - **MANPADS (मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम):** अग्रिम मोर्चे पर तैनात सैनिकों के लिए पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली।
  - **APFSDS गोला-बारूद:** T-72 और T-90 टैंकों के लिए अत्यधिक भेदन क्षमता वाला कवच भेदी गोला।
  - **UAV, लूटरिंग म्यूनिशन, स्वार्म ड्रोन और ड्रोन रोधी प्रणालियाँ:** निगरानी, हमले और सुरक्षा की आधुनिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए।
- इन उपकरणों की खरीद ने भारत की निगरानी, सटीक हमले और युद्धक्षेत्र में गतिशीलता की क्षमताओं को उल्लेखनीय रूप से सशक्त किया है।

निष्कर्ष:

रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि आपातकालीन खरीद प्रणाली देश की रक्षा आवश्यकताओं की त्वरित पूर्ति का एक प्रभावशाली माध्यम बन चुकी है। यह प्रणाली दर्शाती है कि भारत अब रक्षा मामलों में तेज़, लचीला और परिस्थितियों के अनुसार तुरंत निर्णय लेने वाला दृष्टिकोण अपना रहा है। 'मेक इन इंडिया' के तहत स्वदेशी उत्पादन को प्राथमिकता देकर और खरीद प्रक्रिया को सरल व तेज बनाकर भारत अपनी सैन्य क्षमताओं को निरंतर सशक्त कर रहा है, ताकि किसी भी संभावित खतरे का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया जा सके।

पावर पैक्ड न्यूज

राष्ट्रपति मुर्मू के भाषणों का संग्रह: 'Wings to Our Hopes – Vol II'

- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 23 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दूसरे वर्ष (अगस्त 2023 – जुलाई 2024) के 51 भाषणों का संकलन 'Wings to Our Hopes – Volume II' जारी किया। यह संकलन राष्ट्रपति भवन द्वारा संकलित और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित किया गया है।
- यह पुस्तक शासन, समावेशिता और राष्ट्रीय आकांक्षाओं पर केंद्रित विमर्श को आगे बढ़ाती है। यह ई-बुक सहित हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध होगी। प्रकाशन विभाग पिछले आठ दशकों से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के भाषणों का दस्तावेजीकरण करता रहा है और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, कला, संस्कृति व साहित्य पर भी पुस्तकें प्रकाशित करता है।

नई दिल्ली 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप

- भारतीय पैरालंपिक समिति (PCI) ने नई दिल्ली में आयोजित होने वाली 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए आधिकारिक लोगो और शुभंकर 'विराज' का अनावरण किया। शुभंकर विराज एक ब्लेड वाले कृत्रिम अंगयुक्त युवा हाथी को दर्शाता है, जो साहस, लचीलापन और आशा का प्रतीक है।
- 20 जून को हुए इस आयोजन में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, पीसीआई की संरक्षक वनथी श्रीनिवासन, और अभिनेत्री-सांसद कंगना रनौत मौजूद रहीं, जो इस चैंपियनशिप की ब्रांड एंबेसडर भी हैं। आधिकारिक लोगो भारत की सांस्कृतिक विरासत और नई दिल्ली की जीवंतता को दर्शाता है।
- अक्टूबर 2025 में आयोजित होने वाली यह चैंपियनशिप भारत में अब तक का सबसे बड़ा पैरा एथलेटिक्स आयोजन होगी, जिसमें 100 से अधिक देशों के एथलीटों के भाग लेने की उम्मीद है।

त्रिपुरा बना तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य

- त्रिपुरा ने 'उल्लास – नव भारत साक्षरता कार्यक्रम' के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त कर मिजोरम और गोवा के बाद तीसरा भारतीय राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है। यह उपलब्धि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों के साक्षर होने के राष्ट्रीय मानक पर आधारित है। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला के रवींद्र सतबर्शिकी भवन में इस ऐतिहासिक घोषणा को साझा किया। राज्य की साक्षरता दर 95.6% हो गई है, जो 1961 में केवल 20.24% थी।
- 'उल्लास' केंद्र प्रायोजित योजना है, जो 2022 से 2027 तक चलेगी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप वयस्कों को बुनियादी साक्षरता, संख्यात्मकता और जीवन कौशल प्रदान करती है। त्रिपुरा का यह परिवर्तनात्मक कदम शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष पहुंचने वाले दूसरे भारतीय

- भारतीय वायु सेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने 25 जून को एक्सिओम स्पेस के वाणिज्यिक मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) की यात्रा कर इतिहास रच दिया। वे राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने। 39 वर्षीय शुक्ला ने 2,000 से अधिक घंटे विभिन्न लड़ाकू विमानों पर उड़ान भरी है।
- वे 2019 में गगनयान मिशन के लिए चयनित क्रू में शामिल हुए थे। उनका मिशन एक्सिओम-4, नासा और इसरो दोनों के सहयोग से फ्लोरिडा से लॉन्च हुआ। उनके साथ अंतरिक्ष यात्री हंगरी के टिबोर कापू, पोलैंड के स्लावोज़, और कमांडर पैगी व्हिटसन थीं। यह मिशन भारत, हंगरी और पोलैंड के लिए अंतरिक्ष में मानव उड़ान की वापसी का प्रतीक है और अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की प्रगति को दर्शाता है।

क्रिस्टी कोवेंट्री बनीं IOC की पहली महिला प्रमुख

- जिम्बाब्वे की पूर्व ओलंपिक तैराक क्रिस्टी कोवेंट्री 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) की पहली महिला और पहली अफ्रीकी प्रमुख बनीं। उनका चयन मार्च 2025 में हुआ था, जहाँ उन्होंने छह अन्य उम्मीदवारों को हराया। उनका कार्यकाल आठ वर्षों का होगा, जिसमें लॉस एंजेल्स 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की देखरेख शामिल है। उन्होंने ओलंपिक आंदोलन की प्रासंगिकता और परिवर्तन के अनुकूल होने की आवश्यकता पर बल दिया।
- निवर्तमान अध्यक्ष थॉमस बाख, जिन्होंने 12 वर्षों तक पद संभाला, उन्हें प्रतीकात्मक कुंजी सौंपकर विदाई दी गई और अब वे मानद अध्यक्ष बने। यह ऐतिहासिक बदलाव IOC की समावेशिता और विविधता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अरलम तितली अभयारण्य: भारत का पहला तितली आरक्षित वन

- केरल के अरलम वन्यजीव अभयारण्य को अब आधिकारिक रूप से 'अरलम तितली अभयारण्य' घोषित किया गया है, जिससे यह भारत का पहला तितली संरक्षित क्षेत्र बन गया है। 55 वर्ग किमी में फैले इस अभयारण्य में 266 से अधिक तितली प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो केरल की कुल तितली आबादी का 80% प्रतिनिधित्व करती हैं।
- यह मान्यता 25 वर्षों के लगातार सर्वेक्षणों और संरक्षण प्रयासों के बाद मिली। अक्टूबर से फरवरी तक की मौसमी प्रवासन अवधि में यह अभयारण्य जीवंत हो उठता है। कॉमन अल्बाट्रॉस जैसी प्रजातियाँ यहां की जैव विविधता को दर्शाती हैं। अभयारण्य में तितलियों के साथ हाथी, तेंदुए और विशाल गिलहरियाँ भी पाई जाती हैं। यह संरक्षण जैव विविधता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

भारत को मिली 2029 विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों की मेज़बानी

- भारत को 2029 के विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों (WPFG) की मेज़बानी सौंपी गई है। यह निर्णय अमेरिका के बर्मिंघम में WPFG फेडरेशन के समक्ष भारतीय प्रतिनिधियों द्वारा सफल बोली प्रस्तुति के बाद हुआ। ये खेल अहमदाबाद, गांधीनगर और एकता नगर में आयोजित किए जाएँगे। WPFG दुनिया के सबसे बड़े बहु-खेल आयोजनों में से एक है, जिसमें 70+ देशों के पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी भाग लेते हैं।
- यह आयोजन द्विवार्षिक होता है और सक्रिय व सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए खुला होता है। इस प्रयास में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी सहयोग किया। यह आयोजन भारत में आंतरिक सुरक्षा बलों की क्षमता और खेल में भागीदारी को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने का एक ऐतिहासिक अवसर होगा।

आईसीसी ने क्रिकेट के नियमों में बड़े बदलाव किए

- आईसीसी ने जुलाई 2025 से क्रिकेट के सभी प्रारूपों में कई नए नियम लागू किए हैं। टेस्ट मैचों में अब स्टॉप क्लॉक लागू है – 60 सेकंड में अगला ओवर न डालने पर चेतावनी और दोहराव पर 5 रन की पेनल्टी लगेगी। कन्कशन मामलों में मैच से पूर्व सब्सटीट्यूट नामित करना और न्यूनतम 7 दिन का विश्राम अनिवार्य किया गया है। वनडे और T20 में वाइड डिलीवरी पर नियमों का छह माह का परीक्षण होगा।
- लार द्वारा गेंद चमकाने पर सख्ती हटा दी गई है; अब अंपायर गेंद की स्थिति के अनुसार निर्णय लेंगे। DRS में बदलाव के अनुसार यदि द्वितीयक आउट की समीक्षा में गेंद ट्रैकिंग 'अंपायर कॉल' दिखाती है, तो मूल निर्णय बरकरार रहेगा। इन नियमों का उद्देश्य खेल को तेज, सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है।

अमरावती बनेगा भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग वैली हब

- भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग घाटी जनवरी 2026 तक आंध्र प्रदेश के अमरावती में शुरु की जाएगी। यह तकनीकी हब अनुसंधान,

नवाचार और उद्योग सहयोग को बढ़ावा देगा। आईटी सचिव कटमनेनी भास्कर ने इसकी घोषणा की और बताया कि इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि-तकनीक, फार्मा और मेड-टेक क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। रतन टाटा इनोवेशन हब द्वारा समर्थित यह केंद्र स्टार्टअप विकास और रोजगार सृजन में सहायक होगा।

- राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के अनुरूप, यह केंद्र सुरक्षा के मोर्चे पर 'क्यूएनयू प्रोजेक्ट' के तहत सुरक्षित नेटवर्किंग को भी सक्षम करेगा। आईबीएम और गूगल जैसी वैश्विक कंपनियाँ इस प्रयास में पहले से साझेदार हैं। अमरावती में तार्किक क्यूबिट क्वांटम सिस्टम की स्थापना प्रस्तावित है, जो भारत के तकनीकी आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

पराग जैन बने रॉ (RAW) के नए प्रमुख

- केंद्र सरकार ने 28 जून 2025 को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पराग जैन को दो वर्ष की निश्चित अवधि के लिए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) का प्रमुख नियुक्त किया। वे वर्तमान प्रमुख रवि सिन्हा का स्थान लेंगे, जो 30 जून को सेवानिवृत्त होंगे। पंजाब कैडर के 1989 बैच के अधिकारी जैन वर्तमान में एविएशन रिसर्च सेंटर के निदेशक हैं और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, अनुच्छेद 370 के दौरान जम्मू-कश्मीर में कार्यों में अहम भूमिका निभाई है।
- रॉ की स्थापना 1968 में भारत-चीन और भारत-पाक युद्धों के बाद की गई थी। यह भारत की प्रमुख विदेशी खुफिया एजेंसी है, जिसका आदर्श वाक्य "धर्मो रक्षति रक्षितः" है। इसका उद्देश्य विदेशों से खुफिया जानकारी एकत्र करना, आतंकवाद और प्रसार का मुकाबला करना और रणनीतिक हितों की रक्षा करना है।

आयुष निवेश सारथी पोर्टल

- आयुष मंत्रालय ने इन्वेस्ट इंडिया के सहयोग से हाल ही में 'आयुष निवेश सारथी पोर्टल' लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य देश और विदेश में आयुष क्षेत्र (आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) में निवेश को प्रोत्साहित करना है। यह पोर्टल निवेशकों, नीति निर्माताओं और उद्योग प्रतिनिधियों के लिए एकीकृत मंच के रूप में कार्य करता है, जहाँ सरकारी नीतियाँ, प्रोत्साहन योजनाएँ और निवेश परियोजनाएँ सरलता से उपलब्ध हैं।
- मुख्य उद्देश्य निवेश प्रक्रिया को आसान बनाना, 100% एफडीआई को बढ़ावा देना, निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रेरित करना और विभिन्न सरकारी योजनाओं का एकीकरण करना है। पोर्टल में निवेशक-केंद्रित इंटरफेस, लाइव डैशबोर्ड, वैश्विक पहुँच और बहुभाषी सुविधा जैसी प्रमुख विशेषताएँ हैं।
- यह पहल भारत के तेजी से बढ़ते 50 अरब डॉलर के आयुष उद्योग को बल देगी, जो 2030 तक 200 अरब डॉलर तक पहुँचने की संभावना रखता है। वित्त वर्ष 2023-24 में इस क्षेत्र का निर्यात 651.17 मिलियन डॉलर तक पहुँचा। यह पोर्टल मेडिकल वैल्यू ट्रैवल, स्टार्टअप्स और वैश्विक स्वास्थ्य कूटनीति को भी नई दिशा देने की क्षमता रखता है।

श्रीलंका में पोसोन पोया उत्सव

- हाल ही में श्रीलंका में 'पोसोन पोया' का पर्व बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। यह उत्सव जून माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है और इसका गहरा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। यह वह दिन है जब सम्राट अशोक के पुत्र अरहात महिंद्र ने 247 ईसा पूर्व में श्रीलंका के राजा देवानांपियतिस्स को मिहिंतले पर्वतीय क्षेत्र में बौद्ध धर्म का उपदेश दिया था। इस घटना को श्रीलंका में बौद्ध धर्म की औपचारिक स्थापना के रूप में माना जाता है, जिसने देश की धार्मिक, नैतिक और राजनीतिक संरचना को गहराई से प्रभावित किया।
- बौद्ध धर्म की उत्पत्ति छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में हुई थी, जब सामाजिक असमानता और कर्मकांडों से जर्जर समाज में एक वैकल्पिक आध्यात्मिक मार्ग की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। सिद्धार्थ गौतम द्वारा स्थापित यह धर्म जाति-व्यवस्था और ब्राह्मणवादी वर्चस्व का विरोध करता है और ध्यान, नैतिकता और करुणा पर बल देता है। बौद्ध धर्म की विभिन्न शाखाएँ—थेरवाद, महायान, वज्रयान और नवयान—विभिन्न देशों और सामाजिक संदर्भों में विकसित हुईं। श्रीलंका में थेरवाद शाखा का प्रमुख प्रभाव है।

- पोसोन पोया केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि भारत-श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक संबंधों की प्रतीकात्मक स्मृति है। यह उत्सव श्रीलंकाई समाज में बौद्ध मूल्यों की स्थिरता और भारतीय बौद्ध धरोहर की अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता का जीवंत उदाहरण है।

SEEDS पहल और भारत-सूरीनाम सहयोग: एक सतत विकास प्रयास

- भारत ने हाल ही में SEEDS (Supply of Equipment for Efficient Development of SMEs) पहल के तहत सुरिनाम में पैशन फ्रूट प्रसंस्करण इकाई के लिए मशीनरी की अंतिम खेप रवाना की। यह पहल भारत के दक्षिण-दक्षिण सहयोग के तहत विकासशील देशों में सतत और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसके अंतर्गत भारत ने सूरीनाम को 10 लाख डॉलर का अनुदान दिया है और परियोजना का क्रियान्वयन NABCONS की तकनीकी सहायता से हो रहा है।
- इस परियोजना का उद्देश्य सुरिनाम में छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) को सशक्त बनाना, कृषि उत्पादों में मूल्यवर्धन करना और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। पैशन फ्रूट, जो विटामिन ए, सी, फाइबर और एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर होता है, को उसकी निर्यात संभावनाओं और पोषण मूल्य के कारण चुना गया।
- SEEDS पहल भारत और सूरीनाम के बीच द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करती है, स्थानीय क्षमताओं का निर्माण करती है और भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देती है। यह भारत की विदेश नीति में आर्थिक कूटनीति और प्रवासी भारतीय समुदाय के साथ संबंधों को गहराने का उदाहरण भी है।
- सूरीनाम, दक्षिण अमेरिका के उत्तर-पूर्वी तट पर स्थित एक वनाच्छादित देश है, जिसकी राजधानी परमारिबो है और डच इसकी आधिकारिक भाषा है। यह परियोजना भारत की वैश्विक जिम्मेदार साझेदार की छवि को भी सशक्त करती है।

परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) 2.0

- केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) 2.0, वर्ष 2022–23 और 2023–24 के लिए संयुक्त मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। यह स्कूल शिक्षा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन को छह क्षेत्रों—सीखने के परिणाम, पहुंच, आधारभूत संरचना, समानता, शासन प्रक्रिया और शिक्षक प्रशिक्षण—के आधार पर 1000 अंकों की प्रणाली में आंकता है।
- 2023–24 में कोई भी राज्य पहले चार स्तरों (Level 1–4) में नहीं आ सका। चंडीगढ़ ने 703 अंकों के साथ "प्रचेष्टा-1" (Level 5) में शीर्ष स्थान पाया। इसके बाद पंजाब, दिल्ली, गुजरात, ओडिशा, केरल आदि राज्यों को "प्रचेष्टा-3" (Level 7) में रखा गया। केवल मेघालय "आकांक्षी-3" (Level 10) में रहा।
- विषय-वार, "सीखने के परिणाम" में अधिकतर राज्यों की रैंकिंग औसत से नीचे रही। "पहुंच" क्षेत्र में ओडिशा शीर्ष पर रहा, जबकि बिहार और झारखंड ने उल्लेखनीय सुधार दिखाया। "आधारभूत संरचना" में चंडीगढ़ सर्वोच्च रहा और "समानता" के क्षेत्र में सभी राज्यों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत संतुलित रहा।
- इस रिपोर्ट से स्पष्ट है कि भारत के अधिकांश राज्य अभी शिक्षा के उच्चतम मानकों से दूर हैं। यह नीति निर्माताओं को शिक्षा के गुणवत्ता सुधार, बुनियादी सुविधाओं और शिक्षक प्रशिक्षण में निवेश बढ़ाने की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करता है।

भारत को ग्लोबल टोबैको कंट्रोल अवॉर्ड 2025: तंबाकू नियंत्रण में उत्कृष्ट पहल की मान्यता

- भारत को वर्ष 2025 का ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रपीज ग्लोबल टोबैको कंट्रोल अवॉर्ड प्रदान किया गया है। यह सम्मान आयरलैंड के डबलिन में आयोजित वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन टोबैको कंट्रोल में स्वास्थ्य मंत्रालय के नेशनल टोबैको कंट्रोल सेल को दिया गया। यह सम्मान WHO के MPOWER ढांचे की 'O' श्रेणी (तंबाकू छोड़ने में मदद करना) के तहत प्रदान किया गया है।
- भारत के तंबाकू नियंत्रण प्रयासों में प्रमुख भूमिका राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) निभा रहा है। इसके तहत 1800-11-2356 हेल्पलाइन, NIMHANS जैसे चार प्रमुख उपचार केंद्र, 675 जिला अस्पतालों, 302 डेंटल कॉलेजों और 361 मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके अलावा 607 NCD क्लीनिक और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में तंबाकू छोड़ने की सेवाओं

का एकीकरण किया गया है।

- WHO की रिपोर्ट के अनुसार, 2007 से 2023 के बीच वैश्विक स्तर पर धूम्रपान करने वालों की संख्या में 26% की गिरावट आई है। भारत में 2023 में वयस्क धूम्रपान दर 7% रही, जो एक सकारात्मक संकेत है। हालांकि, गुटखा, खैनी जैसे धूम्ररहित तंबाकू उत्पादों की खपत अब भी चिंता का विषय है।
- भारत के साथ मॉरिशस, मैक्सिको, मोंटेनेग्रो, फिलीपींस और यूक्रेन को भी यह पुरस्कार मिला है। यह उपलब्धि भारत को वैश्विक तंबाकू नियंत्रण प्रयासों में अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित करती है।

चांदीपुरा वायरस और फेविपिराविर

- हाल ही में पुणे स्थित राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्थान (NIV) के अध्ययन में पाया गया है कि एंटीवायरल दवा फेविपिराविर ने प्री-क्लिनिकल परीक्षणों में चांदीपुरा वायरस (CHPV) के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा दिखाई है। यह वायरस एक उभरता हुआ एंसेफेलाइटिक वायरस है, जो मुख्य रूप से बालू मक्खियों के ज़रिए फैलता है और विशेषकर 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है।
- चांदीपुरा वायरस रैबडोविरिडी परिवार से संबंधित है और इसके संक्रमण से तेज बुखार, दौरे, मस्तिष्क की सूजन और मृत्यु तक हो सकती है। इसकी पहचान 1965 में महाराष्ट्र में हुई थी। वर्ष 2003 में आंध्र प्रदेश में बड़े प्रकोप के दौरान 300 से अधिक बच्चे संक्रमित हुए थे, और मृत्यु दर 50% से अधिक रही थी। 2024 में इसके फिर से फैलने से यह एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में उभरा है। वर्तमान में 64 मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें से अधिकांश गुजरात से हैं।
- फेविपिराविर, जो आमतौर पर इन्फ्लुएंजा के इलाज में प्रयोग होता है, चूहों पर परीक्षण में वायरस की मात्रा कम करने और मृत्यु दर घटाने में कारगर पाया गया है। हालांकि, फिलहाल CHPV का कोई विशिष्ट इलाज या टीका उपलब्ध नहीं है, इसलिए लक्षण आधारित उपचार, वेक्टर नियंत्रण, स्वच्छता और जन-जागरूकता ही प्रमुख रोकथाम के उपाय हैं। साथ ही वैज्ञानिक वैक्सीन विकास की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं।

ऊर्जा बदलाव सूचकांक 2025 में भारत 71वें स्थान पर

- विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी 'फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2025' रिपोर्ट के अनुसार, भारत 118 देशों की सूची में 71वें स्थान पर आ गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में आठ स्थान नीचे है। स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड शीर्ष पांच में हैं। चीन 12वें और अमेरिका 17वें स्थान पर रहा, जबकि पाकिस्तान 101वें स्थान पर रहा। भारत ने ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और मीथेन उत्सर्जन में सुधार जैसे कई क्षेत्रों में सराहनीय प्रगति की है। देश ने ऊर्जा निवेश आकर्षित करने की अपनी क्षमता में भी वृद्धि की है। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत और चीन ने बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक प्रगति की है।
- ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में अमेरिका शीर्ष पर रहा, जबकि कार्यकुशलता और निवेश वृद्धि में भारत अग्रणी रहा। रिपोर्ट में पांच तत्परता कारकों पर प्रदर्शन मापा गया: राजनीतिक प्रतिबद्धता, वित्त, नवाचार, बुनियादी ढांचा, और मानव पूंजी। हालांकि 118 देशों में से 77 ने स्कोर में सुधार किया, पर केवल 28% देश ही ऊर्जा की सुरक्षा, स्थिरता और समानता—तीनों आयामों में प्रगति कर पाए। वैश्विक उत्सर्जन रिकॉर्ड 37.8 बिलियन टन पर पहुँच गया, मुख्यतः ऊर्जा मांग में 2.2% वृद्धि के कारण।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को डिजिटल भुगतान पुरस्कार

- इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) को वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह पुरस्कार प्रदान किया। बैंक को देशभर में डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया गया। आईपीपीबी ने वर्ष 2024-25 में प्रदर्शन सूचकांक में सभी भुगतान बैंकों में पहला स्थान प्राप्त किया और वर्ष 2023-24 के लिए विशेष उल्लेख भी प्राप्त किया।
- इसका डोरस्टेप बैंकिंग मॉडल, जो 2 लाख से अधिक डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों द्वारा संचालित है, तकनीक-सक्षम नागरिक-केंद्रित

बैंकिंग सेवा प्रदान करता है। 1 सितंबर 2018 को शुरू हुआ यह बैंक भारत सरकार के 100% स्वामित्व में है और यह डाक विभाग के अधीन कार्य करता है। आज यह बैंक 13 भाषाओं में सेवाएँ प्रदान करते हुए देश के 5.57 लाख गाँवों और कस्बों में 11 करोड़ ग्राहकों तक पहुंच चुका है। इस मजबूत तकनीकी ढांचे के चलते यह देश के सबसे दूरदराज क्षेत्रों में भी डिजिटल बैंकिंग को सुलभ बना रहा है।

ऑपरेशन सिंधु

- भारत सरकार ने "ऑपरेशन सिंधु" नामक विशेष निकासी अभियान के तहत ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने का कार्य किया। यह अभियान 18 जून 2025 को शुरू हुआ, जब इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष के कारण वहां रहने वाले भारतीयों, विशेषकर छात्रों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी। ऑपरेशन के तहत सबसे पहले 110 भारतीय छात्रों को ईरान से अर्मेनिया पहुंचाया गया, जहाँ से उन्हें एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाया गया।
- यह मिशन भारत की "वसुधैव कुटुम्बकम" नीति और अपने नागरिकों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विदेश मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने इस अभियान में आपसी समन्वय के साथ तेज़ी से कार्रवाई की। यह ऑपरेशन भारत की संकट-प्रबंधन क्षमताओं और वैश्विक घटनाओं के प्रति तत्परता का उदाहरण है।
- इससे पहले भारत ने यूक्रेन संकट के दौरान 'ऑपरेशन गंगा' और सूडान संघर्ष के दौरान 'ऑपरेशन कावेरी' जैसे सफल अभियानों को भी अंजाम दिया था। ऑपरेशन सिंधु न केवल सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है, बल्कि विदेशों में भारतीयों के प्रति उसकी जिम्मेदारी को भी रेखांकित करता है।

यूपीएससी की नई पहल 'प्रतिभा सेतु'

- संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रतिभाशाली परंतु अंतिम मेरिट सूची से बाहर रह गए उम्मीदवारों को रोजगार के अवसर दिलाने हेतु 'प्रतिभा सेतु' पहल शुरू की है। यह 'सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना (PDS)' का ही नया नाम है, जो 2018 से सक्रिय है। इस डेटाबैंक में 10,000 से अधिक ऐसे उम्मीदवारों की प्रोफाइल शामिल हैं जिन्होंने सभी चरण पार किए लेकिन चयनित नहीं हो सके।
- सत्यापित सरकारी और निजी नियोक्ताओं को इस डेटाबैंक तक सुरक्षित लॉगिन के माध्यम से पहुंच प्रदान की गई है। वे इन प्रतिभाशाली उम्मीदवारों का चयन कर सकते हैं, जिनकी योग्यता चयनित अभ्यर्थियों के समान ही होती है। उम्मीदवारों की शिक्षा, योग्यता और संपर्क विवरण के साथ संक्षिप्त बायोडेटा प्रदान किया जाता है।
- इससे न केवल उम्मीदवारों को नया अवसर मिलता है, बल्कि नियोक्ताओं को प्रशिक्षित और सक्षम संसाधन प्राप्त करने का भी मार्ग खुलता है। यह पहल यूपीएससी की पारदर्शिता, सामाजिक जिम्मेदारी और योग्य प्रतिभाओं की पहचान को नए स्तर पर ले जाने वाला कदम है। इससे सरकारी परीक्षा प्रणाली से बाहर हुए प्रतिभागियों को भी प्रतिष्ठित संगठनों में स्थान पाने का अवसर मिलेगा।

कश्मीरी लोक गायक उस्ताद गुलाम नबी शाह का निधन

- प्रसिद्ध कश्मीरी लोक गायक और सांस्कृतिक प्रतीक उस्ताद गुलाम नबी शाह, जिन्हें "हमले बुलबुल" के नाम से जाना जाता था, का निधन बारामूला के डांगीवाचा रफियाबाद में हो गया। उन्होंने तीन दशकों से अधिक समय तक जम्मू-कश्मीर के सूचना विभाग की सेवा की और कश्मीरी लोक संगीत को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पहचान दिलाई।
- सारंगी बजाने में निपुण शाह अपने 'ग्लास डांस' और 'बाचा नगमा' नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थे, जिसमें वे सिर पर पानी का गिलास संतुलित कर नृत्य करते थे। 2011 में उन्हें शेर-ए-कश्मीर शेख अब्दुल्ला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी कला ने कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

दक्षिण अफ्रीका ने जीता विश्व टेस्ट चैंपियनशिप खिताब

- 14 जून 2025 को लॉर्ड्स में खेले गए फाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर पहली बार ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप खिताब जीता। 282 रनों के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा कर यह ऐतिहासिक स्थल पर चौथी पारी में दूसरी सबसे बड़ी जीत बनी। एडेन मार्करम ने 136 रनों की बेहतरीन पारी खेली।
- यह दक्षिण अफ्रीका की 1998 के बाद दूसरी ICC ट्रॉफी है। इससे पहले न्यूज़ीलैंड (2021) और ऑस्ट्रेलिया (2023) विजेता रह चुके हैं। चैंपियनशिप 2019 में शुरु हुई थी और यह टेस्ट क्रिकेट के लिए एक लीग-आधारित प्रतियोगिता है। इस जीत से दक्षिण अफ्रीका की "महत्वपूर्ण क्षणों में चूकने वाली टीम" की छवि को भी तोड़ने में मदद मिली।

ट्राई ने डिजिटल सहमति रजिस्ट्री के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया

- भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने डिजिटल सहमति रजिस्ट्री पर एक पायलट परियोजना शुरु की है ताकि स्पैम कॉल और संदेशों की समस्या से निपटा जा सके। यह पायलट आरबीआई और कुछ प्रमुख बैंकों के सहयोग से शुरु किया गया है, ताकि उपभोक्ताओं की सहमति को डिजिटल माध्यम से सत्यापित और संरक्षित किया जा सके।
- ट्राई ने पाया कि अधिकांश स्पैम संचार ऐसी कंपनियों से आता है जिनसे उपभोक्ताओं ने पहले लेन-देन किया था, पर उनकी सहमति अक्सर ऑफलाइन और अनधिकृत रूप से ली जाती है। यह पायलट दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम, 2018 के तहत संचालित हो रहा है। इसका उद्देश्य एक पारदर्शी, सुरक्षित और अंतर-संचालन योग्य डिजिटल सहमति पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है।

पीएम मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला

- 16 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार "ग्रैंड क्रॉस ऑफ़ द ऑर्डर ऑफ़ मकारियोस III" से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलिडेस द्वारा प्रदान किया गया। पीएम मोदी ने इस सम्मान को भारत के 1.4 अरब नागरिकों को समर्पित किया और इसे भारत-साइप्रस के मजबूत लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सहयोग का प्रतीक बताया।
- यह पुरस्कार 1981 में स्थापित हुआ था और अंतरराष्ट्रीय शांति, संबंधों और सद्भावना में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। इस दौरे ने भारत-साइप्रस के बीच द्विपक्षीय संबंधों में रणनीतिक और कूटनीतिक साझेदारी को नया आयाम दिया।

ब्लेज़ मेट्रेवेली बनीं एमआई6 की पहली महिला प्रमुख

- ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ब्लेज़ मेट्रेवेली को एमआई6 की पहली महिला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। यह 116 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है जब एक महिला को इस प्रतिष्ठित खुफिया एजेंसी का नेतृत्व सौंपा गया है। मेट्रेवेली ने पहले एमआई5 में वरिष्ठ पद पर और फिर एमआई6 में तकनीकी और नवाचार निदेशक (Q) के रूप में काम किया था।
- वह वर्तमान प्रमुख सर रिचर्ड मूर का स्थान लेंगी, जो शरद ऋतु में पद छोड़ेंगे। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब ब्रिटेन को साइबर हमलों और विदेशी हस्तक्षेप जैसी राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यह नियुक्ति महिला नेतृत्व को सशक्त बनाने की दिशा में भी एक ऐतिहासिक कदम है।

पीएम मोदी की क्रोएशिया यात्रा

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15–16 जून 2025 को क्रोएशिया की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पूरी की, जो भारत-क्रोएशिया संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रही। उन्होंने ज़ाग्रेब में प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविक से मुलाकात की और व्यापार, जहाज निर्माण, रक्षा, और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। दोनों देशों के बीच चार प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें कृषि, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और ज़ाग्रेब विश्वविद्यालय में हिंदी चेयर की स्थापना शामिल है। मोदी को एक ऐतिहासिक संस्कृत व्याकरण ग्रंथ की पुनर्मुद्रित प्रति और एक विशेष पुस्तक भेंट की गई। यह यात्रा रणनीतिक साझेदारी और सांस्कृतिक

जुड़ाव को और गहरा करने में सहायक रही।

ज्ञान पोस्ट

- भारत सरकार के डाक विभाग ने शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों की सस्ती और सुलभ डिलीवरी के लिए 'ज्ञान पोस्ट' नामक एक नई सेवा शुरु की है। इस सेवा का उद्देश्य देशभर में विशेष रुप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करना है। 'ज्ञान पोस्ट' को नई शिक्षा नीति (NEP) के उद्देश्यों के अनुरूप तैयार किया गया है, जो सभी नागरिकों को गुणवत्ता शिक्षा और अध्ययन सामग्री सुलभ कराने की दिशा में एक अहम कदम है।
- यह सेवा देश के सभी डाकघरों के माध्यम से संचालित की जाएगी। 300 ग्राम तक के पुस्तक पार्सल पर ₹20 और 5 किलोग्राम तक के पार्सल पर अधिकतम ₹100 शुल्क निर्धारित किया गया है (करों को छोड़कर)। पार्सल की ट्रैकिंग की सुविधा भी प्रदान की जाएगी, जिससे पारदर्शिता और भरोसा सुनिश्चित हो सके।
- इस पहल से न केवल शैक्षिक असमानता को कम करने में मदद मिलेगी, बल्कि छोटे प्रकाशकों और वितरकों को भी देशव्यापी पहुंच का लाभ मिलेगा। यह डाक विभाग द्वारा डिजिटल डिलीवरी के युग में भी सामाजिक सरोकारों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

टाइगर क्लॉ संयुक्त वायुसेना अभ्यास

- भारतीय वायु सेना (IAF) और संयुक्त राज्य अमेरिका की वायु सेना (USAF) ने 26 मई से 10 जून, 2025 तक उत्तर भारत में 'टाइगर क्लॉ' नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास सफलतापूर्वक सम्पन्न किया। यह अभ्यास उत्तर प्रदेश के चांदीनगर स्थित गरुड़ रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर (GRTC) में संपन्न हुआ। इसका उद्देश्य विशेष संचालन में परस्पर तालमेल को बढ़ाना और संयुक्त रणनीतियों को विकसित करना था।
- 'टाइगर क्लॉ' अभ्यास के दौरान दोनों देशों की वायु सेनाओं ने गहन प्रशिक्षण, सामरिक जानकारी का आदान-प्रदान और संयुक्त मिशन किए। यह अभ्यास भारतीय गरुड़ कमांडो और अमेरिकी विशेष बलों के बीच समन्वय की दिशा में एक अहम कदम रहा। यह अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच लगातार मजबूत हो रही रणनीतिक साझेदारी का परिचायक है।
- यह अभ्यास भारत की तीनों सेनाओं की संयुक्त विशेष अभियान इकाई – AFSOD (Armed Forces Special Operations Division) – की स्थापना की दिशा में भी सहायक है। 2019 में स्वीकृत यह त्रि-सेवा इकाई विशेष मिशनों हेतु प्रशिक्षित जवानों को शामिल करती है। इससे भारत की युद्ध क्षमता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को नई दिशा मिलेगी।

भारत बना अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष

- 3 जून 2025 को भारत ने अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान (IIAS) की अध्यक्षता प्राप्त कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। अंतिम दौर के मतदान में भारत ने ऑस्ट्रिया को हराया। भारतीय उम्मीदवार, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) के सचिव वी. श्रीनिवास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में नामित किया था। चुनाव में भारत को 87 और ऑस्ट्रिया को 54 वोट मिले। कुल 141 मतों में भारत को 61.7% समर्थन प्राप्त हुआ।
- दक्षिण अफ्रीका ने मई 2025 में भारत के पक्ष में अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी। यह पहली बार था जब IIAS के 100 वर्षों के इतिहास में अध्यक्ष का चयन मतदान द्वारा हुआ। भारत की यह अध्यक्षता वैश्विक प्रशासन में उत्तर-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देगी, साथ ही डिजिटल गवर्नेंस और समावेशी नीतियों को प्रोत्साहित करेगी।
- प्रधानमंत्री मोदी के "अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार" के दृष्टिकोण को 2025-28 की अध्यक्षता के दौरान मार्गदर्शक सिद्धांत बनाया जाएगा। 1930 में स्थापित यह संस्थान सार्वजनिक प्रशासन को लेकर वैश्विक नीति विमर्श में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है और भारत 1998 से इसका सदस्य है।

राष्ट्रपति मुर्मू ने दिए विशिष्ट सेवा पुरस्कार

- 4 जून 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह-II के दौरान सशस्त्र बलों, तटरक्षक बल और सीमा सड़क संगठन के 92 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। पुरस्कारों में 30 परम विशिष्ट सेवा पदक (PVSM), 5 उत्तम युद्ध सेवा पदक (UYSM), और 57 अति विशिष्ट सेवा पदक (AVSM) शामिल थे। ये सम्मान असाधारण सेवा, युद्ध प्रयासों और नेतृत्व क्षमता को पहचान प्रदान करते हैं।
- लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार, धीरज सेठ, एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी और नागेश कपूर को PVSM से सम्मानित किया गया। तिवारी ने 2 मई को वायुसेना उप प्रमुख का पद संभाला, जबकि कपूर 1 मई को दक्षिण-पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख बने। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को ऑपरेशन सिंदूर में योगदान के लिए UYSM मिला।
- लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार को AVSM मिला, जिन्होंने 2025 गणतंत्र दिवस परेड की अगुवाई की थी। इन पुरस्कारों के माध्यम से भारत ने उन बहादुर अधिकारियों की निस्वार्थ सेवा और अद्वितीय समर्पण का सम्मान किया है, जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा और गौरव बढ़ाने में अहम योगदान दिया।

ली जे-म्यांग बने दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति

- ली जे-म्यांग ने आधिकारिक रूप से दक्षिण कोरिया के 21वें राष्ट्रपति के रूप में 5 साल के कार्यकाल के लिए पदभार ग्रहण कर लिया है। वे लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं और हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने पीपुल्स पावर पार्टी के किम मून-सू को हराया। राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने चुनाव परिणामों की पुष्टि की।
- यह चुनाव पूर्व राष्ट्रपति यून सुक-योल के पद से हटाए जाने के बाद हुआ, जिन्हें मार्शल लॉ लागू करने के प्रयास के कारण हटाया गया था। ली जे-म्यांग ने यून की कार्रवाई को "तख्तापलट की कोशिश" बताया और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने का वादा किया।
- ली ने अपने संबोधन में उत्तर कोरिया के साथ संवाद बहाल करने की इच्छा जताई, वहीं अमेरिका के साथ मजबूत सुरक्षा साझेदारी को जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई।
- दक्षिण कोरिया एक एकात्मक राष्ट्रपति गणराज्य है जिसकी राजधानी सियोल है और मुद्रा दक्षिण कोरियाई वोन है। यह उत्तर कोरिया से लगती स्थलीय सीमा वाला पूर्वी एशियाई देश है। ली का नेतृत्व देश में राजनीतिक स्थिरता और लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

दिल्ली में भारत का पहला ई-कचरा इको पार्क

- दिल्ली सरकार भारत का पहला ई-कचरा इको पार्क होलंबी कलां में स्थापित कर रही है। यह पार्क 11.4 एकड़ में फैला होगा और प्रति वर्ष 51,000 मीट्रिक टन ई-कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करेगा। यह 2022 ई-कचरा नियमों के तहत सूचीबद्ध सभी 106 श्रेणियों को कवर करेगा। इस परियोजना में 150 करोड़ रुपये का प्रारंभिक निवेश और 325 करोड़ रुपये का परिचालन बजट है। इससे लगभग 350 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति की उम्मीद है।
- यह परियोजना डीबीएफओटी मॉडल के तहत सार्वजनिक-निजी भागीदारी में विकसित की जाएगी। निर्माण कार्य 18 महीनों में पूरा किया जाएगा और यह दिल्ली के कुल ई-कचरे का 25% संसाधित करेगा। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ई-कचरा उत्पादक है और दिल्ली इसमें 9.5% का योगदान देती है। यह पार्क देश के चार प्रस्तावित ऐसे पार्कों में पहला है।

'खान क्वेस्ट' अभ्यास

- 11 जून 2025 को भारतीय सेना की एक टुकड़ी मंगोलिया के उलानबटार में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास 'खान क्वेस्ट' में भाग लेने पहुँची। यह अभ्यास 14 से 28 जून तक आयोजित हुआ और इसमें कई देशों की सेनाएँ शामिल हुईं। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के

चार्टर VII के अंतर्गत शांति मिशनों के लिए तत्परता बढ़ाना है। इसमें चौकियाँ स्थापित करना, गश्त करना, निकासी और आईईडी प्रतिक्रिया अभियान शामिल हैं। भारतीय दल में कुमाऊँ रेजिमेंट के 40 सैनिक, एक महिला अधिकारी और दो महिला सैनिक शामिल थे। यह अभ्यास 2003 में अमेरिका और मंगोलिया के बीच शुरू हुआ था और अब यह वैश्विक शांति स्थापना का वार्षिक मंच बन चुका है।

अभ्यास शक्ति-2025

- भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 'शक्ति-2025' फ्रांस के ला कैवेलरी में 18 जून से 1 जुलाई 2025 तक आयोजित हुआ। यह अभ्यास शक्ति श्रृंखला का आठवां संस्करण था। इसका उद्देश्य उप-परंपरागत युद्ध परिदृश्यों में बहु-डोमेन संचालन के लिए संयुक्त तैयारी को बढ़ावा देना था। दोनों देशों की सेनाओं ने रणनीतियाँ, तकनीकें और प्रक्रियाएँ साझा कीं जिससे पारस्परिक समझ और अंतर-संचालन में वृद्धि हुई। अभ्यास शक्ति द्विवार्षिक है और भारत-फ्रांस में बारी-बारी से आयोजित किया जाता है। पिछला संस्करण मई 2024 में मेघालय के उमरोई में हुआ था। यह अभ्यास भारत-फ्रांस रक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

एयर इंडिया विमान दुर्घटना

- एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान 1:39 बजे अहमदाबाद से उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लंदन जा रही इस उड़ान में 242 लोग सवार थे, जिनमें 230 यात्री और 12 चालक दल के सदस्य थे। दुर्घटना में 241 लोगों की मौत हो गई और केवल एक यात्री विश्वाश कुमार रमेश जीवित बचे। विमान अहमदाबाद के बी.जे. मेडिकल कॉलेज के ऊपर गिरा जिससे कई मेडिकल छात्रों की भी मृत्यु हो गई। मृतकों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रुपाणी भी शामिल थे। पायलट ने उड़ान भरते ही 'मेडे' कॉल किया, जो पूर्ण आपात स्थिति का संकेत है। टाटा समूह के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने प्रत्येक पीड़ित परिवार को ₹1 करोड़ की सहायता और घायलों के इलाज का खर्च वहन करने की घोषणा की। टाटा समूह बी.जे. मेडिकल कॉलेज में नया छात्रावास भी बनाएगा। दुर्घटना की जांच विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) कर रहा है। यह भारत सरकार का एक निकाय है जिसकी स्थापना 2012 में हुई थी।

करोल नवरोकी बने पोलैंड के नए राष्ट्रपति

- करोल नवरोकी ने पोलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। उन्होंने एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें विपक्षी लॉ एंड जस्टिस (PiS) पार्टी का समर्थन प्राप्त था। नवरोकी को लगभग 51% वोट मिले, जबकि सत्तारूढ़ सिविक गठबंधन के उम्मीदवार और वारसॉ के मेयर राफाल ट्रज़ाकोव्स्की को 49% से थोड़ा अधिक वोट मिले। यह नवरोकी का राष्ट्रपति पद के लिए पहला प्रयास था और वे चुनाव पूर्व जनमत सर्वेक्षणों और एग्जिट पोल में पिछड़ते दिख रहे थे, लेकिन अंतिम परिणाम ने सबको चौंका दिया।
- अब वे मौजूदा राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा की जगह लेंगे, जिनका दूसरा और अंतिम कार्यकाल 6 अगस्त 2025 को समाप्त हो रहा है। नवरोकी के चुनाव को पोलैंड की राजनीतिक दिशा में संभावित बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब यूरोप में दक्षिणपंथ और उदारवाद के बीच संघर्ष बढ़ रहा है। पोलैंड मध्य यूरोप में स्थित एक एकात्मक अर्ध-राष्ट्रपति गणराज्य है। इसकी राजधानी वारसॉ है और मुद्रा ज़्लॉटी है। नवरोकी की जीत से राजनीतिक संतुलन में बदलाव की संभावना बढ़ी है।

फ्लिपकार्ट को एनबीएफसी लाइसेंस मिला

- भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) का लाइसेंस प्राप्त किया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाली फ्लिपकार्ट पहली प्रमुख भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी बन गई है। अब कंपनी अपने ग्राहकों और विक्रेताओं को सीधे ऋण प्रदान कर सकेगी, हालाँकि वह सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं कर सकती।
- यह बदलाव उसके पिछले मॉडल से काफी अलग है, जहाँ वह एक्सिस बैंक और IDFC जैसे बैंकों के माध्यम से फाइनेंसिंग करता था। नया मॉडल अधिक प्रत्यक्ष और लाभदायक होगा। फ्लिपकार्ट अपने मुख्य प्लेटफ़ॉर्म और फिनटेक ऐप Super.money के माध्यम से ऋण

सेवाएं प्रदान करेगी। यह कदम न केवल डिजिटल फाइनेंस के विस्तार को दर्शाता है, बल्कि प्रतिस्पर्धी बाजार में फ्लिपकार्ट की स्थिति को भी मजबूत करता है। विशेष रूप से तब, जब प्रतिद्वंद्वी अमेज़न ने हाल ही में NBFC Exio का अधिग्रहण किया है, लेकिन अभी तक उसे नियामक मंजूरी नहीं मिली है।

- 2024 में वॉलमार्ट के नेतृत्व में हुए 1 बिलियन डॉलर फंडिंग राउंड के बाद फ्लिपकार्ट का मूल्यांकन 37 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। अब, कंपनी सिंगापुर से भारत में अपनी होल्डिंग संरचना स्थानांतरित कर रही है। यह विकास ई-कॉमर्स और वित्तीय सेवाओं के एकीकरण की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

लुइस मोंटेनेग्रो फिर बने पुर्तगाल के प्रधानमंत्री

- 29 मई 2025 को राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा ने लुइस मोंटेनेग्रो को पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया। वे पुर्तगाल की 25वीं सरकार का नेतृत्व करेंगे। मोंटेनेग्रो के डेमोक्रेटिक अलायंस (एडी) ने चुनावों में 91 सीटें जीतीं, जिससे उन्हें सरकार गठन का जनादेश मिला। दक्षिणपंथी चेगा पार्टी 60 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही, जबकि सोशलिस्ट पार्टी (पीएस) को 58 सीटें मिलीं।
- चेगा पार्टी ने संविधान में बदलाव की मांग की थी, जिसे मोंटेनेग्रो ने सिरे से खारिज कर दिया। उनका यह रुख स्पष्ट करता है कि वे कट्टर दक्षिणपंथी विचारों से दूरी बनाए रखना चाहते हैं।
- पुर्तगाल दक्षिण-पश्चिमी यूरोप में इबेरियन प्रायद्वीप पर स्थित है, जिसकी राजधानी लिस्बन है और मुद्रा यूरो है। यह एकात्मक अर्ध-राष्ट्रपति गणराज्य है। मोंटेनेग्रो की वापसी राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, विशेष रूप से ऐसे समय में जब यूरोप के कई हिस्सों में दक्षिणपंथी ताकतें उभर रही हैं।

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण

- उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 जून 2025 को पूर्व अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 20% क्षैतिज आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह आरक्षण पुलिस कांस्टेबल, प्रांतीय सशस्त्र बल (PAC), घुड़सवार पुलिस और फायरमैन पदों की सीधी भर्ती में लागू होगा। यह सभी वर्गों – सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग – में उनके संबंधित आरक्षण श्रेणियों में प्रभावी होगा।
- पूर्व अग्निवीरों को तीन साल की आयु में छूट भी दी जाएगी। इस नीति के तहत पहला भर्ती अभियान 2026 में शुरु होगा, जब पहले अग्निवीर बैच की सेवा अवधि समाप्त होगी। यह निर्णय केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के तहत चार वर्ष सेवा करने वाले युवाओं को सेवा-उपरांत स्थायी रोजगार देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
- अग्निपथ योजना, जो 15 जून 2022 को शुरु हुई, का उद्देश्य सैन्य सेवाओं में युवाओं की भर्ती बढ़ाना और पेंशन व्यय को कम करना है। यह निर्णय न केवल पूर्व अग्निवीरों के लिए अवसर बढ़ाएगा, बल्कि पुलिस बल में अनुशासन और सैन्य दक्षता भी लाएगा।

थाईलैंड की ओपल बनीं मिस वर्ल्ड 2025

- 31 मई 2025 को हैदराबाद के हाईटेक्स प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता में थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगसरी ने जीत दर्ज की। वे यह खिताब जीतने वाली थाईलैंड की पहली महिला बनीं, जिससे उन्होंने इतिहास रच दिया। उन्होंने चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिस्ज़कोवा से यह ताज प्राप्त किया, जो मिस वर्ल्ड 2024 थीं। प्रतियोगिता के 72वें संस्करण में दुनिया भर से 108 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इथियोपिया की हैसेट डेरेजे प्रथम रनर-अप रहीं और पोलैंड की माजा क्लाजदा द्वितीय रनर-अप रहीं। भारत की ओर से नंदिनी गुप्ता ने प्रतिनिधित्व किया और वे शीर्ष 20 में जगह बनाने में सफल रहीं।
- ओपल, एक मॉडल हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की छात्रा हैं। उनका लक्ष्य भविष्य में एक राजदूत बनने का है। वे मनोविज्ञान और मानव विज्ञान में रुचि रखती हैं और स्तन कैंसर से जुड़ी संस्थाओं में स्वयंसेवक के रुप में कार्य करती हैं। उनकी विशेष प्रतिभा उल्टा उकेलेले बजाना है। उनकी सामाजिक पहल Opal for Her महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण पर केंद्रित है।

डी गुकेश ने कार्लसन को हराकर इतिहास रचा

- भारतीय शतरंज खिलाड़ी डोमराजू गुकेश ने नॉर्वे शतरंज 2025 टूर्नामेंट के छठे राउंड में पूर्व विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन पर पहली बार क्लासिकल फॉर्मेट में जीत दर्ज की। यह उपलब्धि उन्हें ग्रैंडमास्टर रमेशबाबू प्रज्ञानंद के बाद कार्लसन को हराने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बनाती है। इस जीत के साथ गुकेश के 8.5 अंक हो गए हैं और वे अंकतालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। वह केवल कार्लसन और अमेरिका के फैबियानो कारुआना से एक अंक पीछे हैं।
- 27 मई को शुरु हुआ यह टूर्नामेंट कार्लसन की लगभग एक वर्ष बाद क्लासिकल शतरंज में वापसी का प्रतीक है। डी गुकेश ने हाल ही में विश्व शतरंज चैम्पियनशिप का खिताब भी जीता था और यह उनकी पहली क्लासिकल जीत है उसके बाद। नॉर्वे शतरंज एक प्रतिष्ठित वार्षिक टूर्नामेंट है, जो मई से जून के बीच आयोजित होता है और विश्व स्तर के खिलाड़ियों की भागीदारी के लिए जाना जाता है।
- गुकेश की यह ऐतिहासिक जीत भारतीय शतरंज के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है और यह आने वाले समय में उनके बढ़ते दबदबे का संकेत है।

सेरेना विलियम्स को स्पेन का प्रतिष्ठित पुरस्कार

- पूर्व अमेरिकी टेनिस दिग्गज सेरेना विलियम्स को 2025 के लिए "प्रिंसेस ऑफ ऑस्टुरियस फॉर स्पोर्ट्स" पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह स्पेन का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जो खेल, साहित्य, विज्ञान, कला आदि क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। आयोजकों ने सेरेना को खेल इतिहास की महानतम टेनिस खिलाड़ियों में से एक बताया और उनके कोर्ट के बाहर के योगदान को भी सराहा। वे लैंगिक समानता और समाज में समान अवसरों की मजबूत समर्थक रही हैं।
- सेरेना के करियर की प्रमुख उपलब्धियों में 1999 में पहला ग्रैंड स्लैम, 2012 में ओलंपिक स्वर्ण पदक और 2017 में 23वां ग्रैंड स्लैम शामिल हैं। उन्होंने कुल 73 एकल खिताब और चार ओलंपिक स्वर्ण जीते हैं। 50,000 यूरो मूल्य का यह पुरस्कार आठ प्रमुख श्रेणियों में दिया जाता है। इसके पूर्व विजेताओं में स्कीयर लिंडसे वॉन, IOC रिफ्यूजी ओलंपिक टीम और न्यूज़ीलैंड रग्बी टीम शामिल हैं। सेरेना की इस सम्मानजनक उपलब्धि ने उनके अद्वितीय करियर और सामाजिक योगदान दोनों को एक बार फिर वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई है।

भारत में खाद्य तेल आयात शुल्क में कटौती

- सरकार ने हाल ही में कच्चे पाम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर मूल सीमा शुल्क घटाकर 10% कर दिया है। इस निर्णय का उद्देश्य घरेलू खाद्य तेल की खुदरा कीमतों को नियंत्रित करना और घरेलू प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देना है। पहले इन तीनों तेलों पर 20% मूल शुल्क लागू था, जिसे 14 सितंबर 2024 को शून्य से बढ़ाया गया था।
- इस बदलाव के बाद अब इन तेलों पर कुल प्रभावी आयात शुल्क 16.5% रह गया है, जो पहले 27.5% था। हालांकि, रिफाइंड तेलों पर 32.5% का मूल शुल्क और 35.75% का प्रभावी शुल्क यथावत रहेगा। भारत विश्व का प्रमुख खाद्य तेल आयातक है, जो अपनी घरेलू मांग का 50% से अधिक आयात करता है। 2023-24 के तेल विपणन वर्ष (नवंबर-अक्टूबर) में भारत ने 159.6 लाख टन खाद्य तेल आयात किया। भारत मलेशिया और इंडोनेशिया से पाम तेल, जबकि ब्राजील और अर्जेंटीना से सोयाबीन तेल आयात करता है।

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

1. सरकारी स्कूलों में नामांकन में कमी को लेकर नीति चिंता का सबसे सही स्पष्टीकरण कौन सा है?

A: यह सुझाव देता है कि सरकारी स्कूल अब बाजार विकल्पों के कारण आवश्यक नहीं हैं।

B: यह सार्वजनिक स्कूलों की गुणवत्ता और पहुंच में प्रणालीगत समस्याओं को दर्शाता है जो सामाजिक असमानताओं को बढ़ा सकता है।

C: इसका तात्पर्य है कि निजी स्कूल शिक्षकों को अधिक रोजगार प्रदान करते हैं, जिससे बेरोजगारी की समस्या हल हो जाती है।

D: यह संकेत करता है कि माता-पिता बच्चों को औपचारिक संस्थानों के माध्यम से शिक्षा दिलाने के इच्छुक नहीं हैं।

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए विकल्पों में से चयन करें:

कथन 1: भारत का विनिर्माण क्षेत्र कुल जीडीपी वृद्धि के बावजूद निरंतर कमजोर प्रदर्शन कर रहा है।

कथन 2: विनिर्माण में गिरावट मुख्य रूप से उच्च आयात शुल्क और ग्रामीण मांग में कमजोरी के कारण है।

A: दोनों कथन सही हैं और कथन 2 सही व्याख्या है

B: दोनों कथन सही हैं लेकिन कथन 2 सही व्याख्या नहीं है

C: कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है

D: कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है

3. 'प्रधानमंत्री जन धन योजना' के संबंध में निम्नलिखित में से कितने कथन सही हैं?

1. पीएमजेडीयू खाते पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, और अटल पेंशन योजना जैसी योजनाओं के लिए पात्र हैं।
2. पीएमजेडीयू के तहत सभी खाताधारकों को बिना उम्र की सीमा के ₹10,000 का ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध है।
3. अगस्त 2018 के बाद खोले गए पीएमजेडीयू खातों में ₹2 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है।
4. पीएमजेडीयू के तहत छोटे खाते (चोटा खाता) बिना मान्य पहचान दस्तावेजों के भी खोले जा सकते हैं।

A: केवल एक

B: केवल दो

C: केवल तीन

D: सभी चार

4. अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन (IOMed) के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कितने कथन सही हैं?

1. IOMed एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जो अंतर-राष्ट्रीय विवादों में बाध्यकारी निर्णय देता है।
2. इसका मुख्यालय हांगकांग में है और यह केवल मध्यस्थता पर ही केंद्रित है।
3. इंडोनेशिया और पाकिस्तान सहित 30 से अधिक देश इसके संस्थापक सदस्य हैं।
4. IOMed का उद्देश्य पारंपरिक कानूनी निकायों के मुकाबले एक गैर-टकरावकारी विकल्प प्रदान करना है।

A: केवल एक

B: केवल दो

C: केवल तीन

D: सभी चार

5. भारत में अवैध प्रव्रजन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

A: वैध वीज़ा पर आने के बाद उसकी अवधि समाप्त होने के बावजूद रुके रहने वाले भी अवैध प्रवासी माने जा सकते हैं।

B: अवैध प्रव्रजन को लेकर आर्थिक बोझ और श्रम बाज़ार पर प्रभाव जैसी चिंताएं होती हैं।

C: भारत नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत सभी अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को शरणार्थी का दर्जा देता है।

D: स्रोत देशों में राजनीतिक अस्थिरता और उत्पीड़न भारत में प्रव्रजन के कारण बनते हैं।

6. रूस-भारत-चीन (RIC) त्रिपक्षीय फॉर्मेट के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कितने कथन सही हैं?

1. RIC फॉर्मेट की शुरुआत 2000 के दशक की शुरुआत में BRICS जैसे आर्थिक समूह के रूप में हुई थी।
2. इसका एक उद्देश्य बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देना है।

3. 2020 के गलवान घाटी संघर्ष के बाद यह निष्क्रिय रहा है।
4. रूस इसे पश्चिमी समूहों जैसे NATO और क्वाड के खिलाफ पुनर्जीवित करने का समर्थन करता है।

A: केवल एक
B: केवल दो
C: केवल तीन
D: सभी चार

7. ध्रुव (DHRUVA) नीति के तहत एड्रेस-एज़-ए-सर्विस (AaaS) के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

A: AaaS पते के डेटा को एक साझा की जाने वाली सेवा के रूप में देखता है।
B: यह उपयोगकर्ताओं को यह नियंत्रण रखने की अनुमति देता है कि कौन उनके पते तक पहुंच सकता है।
C: AaaS निजी क्षेत्र की डिलीवरी कंपनियों को सरकारी पता रिकॉर्ड में बदलाव करने की अनुमति देता है।
D: AaaS का उद्देश्य दोनों सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता में सुधार करना है।

8. राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में "असिमेट्रिक थ्रेट्स" (असमान खतरे) का क्या मतलब है?

A: ऐसे खतरे जिनका मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी आवश्यक होती है।
B: कम लागत वाले, लेकिन उच्च प्रभाव वाले खतरे जैसे आतंकवाद, साइबर हमले, और प्रॉक्सी युद्ध।
C: खतरे जो परमाणु राज्यों के बीच प्रत्यक्ष पारंपरिक युद्ध से संबंधित होते हैं।
D: प्राकृतिक आपदाएं और महामारी जो राष्ट्रीय मनोबल को प्रभावित करती हैं।

9. पेराग्वे की सीधी सीमा किन देशों से लगती है?

1. ब्राज़ील
2. उरुग्वे
3. बोलिविया
4. अर्जेंटीना

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1, 3 और 4
C: केवल 2, 3 और 4
D: सभी चार

10. निम्नलिखित में से किन कथनों में औद्योगिक प्रदूषण के महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव के बारे में सही जानकारी दी गई है?

1. वायु प्रदूषण से उत्पन्न मानवजनित लोहा फाइटोप्लांकटन की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है।
2. फाइटोप्लांकटन की बढ़ी हुई वृद्धि सतही जल में पोषक तत्वों के नुकसान को धीमा कर देती है।
3. लोहे के स्तर में बदलाव महासागर में पारिस्थितिकी तंत्र की सीमाओं को बदल रहा है।
4. महासागरों में लोहे का प्रदूषण उसके मूल स्रोतों तक नहीं पहचाना जा सकता।

ऊपर दिए गए कितने कथन सही हैं?

A: केवल 1
B: केवल 2
C: केवल 3
D: सभी चार

11. निम्नलिखित में से "भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना" (SPMEPCI) के बारे में कौन-से कथन सही हैं?

1. यह योजना एक निश्चित मूल्य सीमा से कम कीमत वाले इलेक्ट्रिक चार-पहिया वाहनों के लिए 100% कस्टम ड्यूटी में छूट प्रदान करती है।
2. लाभ बनाए रखने के लिए निर्माताओं को 3 वर्षों के भीतर न्यूनतम 25% घरेलू मूल्य संवर्धन (DVA) प्राप्त करना अनिवार्य है।
3. यह योजना विशिष्ट शर्तों के अधीन ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों प्रकार के निवेश की अनुमति देती है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2 और 3
C: केवल 1 और 3
D: सभी चार

12. सैंक्चुरी/वेटलैंड — राज्य

1. सक्कराकोट्टई बर्ड सैंक्चुरी — तमिलनाडु
2. खेचोपलरी वेटलैंड — सिक्किम

3. उधवा झील — झारखंड
4. खीचन वेटलैंड — गुजरात

उपरोक्त में से कौन-से युग्म सही सुमेलित हैं?

A: केवल 1, 2 और 3
B: केवल 1, 3 और 4
C: केवल 2 और 4
D: सभी चार

13. क़ानून निर्माण और न्यायिक अधिकारिता के संदर्भ में शक्तियों के पृथक्करण (Separation of Powers) का सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण है?

A: यह न्यायालयों को विधायिका पर नियंत्रण की अनुमति देता है।
B: यह न्यायिक पुनरावलोकन का सम्मान करते हुए विधायी संप्रभुता की रक्षा करता है।
C: यह कार्यपालिका को क़ानूनों पर पूर्ण अधिकार देता है।
D: यह क़ानूनों की न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता को समाप्त कर देता है।

14. भारत के प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों (Plastic Waste Management Rules) और संबंधित घरेलू नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

1. भारत ने 1 जुलाई 2022 से 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग्स पर प्रतिबंध लगा दिया है।
2. एफएसएसएआई (FSSAI) द्वारा जारी पैकेजिंग विनियम खाद्य भंडारण के लिए पुनर्नवीनीकृत प्लास्टिक के उपयोग की अनुमति देते हैं।
3. विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) पोर्टल प्लास्टिक अपशिष्ट प्रोसेसरों के पंजीकरण की अनुमति देता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2 और 3

15. चेन्नाब पुल परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसका नदी के तल से ऊंचाई कुतुब मीनार और एफिल टॉवर दोनों से अधिक है।
2. यह पुल भूकंप और 200 किमी/घंटा से अधिक की गति की हवाओं का सामना कर सकता है।
3. इसे 100 किमी/घंटा तक की गति से चलने वाली यात्री और मालगाड़ियों का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है।
4. यह एशियाई इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) की सहायता से विकसित एक केबल-स्टे पुल है।

ऊपर के कितने कथन सही हैं?

A: केवल एक
B: केवल दो
C: केवल तीन
D: सभी चार

16. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन 1: धनुषकोडी लैगून में कछुए, फ्लेमिंगो और क्रस्टेशियन सहित समृद्ध जीव विविधता पाई जाती है।

कथन 2: लैगून में उच्च लवणता स्तर पौधों के जीवन को बाधित करता है और जैव विविधता को कम करता है।

निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

A: कथन 1 सही है और कथन 2 उसका सही स्पष्टीकरण है।
B: कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है।
C: दोनों कथन 1 और 2 सही और संबंधित हैं।
D: दोनों कथन 1 और 2 गलत हैं।

17. निम्नलिखित में सही जोड़े कौन से हैं?

रिपोर्ट	प्रकाशित
1. GEM रिपोर्ट	यूनेस्को
2. ASER रिपोर्ट	प्रथम एनजीओ
3. NAS	शिक्षा मंत्रालय
4. PISA	वर्ल्ड बैंक

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1, 2, और 3
C: केवल 2 और 4
D: सभी चार

18. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) और भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) द्वारा भारत में खुरधारी स्तनधारियों (Ungulates) की स्थिति पर तैयार की गई रिपोर्ट के संदर्भ

में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. चीतल (धब्बेदार हिरण) की आबादी व्यापक है और यह मानव परिवर्तित परिदृश्यों में अच्छी तरह अनुकूल हो जाती है।
2. बारहसिंगा की आबादी का विस्तार हुआ है और अब यह अपने अधिकांश ऐतिहासिक आवासों में पाई जाती है।
3. जंगली भैंसों की आबादी छोटी, आनुवंशिक रूप से अलग-थलग पड़ी हुई है और विलुप्ति के खतरे में है।
4. भारत के सभी वन क्षेत्रों में खुरधारी स्तनधारियों की आबादी समान रूप से वितरित है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

A: केवल एक

B: केवल दो

C: केवल तीन

D: सभी चार

19. स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन (SAI) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसका उद्देश्य वैश्विक तापमान को कम करने के लिए सौर विकिरण को अंतरिक्ष में वापस परावर्तित करना है।
2. यह ज्वालामुखी विस्फोटों के प्राकृतिक शीतलन प्रभावों से प्रेरणा लेता है।
3. सल्फर डाइऑक्साइड SAI में इस्तेमाल किया जाने वाला प्राथमिक रसायन है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2 और 3

C: केवल 1 और 3

D: 1, 2 और 3

20. बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एमपीआई में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के संकेतक शामिल हैं।
2. भारत का एमपीआई 2005-06 में 53.8% से तेजी से गिरकर 2022-23 तक 15.5% हो गया, जो बुनियादी सेवाओं तक पहुंच में बड़े सुधारों का संकेत देता है।
3. एमपीआई केवल आय और व्यय के स्तर पर विचार करता है।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है/हैं?

A: केवल 1

B: केवल 1 और 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2 और 3

21. निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प भारत के लिए I-STAR विमान के सामरिक महत्व को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है?

A: वे आपदा राहत के दौरान दीर्घ-दूरी तक कार्गो परिवहन की सुविधा प्रदान करते हैं।

B: वे भारत की अंतर्राष्ट्रीय हवाई गश्ती अभियानों में भागीदारी सुनिश्चित करते हैं।

C: वे शत्रु के हवाई क्षेत्र में प्रवेश किए बिना सटीक निगरानी और लक्ष्य साधने की क्षमता प्रदान करते हैं।

D: इनका उपयोग मुख्यतः पायलटों को युद्धक उड़ान प्रशिक्षण देने के लिए किया जाता है।

22. जैविक प्राणियों में क्रिप्टोबायोसिस (Cryptobiosis) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. क्रिप्टोबायोसिस एक जीवित रहने की रणनीति है जिसमें जैव-चयापचय (metabolic activity) लगभग पूरी तरह से बंद हो जाता है।
2. यह जीवों को विकिरण, अत्यधिक शुष्कता (desiccation), और निर्वात जैसी चरम पर्यावरणीय परिस्थितियों से बचने में मदद करता है।
3. सभी जीव जिन्हें क्रिप्टोबायोसिस की अवस्था में प्रवेश करना होता है, इस स्थिति को बनाए रखने के लिए ऑक्सीजन पर निर्भर रहते हैं।

सही उत्तर क्या है?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2 और 3

23. निम्नलिखित कथन (Assertion/Reason) पर विचार करें और सही विकल्प चुनें:

कथन (A): टार्डिग्रेड्स को अंतरिक्ष जीवविज्ञान प्रयोगों के लिए आदर्श मॉडल माना जाता है।

कारण (R): वे अपने डीएनए की मरम्मत कर सकते हैं और निर्वात में बिना स्थायी क्षति के जीवित रह सकते हैं।

विकल्प:

A: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या करता है।

B: A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं करता।

C: A सत्य है, लेकिन R असत्य है।

D: A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

24. पोसोन पोया (Poson Poya) उत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह भारत में बुद्ध द्वारा दिया गया पहला उपदेश स्मरण करता है।
2. यह अरहात महिंद के श्रीलंका आगमन को चिह्नित करता है।
3. यह जून की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है।

उपयुक्त कथनों का चयन करें:

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2 और 3

C: केवल 1 और 3

D: 1, 2 और 3

25. निम्नलिखित बौद्ध संप्रदायों और उनकी विशेषताओं के युग्मों पर विचार करें:

संप्रदाय	विशेषता
1. थेरवाद	अनुष्ठानों और गूढ़ प्रथाओं पर केंद्रित
2. महायान	बोधिसत्व आदर्श और सार्वभौमिक मोक्ष को बढ़ावा देता है
3. वज्रयान	तांत्रिक अनुष्ठानों और मंत्रों का उपयोग करता है
4. नवयान	आधुनिक, सामाजिक रूप से सक्रिय बौद्ध धर्म

उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

A: केवल 1

B: केवल 2

C: केवल 3

D: सभी चार

26. निम्नलिखित में से सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए SEZ (विशेष आर्थिक क्षेत्र) नियमों में कौन-सा परिवर्तन किया गया है?

A: SEZ इकाइयों को अब घरेलू बिक्री पर कोई शुल्क नहीं देना होगा।

B: न्यूनतम भूमि आवश्यकता को 50 हेक्टेयर से घटाकर 10 हेक्टेयर कर दिया गया है।

C: SEZ केवल निर्यात कर सकते हैं, घरेलू बाजार में बिक्री नहीं कर सकते।

D: SEZ भूमि पूरी तरह से बंधक या पट्टे से मुक्त होनी चाहिए।

27. संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) की स्टेट ऑफ़ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत की वर्तमान जनसंख्या प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत की जनसंख्या अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुकी है और अब घट रही है।
2. भारत में कुल प्रजनन दर (TFR) प्रतिस्थापन स्तर से नीचे गिर गई है।
3. भारत की कार्य-योग्य जनसंख्या का अनुपात दो-तिहाई से अधिक है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 2

C: केवल 1 और 3

D: 1, 2 और 3

28. FY26 के लिए भारत की आर्थिक दृष्टिकोण के संदर्भ में, विश्व बैंक की नवीनतम ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. FY26 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 6.3% अनुमानित है।
2. भारत अब दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है।
3. FY26 के लिए भारत में मुद्रास्फीति 4% से कम रहने की संभावना है।
4. भारत का सार्वजनिक ऋण-से-GDP अनुपात महत्वपूर्ण रूप से बढ़ने की संभावना है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 3

B: केवल 1, 2 और 4

C: केवल 1, 3 और 4

D: केवल 2 और 4

29. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर वैश्विक स्तर पर सबसे कम में से एक है।

कथन 2: सार्वभौमिक मातृत्व सुरक्षा की कमी के कारण महिलाएं

प्रसव के बाद काम जारी रखने से हिचकिचाती हैं।

निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है?

A: दोनों कथन सही हैं और कथन 2, कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है

B: दोनों कथन सही हैं लेकिन कथन 2, कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है

C: कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है

D: कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है

30. Axiom-4 (Ax-4) मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह NASA के नियमित अंतरिक्ष यात्री रोटेशन कार्यक्रम का हिस्सा है।
2. इस मिशन में प्रयुक्त अंतरिक्ष यान को SpaceX द्वारा लॉन्च किया गया है।
3. शुभांशु शुक्ला इस मिशन के दल का हिस्सा हैं।
4. मिशन में मधुमेह और अंतरिक्ष में फसल की वृद्धि से संबंधित प्रयोग शामिल हैं।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

A: केवल 1

B: केवल 2

C: केवल 3

D: सभी चार

31. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. प्रवाल विरंजन (coral bleaching) तब होता है जब प्रवाल (corals) बढ़े हुए तापमान के कारण शैवाल (algae) को बाहर निकाल देते हैं।
2. प्रवाल भित्तियाँ जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक सहनशील समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों में से एक हैं।
3. चौथा वैश्विक प्रवाल विरंजन (mass bleaching) घटना 2023 से 2025 के बीच घटित हुई।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2 और 3

C: केवल 1 और 3

D: 1, 2 और 3

32. एटालिन जलविद्युत परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह परियोजना द्री और तालो नदियों पर एक रन-ऑफ-द-रिवर (Run-of-the-River) योजना के रूप में प्रस्तावित है।
2. इसमें जल संचयन (storage) के लिए एक बड़ा बांध बनाने का प्रस्ताव है।
3. यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में स्थित है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

A: केवल 1

B: केवल 2

C: सभी तीन

D: कोई नहीं

33. निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषताएँ प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (PM-SYM) की प्रमुख विशेषताएँ हैं?

1. यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को लक्षित करती है।
2. सरकार मासिक प्रीमियम का 100% योगदान करती है।
3. यह 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन प्रदान करती है।

विकल्प:

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: उपरोक्त सभी

34. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो आयरन डोम (Iron Dome) प्रणाली से संबंधित हैं:

1. यह 2011 से इज़रायल में परिचालन में है।
2. यह हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहनों को रोक सकता है।
3. यह तामीर (Tamir) इंटरसेप्टर्स और रडार प्रणालियों का उपयोग करता है।
4. यह वैश्विक तैनाती के लिए स्केलेबल (scalable) है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

A: केवल 1

B: केवल 2

C: केवल 3

D: सभी चार

35. निम्नलिखित में से कौन से कथन यूरेशियन ऊदबिलाव

(Eurasian otters) के संबंध में सही हैं?

1. वे मस्टेलिडी (Mustelidae) परिवार से संबंधित हैं।
2. वे मीठे पानी और समुद्री दोनों प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं।
3. वे केवल भारत में ही पाए जाते हैं (भारत के लिए स्थानिक हैं)।

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2 और 3
C: केवल 1 और 3
D: 1, 2 और 3

36. निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प iDEX पहल की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है?

A: रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों के लिए एक खरीद पोर्टल
B: रक्षा अनुसंधान एवं विकास के लिए एक स्टार्टअप-आधारित नवाचार मंच
C: आयातित हथियारों के परीक्षण की एक प्रणाली
D: सशस्त्र बलों में कौशल विकास के लिए एक योजना

37. निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

1. डीएनए केवल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है।
2. एकसमान जुड़वाँ (identical twins) को छोड़कर सभी मनुष्यों का डीएनए अद्वितीय होता है।
3. वाई-क्रोमोसोम विश्लेषण पुरुष और महिला दोनों रिश्तेदारों की पहचान करने में सहायक होता है।

सही उत्तर का चयन करें:

A: केवल 1 और 3
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2 और 3

38. ब्रिक्स में वियतनाम की नई स्थिति के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कितने कथन सही हैं?

1. वियतनाम 2024 में ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया।
2. ब्रिक्स पार्टनर कंट्री मॉडल बिना पूर्ण सदस्यता के करीबी सहयोग की अनुमति देता है।
3. वियतनाम पार्टनर कंट्री श्रेणी के तहत 10वां देश बना।
4. ब्रिक्स पार्टनर कंट्रीज़ को ब्रिक्स के निर्णयों में समान मतदान अधिकार प्राप्त होते हैं।

विकल्प:

A: केवल 1
B: केवल 2
C: केवल 3
D: सभी चार

39. निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही विकल्प चुनें:

आरोप (A): फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन (FGD) प्रणालियाँ कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट्स के आसपास के क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार लाने में योगदान करती हैं।

कारण (R): थर्मल पावर प्लांट्स से निकलने वाला सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) महीन कणीय पदार्थ (PM2.5) का एक प्रमुख अग्रदूत होता है, जो श्वसन और हृदय संबंधी रोगों से गहराई से जुड़ा हुआ है।

विकल्प:

A: A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या करता है
B: A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं करता
C: A सही है, लेकिन R गलत है
D: A गलत है, लेकिन R सही है

40. भारत–साइप्रस संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. साइप्रस 2026 में यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता संभालने वाला है।
2. भारत और साइप्रस ने एक द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता (FTA) पर हस्ताक्षर किए हैं।
3. साइप्रस, तुर्की के निकट पूर्वी भूमध्य सागर के विवादित क्षेत्रों में अपतटीय प्राकृतिक गैस की खोज कर रहा है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2 और 3

41. लोकपाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. लोकपाल प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की जाने वाली जांचों की निगरानी कर सकता है।
2. प्रारंभिक जांच के दौरान इसके पास दीवानी न्यायालय (civil court) जैसे अधिकार होते हैं।

3. यह प्रधानमंत्री के खिलाफ सभी मामलों में बिना किसी प्रतिबंध के शिकायतों की जांच कर सकता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 2

B: केवल 1 और 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2 और 3

42. SEEDS पहल के बारे में निम्नलिखित में से कितने कथन सही हैं?

1. इसे NABARD द्वारा सीधे लागू किया जा रहा है।
2. यह भागीदार देशों में लघु और मध्यम उद्यमों (SMEs) को समर्थन देता है।
3. यह वित्तीय और तकनीकी सहायता दोनों शामिल करता है।
4. यह केवल दक्षिण एशिया पर केंद्रित है।

A: केवल 1

B: केवल 2

C: केवल 3

D: सभी चार

43. भारत की मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) द्वारा समर्थन प्राप्त था।
2. इसका उद्देश्य मगरमच्छ की सभी तीन देशज प्रजातियों का संरक्षण करना था।
3. ओडिशा मगरमच्छ के अंडों के संरक्षण और पालन केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य था।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

A: केवल 1

B: केवल 2

C: सभी तीन

D: कोई नहीं

44. निम्नलिखित में से कौन-से वाटरशेड प्रबंधन के घटक हैं?

1. वृक्षारोपण (Afforestation)
2. नदियों को आपस में जोड़ना (River interlinking)
3. सतत कृषि (Sustainable farming)
4. मृदा एवं जल संरक्षण (Soil and water conservation)

A: केवल 1, 2 और 4

B: केवल 1, 3 और 4

C: केवल 2 और 4

D: सभी चार

45. भारत में सेमीकंडक्टर से संबंधित SEZ सुधारों के बारे में निम्नलिखित में से कितने कथन सही हैं?

1. सेमीकंडक्टर SEZ के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि क्षेत्र 50 हेक्टेयर से घटाकर 10 हेक्टेयर कर दिया गया है।
2. अब SEZ इकाइयाँ लागू शुल्क चुकाने के बाद अपने उत्पाद घरेलू बाजार में बेच सकती हैं।
3. SEZ की मंजूरी के लिए अब भी बिना किसी बाधा (encumbrance-free) वाली भूमि अनिवार्य है।

A: केवल 1

B: केवल 2

C: सभी तीन

D: कोई नहीं

46. शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं?

1. इसकी स्थापना वर्ष 2001 में शंघाई में की गई थी।
2. इसका मुख्य उद्देश्य केवल आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है।
3. भारत और ईरान इसके संस्थापक सदस्य हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

A: केवल 1

B: केवल 2 और 3

C: केवल 1 और 2

D: उपरोक्त सभी

47. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन 'नव्या योजना' के संदर्भ में सही है?

A: यह योजना केवल स्नातक युवतियों को उच्च शिक्षा में सहायता देने के लिए शुरू की गई है।

B: यह योजना केवल पारंपरिक हस्तशिल्प प्रशिक्षण पर केंद्रित है।

C: यह योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 16–18 वर्ष की किशोरियों को गैर-पारंपरिक कौशलों में प्रशिक्षण देने हेतु शुरू की गई है।

D: यह योजना केवल शहरी क्षेत्रों की महिलाओं के लिए शुरू की गई है।

48. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो WMO की एशिया में जलवायु की स्थिति 2024 रिपोर्ट पर आधारित हैं:

1. 1991 से एशिया का तापमान वृद्धि दर वैश्विक औसत से लगभग दोगुना है।
2. एशियाई जल क्षेत्रों में औसत समुद्री सतह तापमान की वृद्धि दर भूमि तापमान की तुलना में धीमी है।
3. 2024 में, एशिया में समुद्री हीटवेव ने दुनिया के महासागरीय क्षेत्र के 10% से अधिक को प्रभावित किया।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

A: केवल 1

B: केवल 2

C: सभी तीन

D: कोई नहीं

49. चांदीपुरा वायरस (CHPV) के सन्दर्भ में, निम्नलिखित में से कितने कथन सही हैं?

1. CHPV की पहचान पहली बार 1965 में आंध्र प्रदेश में बुखार से पीड़ित मामलों से हुई थी।
2. यह मुख्य रूप से 40 वर्ष से अधिक आयु की वयस्क आबादी को प्रभावित करता है।
3. यह वायरस रैब्डोविरिडी (Rhabdoviridae) परिवार से संबंधित है।
4. सैंड फ्लाई (बालू मक्खी) को CHPV के संभावित वाहक (vector) माना जाता है।

विकल्प:

A: केवल 1

B: केवल 2

C: केवल 3

D: सभी चार

50. निम्नलिखित में से कौन-से कथन CAR T-सेल थेरेपी के संबंध में सही हैं?

1. यह प्रक्रिया रोगी की T कोशिकाओं को शरीर से बाहर संशोधित करने पर आधारित होती है।
2. इसका मुख्य उपयोग ऑटोइम्यून बीमारियों के इलाज में किया जाता है।
3. यह वर्तमान में बहुत महंगी है और इसके लिए अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता होती है।

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2 और 3

उत्तर

1	B	11	B	21	C	31	B	41	A
2	C	12	A	22	A	32	B	42	C
3	C	13	B	23	A	33	C	43	C
4	C	14	B	24	B	34	C	44	B
5	C	15	C	25	C	35	A	45	B
6	C	16	B	26	B	36	B	46	A
7	C	17	B	27	B	37	B	47	C
8	B	18	B	28	A	38	B	48	B
9	B	19	D	29	A	39	A	49	B
10	C	20	B	30	B	40	B	50	B

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

NEW BATCH
UPSC(IAS)

GS FOUNDATION BATCH

25th JULY

9:00 AM

(Bilingual)

ETHICS by SHWETA MA'AM

A-12 Sector - J, Aliganj, Lucknow
9506256789